Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का २८वां दिवस [संख्या १९

मंगलवार, दिनांक २२ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १३ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, विकास, सार्वजनिक निर्माण, समाज कल्याण, सामान्य प्रशासन, सहायता एवं पुनर्वास, उद्योग, खनिज, शिक्षा एवं देवस्थान, विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

(विराम)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

लालसोट तहसील में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भेजने की व्यवस्था

५५६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लालसोट तहसील में चार मास से तहसीलदार भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

(ख) लालसोट तहसील के नायब तहसीलदार का स्थानान्तरण होने के पश्चात् वहां दूसरा नायब तहसीलदार भेजने का प्रबन्ध क्यों नहीं किया जा रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) इस विषय में विकास विभाग को लिखा गया है, उत्तर आने पर तहसीलदार के पद पर नियुक्ति कर दी जायेगी।

(ख) तहसील लालसोट में नायब तहसीलदार का स्थान रिक्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

ग्राम सुन्दलक, तहसील बारां को विकास कार्य हेतु दी गई धनराशि

५५७. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सुन्दलक,

Page No.2

(श्री दयाकृष्ण विजय)

तहसील बारां, जिला कोटा को गत दो वर्षों में बारां विकास खंड की ओर से ८०,००० रु० विकास कार्यों हेतु दिया गया ?

(२) बारां विकास खंड का गत दो वर्षों का कुल बजट कितनी राशि का रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि इतनी भारी राशि देने के बाद भी ६,००० रु० और वहां से कम बताकर मांगे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या बारां विकास खंड के इस अनुदान की तथा मुन्दलक में हुए विकास कार्यों की किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

विकास मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी नहीं। सन् १९५८ में केवल ५,१०० रु० का अनुदान दिया गया था।

(२) १,६१,३०० रुपये का।

(३) जी नहीं। अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए ६,००० रुपये की मांग अवश्य की गई है।

(४) जी नहीं, इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने सन् १९५८ का बताया, १९५९ में कितना रुपया दिया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १९५९ में कोई रकम नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिविजन व सब-डिविजन

५५८. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कुल कितने डिविजन व सब डिविजन हैं तथा उनके बनाने के क्या आधार हैं ?

(२) क्या बीकानेर डिविजन (रेवेन्यू डिविजन) के लिये एक अलग सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर की मांग चल रही है ? अगर हां, तो इस पद के निर्माण के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) कुल २९ डिविजन। २१ सड़क व भवन शाखा के व ८ वाटर वर्क्स के एवं १०३ सब-डिविजन, ७५ सड़क व भवन शाखा के व २८ वाटर वर्क्स के हैं। इनके बनाने का आधार कार्य भार, वर्क लोड है।

(२) जी हां। सरकार के विचाराधीन है।

श्री भीमसेन : यह कब से विचाराधीन है सरकार के ?

श्री हरिश्चन्द्र : थोड़े अर्से से है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें कोई फैसला कर लिया गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : विचाराधीन है, मैंने अर्ज किया।

Page No.3

मुरलीधर व्यास : क्या चीज है विचाराधीन ? ऐसा कौनसा पोइन्ट है, जो विचाराधीन है ?

श्री हरिश्चन्द्र : वर्क लोड एग्ज़ामिन हो रहा है, वर्क लोड देखने के बाद गवर्नमेंट के पास आयेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

नायब तहसीलदार, सदर कानूनगो, ऑफिस कानूनगो, ऑफिस सुपरिटेन्डेन्ट एवं तहसीलदारों आदि की हुई नियुक्तियां एवं रिवर्जन

५५६. श्री रामकरणसिंह (कोटपुली): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) श्री सरदारसिंह, श्री सुगनसिंह, श्री हरिश्चन्द्र, श्री रूपसिंह, श्री हरशरणलाल, श्री कर्मसिंह श्री विश्वेश्वरनाथ, श्री ताराचन्द जैन, श्री वीरसिंह आदि वर्तमान नायब तहसीलदार, श्री अमीरचन्द, जैन सदर कानूनगो, श्री रामचन्द्र वर्मा, ऑफिस कानूनगो, सांगानेर रामचन्द्र गुप्ता आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट कमीश्नर अजमेर, श्री मदनलाल जोशी व श्री जगन्नाथप्रसाद तहसीलदार आदि उपरोक्त व्यक्तियों की नियुक्ति किस पद पर और कब हुई थी ?

(२) नियुक्ति से आज तक अलग अलग केटेगरीज़ के पद पर कितने कितने समय के लिये हुई ?

(३) इनमें से कितनों को पद देने से कितने समय बाद रिवर्ट भी किया गया और क्यों ?

(४) क्या इनमें ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक तरक्की देना उचित था मगर नहीं दी गई और कइयों को कानून के खिलाफ भी तरक्की दे दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या इनमें से कोई किसी सर्विस से रिटायर शुदा भी हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इसका जबाब नहीं आया है।

(हंसी)

इसलिए मैं बहुत डर के कह रहा था।

(हंसी)

श्री भैरोसिंह (श्रीमाधोपुर) : हमने पहले ही कह दिया कि जबाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

उदयपुर डिविजन के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई सहायता

५६०. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

उदयपुर डिविजन में किन किन संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् १९५८ व १९५९ में कितनी कितनी आर्थिक सहायता दी गई तथा यह सहायता किन नियमों

(श्री मूलचन्द डागा)

के आधार पर दी गई ? संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

छात्रावास के सम्बन्ध में नियम सरकार द्वारा स्वीकृत हैं जिसकी प्रति सदन की मेज पर रखी गई है। संशोधित नियम सरकार के विचाराधीन हैं। अन्य प्रकार की सहायता के नियम भी विचाराधीन हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : गाडिया लुहारों के लिए ६,६४३ रुपये का खर्च बताया है वह किस काम के लिए बताया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : किस पेज पर ?

श्री मूलचन्द डागा : पेज ३।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसमें गाड़िया लुहार, चित्तौड़गढ़ के लिए ६,६४३ रुपये हैं। छात्रवास के लिये हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : नियमों में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी ? पुराने नियम किस कारण दोषयुक्त थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसमें डिफीकल्टीज़ महसूस होती थी इसलिए सोचा गया कि जो नियम बने हुए हैं उनके अन्दर परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि छात्रावास चलाने के सिलसिले में और जो स्वयंसेवी संस्थायें हैं उनको किस प्रकार से एड दी जानी चाहिए, किस प्रकार वे अच्छी तरह चलें, इसलिए उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। वह विचाराधीन है।

डॉ० चन्द्रकला : यह आवश्यकता सरकार ने महसूस की, संस्थाओं ने की या जनता ने की ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सब ने इकट्ठे होकर की।

श्री मूलचन्द डागा : मीरा कला मंडल क्या काम करता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके नाम से मालूम होगा कि इस मंडल के अन्दर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और हर प्रकार की जो मीरां की प्रवृत्तियां चलती हैं उस सिलसिले में कार्य होते हैं। बहुत अच्छी संस्था है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

हिन्दी टाईपिंग एवं शॉर्टहैन्ड की ट्रेनिंग

५६१. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) सरकार ने हिन्दी टाईपिंग और शॉर्टहैंड की ट्रेनिंग कितने कर्मचारियों को सन् १६५८-५६ में दी है ?

(२) क्या यह सत्य है कि सरकार ने इनको हिन्दी टाइपिंग की ट्रेनिंग डिविजनल हैड क्वार्टर्स पर ओलिविटी टाइप मशीन पर

Page No.5

(श्री मूलचन्द डागा

टी है और अब उन्हें कार्यालयों में रेमिंगटन हिन्दी टाइप मशीन पर काम करना पड़ता है ?

(३) क्या वे कर्मचारी इस रेमिंगटन मशीन पर उसी योग्यता और पूर्णता के साथ काम कर सकते हैं जैसा कि वे ओलिविटी टाइप मशीन पर, और अगर नहीं, तो यह गल्ती किसकी है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) २४३ कर्मचारियों को शीघ्र लेखन में, २६७ को मुद्रलेख में।

(२) (अ) केवल जोधपुर व अजमेर में।

(ब) केवल रेमिंगटन मुद्रणयंत्रों पर ही कार्य करना आवश्यक है। जिस विभाग में जिस मॉडल के यंत्र मिलते हैं उन्हीं पर उन्हें करना पड़ता है।

(३) जी हां। केवल कुछ अभ्यास मात्र से।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर): दोनों यंत्र में अन्तर होता है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुख्तसर अन्तर है।

श्री मूलचन्द डागा : ओलिविटी मशीन पर काम सिखाया गया है वह मशीन प्रोवाइड क्यों नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कई फैक्टर्स काम करते हैं...

श्री मूलचन्द डागा: एक फेक्टर से शुरू कीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसा मैंने अर्ज किया....

श्री मूलचन्द डागा : एक फेक्टर शुरू कीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर दूं, अवेलेबिलिटी का सवाल है दूसरी जो मशीनें हैं उनको फेक नहीं सकते। कई बातें इसमें ध्यान में रखी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनराम।

सड़कों पर डामर डालना

५६२. श्री किशनाराम (रतनगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या यह सही है कि तालछापर, पड़िहारा, रतनगढ़, सरदारशहर, तारानगर, सादुलपुर रोड पर अब तक सब जगह डामर नहीं डाला गया है ?

(२) यदि हां, तो कितनी माइलेज में डामर डालना बाकी है तथा क्या सरकार अब इस हिस्से पर भी डामर डलवाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) जी हां।

(२) जी हां। लगभग १०१ मील में। केवल ३० मील में डामर डालने की योजना है।

Page No.6

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : कौनसे वर्ष में है यह योजना ?

श्री हरिश्चन्द्र : सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में।

श्री भैरोंसिंह : कौनसे इयर में ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह आखिरी साल है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

कोटा जिले में रिवर्ट किये गये कानूनगो

५६३. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या कोटा जिले में सन् ५६ व सन् ६० में कुछ कानूनगोज़ को वापस पटवारी बनाया गया है ? यदि हां, तो कितनों को और क्यों ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) टोंक से कानूनगोई ट्रेनिंग प्राप्त पटवारी को किस दिन से कानूनगोई ट्रेन्ड समझा जाता है, ट्रेनिंग में जाने के समय से या ट्रेनिंग समाप्त करने के समय से ?

(३) यदि ट्रेनिंग समाप्त करने के समय से ट्रेन्ड माना जाता है तो वह उस तारीख से कानूनगो बन जानेवाले व्यक्ति से कैसे सीनियर हो सकता है ?

(४) पुराने पटवारियों को कितने समय टेम्परेरी कानूनगोई करने के पश्चात् पर्मानेन्ट मान लिया जाता है ?

(५) क्या इस प्रकार परमानेन्ट हुए कानूनगोज़ को भी रिवर्ट किया जा सकता है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां, पांच को सेटलमेंट विभाग के इन्सपेक्टर्स को व कानूनगो प्रशिक्षण प्राप्त कुछ पटवारियों को इस जिले में एब्जोर्ब करने की वजह से ऐसा किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) ट्रेनिंग समाप्त करके व डिप्लोमा प्राप्त कर लेने पर राजस्थान लैंड रेवेन्यू (लैंड रेकॉर्डस) रूल, १९५७ की धारा २०५ के अनुसार ट्रेन्ड कानूनगो समझा जाता है।

(३) जब ट्रेन्ड कानूनगो उपलब्ध नहीं होते तब पटवारियों को कार्यवाहक कानूनगो इस शर्त पर बनाया है कि उनको स्थाई पद उसी अवस्था में दिया जावेगा जब वे कानूनगो ट्रेनिंग पास कर लेवेंगे। परन्तु जो व्यक्ति इन कार्यवाहक कानूनगो से पूर्व ट्रेनिंग प्राप्त कर के आते हैं तो उन्हें स्थाई कानूनगो के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति उस कार्यवाहक कानूनगो से सीनियर हो जाता है।

(४) ऐसा कोई नियम नहीं है। केवल ट्रेनिंग प्राप्त कर व डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् ही कानूनगो के पद पर स्थाई किया जा सकता है।

(५) जी नहीं, केवल सी० सी० ए० रूल के तहत ही रिवर्ट किये जा सकते हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या लैंथ ऑफ सर्विस के आधार पर पटवारियों को कानूनगो नहीं बनाया जाता ?

Page No.7

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज कर दिया कि स्पेशल क्वालिफिकेशन रखी है, कानूनगो की ट्रेनिंग पास करना चाहिये।

श्री दयाकृष्ण विजय : उनको अभी रिवर्ट किया है और उनके स्थान पर सेटलमेंट डिपार्टमेंट से जो लोग आये हैं उनको रखा है, तो क्या वे लोग कानूनगो ट्रेनिंग पास हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक इन्सपेक्टर्स का सवाल है, ५–१० वर्ष के इन्सपेक्टर्स हैं उनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पावर्स हैं कि उनको अपोइन्ट कर सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब आप कहते हैं कि कानूनगो की ट्रेनिंग पास करके डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिये तो ऐसे लोगों को सेटलमेंट से लेते हैं जो ट्रेनिंग प्राप्त नहीं हैं और उन पटवारियों को जिनको कि बहुत वर्षों का अनुभव है उनको कानूनगो नहीं बनाते, यह कहां तक उचित है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे तो सब्स्टेन्टिव इन्सपेक्टर्स हैं। उनको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। They are not required to be trained because Settlement Inspector is as good as Revenue Inspector. इसलिये उनके आने पर पटवारियों को रिवर्ट किया जाता है, तो वह बिल्कुल ठीक है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि सेटलमेंट डिपार्टमेंट में थोड़े दिन अमीन का काम करने पर कानूनगो बना दिया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, आपका ख्याल है। उनको सीनियोरिटी कम मेरिट्स के आधार पर कानूनगो बनाया जाता है और जब कोई सब्स्टेन्टिव इन्सपेक्टर हो जाता है तो उसके लिये कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं रहती।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब बिना किसी ट्रेनिंग के उनको कानूनगो बना देते हैं तो पटवारियों को इस काम का पूरा अनुभव होता है उनको कानूनगो क्यों नहीं बनाया जाता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्हे दोनों की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग होती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : पटवारियों को भी फील्ड में जाकर काम करना पड़ता है, फिर इनको कानूनगो क्यों नहीं बनाया जाता ?

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम।

श्री दयाकृष्ण विजय : नहीं माननीय अध्यक्ष, मुझे एक प्रश्न और पूछना है। लैंड रेवेन्यू एक्ट में, क्या इस प्रकार का प्रावधान है कि एक वर्ष तक पटवारी कानूनगो का काम कर लेता है तो उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियम छपे हुए हैं, मुलाहिजा कर लीजिये, मुझे क्या पूछते हैं ?

श्री दयाकृष्ण विजय: श्री सूरजमल ने एक साल तक कानूनगो के पद पर काम कर

Page No.8

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लिया था । वे परमानेन्ट के लायक थे, तो उनको रिवर्ट क्यों किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है, किसी इन्डिविजुअल केस के लिये मैं अभी कह नहीं सकता । मेरे पास वह रूल भी नहीं है । किसी आदमी के लिये पूछना है तो स्ट्रेट सवाल पूछ लिया जाय ताकि उसकी सर्विस रोल वगैरह मंगा कर देख लिया जाय । अगर श्री सूरजमल की शिकायत है तो उसके लिये सवाल पूछ लें । सारे डिटेल्स मंगा कर आपको बता दिया जायेगा कि उसे क्यों नहीं परमानेन्ट किया गया । आपने अभी तो जनरल सवाल पूछा तो उसका जवाब दिया है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जनरल प्रश्न के साथ भी वही बात रहती है कि उन नियमों का पालन वहां हुआ है कि नहीं । इन नियमों का पालन होता नहीं है तो या तो आप यह कहें कि इन नियमों का पूरा पालन होता है या यह कहिये कि पूरा पालन नहीं होता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने शुरू से यही कहा है कि नियमों का पालन होता है, उल्लंघन नहीं होता ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं बता रहा हूं कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में इस प्रकार का प्रोविजन है कि एक साल तक कोई कार्यवाहक काम कर लेता है तो उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, फिर इनको रिवर्ट करके उस नियम का उल्लंघन क्यों किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा प्रोविजन मेरी जानकारी में नहीं है । अगर ऐसा है तो उसको अमेंड करना पड़ेगा ।

(हंसी)

श्री दयाकृष्ण विजय : अमेंड करेंगे तो भविष्य के लिये करेंगे पर अभी तो उनको चान्स देना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम ।

अजमेर डिविजन में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भवन निर्माण हेतु सहायता

५६४. श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : क्या मंत्री समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) समाज कल्याण विभाग, अजमेर डिविजन के कार्यालय में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों से भवन-निर्माण के सहायतार्थ इस वर्ष कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(२) कुल प्रार्थियों ने कुल कितनी धनराशि सहायतार्थ मांगी है ?

(३) अब तक कितने प्रार्थियों को कुल कितनी धन-राशि सहायतार्थ दी जा चुकी है ?

(४) इस डिविजन के लिये निर्धारित धन-राशि का कितना प्रतिशत अब तक दिया चुका है और शेष कब तक दे दिया जायेगा ?

Page No.9

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) समाज कल्याण विभाग, अजमेर क्षेत्र के कार्यालय में इस वर्ष कुल ५४८ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से प्रार्थना पत्र भवन निर्माण सहायतार्थ प्राप्त हुए।

(२) कुल प्रार्थियों ने ४,११,००० रु० की सहायतार्थ प्रार्थनापत्र पेश किये हैं।

(३) इस वर्ष अब तक ३५ परिवारों को २६,२५० रु० की सहायता दी जा चुकी है।

(४) इस क्षेत्र के लिये निर्धारित धन राशि का ३४ प्रतिशत व्यय किया जा चुका है। अवशेष धन-राशि के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): यह क्या पोर्टफोलियो चैंज हो गया ? विस्थापित मंत्री तो राजस्व मंत्री थे ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : क्या हो गया, आपको जवाब मिल गया।

प्रश्न संख्या ५६५

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

मजदूरों के लिये सर्विस कोड

५६६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि १८ जनवरी, ५८ को पी. डब्लु. डी. वर्कर्स फेडरेशन तथा सरकार के बीच मजदूरों के लिये एक सर्विस कोड बनाने की दृष्टि से एक समिति का निर्माण करने का समझौता हुआ था ?

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति बना दी गई और उसने सर्विस कोड बना कर पेश कर दिया है ?

(ग) क्या यह सही है कि अब जो नियम लागू किये गये हैं वे समझौते के अनुसार फेडरेशन की सहमति से नहीं बनाये गये हैं ?

(घ) क्या सरकार ने १० फरवरी, ६० को मजदूरों को कोई आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो क्या ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) समझौता केवल सर्विस कोड बनाने के लिये हुआ था, न कि समिति बनाने के लिये।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। सर्विस कोड बना दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) कोई नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सर्विस कोड बनाने का समझौता हुआ था कि सर्विस कोड बनाते समय उस युनियन से विचार-विमर्श किया जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : समझौता जैसा कि मैंने अर्ज किया सर्विस कोड बनाने का था,

Page No.10

(श्री हरिश्चन्द)

उनको बुलाया भी गया है, युनियन के सेक्रेटरी भी शामिल हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सर्विस कोड के खिलाफ मजदूर युनियन ने विरोध प्रकट किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे सूचना नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सर्विस कोड बनाने के लिये समिति बनी थी तो उसमें उनकी युनियन के भी किसी आदमी को रखा गया था कि नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : तो उस सदस्य को बुला कर शामिल रख कर कोड बनाया गया है या सरकार ने अपनी इच्छानुसार बनाया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : उनको बुला कर उसमें शामिल किया गया था और बाद में कोड तैयार किया गया था।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि जो सर्विस कोड बनाया गया है उसमें मजदूर युनियन का प्रतिनिधि शामिल था ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : कौन था ?

श्री हरिश्चन्द्र : सेक्रेटरी था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा था न कि सेक्रेटरी को बुलाया गया, पर आया नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा मैंने कहा कहा, उनको बुलाया, वे मीटिंग में शामिल थे।

श्री मुरलीधर व्यास : सेक्रेटरी कौन थे ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो भी हों।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी तारीख को ?

श्री हरिश्चन्द्र : २६ अक्टूबर, १६५६ को।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

किसान सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावों पर कार्यवाही

५६७. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या दिनांक ५ फरवरी व ७ फरवरी को क्रमशः गांव सधासर, तहसील नोखा व गांव लियेरां तहसील, लूणकरणसर में हुए किसान सम्मेलन द्वारा पारित भूमि-वितरण नीति तथा उनके खातों के हक के सम्बन्ध में प्रस्ताव सरकार के पास भेजे गये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी हां, प्रस्ताव भेजे गये, मगर जो मौजूदा रूल्स में प्रावधान है उनके लिहाज से प्रस्ताव में कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

Page No.11

श्री भीमसेन : जो अलॉटमेंट के रूल्स हैं उनके मुताबिक....

श्री दामोदरलाल व्यास : कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री भीमसेन : जो अलॉटमेंट की पोलिसी है उसके लिये....

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, उसी के लिये अर्ज कर रहा हूं।

जिनिंग फैक्टरी शाहपुरा एवं गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा को बेचा जाना

५६८. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१ जिनिंग फैक्ट्री, शाहपुरा एवं गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा को कब २ और किस २ पार्टी को किस प्रकार से कितने २ रुपयों में बेचा गया था ?

२. इन फैक्ट्रीज़ की कीमत के भुगतान के सम्बन्ध में पार्टीज़ से क्या एग्रीमेंट हुआ था ? कृपया उस एग्रीमेंट की कॉपी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

३. एग्रीमेंट के अनुसार किस किस फैक्टरी की कीमत, कितनी कितनी वसूल हुई तथा कब कब ? जिस रकम का भुगतान नहीं हुआ, वह क्यों और सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिये इसका उत्तर अगली टर्न पर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

खनिज उद्योग का राष्ट्रीयकरण

५६९. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या खनिज मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पदार्थ कहां २ निकलते हैं ?

(ख) क्या सरकार खनिज उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) राजस्थान में निम्नलिखित खनिज पदार्थ निकलते हैं जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) भारत सरकार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिज़ोल्युशन सन्, १९५६ के अन्तर्गत कुछ खनिजों को जिसकी सूची शिड्यूल ए में है भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत कार्य करने का निर्णय किया है। उन खनिजों में छोटे २ डिपॉजिट जो पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए उपयोग्य समझे जायेंगे उन्हें प्राइवेट सेक्टर में दिये जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य खनिजों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में अभी तक भारत सरकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : १९५६ के बाद में किस किस का किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पलाना है। इसके बाद का कोई नहीं है।

Page No.12

श्री मूलचन्द डागा : आपको १९५६ के बाद जो कुछ हुआ है उससे संतोष है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल्कुल संतोष है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : पलाना सन् १९५६ के बाद का है, या पहले का।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कह दिया कि पहले का है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें जिप्सम को पब्लिक सेक्टर....

श्री दामोदरलाल व्यास : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। यह बहुत लम्बी है। आप चाहें तो पढ़ दूं, मगर पढ़ना बहुत मुश्किल है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं कि जिप्सम को आपने लिया है उसको पब्लिक सेक्टर में नहीं लिया है। यह सूची में दर्ज है।

समाज कल्याण मंत्री (**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि यह सूची में जरूर दर्ज है। इसको पब्लिक सेक्टर में लेने का है। इसके लिये यह है कि इसका बीकानेर स्टेट के समय से ही बीकानेर जिप्सम कम्पनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है। इसलिये वही एग्रीमेंट चल रहा है। अब जब उनका टर्म समाप्त होगा उसके बाद में यह देखा जावेगा कि आया इसको पब्लिक सेक्टर में चलाना है या नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : राजस्थान सरकार ने इसको प्राइवेट पार्टी को दिया है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इजाजत से दिया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह है कि जितने खनिज होते हैं उनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चलाना चाहती है तो चला सकती है। अगर गवर्नमेंट नहीं चलाना चाहती तो गवर्नमेंट इजाजत दे देती है और दूसरों को दे सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका मतलब यह समझा जावे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार से इसके चलाने के लिये पूछा और आपके इन्कार कर देने पर दूसरों को दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि बीकानेर स्टेट से ही यह लीज़ आउट था और कम्पनी के साथ एग्रीमेंट था, इसलिये इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास : एग्रीमेंट में बहुत सी शर्तें थी और उसकी दूसरी शर्तों के अनुसार आप उसको अभी भी ले सकते हैं। आपने नये कानून बना दिये हैं कि पब्लिक सेक्टर में जिसके पास एक ठेका है उसको दूसरा नहीं देते तो बीकनेर जिप्सम के लिये आपने यह कन्सीडरेशन नहीं किया। सरकार ने इसको क्यों नहीं लिया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करूंगा कि इस कम्पनी में गवर्नमेंट के ऑनरेरी शेअर्स हैं, डाइरेक्टर हैं। इसके अलावा उनका एग्रीमेंट पहले से चला आ रहा है। उनका २० वर्षों का लीज़ मौजूद

Page No.13

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

था। उसको कैसे कैंसल किया जा सकता था? मिनरल कन्सेशन रूल्स के तहत लीज़ दी गई है। उसका २० वर्ष का लीज़ होता है और वह भी उस पार्टी की ऑप्शन पर। फिर २० साल के लिये लीज़ रिन्युअल किया जा सकता है। ऐसी हालत में उसको गवर्नमेंट कैसे ले सकती है?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): राजस्थान बनने के बाद ... (अश्रव्य)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह खयाल किया गया कि वह इकोनोमिक नहीं है। इसको एक्सप्लोइट नहीं किया जा सकता। इसलिये हमने प्रोस्पेक्टस के लाइसेन्स दे दिये।

श्री मुरलीधर व्यास : जब आप उसमें हिस्सेदार हैं तो आपको उसे पब्लिक सेक्टर में लाने की कोशिश करनी चाहिये थी। आपके शेअर्स होते हुए भी आप उसको दूसरों को देते हैं. आपको उसे लेना चाहिये था। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर आप रूल्स को मुलाहिजा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ले नहीं सकते।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने रूल्स पढ़ लिये हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप लीगेल्ली उसको ले नहीं सकते। उनका २० वर्ष का तो लीज़ है और उसके बाद फिर २० वर्ष के लिये रिन्युअल करने का है। सरकार का शेअर भी इसमें मौजूद है। जब रूल्स बने हुए हैं तो रूल्स के तहत हम उसे किस प्रकार ले सकते हैं? एग्रीमेंट बीकानेर स्टेट के समय का है।

श्री मुरलीधर व्यास : स्टेट के समय का एग्रीमेंट है तो क्या उसी तरह से चलेगा?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बराबर चलेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

सीकर जिले में मिडिल ट्रेन्ड अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड

५७०. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि सीकर जिले में १-४-५० के बाद से किसी मिडिल ट्रेन्ड अध्यापक को सिलेक्शन ग्रेन्ड नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(ख) सिलेक्शन ग्रेड दिये जाने संबंधी नियमों के अनुसार अब तक किस किस अध्यापक को किस किस वर्ष से सिलेक्शन ग्रेड दी जानी चाहिये थी? कृपया उसकी सूची मय वर्ष के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) सिलेक्शन ग्रेड दिलाये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षक, शिक्षा विभाग द्वारा अब तक क्या २ कार्यवाही की गई?

(घ) यह ग्रेड अब कब तक मिल जायेगा?

उप मंत्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) युनिफाइड पे स्केल के नियमों के अनुसार सीकर जिले के जो अध्या-

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

एक हायर सिलेक्शन व लोवर सिलेक्शन ग्रेड पे के अधिकारी थे उन सबको सिलेक्शन ग्रेड दे दिया गया व सब का पेमेन्ट भी कर दिया गया !

(ख) और (ग) जहां तक युनिफाइड पे स्केल में सिलेक्शन ग्रेड देने का प्रश्न है सभी अध्यापकों को जो इसके अधिकारी थे उन्हें दे दिया गया। दिनांक १-१-५६ से रेशनेलाइज्ड पे स्केल हो जाने पर लोअर सिलेक्शन ग्रेड समाप्त हो गया और हायर सिलेक्शन ग्रेड्स के लिये यह निश्चित नहीं है कि कितने प्रतिशत अध्यापकों को यह ग्रेड दिया जावे; यह प्रश्न अभी विचाराधीन है। इस प्रश्न के तय होने पर हायर सिलेक्शन ग्रेड दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(घ) सिलेक्शन ग्रेड का प्रतिशत तय होते ही पुरानी तारीख से ही सिलेक्शन ग्रेड दे दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : सिलेक्शन ग्रेड का प्रतिशत तय करने का कार्य कब से विचाराधीन है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जब से राजस्थान पे स्केल लागू हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : सन् ५६ से ६० तक विचाराधीन है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इससे पहले बहुत से युनिफाइड पे स्केल के केसेज़ अभी तय नहीं हुए हैं। अब ब्लॉकवाइज़ लिस्ट तैयार हुई है। अब उसका कोटा मुकर्रर कर दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की मान्यता है कि युनिफाइड पे स्केल लागू होने से लेकर रेशनेलाइज्ड पे स्केल तक जो सिलेक्शन ग्रेड पाने के अधिकारी थे उन सब को वह ग्रेड दे दिया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : अभी भी कोई है क्या? ५६ के बाद....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सूबेदारसिंह।

भूतपूर्व धौलपुर, टोंक व जयपुर रियासतों का बन्दोबस्त

५७१. श्री सूबेदारसिंह (बाडी) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) भूतपूर्व धौलपुर, टोंक, जयपुर रियासतों का बन्दोबस्त किस किस साल में हुआ था तथा उनकी कितनी कितनी मियाद थी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त बन्दोबस्त की अवधि समाप्त हो गई है ?

(३) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व टोंक और जयपुर रियासतों के क्षेत्रों में बन्दोबस्त पुनः हो गया है और धौलपुर क्षेत्र में नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि बन्दोबस्त होने के बाद टोंक में तीन साल बाद जमा में से चार आने कम किए गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(२) मयाद के विवरण की सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(३) टोंक और जयपुर की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। धौलपुर रियासत का भी पुन: बन्दोबस्त हो चुका है।

(४) यह बात नहीं। कमी इसलिये हुई कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फिर से बन्दोबस्त किया गया और कानूनन नई शरह निकाली गई जो पहले से २० या २५ फी सदी कम थी।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री सूबेदारसिंह : आपने कहा कि धौलपुर का पुन: बन्दोबस्त हुआ, आप बतावें कि वह कब हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : धौलपुर में सन् १९११ में हुआ।

श्री सूबेदारसिंह : इसके पहले का कब हुआ ?

श्री बी० एन० जोशी (बांदीकुई) : Was that the last settlement ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I think so. That was the last settlement.

श्री सूबेदारसिंह : तो यह जवाब तो गलत रहा। दूसरा बन्दोबस्त क्यों नहीं हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरा बन्दोबस्त कराने की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि लैंड रेवेन्यू के रूल्स के तहत सर्वे कराना जरूरी है कि रीसैटलमेंट कराना जरूरी है या नहीं और यह पाया गया होगा कि जनता के हित में व सरकार के हित में नहीं है इसलिये नहीं कराया गया।

श्री सूबेदारसिंह : क्या यह सही है कि जनता ने इसके लिये पूरा जोर लगाया तो भूतपूर्व रियासत के समय में सन् १९४५ में यह कार्य शुरू किया गया और राजस्थान बनते ही वह सारा डिपार्टमेंट यहां बुला लिया गया और वह सैटलमेंट नहीं हुआ।

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है कि सैटलमेंट डिपार्टमेंट भी आया हो।

श्री सूबेदारसिंह : सन् १९४५ में जब जनता ने मांग की तो मजबूर होकर डिपार्टमेंट कायम किया गया और सैटलमेंट का काम शुरू कराया।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री सूबेदारसिंह : अब भी फाइलें यहां पर होंगी !

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आपने जो लिस्ट दी है उसको देखने से मालूम होता है कि १९१३ में ही यह हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आमेर में अभी हुआ है। रिवाइज्ड रेन्ट रेट का हाई कोर्ट से फैसला हुआ था। इसके अलावा १० या ११, १२ तहसीलें अलग हैं।

श्री पी० के० चौधरी : आमेर का कब किया है ?

Page No.16

श्री दामोदरलाल व्यास : सन् ५३ में १८ वर्ष के लिये किया है।

श्री पी० के० चौधरी : आपने जो लिस्ट दी है उसमें देखें कि ११३ में ही यह हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not Resettlement. That is review of rent rates. There is a vast difference between the two. They are quite distinct terms and defined differently in law.

श्री सूबेदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने क्वेश्चन में यह पूछा था कि जयपुर रियासत में सेटलमेन्ट कब हुआ था तो मुझे जो लिस्ट मिली है उसमें, यह बताया गया है कि ४१–४२ के पूर्व हुआ, बाकी के लिए ५२, ५३ व ५४ में बताया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सेटलमेन्ट ही वहां पर एक ही दफा हुआ है।

श्री सूबेदारसिंह : धौलपुर में क्या ख्याल रखा है कि बन्दोबस्त पुनः होगा या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी सरकार ने निर्णय नहीं लिया है।

श्री बी. एन. जोशी : Is it a fact that the market prices of agricultural commodities is one of the factors which has to be taken into account for rent fixation ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That goes without saying.

श्री बी. एन. जोशी : Then, has not there been an appreciable rise in prices between 1911 and 1960 as to justify a fresh Settlement at the earliest ?

श्री दामोदरलाल व्यास : But the basis for Settlement, it was one-third then, and now it is one-sixth.

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

अजमेर जिले में कार्य करने वाले अजमेर के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में एडहॉक इन्क्रीमेन्ट की रकम न मिलना

५७२. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि अजमेर के राज्य कर्मचारियों को १–१०–५८ से मंहगाई भत्ते में एडहॉक इन्क्रीमेन्ट दिये जाने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में कार्य करने वाले अजमेर के कर्मचारियों को अभी तक यह इन्क्रीमेन्ट नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि एडहॉक इन्क्रीमेन्ट के आधार पर बनाये गये बिलों का अकाउन्टेन्ट जनरल के कार्यालय से प्री-ऑडिट हो गया है ? यदि हां, तो फिर भी इन बिलों का अभी तक भुगतान क्यों नहीं कराया गया ?

Page No.17

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(क) अजमेर के राज्य कर्मचारियों के लिये कोई विशेष आज्ञा इस प्रकार की नहीं हुई है। राज्य के ऐसे कर्मचारी वर्ग को जिनका वेतन २५०) रु० तक था और जिनका मंहगाई भत्ता (मंहगाई वेतन को शामिल करने के बाद) सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से सम्बन्धित कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते से कम था, मंहगाई भत्ते में ५) रु० मासिक का एडहॉक इन्क्रीज़ १-१०-५८ से दिये जाने का आदेश हुआ था।

(ख) अजमेर से आये हुए कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि के कुछ प्रश्न अभी तक निश्चित नहीं हो सके हैं और उक्त आज्ञा ऐसे कर्मचारियों को किस प्रकार लागू होगी, यह विचाराधीन है।

(ग) 'ख' प्रश्न के जवाब से यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि जिनकी तनख्वाहें २५०)रु. से कम हैं उनके अपोइन्टमेन्ट या इन्टीग्रेशन का क्वेश्चन २५०) रु. के वेतन से चल रहा है उनको एडहॉक इन्क्रीमेंट मिलना चाहिये था जो मिल चुका ?

श्री दामोदरलाल व्यास : समझाने का सवाल नहीं है। जो जवाब दिया है उसको और समझ लीजिये। अजमेर के राज्य कर्मचारियों के लिये कोई विशेष आज्ञा इस प्रकार की नहीं हुई है। राज्य के ऐसे कर्मचारी वर्ग को जिनका वेतन २५०) रु० तक था और जिनका मंहगाई भत्ता (मंहगाई वेतन को शामिल करने के बाद) सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सम्बन्धित कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते से कम था, मंहगाई भत्ते में ५) रु० मासिक का एडहॉक इन्क्रीज़ १-१०-५८ से दिये जाने का आदेश हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि सरकार ने आदेश दिये हैं उनका पालन हो जाता है और जिनको एडहॉक इन्क्रीमेंट मिलना चाहिये था मिल चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका सेकिन्ड पार्ट और बता दूं ताकि और प्रश्न न करना पड़े। अजमेर से आये हुए कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि के कुछ प्रश्न अभी तक निश्चित नहीं हो सके हैं और उक्त आज्ञा ऐसे कर्मचारियों को किस प्रकार लागू होगी, यह विचाराधीन है। इसके बाद की सूचना यह है कि इन तमाम प्रश्नों को हल करने के लिए अजमेर में जब केबिनेट मीटिंग हुई थी तो एक कमेटी का निर्माण किया गया था जिसके पर्सनल्स ये हैं: कमिश्नर अजमेर, कलेक्टर अजमेर, एडीशनल फाइनेन्स सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी अपोइन्टमेंट्स। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर ली है। अभी सरकार के पास आयी नहीं है और आने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा): आपने अजमेर के कर्मचारियों के वास्ते रखा हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने रखा है, एडहॉक बेसिस पर दे दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसीलिए एक कमेटी का निर्माण हुआ है। आपने कहा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एडोप्ट किया है, इसीलिए तो कम्प्लीकेशन्स अराइज़ हो गये हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पिछली तारीख से दिया है।

Page No.18

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हमने इसीलिए कमेटी का गठन किया है and they have to advise how to implement this order or not to implement it, and what allowances or D. A. should be paid to them etc, etc.

श्री पी० के० चौधरी : मेरा सवाल यह था कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने पांच रुपया दिया है, आपने भी पांच रुपया दिया है। आपने कहा कि अजमेर एम्प्लोईज़ को लागू नहीं होगा। आपने इसलिए लागू नहीं किया because they were on the Central Pay-Scales. सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पांच रुपया स्केल में दिया तो आप क्यों नहीं देते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने १५–६–५७ से पांच रुपया किया है। उनकी पे प्रोटेक्टेड है इसलिए एडहॉक इन्क्रीज़ हुआ। उसका यहां पर कहां तक फायदा मिलना चाहिये, इसीलिए कमेटी का गठन किया।

श्री पी० के० चौधरी : कमेटी को कब अपोइन्ट किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : केबिनेट की मीटिंग जब अजमेर हुई उस वक्त।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

चुरु जिले में किसानों को खातेदारी के पर्चे देना

५७३. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि चुरु जिले में टिनेन्सी एक्ट की धारा १५ और १६ के तहत अब तक खातेदारी के पर्चे किसानों को देने में राजस्व कर्मचारीगण बाधा डाल रहे हैं ? अगर हां, तो ऐसा करने वाले कर्मचारी गणों के खिलाफ सरकार क्या एक्शन ले रही है ?

(२) चुरू जिले में फरवरी, ६० तक धारा १५ और १६ के कितने पर्चे खातेदारी के किसानों को अब तक दिये व कितने अब बाकी हैं ? तहसीलवाइज़ सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी नहीं। कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं। अतः एक्शन लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री किशनाराम : धारा १५ और १६ के अन्तर्गत बाधा डालने के लिए पहले कोई शिकायतें आयीं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लाउड स्पीकर पर बोलें तो सुना जा सके। मैं समझ नहीं सका, क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष : धारा १६ में फायदा नहीं मिलता इसकी शिकायत आयी क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शिकायतें तो आती ही रहती हैं। मैंने इसके लिए फीगर्स दिये हैं सूची में।

श्री किशनाराम : माइक को पास रख कर बोलिये, सुनाई नहीं देता।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या कहा, मैं समझा नहीं ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या धारा १५ के अन्तर्गत काश्तकारों को पर्चे खातेदारी देना बन्द कर दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री भीमसेन : मुझे मिली नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सदन की मेज पर रखी है । माननीय सदस्य को और सूचना दे दूँ कि धारा १५ के अन्तर्गत सारे चुरू जिले में ४५,६०६ खातेदार बना दिये गये हैं ।

श्री भीमसेन : क्या नियम के मुताबिक जो हो जाने चाहिये थे उन सब को कर दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जबाब ही यही दे रहा हूं ।

श्री भीमसेन : जिनका हक था उन्हीं को दर्ज कर दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिनका प्राइम फैसी हक था उनको दर्ज कर दिया गया, बाकी के लिए रेमेडी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

बीकानेर में एन. सी. सी. एयर-विंग की शुरुआत

५७४. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में एरोड्राम की सुविधा प्राप्त है ? अगर हां, तो क्या सरकार बीकानेर में एन. सी. सी. की एयरविंग प्रारम्भ करने का इरादा रखती है ?

उप मंत्री शिक्षा(श्री पूनमचंद बिश्नोई): जी हां, शहर से करीब १२ मील दूर पर एक एरोड्रॉम है । वहां पर सीनियर एन. सी. सी. की एयरविंग खोलने की अभी कोई योजना नहीं है ।

श्री भीमसेन : क्या सरकार यह वाजिब नहीं समझती है कि बोर्डर एरिया है इसलिए वहां के विद्यार्थियों को इसकी ट्रेनिंग दी जावे ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : अभी वाजिब नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : कब मौका आवेगा ! इससे बढ़िया मौका और कब आवेगा ?

(हंसी)

अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह ।

बाड़मेर जिले में अकाल सहायतार्थ खर्च की गई धन राशि

५७५. श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : क्या अकाल सहायता मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला बाड़मेर में सन् १९५८, १९५९ व १९६० में अब तक अकाल सहायतार्थ कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई और जिले की अलग अलग तहसीलों में किस किस मद में कुल कितना खर्च हुआ ? मदवार तहसीलों के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

Page No.20

(श्री अनूपसिंह)

(२) क्या बालोतरा सब-डिविजन में वन विभाग द्वारा जो घास, चारा बिक्री के लिये भेजा गया उसकी बिक्री नहीं हुई ?

(३) उपरोक्त सब-डिविजन की चारे की कुल मांग कितनी थी और कुल कितना घास वहां भेजा गया ?

(४) पीने के पानी की सुविधा के लिये कहां कहां पर और कितनी धन–राशि किस किस तरह खर्च की गई ?

(५) बाड़मेर जिले से कुल कितनी मवेशी जिले से बाहर गई व उसके माइग्रेशन के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया और उस पर कितना खर्च हुआ ?

(६) जोधपुर डिविजन में जिला–स्तर पर अलग अलग कितनी धन राशि इस अकाल सहायतार्थ खर्च की गई ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जिला बाड़मेर की अलग अलग तहसीलों सन् १६५८–५६ व १६५६–६० में अब तक अकाल सहायतार्थ ५४ दुर्भिक्ष के विभिन्न उपमदों में जो धनराशि व्यय हुई उसके आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं ।

(२) जो घास वन विभाग द्वारा बालोतरा सब–डिविजन में भेजा गया उसकी बिक्री जनता में की गई ।

(३) बालोतरा सब–डिविजन में घास की मांग १६५८–५६ व १६५६–६० में लगभग १५,००० मन की थी और जिसमें से १४,८४६ मन घास केवल भेजा गया । इस भेजे हुए घास में से केवल १३,५७६ मन घास का बेचान हुआ ।

(४) पीने के पानी की सुविधा के लिए जिन २ जगहों पर और जिस प्रकार धन राशि व्यय की गई उसका व्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(५) बाड़मेर जिले से १,६०० मवेशी जिले के बाहर गई जिसका व्यय उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया गया जिनकी कि मवेशी थी । सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ भी व्यय नहीं किया गया ।

(६) जोधपुर डिविजन में जिला स्तर पर पृथक पृथक जो धन राशि अकाल सहायतार्थ व्यय की गई उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री अनूपसिंह : आपने प्रश्न के पार्ट १ में फरमाया कि यह धन–राशि खर्च की गई, जिसकी सूची संलग्न है, इससे मैं यह समझा हूं कि ६७ लाख रुपये ५८–५६ में खर्च हुए और ५६–६० में ६४ लाख रुपये ।

श्री अध्यक्ष : ६७ हजार हैं ।

श्री अनूपसिंह : नये पैसे हैं ये आगे ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नये पैसे हैं, ६३ ।

श्री अनूपसिंह : लिखने का तरीका है उससे नये पैसे नहीं मालूम होते थे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : तरीके के

Page No.21

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लिए तो अफसोस है, लेकिन बात यही है जो मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री अनूपसिंह : नये पैसे हैं तो अफसोस है....

श्री दामोदरलाल व्यास : अफसोस जाहिर कर दिया इससे ज्यादा क्या ?

श्री अनूपसिंह : आपने १५ हजार मन घास ही डिमान्ड की है, इसका अन्दाज़ कैसे लगा लिया ? जब कि वहां पर हर महीने घास की गाड़ियां आया करती थी, दो दिन भी वे नहीं टिकती थीं क्योंकि इतनी ज्यादा डिमान्ड थी कि घास और आये लेकिन पहुँचता नहीं था। इसकी जानकारी की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बात यह है कि ऐसी कोई कमी नहीं थी। जितनी जरुरत थी और जितने घास के लिये मांग की गई थी उतना भेज दिया गया। वहां एक मन भी नहीं बिका, यह इस बात को जाहिर करता है कि वहां मांग से अधिक घास था।

श्री अनूपसिंह : बिका इसलिये नहीं कि जिस समय जरुरत थी उस समय तो घास आया नहीं और वर्षा होने के बाद वह घास पड़ता रहा तो किसी ने लिया नहीं, इसलिये पड़ा रहा।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आयी है। माननीय सदस्य को किसी प्रकार की शिकायत थी तो वे विभाग को करते।

श्री अनूपसिंह : मैंने शिकायत वन विभाग को भेज दी थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : वन विभाग और अकाल सहायता विभाग दूसरा है, वन विभाग से इसका कोई संबन्ध नहीं। आपको अकाल सहायता विभाग को लिखना चाहिये था।

श्री अनूपसिंह : हमने कलेक्टर्स को कई बार रिमाइन्ड किया कि घास की बहुत कमी है, आप मांग करिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आप ही की सूचना के लिये बता रहा हूं कि ये जो आंकड़े मैंने बताये हैं वे कलेक्टर्स के ही आंकड़े हैं। आपको किसी ने गलत सूचना दी है।

श्री अनूपसिंह : माननीय अध्यक्ष, कलेक्टर ने मुझ से कहा कि बहुत बड़ी डिमान्ड है, गाडियां अवैलेबल नहीं हैं। आप इस बात की जांच करलें कि आया गाड़ियां अवेलेबल थीं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रान्त में शक्कर की मिलों की स्थापना

५७६. श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया (बारां मु०) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के समक्ष दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत या तृतीय योजना के प्रारम्भ में राजस्थान में गन्ना मिलें (शक्कर मिलें) नये कायम किये जाने के लिये स्थानों का तय करने का प्रश्न विचाराधीन है ?

(ब) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वे आदि कार्य सम्पन्न हो चुके हैं

(श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया)

और क्या सरकार उन स्थानों का निर्णय लेने की स्थिति में पहुंच चुकी है ?

(स) यदि हां, तो वे स्थान कौन कौन से हैं जहां नई गन्ना मिलें, शक्कर मिलें कायम की जाने वाली हैं ?

(द) कोटा डिविजन में उपर्युक्त कार्य हेतु कौन कौन से स्थानों का सरकार द्वारा निश्चय किया जाने वाला है या निर्णय किया जा चुका है ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल):

(अ) जी हां।

(ब) जी हां, अभी कुछ स्थानों का प्रारम्भिक सर्वे भी हुआ है। कुछ स्थानों के विषय में प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(स) कुछ स्थानों के बारे में विचार किया जा रहा है जो निम्न प्रकार है :

एक शुगर फैक्टरी कोऑपरेटिव बेसिस श्री गजसिंहपुर, अन्य स्थान केशोरायपाटन, जिला बूंदी व अन्ता, जिला कोटा। यह बड़ी फैक्ट्रियों के लिये है। छोटी फैक्ट्रियां कई स्थानों पर लगाई जा सकती हैं।

(द) कोटा डिविजन में केशोरायपाटन व अन्ता बड़ी के लिये और खानपुर में छोटी फैक्ट्री इस कार्य के लिये उपयुक्त स्थान माने गये हैं। मगर अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): इस शुगर फैक्टरी में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ३।। लाख रुपये कोऑपरेटिव बेसिस पर जमा किये हैं। इस बारे में आगे मशीनें आदि लाने के सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया : इस पर निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री रिखबन्द धारीवाल : चम्बल से पानी आने के बाद हो जायेगा।

श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया : चम्बल में तो पानी अब भी भरा है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : ये फैक्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर में खुल रही हैं या पब्लिक सेक्टर में ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : प्राइवेट सेक्टर में।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : चम्बल से नहर में पानी कब तक आ जायेगा ?

श्री मुरलीधर व्यास : प्राइवेट सेक्टर में खोलेंगे और दूसरी ओर सरकार योजना बना रही है, क्या इस प्रकार लोगों ने ऑफर किया है और उसी आधार पर योजना बनाई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, ऐसा है कि शुगर की एक रिपोर्ट के लिये पहले भी सदन में जिक्र हो चुका है। उस रिपोर्ट के अनुसार सर्वे कराया गया और यह देखा गया कि कहां कहां पर सिंचाई में आने वाली भूमि है और कहां कहां गन्ना पैदा हो सकता है और कहां कहां पर गन्ने की फैक्ट्रियां लगायी जा सकती हैं। उन सब स्थानों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

पार्टीज़ से निगोशियेसन हुआ है कि इस जगह आप लगावें। इसके अलावा कोऑप-रेटिव बेसिस पर भी कोशिश हो रही है। एक दो फैक्टरीज़ इस तरह से लग जांय तो बहुत अच्छा है।

प्रश्न संख्या ४७७

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द मोहिल।
(अनुपस्थित)
श्री लादूराम सुलाणिया।

राजस्थान सचिवालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

४७८. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू-सु०) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) गत तीन वर्षों में राजस्थान सचिवालय, जयपुर में कितने चतुर्थ श्रेणी और कितने तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की गई है ?

(२) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत विभिन्न पदों के लिये कुल कितने उम्मीदवार थे और उनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कितने उम्मीदवार थे?

(३) क्या सुरक्षित स्थानों की पूर्त्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) गत तीन वर्षों में राजस्थान सविचालय में नियुक्त किये गये तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
१९५७.	१०७	११
१९५८.	८५	—
१९५९.	११३	२
	३०५	१३

(२) उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार थी :

वर्ष	तृतीय श्रेणी	अनु०जाति	अनुजनजाति चतुर्थ श्रेणी	
१९५७.	३७१	२५	५०	७
१९५८.	५०१	२८	१०१	६
१९५९.	६०६	७	६०	८

(३) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सुरक्षित स्थानों की पूर्त्ति की गई है, किन्तु तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के सुरक्षित स्थानों की पूर्त्ति पूर्णतया नहीं की जा सकी है क्योंकि वांछित योग्यता वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो सके। यदि उपलब्ध भी हुए तो कुछ उम्मीदवारों ने उनका चयन होने पर कार्यभार नहीं संभाला।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): गजटेड का तो आपने नहीं बताया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पूछा ही नहीं था।

श्री लादूराम (सुलाणिया): क्या चतुर्थ श्रेणी के पूरे नहीं हो सके ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पूर्ति कर दी गई है।

श्री लादूराम (सुलाणिया): क्या जिनको अपॉइन्ट किया गया, पर्मानेन्ट कर दिया गया या टेम्परेरी हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से सवाल है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) ऐसे व्यक्तियों का कितना नंबर है जिन्होंने कार्यभार नहीं संभाला ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह इत्तला मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

मंडरायल दरगंवा सड़क निर्माण

५७६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि मंडरायल तहसील –जिला सवाई माधोपुर में सड़कों के अभाव से जनता को वहां पहुँचने में बड़ी असुविधा रहती है व आए दिन डाके पड़ते रहते हैं ?

(ख) सरकार ने उक्त तहसील में कहां कहां कितने मील राजस्थान बनने के बाद सड़क बनाई है सूची सदन की मेज पर रखें।

(ग) क्या सरकार को विदित है कि उस क्षेत्र में दरगंवा ग्राम के आसपास बेन्टोनाइट क्ले Bentonite clay का भंडार है, जो कि आधुनिक युग में कई कामों में आती है परन्तु सड़क के अभाव में उसका उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है ?

(घ) क्या सरकार इस उद्योग को पनपाने इस क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने तथा डाकुओं से सुरक्षा की भावना लोगों में फैलाने की दृष्टि से इस मंडरायल–दरगंवा सड़क को तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखने और बनाने का इरादा रखती है ? अगर नहीं, तो इस पिछड़े हुए एरिया को सरकार फिर किसी अन्य क्षेत्र के लोगों के बराबर ला सकेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (क) सड़कों का अभाव तथा मंडरायल का तहसील हैड क्वार्टर होना नही नहीं है तथा डाके आदि के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(ख) तहसील न होने के कारण प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(घ) उद्योग को पनपाने तथा सुरक्षा आदि से इस विभाग का संबन्ध नहीं है, तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना अभी विचाराधीन है, अतः निश्चित नहीं कहा जा सकता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया कि तहसील नहीं होने की वजह से सड़क नहीं बना रहे हैं, क्या तहसील के अलावा अगर ५० मील की दूरी पर कोई ऐसी जगह हो जहां यातायात के अभाव से डकैतियां होती हैं और खनिज पदार्थ की बहुतायत हो तो क्या उस जगह सड़क नहीं बनायी जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : प्लान के नीचे जो सड़कें होती हैं उन्हीं का निर्माण किया जाता है। अगर कोई महत्वपूर्ण सड़क है तो उसको भी देखा जा सकता है।

Page No.25

बाईस गोदाम, जयपुर की बस्ती में बने मकानों की नीलामी

५८०. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बाईस गोदाम, जयपुर की बस्ती में कुल कितने और कौन कौन से प्लॉट कस्टोडियन के नीचे हैं ?

(२) ये प्लॉट किनके नाम से थे तथा वे कब और क्यों इन्हें छोड़ गये ?

(३) जब वे लोग इन प्लॉटों को खाली कर गये थे तो इन पर मकान आदि कितने बने हुए थे ?

(४) क्या यह सच है कि प्लाटों को अब कस्टोडियन विभाग नीलाम करना चाहता है ? विभाग का अधिकार प्लॉटों की जमीन पर भी है या उस पर बने मकान आदि पर ही ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस सवाल का प्रश्न है यह इवेक्यु प्रोपर्टी से संबन्धित है। यह प्रेसीडेन्ट में वेस्ट हो गया है इसलिये इसका जवाब नहीं दे सकता। माननीय सदस्या चाहती हैं कि प्रोपर्टी राजस्थान गवर्नमेंट की कितनी है और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की कितनी है, इसके लिए और निर्णय नहीं हो सका है, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के साथ बातचीत हो रही है।

डॉ० चन्द्रकला : इन प्लॉट्स के बारे में कस्टोडियन नीलामी की सूचना लगा रहा है, जिन लोगों से संबन्धित है वे एतराज करते हैं कि जब तक फैसला न हो जाय कस्टोडियन कोई कार्यवाही नहीं करे।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not within the competance of this House to discuss this question because the property is an evacuee property which is under the Central Government and only the Parliament can discuss it.

श्री केसरियाजी मन्दिर के भंडार के अनाज के ठेके की नीलामी

५८१. श्री लक्ष्मण होरात (गोगुन्दा-सु०) : क्या मंत्री, देवस्थान विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) श्री केसरियाजी मन्दिर के भंडार के सन् १९५९ के अनाज के ठेके की नीलामी कहां की गयी तथा नीलामी की बोली किन किन ने, किस किस दर से लगायी ? ठेका किस व्यक्ति को किन किन दरों से दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि अनाज की दरें बाजार भाव से अधिक थीं ? यदि हां, तो ऊंची दरों पर ठेका क्यों दिया गया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) श्री केसरियाजी मंदिर के भंडार में सन् ५९ में अनाज के ठेके की कोई नीलामी नहीं हुई। मन्दिर के भोग राग सामान की खरीद करने हेतु नियमानुसार सील बंद टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे। तीन व्यापारियों से टेन्डर प्राप्त हुए जिसमें सब से कम दर वाले व्यापारी का टेन्डर मेसर्स धूलचन्द वीरचन्द धुलेव का स्वीकृत किया गया।

(२) नियमानुसार टेन्डर भोगराग के सामान की खरीद के लिये आमन्त्रित किये जाकर स्वीकृति दी गई थी। बाजार में भाव

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सदैव एक से नहीं रहते। घटा-बढ़ी होती रहती है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : बाजार के भाव में और जो टेन्डर स्वीकार किया गया उसमें क्या अन्तर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टेन्डर जो स्वीकृत किया वह लोएस्ट टेन्डर था। बाजार के भाव के बारे में मैं कह नहीं सकता।

श्री लक्ष्मण हीरात : बाजार में उन दिनों चीजों के क्या भाव थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसमें बहुत सी चीजें हैं। अलग अलग चीजों के क्या भाव थे, यह मैं नहीं कह सकता किन्तु जो टेन्डर स्वीकार किया गया वह लोएस्ट था।

श्री भैरोंसिंह : जिसके टेन्डर मन्जूर किये गये उसकी रेट्स क्या हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मेरे पास पूरी फाइल नहीं है। आप अलग से प्रश्न पूछें तो मिल जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : ठेका किस व्यक्ति को कौन कौन दरों से दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो है ही नहीं।

आपने पूछा टेन्डर की दरें बाजार भाव से ऊंची थीं, उस पर जवाब दिया कि टेन्डर सीलबन्द थे और जिसकी सबसे नीची दरें थीं उसको दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : यह पूछा गया था कि श्री केसरियाजी मन्दिर के भण्डार के सन् १९५९ के अनाज के ठेके की नीलामी कहां की गई तथा नीलामी में बोली किन किन ने किस किस दर से लगाई ? ठेका किस व्यक्ति को किन किन दरों से दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि नीलाम हुआ नहीं।

श्री भैरोंसिंह : किसका ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अनाज के ठेके की कोई नीलामी नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : अभी टेन्डर का जिक्र किया वह किसका था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके बाद का जवाब आपने सुना नहीं।

श्री भैरोंसिंह आपने जो अभी कहा कि टेन्टर की रेट्स मन्जूर की गई, वे रेट्स क्या थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टेन्डर की रेट्स लोएस्ट थीं। उसमें बहुत सी चीजें थीं भोगराग में काम आने वाली।

श्री भैरोंसिंह : भोगराग की जीजों की रेट्स स्वीकार की गई हैं; क्या वे बाजार भाव से ज्यादा ऊंची थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि लोएस्ट रेटें मन्जूर की गई। बाजार भाव से नीचे नहीं होनी चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It may be the lowest among the tenders but it may be higher than the market rate.

श्री अध्यक्ष : इसका चारा क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बाजार भाव से ऊंची होने का मामला सीरियस है, पर ऐसा है नहीं। If it is higher than market rate, ofcourse it is serious. मगर यह बात नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं कि बाजार में भाव कुछ हैं और वे रेटस कुछ और हैं। That is not the case.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वे रेट्स बाजार भाव से बहुत ऊंची हैं और इस आशय की शिकायतें और आवेदन-पत्र भी पेश किये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आवेदन पत्र प्राप्त हुए, पर बाजार के भावों पर ही वे हैं। उनसे ऊंची होने की बात नहीं है। A Complaint was made and the Assistant Commissioner, Udaipur, verified that the tenders were not above the market rates.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि टेन्डर स्वीकार करने के अधिकार भी असिस्टेन्ट कमिश्नर के ही थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है। पर टेन्डर मन्जूर करने का अधिकार तो गवर्नमेंट तक आता है और देवस्थान कमिश्नर के मार्फत आता है।

श्री बी. एन. जोशी (चांदीकुई) : What were the rates of the lowest tender and what were the rates of the others ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The difficulty is that there are so many items in the tenders. It is not possible for me to give the rates of each. भोग राग में कितनी ही चीजें आती हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उन्होंने हिन्दी में पूछा तो आपने जवाब नहीं दिया....

श्री बी. एन. जोशी : When the Hon'ble Minister has not got the information with him, how can he say that it was the lowest ?

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री बी. एन. जोशी : The question is very pertinent, Sir. The Hon'ble Minister should reply.

श्री अध्यक्ष : Next question.

चुरू जिले में एम. ए. तथा एल. एल. बी. की शिक्षा का प्रबन्ध

५८२. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि चूरू जिले के एम. ए. तथा एल. एल. बी. में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जिले भर में कहीं पर भी पढ़ने की सुविधा न होने के कारण बीकानेर, पिलानी अथवा जयपुर आना पड़ता है ?

(ख) क्या सरकार विद्यार्थियों की संख्या तथा उनकी इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिले में कहीं पर एम. ए. तथा एल.एल. बी. की कक्षाएं खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किस स्थान पर ये कक्षाएं खोली जावेंगी ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ख) जी नहीं ।

श्री किशनाराम : क्यों नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : राजस्थान सरकार की ऐसी मंशा है कि धीरे धीरे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ युनिवर्सिटी को देने की है ।

तहसील सराड़ा के ग्राम मापर के काश्तकारों को डूब में आई भूमि के एवज भूमि दिलवाना

५८३. **श्री देवीलाल** (सारदा--सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि तहसील सराडा में ग्राम मापर के काश्तकारों की भूमि हरसन तालाब के डूब में आई है ?

(ख) यदि हां, तो कुल कितने काश्तकारों की कितनी कितनी भूमि डूब में आई है ?

(ग) क्या यह सही है कि उन काश्तकारों को डूबी हुई भूमि के बदले में कोई भूमि नहीं दी गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) कुल ४२ काश्तकारान की ४२७ बीघा ८ बिस्वा भूमि डूब में आई है ।

(ग) जी हां ।

श्री देवीलाल : क्या उनको जमीन दूसरी दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया न कि 'जी नहीं' । क्योंकि उन काश्तकारान ने न जमीन लेना और न मुआवजा लेना स्वीकार किया ।

श्री देवीलाल : तालाब में पानी बराबर भरा रहता है, जमीन निकलती नहीं है इसलिये जमीन देना जरूरी हो जाता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर काश्तकार चाहें तो जमीन के एवज में जमीन मिल सकती है, मुआवजा लेना चाहें तो मुआवजा मिल सकता है । पर वे अपना हक जमीन पर रखना चाहते हैं । आप अगर चाहें तो उनको समझा दें । जमीन ले लें दूसरी या मुआवजा ले लें ।

झालावाड़ के मन्दिरों के कर्मचारियों का फिक्सेशन

५८४. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा--सु०) : क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) झालावाड़ में मन्दिरों के कुछ कर्मचारियों का अब तक फिक्सेशन न होने का क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ कर्मचारियों का फिक्सेशन हो जाने पर भी उनको वेतन वृद्धि की रकमें नहीं मिली हैं ?

देवस्थान मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) झालावाड़ के मन्दिरों के सेवागिरों के वेतन का फिक्सेशन सरकार के विचाराधीन है ।

(२) नहीं । किसी भी कर्मचारी का फिक्सेशन अब तक नहीं हुआ ।

Page No.29

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो यह कब से विचाराधीन है आपके सामने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत देर से है, पर इसमें बहुत दिक्कतें हैं और अब फाइनेन्स विभाग से बातचीत करके तय कर दिया जावेगा जल्दी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : गये साल बजट के अवसर पर भी सवाल पूछने पर यही जवाब दिया गया था और आज साल भर बाद भी यही जवाब आप दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : शायद अगले वर्ष भी यही जवाब दें।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह तो गरीब कर्मचारियों की तनख्वाह और फिक्सेशन का सवाल है, इसमें तो जरूर देरी होगी। पिछली बार बजट सेशन पर यही प्रश्न किया गया, तब भी यही जवाब दिया गया और आज साल भर बाद भी वही जवाब रिपीट किया जा रहा है। आखिर सरकार की काम को निपटाने की कोई सीमा भी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझ नहीं पाया माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Why the Hon'ble Minister was careless and inattentive ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No, Sir....

श्री पी० के० चौधरी : You were inattentive. You never heard the supplementary. Now you reply to it.

श्री दामोदरलाल व्यास : Let me understand what the Hon'ble Member wants.

श्री भैरोंसिंह : आप बातचीत करते रहें और हम बोलते रहें। यह तो कोई ठीक बात नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जवाब नहीं चाहें तो बात दूसरी है। मैं समझ नहीं सका, इसलिये दुबारा पूछ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : मिनिस्टर महोदय को अटेन्टिव रहना चाहिये और बातें बीच में करने नहीं लगना चाहिये। मैं यह प्रश्न पूछ रहा था कि क्या यह सही है कि इस प्रकार का आश्वासन बहुत जल्दी ही पूरा कर दिया जावेगा और उनका फिक्सेशन कर दिया जावेगा। पर अब तक नहीं होने का क्या कारण है, यह बताइये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वित्त विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में डिफरेन्सेज़ हैं और वे डिफरेन्सेज़ ठीक नहीं हो सके, इसलिये देर हुई। और वे जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। इनमें कुछ डिफरेन्स ऐसे हैं जो तय नहीं हो रहे हैं; जैसे पत्तल, पूड़ी, प्रसाद वगैरह तनख्वाह के कागजों में आपस में एडजस्ट करने में दिक्कतें हो रही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : डिफरेन्सेज़ क्या मिनिस्टरों के हैं ?

Page No.30

श्री पी० के० चौधरी : डिफरेन्सेज़ किस नेचर के हैं ? क्या फाइनेन्शियल हैं, पोलिटिकल हैं, किस प्रकार के हैं ?

(हंसी)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अब जल्दी से जल्दी कब तक कर देंगे, इसके लिये समय तो निर्धारित कर दिया जावे ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल, बाजार जयपुर) : अगले बजट सेशन तक ।

(हंसी)

संस्कृत कॉलेज, जयपुर के प्रोफेसर्स के तबादले

४८५. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) संस्कृत कॉलेज, जयपुर में कितने प्रोफेसर व लेक्चरार हैं ? सूची मय नाम सदन की मेज पर रखें ।

(२) इनमें प्रत्येक उक्त कॉलेज में कब से है ?

(३) क्या यह सही है कि इस कॉलेज में बहुत से प्रोफेसर सात साल से इसी कॉलेज में पढा रहे हैं ? यदि हां, तो वह कौन कौन हैं व इन लोगों के तबालेद नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(४) संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर के तबादले के सम्बन्ध में सरकार के क्या नियम हैं ?

उप मन्त्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) संस्कृत कॉलेज जयपुर में ८ प्रोफेसर्स व ६ लेक्चरार्स हैं । इनके नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) इस कॉलेज में कार्यारम्भ की तिथि प्रत्येक के नाम के सामने अंकित है ।

(३) जी हां । सात साल से जो प्रोफेसर इस कॉलेज में कार्य कर रहे हैं उनके नाम भी सूची में दिये हैं । इनके तबादले न होने का कारण यह है कि इस स्तर का संस्कृत कॉलेज राजस्थान में और दूसरा नहीं है जहां पर समकक्ष ग्रेडों के स्थान हों और इनका स्थानान्त किया जा सके ।

(४) कोई विशेष नियम नहीं है । शैक्षणिक संस्थाओं में कम से कम ट्रान्सफर करने की सरकार की नीति है । ट्रान्सफर फॉर ट्रान्सफर्स सेक करना वांछनीय नहीं समझा जाता ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'(अकलेरा-सु): अभी कितने विद्यार्थी हैं ?

श्री अध्यक्ष : कितने विद्यार्थी हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अलग से प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिये अलग से पूछ लें ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : भाग तीन में लिखा है कि कितने प्रोफेसर्स सात साल से पढ़ रहे हैं, इसलिये उन्होंने समझ लिया कि वे भी विद्यार्थी हैं ।

Page No.31

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जरा ध्यान से पढ़ें, 'पढ़ा रहे हैं' है । विद्यार्थी तो कम हैं ।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा का स्तर अच्छा रहता होगा ।

(हंसी)

जिला सिरोही में चारागाह की व्यवस्था

५८६. **श्री बीराराम** (सिरोही-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला सिरोही, तहसील पिंडवड़ा के ग्राम भावरी, स्वरूपगंज व पातुगरी में चरागाहों पर वन विभाग ने कब्जा कर लिया है, जिससे मवेशियों के चरने को जगह नहीं रह गई है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार दूसरे स्थान पर या उसी स्थान पर पशुओं के चारागाह की व्यवस्था कर रही है ?

(३) यदि हां, तो कब तक और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) केवल एक हजार बीघा भूमि इन गांवों की चराई की उन्नति के लिये तथा उस रकबे में अच्छे किस्म के घास की पैदावार के लिये और रोटेशनल ग्रेजिंग के लिये गत वर्षों में रोकी गई है ।

(२) यह रकबा चराई के लिये हर तीसरे वर्ष खोला जावेगा तथा बाकी वर्षों में इसमें से इन गांवों के आदमियों को घास मुफ्त में काटने दिया जाता है ।

(३) प्रश्न के दूसरे भाग में जवाब दे दिया गया है ।

मौजा बगराना, तहसील सवाई जयपुर के हरिजन रेगर काश्तकारों को गश्त गिरदावरी स्लिप

५८७. **श्री नाथूलाल करोल** (लालसोट-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या यह सही है कि मौजा बगराना, तहसील सवाई जयपुर, जिला जयपुर के काश्तकार हरिजन रैगर हैं और रेवेन्यू बोर्ड ने इनको कदीम काश्तकार मान लिया है तथा आज भी इनके कब्जे में ही इस ग्राम की जमीन चली आ रही है ? यदि हां, तो पटवारी इनको गश्त गिरदावरी की स्लिप क्यों नहीं देते हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी हां । रेवेन्यू बोर्ड ने इनको कदीम काश्तकार मान लिया है ! आज भी इनके कब्जे में जमीन चली आ रही है । पटवारी ने इन काश्तकारान को गिरदावरी स्लिप सम्वत् २०१६ की दे दी है ।

श्री नाथूलाल करोल : २०१५,२०१४ और २०१३ की दी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हमने तो १६ की दी है । पहले क्योंकि डिस्प्यूट था इसलिये रेवेन्यू बोर्ड ने तय करके १६ की दे दी है । अब कोई फर्क नहीं रहता इसमें ।

हार्ड ड्युटी अलॉउन्स

(२६. २. ६ का स्थगित प्रश्न)

६०. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) हार्ड ड्युटी अलॉउन्स किस किस विभाग के कर्मचारियों को किस किस स्थान के लिये दिया जाता है ?

(ख) क्या जिन स्थानों पर अन्य विभाग वालों को यह अलाउन्स दिया जाता है वहां अध्यापकों को भी दिया जाता है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास (क) जिन विभागीय कर्मचारियों को हार्ड ड्युटी अलॉउन्स दिया जाता है उनकी सूची संलग्न है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) क्योंकि हार्ड ड्युटी अलाउन्स उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाता है जिनको हार्ड ड्युटी करनी पड़ती है और जो आर. एस. आर. के नियम ७ (३१) के अन्तर्गत आते हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : हार्ड ड्यूटी का निर्णय कैसे करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आर. एस. आर. के नियम ७ (३१) के नियम के अनुसार ।

श्री पी.के. चौधरी(फुलेरा): आर. एस. आर० में हार्ड ड्युटी अलॉउन्स की डेफिनेशन क्या है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : चम्बल प्रोजेक्ट में जो मजदूर काम करते हैं वे भी हार्ड ड्यूटी अलॉउन्स में आते हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो रूल्स में है कि कौन कौन हार्ड ड्युटी अलॉउन्स में आते हैं, कहां कहां हार्ड ड्युटी अलॉउन्स मिलता है, वह सूची में दर्ज है ।

श्री मुरलीधर व्यास : उनको जो वह पर काम करते हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या काम करते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : जैसे प्रोजेक्ट को बांधते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : That is a matter directly concerned with the Irrigation Minister. That doesn't concerned Revenue Minister जो मैंने सूची दी है उसमें देखिये कि किस किस डिपार्टमेंट को मिलता है । अब चम्बल प्रोजेक्ट के मजदूरों को हार्ड ड्युटी अलाउन्स मिलता है या नहीं, उसको डेली वेजेज़ मिलती हैं । हार्ड ड्युटी अलॉउन्स का क्या सवाल रहता है फिर ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : असेम्बली में हार्ड ड्युटी अलाउन्स देते हैं या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल ।

२६-२-६० का स्थगित प्रश्न

गांधी शिक्षा सदन, अजमेर

६३. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सांसी कॉलोनी, अजमेर के लिए कितनी भूमि श्री मूलशंकर झा, संचालक गांधी शिक्षा सदन, अजमेर को दी गई ? यह जमीन श्री झा को व्यक्तिगत रूप से दी गई या उक्त संस्था को ?

(ख) यह जमीन किस तारीख, सन् को पट्टे के रूप में कितने सांसी परिवारों के लिए दी गई थी ?

(ग) गांधी शिक्षा सदन, अजमेर किस सन्, तारीख को रजिस्टर हुआ ? इसकी कार्य-समिति है या नहीं ? यदि है, तो कौन कौन पदाधिकारी और सदस्य हैं व कार्य-समिति कितनों की है ? कार्य-समिति का चुनाव कब हुआ ?

(घ) यह संस्था शिक्षा संबन्धी कार्य करती है या जरायम पेशा कोमों के विकास का ?

(ङ) क्या श्री झा राज्य अधिकारी या कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो किस विभाग में, किस पद पर व इनकी नियुक्ति कब हुई थी ?

(च) क्या इस संस्था को राजकीय सहायता भी दी जाती है ? यदि हां, तो किस किस सन् में, कितनी कितनी, किस किस कार्य के निमित्त दी गई ?

(छ) क्या सांसियों को बसाने के लिए सरकार ने जमीन ही का पट्टा किया था या उसके पुनर्वास हेतु कुछ धन भी उसको दिया ? यदि दिया, तो कितना और उसका संपूर्ण उपयोग कर दिया गया, या नहीं ?

(ज) क्या यह सांसी कॉलोनी संपूर्ण हो गई है ? यदि नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) सांसी कॉलोनी, अजमेर के लिए गांधी शिक्षा सदन के नाम करीबन ६१ बीघा जमीन दी गई थी, ऐसी सूचना श्री मूलशंकर झा से प्राप्त हुई है । इसका सरकारी रेकॉर्ड तलाश कराया जा रहा है अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है ।

(ख) यह जमीन सन् १६५१-५२ में दी गई थी । परिवारों को संख्या नियत नहीं की गई थी ।

(ग) गांधी शिक्षा सदन कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी । पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । चुनाव की प्रथा नहीं थी ।

(घ) इस संस्था के नाम एवं कार्यालय के रेकॉर्ड से मालूम होता है कि उक्त संस्था शिक्षा संबन्धी कार्य करती है । लेकिन यह कार्य-कर्म सांसी कॉलानी में होने से सांसियों के उत्थान का कार्य भी संस्थान करती है ।

(ङ) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(च) इस संस्था को राजकीय सहायता इस विभाग से १०,१० रु० सन् १६५४-५५

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

में शैक्षणिक कार्य के लिये दी गई जिसके अन्तर्गत सोशियल एज्युकेशन सेन्टर सांसी बस्ती में चलाया गया ।

(छ) सांसियों को बसाने के लिये जमीन के कागजात तलाश कराये जा रहे हैं। उनके पुनर्वास हेतु हरिजन कल्याण विभाग, अजमेर से २५० रु० फी परिवार २३ परिवारों को व ३५० रु० फी परिवार से ५ परिवारों को कुल ७,५०० रु० की सहायता भवन निर्माण हेतु सन् १६५४-५५ में दी गई थी, जिसके अनुसार मकान बन चुके हैं अतः रकम खर्च हो चुकी है ।

(ज) इस विभाग से जो धन-राशि स्वीकृत की गई थी उसके अनुसार सांसी कॉलोनी का कार्य सम्पूर्ण हो चुका है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): इस संस्था के संचालक वहां कौन हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो मैंने आपसे निवेदन किया, ये श्री मूलशंकर झा, गांधी, शिक्षा सदन, अजमेर जो संस्था थी इसके संचालक थे।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): इसका पट्टा क्यों नहीं मिल रहा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसका पट्टा प्राप्त करने के लिए कोशिश की गई लेकिन क्योंकि कमिश्नर जो पहले अजमेर राज्य में थे उनके दफ्तर का यह मामला है और उनके कागजात अभी तक नहीं मिल सके हैं तो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। इसके लिए यहां से हमने एक आदमी भी भेजा था ताकि वह उसका पट्टा देख कर सारी जानकारी ला सके। अब ज्यों ही जानकारी मिल जायेगी सदन को दे दी जायेगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस पट्टे के संबन्ध में इस गांधी शिक्षा सदन के संचालक से इस बात का परामर्श किया था कि उनके पास पट्टे की नकल है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो हां, उनसे परामर्श किया था। उनका यह जवाब था कि उनको यह निजी तौर पर नहीं दी गई थी बल्कि संस्था के नाम पर दी गई थी। ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन इसको फिर एस्र्टेन करने के लिए कि आया दरअसल में इसका ठीक तरह से रेवेन्यू रेकॉर्ड्स में ट्रान्सफर हो चुका है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए पट्टे की जरूरत थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को इस बात की जानकारी भी है कि सचिवालय में काम करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से संचालक का काम करता होगा इस संस्था का ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : और भी इसमें ३ आदमी मौजूद हैं। जब जब भी जरूरत होती है तो वे चले जाते हैं और कार्य करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के किसी कर्मचारी को सरकारी नियमों के अनुसार भी किसी ऐसी संस्था का सदस्य हो तो सरकार को इस संबंध में सूचना देनी होती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवे-

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

दन किया है, यह तो अजमेर राज्य के वक्त का सवाल है और यह ठीक है कि उनको नियमों के अनुसार सूचना देनी होती है और इस विभाग को यह सूचना है कि यह सुपरिन्टेन्डेन्ट होते हुए भी उस संस्था के संचालक थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस पर्पज़ के लिए जमीन दी गई थी वह उसके काम में नहीं लाई गई?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह जमीन सांसी कॉलोनी बनाने के लिए ली गई थी और सांसी कॉलोनी में कई मकान बन चुके हैं और काफी तादाद में मकान बन चुके हैं। मैंने खुद ने जाकर देखा है और बाकी जो आगे इसका विस्तार होगा उसके लिए बाकी जमीन पड़ी हुई है वह उसी के काम में आयेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या कभी इस बात की जानकारी की है कि उस बस्ती में सांसी रहते हैं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप मेरे साथ चलिये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-५): क्या यह सही है कि जब मंत्री लोग दौरा करते हैं तो उससमय कार्यकर्ता ट्रकों में बैठा कर सांसियों को लाते हैं और उन्हें दिखा देते हैं?

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि सांसी वहां नहीं रहते हैं और जब भी कोई ऐसी बात होती है तो दो-तीन दिन पहले उनको वहां ले आते हैं और दिखा देते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं तो कौन रहते हैं वहां?

(हंसी)

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्दा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की आखिरी लाइन का जवाब नहीं मिला?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): जब सांसी नहीं रहते हैं तो नेता रहते होंगे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वे तो कोई तफरी के लिए गये होंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन।

२ मार्च १९६० का स्थगित प्रश्न

विकास कार्यों में रूरल बायस के व्यक्तियों की नियुक्ति

१६२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी ने सहकारी शिक्षा आदि विकास विभागों में रूरल बायस के व्यक्तियों को ही भर्ती करने की सिफारिश की है? अगर हां, तो सन् १९५७-५८ व ५८-५९ में कुल कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई तथा उनमें कितने देहात के अथवा कितने शहर के व्यक्ति भर्ती किये गये?

विकास मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): श्री बलवन्तराय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ग्राम सेवकों, ग्राम सेविकाओं व समाज शिक्षा प्रसार अधिकारियों की नियुक्त के लिए रूरल बैकग्राउन्ड भी होना चाहिए। सन् १९५७-५८ व

Page No.36

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

१९५८-५९ में इस प्रकार के कुल कितने कर्मचारी भर्ती किये गए, ऐसी सूचना इकट्ठी करने में समय लगेगा। जिस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए रूरल बैकग्राउन्ड का होना आवश्यक समझा गया है उनकी नियुक्ति में इसको महत्व दिया जा रहा है।

श्री भीमसेन : क्या सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिये हैं कि विकास विभाग में जो कर्मचारी लिए आयें उनका रूरल वायस हो ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां, हां; इसका ध्यान रखते हैं।

श्री भीमसेन : आपने आदेश जारी कर दिए हैं या नहीं, मेरा प्रश्न यह है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आदेश तो पॉलिसी के अन्तर्गत देंगे। उसका ध्यान रखा जाता है और उस पर अमल हो रहा है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जायपुर) : सरकार ने इसके लिए क्या काम किया है कि ऐसा रूरल बैकग्राउन्ड हो ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : समय समय पर कैम्प्स वगैरह खोलते हैं।

श्री मोतीलाल (डीडवाना): क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि गांवों में जो ग्राम सेवक वगैरह हैं वे गांव के ही हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने बताया ग्राम सेविका, ग्राम सेवक और शिक्षा प्रसार अधिकारी इनके बारे में आप कहना चाहते हैं ?

श्री मोतीलाल : जी हां, आज जो स्टाफ है उसमें ५ पर्सेंट भी नहीं हैं गांव के आदमी !

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो बड़े आश्चर्य की जानकारी है। आप मुझे किसी के बारे में डेफिनीट कहें तो मैं जानकारी करा लूंगा।

श्री भीमसेन : क्या सरकार ने इसके बारे में आदेश दिये हैं और क्या उनका पालन हो रहा है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पालन हो रहा है।

दिनांक ४-३-६० का स्थगित प्रश्न

तहसील लालसोट में मौजा बिनोरी में सरकारी पेड़ों और जमीन पर के नाजायज काबिज श्री शम्भूलाल चौबे से बन्धी रकम की वसूली

२०८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) तहसील लालसोट में मौजा बिनोरी में सहकारी पेड़ों और जमीन पर कब्जा करने के सिलसिले में बन्धी रकम नाजायज कब्जा करने वाले श्री शम्भूसिंह चौबे से अब तक क्यों नहीं वसूल की गई ?

(२) इसकी वसूली के बारे में अभी तक कोई आदेश जारी हुए या नहीं ?

(३) यदि हां, तो वसूली करने में तहसीलदार, लालसोट ने ढील क्यों बरती ?

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(४) यदि नहीं, तो आदेश क्यों नहीं जारी हुए ?

(५) क्या सरकार नुकसान की पूरी जानकारी करने के लिये दुबारा जांच करवाने का इरादा रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) अब पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत सब डिविज़नल ऑफिसर, दौसा द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है। पहले तहसील लालसोट द्वारा जो कार्यवाही की गई थी, श्री शम्भूलाल चौबे रकम जमा कराने से इन्कार हो गया।

(२) दिनांक ६–६–५६ को वसूली के आदेश जारी हो चुके हैं।

(३) इस मामले से संबन्धित कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में तहसील की पत्रावली आयुक्त, अजमेर को भेजी गई थी और यहां से २७–११–५६ को वापिस प्राप्त हुई। वैसे ही पत्रावली पुनः प्राप्त हुई, उस पर वसूली की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई। अतः तहसीलदार लालसोट द्वारा ढील बरतने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

(४) इसका उत्तर प्रश्न के खण्ड ३ में दिया जा चुका है।

(५) जी नहीं। इस संबंध में पहले ही जांच हो चुकी है और दोषी व्यक्तियों को सजा हो चुकी है। अतः अब फिर जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : तीन साल से ऐसा जवाब दिया जा रहा है कि वसूली की कार्यवाही की जा रही है, लेकिन आज तक वसूली क्यों नहीं की गई !

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले साल में इस तरह का जवाब नहीं दिया गया था। पटवारी को डिस्मिस करने के लिए, गिरदावर को पटवारी बनाने के लिए और तहसीलदार का ग्रेड इन्क्रीमेंट बन्द करने के लिए ऑर्डर दे दिये गये हैं। ५ हजार और कितना ही रुपया शम्भूलाल पर कायम किया गया। तहसील ने वसूली की कार्यवाही की। जब उसने देने से इन्कार कर दिया तो पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही करने के लिए एस० डी० ओ० को लिख दिया गया और एस० डी० ओ० ने पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, उसको महात्मा गांधी का चेला होने की वजह से छूट दी जा रही है।

८–३–६० का स्थगित प्रश्न

नीजरणा, तहसील लालसोट में सहकारी समिति को प्रदत्त जमीन का दूसरे लोगों को दिया जाना

२७७. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या सिवाय चक जमीनों को एलॉटमेंट करने के आजकल के नियमों के अनुसार सबसे पहला हकदार सहकारी समितियां हैं ? यदि हां, तो नीजरणा, तहसील लालसोट में सहकारी समिति को दी गई जमीन दूसरे लोगों को क्यों दी गई ?

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(ख) क्या इस प्रकार अनियमित अलॉटमेंट कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के अन्य अलॉटमेंट की भी जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां। नीजरणा, तहसील लालसोट की सहकारी समिति को १७५ बीघा भूमि जुलाई, ५६ में दी गई थी। इसके पश्चात् इस भूमि में से किसी को भी भूमि नहीं दी गई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसे मामले नोटिस में आने पर उनमें आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : अगर आप जांच करें तो मैं साबित कर सकता हूं।

८-३-६० का स्थगित प्रश्न

पाली तहसील के जागीरदारों को दिया गया मुआवजा

२६८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(१) पाली तहसील में किन किन जागीरदारों को कितना २ मुआवजा आज तक मिल चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इन जागीरदारों के पास कुल कितनी २, किस किस किस्म की जमीन खुदकाश्त में दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो सूची चाही गई है वह काफी बड़ी है जिसको तैयार करने में काफी समय की आवश्यकता है। अतः इस प्रश्न को अगले टर्न से भी अगले टर्न में रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पोस्टपोन करवाया था। उसका जवाब आ गया है वह दे दूं।

नायब तहसीलदार इत्यादि की नियुक्तियां एवं रिवर्शन

५५६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) श्री सरदारसिंह, श्री सुगनसिंह, श्री हरिश्चन्द्र, श्री रूपसिंह, श्री हरशरणलाल, श्री कर्मसिंह, श्री विश्वेश्वरनाथ, श्री ताराचन्द जैन, श्री वीरसिंह आदि वर्तमान नायब तहसीलदार श्री अमीरचन्द जैन, सदर कानूनगो, श्री रामचन्द्र गुप्त, ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, कमिश्नर अजमेर, श्री मदनलाल जोशी व श्री जगन्नाथप्रसाद तहसीलदार आदि उपरोक्त व्यक्तियों की नियुक्ति किस पद पर और कब हुई थी ?

(२) नियुक्ति आज तक अलग अलग केटेगरीज़ के पद पर कितने कितने समय के लिये हुई ?

(श्री रामकरणसिंह)

(३) इनमें से कितनों को पद देने से कितने समय बाद रिवर्ट भी किया गया और क्यों ?

(४) क्या इनमें ऐसे भी है जिन्हें आज तक तरक्की देना उचित था, मगर नहीं दी गई और कइयों को कानून के खिलाफ भी तरक्की दे दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या इनमें से कोई किसी सर्विस से रिटायर शुदा भी है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) केवल वीरसिंह, व अमीरचन्द को रिवर्ट किया गया था, कारण सूची में अंकित कर दिया गया है।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह सूची सदन की मेज पर अभी रखी गई है, इसलिए क्वेश्चन को पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : But we haven't got any question.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सूची नहीं मिली है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पढ़ दूं। कोई लम्बी सूची नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२.२४ म० प०

मांग संख्या १६. मुख्य शीर्षक ३८ चिकित्सा

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९६१, को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के निमित्ति राज्यपाल महोदय को ३,२५,०६,०००) रु० तक की धन राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव, डॉ० बहादुरसिंह।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

डॉ० बहादुरसिंह प्रस्ताव करेंगे :—

१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य के आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थिति पर बहस करने हेतु)

२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (आयुर्वेदिक परीक्षा बोर्ड पर बहस करने हेतु)

३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु० की कटौती जाय (धौलपुर स्थित राजकीय युनानी औषधालय की स्थिति पर बहस करने हेतु)

Page No.40

डॉ॰ बहादुरसिंह)

४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु॰ की कटौती की जाय (धौलपुर के सदर होस्पिटल व श्री केसर महारानी होस्पिटल के एकीकरण करने पर बहस हेतु)

५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु॰ की कटौती की जाय (धौलपुर के सदर होस्पिटल में रोगी वाहन व अन्य उपयोगी सामानों के अभाव पर बहस करने हेतु)

श्री भीमसेन प्रस्ताव करेंगे :—

६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु॰ की कटौती की जाय (आवागमन के अभाव की कमी के कारण पंचायत क्षेत्र रूणियांवास सेरेरों में Aid Post की व्यवस्था पर बहस हेतु)

७७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १००) रु॰ की कटौती की जाय (डिस्पेन्सरीज़ . लूणकरणसर व काल में डॉक्टर की व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाने पर बहस करने हेतु)

६०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १००) रु॰ की कटौती की जाय (राजकीय अस्पतालों में डॉक्टरों के अभाव की ओर ध्यान आकर्षित करने पर बहस हेतु)

श्री लक्ष्मण हीरात प्रस्ताव करेंगे :—

७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु॰ की कटौती की जाय (उदयपुर डिविजन में चलते फिरते औषधालय स्थापित किये जाने पर बहस करने हेतु)

८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु॰ की कटौती की जाय (नाहरू की बीमारी के सम्बन्ध में बहस करने हेतु)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल प्रस्ताव करेंगे :—

९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १००) रु॰ की कटौती की जाय (विभागीय खरीद में हुई अनियमितताओं पर विचार करने हेतु)

१०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १००) रु॰ की कटौती की जाय (आयुर्वेदिक पद्धति के समुचित विकास व संरक्षण देने में सरकार की असफलता पर विचार करने हेतु)

श्री मूलचन्द डागा प्रस्ताव करेंगे :—

११. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु॰ की कटौती की जाय) डॉक्टरों की नियुक्ति में बरती जा रही अनियमितताओं पर विचार के करने हेतु)

१२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु॰ की कटौती की जाय (डॉक्टरों की लापरवाहियों पर बहस करने हेतु)

१३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु॰ की कटौती की जाय (रोहट ब्लॉक में चिकित्सा की कोई व्यवस्था न होने पर बहस करने हेतु)

६८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक

Page No.41

(श्री मूलचन्द डागा)

३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (डॉक्टरों के प्रमोशन में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)

६६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (पाली आयुर्वेदिक औषधालय में स्टाफ, दवाईयों व मकान की कमी पर बहस करने हेतु)

७०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (आयुर्वेदिक विभाग द्वारा कम्पाउन्डरों के स्थानान्तरण पर बहस करने हेतु)

८१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (डॉक्टरों, कम्पाउन्डरों व नर्सों में व्याप्त रूप से फैले हुए भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)

८२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (अस्पतालों में दवाईयों, पट्टियों आदि की कमी पर विचार करने हेतु)

श्री रामकरणसिंह प्रस्ताव करेंगे :–

१४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील कोटपुतली में जितने ठीकाने के समय से अस्पतालों में कर्मचारी काम कर रहे थे उनका फिक्सेशन नहीं होने पर वाद–विवाद करने हेतु)

श्री भैरवलाला कालाबादल, प्रस्ताव करेंगे :

१५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक, ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (ग्रामीण जनता को उचित चिकित्सा लाभ न मिलने पर बहस करने हेतु)

श्री पी० के० चौधरी प्रस्ताव करेंगे :–

19. That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/-(To discuss failure of the Government to start an 'Aushdhalaya' at Harsoli, in Phulera Tehsil).

39. That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/- To discuss the failure of the Government to giwe anygrant-in-aidtc,Sa the rvajanik Aushadhalaya' Bansa, Kushalpura, Amber).

79. That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced be Re. 1/- (To discuss the Goverments' approach to Indian Medicines)

80. That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/- (To discuss the fixation of pay of the Inspectors of Ayurved).

श्रीमती गंगादेवी डाटा प्रस्ताव करेंगी:–

(२०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (डिस्पेन्सरीज़ में मरीजों की संख्या के अनुसार उनमें औषधियों के बजट पर बहस करने हेतु)

(२१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (कलसाड़ा में औषधालय पर बहस करने हेतु)

Page No.42

रावराजा सरदारसिंह प्रस्ताव करेंगे:–

(२२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (उनियारा क्षेत्र में चिकित्सा के अभाव पर विचार करने हेतु)

श्री मुरलीधर व्यास प्रस्ताव करेंगे:––

(१६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के निर्माण व छात्रों की व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)

(१७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर के अस्पतालों में डाक्टरों व नर्सेज़ व दवाईयों (medicines) की कमी से बीमारों को होने वाली अड़चनों पर विचार करने हेतु)

(१८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (जनाना अस्पताल, बीकानेर में प्रसूति-गृह व बच्चा वार्ड में डॉक्टरों की उपेक्षित नीति पर विचार करने हेतु)

श्री चन्दनमल वैद प्रस्ताव करेंगे:—

(23) That the Demand No.X VI, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/—(To discuss the failure of Government in providing adequate medical facilities to rural public).

(24) That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government in providing higher pay scales for Vaidyas and other officers in Ayurved Department).

(25) That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of Government in providing better and separate hospitals for Ayurvedic treatment).

(26) That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/— (To discuss the failure of Government in setting standards for Ayurvedic medicine).

(27) That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/— (To discuss the failure of the Government in providing better education and research facilities in Ayurved).

(28) That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/— (To discuss the private practice by Government employed Doctors).

श्री अनूपसिंह प्रस्ताव करेंगे:––

(29) That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/— (To discuss the failure of the Government to establish the D. M. H. Office at Barmer independent of D. M. H. O. Jalore District).

श्री हरिप्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे:–

(६३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक

Page No.43

(श्री हरिप्रसाद यादव)

३८—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (घरियावाद डिस्पेन्सरी में डॉक्टरों के अभाव पर बहस करने हेतु)

(६४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (भूपालसागर में लेडी डॉक्टर के अभाव पर बहस करने हेतु)

श्री दयाकृष्ण विजय प्रस्ताव करेंगे:-

(३०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (ग्रामों में आयुर्वेदिक औषधालय में औषधि के अभाव पर बहस करने हेतु)

(३१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा में १००) रु. की कटौती की जाय (डाईरेक्टर मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट द्वारा ५६—६० के लिए प्रचलित भावों से अधिक भाव पर खरीदी गई औषधियों पर वाद—विवाद करने हेतु)

श्री दलीपसिंह प्रस्ताव करेंगे:—

(३३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (औषधालय मोड़क स्टेशन को 'बी' क्लास न करने पर बहस हेतु)

डॉ० चन्द्रकला प्रस्ताव करेंगी:—

(३५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)

(३६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (अस्पतालों की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)

(३७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)

(३८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार पर विचार करने हेतु)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी प्रस्ताव करेंगे:—

(४०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (डीग नगर में डॉक्टरों व नर्सों की उचित व्यवस्था न किये जाने पर बहस हेतु)

(४६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर की रसायन-शाला को समाप्त करने के औचित्य पर विचार करने हेतु)

(५०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विकास पर बहस करने हेतु)

(५१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (वैद्यों के वेतन स्तर को ऊंचा करने पर विचार करने हेतु)

श्री मनोहर कोठारी प्रस्ताव करेंगे:—

(41) That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced

Page No.44

(श्री मनोहर कोठारी)

by Re. 1/— (To discuss the failure of the Government to convert Amet Dispensary into a Primary health centre).

(42) That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/— (To discuss the appointment of a lady Doctor at Nathdwara).

(43) That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/— (To discuss the failure of the Government to extend Dispensary Building and Staff Quarters at Amet).

श्री जगदीशप्रसाद माथुर प्रस्ताव करेंगे:-

(४८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर विचार करने हेतु)

(४८-ए) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय। मदार (अजमेर) में ईसाई मिशनरियों द्वारा चालित अस्पताल में बीमारों एवं डॉक्टरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर विचार करने हेतु ।

ठाकुर शिवचरणदास प्रस्ताव करेंगे:-

(५२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (भीलवाड़ा जिले में वर्तमान शफाखानों की अव्यवस्था पर विचार करने हेतु)

श्री रामचंद्र प्रस्ताव करेंगे:-

(५५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (झालावाड़ जनरल होस्पिटल में रोगी-वाहन के अभाव पर बहस करने हेतु)

(७१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय। जनरल हॉस्पिटल में रोगी-वाहन (Ambulance) की कमी पर बहस करने हेतु)

श्री तेजाराम गहलोत प्रस्ताव करेंगे :--

(57) That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/— (To discuss the failure of the Government in encouraging the public contributions by non-co operating with the donars).

(58) That the Demand No. XVI, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/- (To discuss the poor supply of medicines and the instruments to dispensaries and hospitals).

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे ५ कटौती प्रस्ताव हैं। सबसे पहला राज्य के आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थिति के बारे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की ओर से जितने भी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हैं उनकी स्थिति का अगर मैं बयान करूं तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा समय सदन का जायगा। लेकिन उनकी जो मुख्य कमियां हैं उनकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाऊंगा और माननीय मन्त्रीजी से इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात पर विचार करेंगे।

(डॉ० बहादुरसिंह)

अगर आप किसी भी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के अंदर जायं तो वहां पर आपको इन चीजों का सबसे पहले अभाव मिलेगा। औषधालय के वैद्य सबसे पहले शिकायत करते हैं कि आवश्यक औषधियां भी नहीं दी जाती हैं। आप कह सकते हैं कि जितना वैद्यों की ओर से इन्डेन्ट होता है उतनी औषधियां भेजते हैं। मेरी यह मान्यता है और मैं दावे से कह सकता हूं कि सरकार इस बात के लिए कभी भी अपनी ओर से नहीं कह सकती है कि जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं वे उन औषधालयों के लिए पर्याप्त हैं। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि रस और भस्म पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे और अगर मिलेंगे भी तो बहुत साधारण रस मिलेंगे। कोई भी अच्छा रस या अच्छी औषधियां उपलब्ध नहीं हो सकेंगी।

इस प्रकार से अगर आप वैद्यों से पूछें तो पता लगेगा कि कुप्पी पक्व रसायन जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए मुख्य औषधि है जब कि मरीज की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है उस वक्त कुप्पी पक्व रसायन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कहीं भी आयुर्वेदिक औषधालयों में, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे चाहें तो राजकीय प्रवास भवन के आयुर्वेदिक औषधालय का निरीक्षण कर सकते हैं वहां पर कुप्पी पक्व रसायन एक मात्रा में नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आप चाहें तो उन औषधालयों में आसवारिष्ट की एक मात्रा भी उपलब्ध नहीं हो सकती है। जिन औषधालयों के अन्दर औषधियां नहीं हैं तो किस प्रकार से औषधालय चल सकते हैं और आयुर्वेदिक पद्धति से लाभ उठा सकते हैं? यही नहीं, अगर आप चूर्णों को देखें तो आज शायद कई तरह के रसायनशाला के अन्दर निर्मित होते, हैं तो चूर्णों की पूरी मात्रा भी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से हमारा जो विभाग है, आयुर्वेदिक विभाग है उसके द्वारा अगर हम आयुर्वेदिक पद्धति का संरक्षण करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहां के औषधालयों को सर्वांगपूर्ण रखें।

यही नहीं, शल्य के लिए ही हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं है। यहां के औषधालयों के वैद्यों की तनख्वाह ६०) रु० है और वह भी वैद्यकों वेतन बराबर नहीं मिलता है। वेतन के लिए आप कह सकते हैं कि जितना हमारा फाइनेन्स है उसके अनुसार देंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चाहे एक स्टेन्डर्ड रसायनशाला बनायें। आपके पास ५ रसायनशालाएं मौजूद हैं लेकिन पूरी औषधियां नहीं हैं। मंत्री महोदय चाहें तो किसी भी औषधालय में चलें मैं चलता हूं उनके साथ जिन औषधियों की मैंने लिस्ट दी है, चाहे आप राजकीय निवास भवन के औषधालय में चलें वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर न रस है, न रसायन है और न आसवारिष्ट हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी आयुर्वेदिक औषधालय में वे नहीं मिलेंगी जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सा की सबसे महत्वपूर्ण औषधियां हैं।

मैं आपका ध्यान आयुर्वेदिक परीक्षा बोर्ड की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आयुर्वेदिक परीक्षा

(डॉ बहादुरसिंह)

बोर्ड एक गैर कानूनी संस्था है । किसी भी कानून के अन्दर उसका निर्माण नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह गैर कानूनी संस्था है जिस पर सरकार का १२ हजार रुपया साल का खर्च होता है । उस खर्च की डिटेल मैं बता सकता हूं। हम इस गैर कानूनी संस्था के अन्दर :

वैद्यों के वेतन पर	३,०००)
लेखकों और चतुर्थश्रेणी के कर्मचारियों पर	३,१००)
मंहगाई, भत्ता आदि पर	१,६००)
यात्रा भत्ता	६००)
मकान भाड़ा	६००)
कार्यालय	६००)
और अन्य व्यय	२,५५०)

इस तरह से १२,७५०) रु० इस गैर कानूनी संस्था के ऊपर खर्च किये जाते हैं। तो इस प्रकार से गैर कानूनी परीक्षा बोर्ड के निर्माण से सरकार का क्या मतलब है ? जब कि कानून बना रखा है तो क्यों नहीं सरकार उसका इसके द्वारा संचालन करे ? इस राजस्थान में आयुर्वेदिक परीक्षा बोर्ड के नाम से जो संस्था बना रखी है जिसको विधान सभा का भी समर्थन प्राप्त नहीं है और यह संस्था दो साल से चालू की गई है, ५६-६० और ६०-६१ यह उसका दूसरा साल है। उसके पहले कोई संस्था नहीं थी । जब कि इस प्रकार कानून है और जब कानून के अन्दर जो व्यवस्था है और रजिस्ट्रार बना रखा है तो क्या आप कह सकते हैं कि लोकसेवा आयोग के द्वारा नियुक्त किये गये हैं ! आपने खास इस प्रकार की कोई डिमान्ड नहीं निकाली । इस प्रकार की जो संस्था है उससे जो सैकड़ों विद्यार्थी तैयार होंगे वे सिर्फ आपके रहम पर जिन्दा रहेंगे । आपका विभाग यदि चाहे तो उनको नौकर रखे अन्यथा दूसरे राज्यों में उनको सरविस नहीं मिल सकती । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संस्था को तुरन्त भंग करना चाहिये और या तो विश्व विद्यालय को या इंडियन मेडिसिन्स बोर्ड को कहना चाहिये कि वह इसकी व्यवस्था करें या राजस्थान विश्व विद्यालय में आयुर्वेदिक फेकल्टी कायम करनी चाहिये । इस प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १२ हजार रुपयों का यह खर्चा समाप्त करके यह काम इंडियन मेडिसिन्स बोर्ड को या राजस्थान विश्व विद्यालय को देना चाहिये ।

अब मैं आपके सामने धौलपुर में आयुर्वेदिक और युनानी चिकित्सा है उसके बारे में अर्ज करूंगा, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसके बारे में अर्ज करना मेरा कर्तव्य है । धौलपुर में महाराजा साहब के जमाने से विद्याविनोद आयुर्वेदिक हॉस्पिटल उनकी पुत्री के नाम से चलता था। इसमें आयुर्वेद और युनानी चिकित्सा प्रणाली के आधार पर चिकित्सा की जाती थी। धीरे धीरे ज्यों ज्यों यहां इलाज की सहूलियत बढ़ी त्यों त्यों लोगों की रुचि भी बढ़ने लगी । यह बहुत ही अच्छी स्थिति पर है और बिल्डिंग नई और अच्छी है। लेकिन इसमें कई अभाव भी हैं। हमारे पिछले स्वास्थ्य मंत्री श्री कुंभारामजी थे उन्होंने इसका निरीक्षण किया था । यहां का जो युनानी सेक्शन है उसको इस पुरानी बिल्डिंग से हटाकर दूसरे स्थान पर जहां रोगी शैय्या की व्यवस्था हो लेजाया जाय जैसे कि लोगों की मांग है। यहां पर रोगी

(डॉ० बहादुरसिंह)

शैय्या की व्यवस्था नहीं। है इसके बिना चिकित्सा अच्छी तरह से नहीं हो सकती लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था अब तक नहीं की जा सकी है। जैसा कि मैंने निवेदन किया दूसरे आयुर्वेदिक औषधालयों की हालत है उसी प्रकार से इसकी भी है। औषधियां यहां भी नहीं मिलती हैं। साधारण चूरण, चटनी मिल सकती है लेकिन अन्य आवश्यक दवाइयां नहीं मिलतीं और न यहां पर शल्य चिकित्सा की व्यवस्था ही है। राज्य सरकार की ओर से धौलपुर के साथ यह अन्याय है। मैं यहां तक कह सकता हूं कि पहले यहां पर एक महिला वैद्य थी उसका ट्रान्सफर सूरजमल बम्बईवाला हॉस्पिटल, जयपुर में कर दिया और धौलपुर औषधालय के नाम से उसको एक साल तक वेतन मिलता रहा। धौलपुर से मनिऑर्डर होकर उसके वेतन के पैसे आते रहे लेकिन पोस्टिंग उसका यहां पर बम्बईवाला हॉस्पिटल में था। इस सदन में पूछने पर बताया गया था कि अब उसका पोस्टिंग यहां पर सूरजमल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कर दिया गया है। यह कोई न्याय नहीं है। एक वैद्य एक स्थान पर है उसको यदि वहां से हटाया जाता है तो या तो उसकी पूर्ति करनी चाहिये या वहीं रहना चाहिये। मैं समझता हूँ राज्य सरकार का धौलपुर के साथ दुर्व्यवहार है या सौतेला सा व्यवहार है या उपेक्षा की नीति है। मैं और ज्यादा कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि यह अच्छा नहीं होगा। एक अस्पताल को समाप्त करके दूसरे को पनपाने के भाव आपकी निगाह में रहते हैं, यह उचित नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस महिला वैद्या को वापिस इसी स्थान पर भेजना चाहिये। इस औषधालय में इलेक्ट्रिक फिटिंग है लेकिन पंखे नहीं हैं। यह समझ में नहीं आता कि टेन्डर हो जाने के बाद भी छोटी छोटी बातों की पूर्ति नहीं की जाय तो कहां तक कहें ?

अब मैं आपका ध्यान आयुर्वेद के बजाय एलोपेथिक की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि माननीय सदस्य कहेंगे कि इस ओर क्यों नहीं ध्यान गया। इसमें भी कई अनियमितताएं हुई हैं, चाहे किसी भी मंत्रीजी के समय में हुई हों। वहां पर एक सदर हॉस्पिटल है और दूसरा लेडी हॉस्पिटल था। लेडी हॉस्पिटल से मुझे अधिक इसलिये है कि वह मेरे जन्म स्थल में है। मैं उस टाइम को देखता हूं जब उसको मिशन वाले चलाया करते थे। लेडी हार्डिंग्ज हॉस्पिटल को महाराजा ने बड़ी एड देकर केसर महारानी हॉस्पिटल में परिवर्तित किया। जिन छोटे छोटे बच्चों के मां-बाप नहीं थे उनके पालन पोषण की व्यवस्था यहां पर थी। लेडी हार्डिंग्ज हॉस्पिटल में यूरोपियन नर्सेज़ और डॉक्टर्स थे। सदर हॉस्पिटल में इन्स्ट्रमेन्ट्स और इक्विपमेन्ट्स बहुत अच्छे थे। लेकिन सरकार की उपेक्षा की नीति छोटे राज्यों के साथ रही है। पता नहीं क्यों राज्य सरकार दोनों हॉस्पिटल्स को एक में नहीं रख सकी ! आपको क्या अख्त्यार है कि आप दोनों को अलग अलग करके रखें ? वहां के सी. एम. ओ. आज यहां सवाई मानसिंह अस्पताल के पी. एम. ओ. हैं। मैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट का हूं इसलिये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि वहां सदर हॉस्पिटल के पास ही टी. बी. हॉस्पिटल है और उसके ५० गज की दूरी पर लेडी हार्डिंग्ज हॉस्पिटल है। स्टेट के टाइम में ये एक ही थे। इनसे लगे हुए डॉक्टर्स के क्वार्टर्स थे। उसके बाद लेडी हार्डिंग्ज अस्प-

(डॉ० बहादुरसिंह)

ताल फिर लेडी डॉक्टर का बंगला था। इस सब का एक ही अहाता बनाते। विश्व स्वास्थ्य संघ से अमेरिकन डॉक्टर्स आये थे उन्होंने भी इसका निरीक्षण किया था और उन्होंने कहा था कि इतनी छोटी जगह पर यह बड़ा ही सुन्दर हॉस्पिटल है और यह तरक्की कर सकता है। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि यह तरक्की करे। क्यों नहीं चाहती, यह नहीं कहा जा सकता। शायद दलील यह है कि एड डिस्ट्रिक्ट में दो बी क्लास हॉस्पिटल्स नहीं दे सकते। आपको क्या अख्त्यार है कि दोनों हॉस्पिटल्स को अलग अलग करें? अब भी सी. एम. ओ. कंट्रोल करता है, २ लेडी डॉक्टर्स है, एक सी. ए. एस. क्लास वन और दूसरी सी. ए. एस. क्लास टू। जिस प्रकार से स्टेट के जमाने से यह हॉस्पिटल आपके पास आया था उसी प्रकार की व्यवस्था और इन्तजाम करना चाहिये था और उसी प्रकार से मेन्टेन करना था लेकिन सरकार यह गवारा नहीं कर सकी। इस पर भी आप कहते हैं कि यह वैलफेअर स्टेट है? वैलफेयर स्टेट के लिये यह लाजमी है कि दोनों को एक करें।

अब अभाव के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। छोटे छोटे स्टेट्स के हॉस्पिटल्स में कहीं आयर्न लंग्ज़ नहीं मिलेंगे लेकिन वहां पर लेडी हार्डिंग्ज होस्पिटल में आयर्न लंग्ज़ हैं। लेकिन उनकी बुरी हालत हो रही है क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले लोग वहां पर नहीं है। जिस चीज का प्रयोग करने वाले लोग नहीं हैं उसकी क्या हालत होगी, यह सभी जान सकते हैं। इसी प्रकार से मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो जो अच्छे-अच्छे इन्स्ट्रूमेन्ट्स हैं जिनके रिपेअर्स भी नहीं होते हैं।

इसी सदन के एक माननीय सदस्य के फ्रेक्चर हो गया था उस समय वहां पर रोगी वाहन नहीं होने से बड़ी मुश्किल से उनको दूसरी गाड़ी में हॉस्पिटल तक पहुँचाया था। उनकी इतनी बुरी हालत हुई कि वहां बड़ी मुश्किल से पहुंचाया गया। रोगी वाहन की काफी पुरानी मांग है और हम लोग इसके लिये काफी प्रयत्नशील हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक रोगी वाहन हॉस्पिटल में हो तो उससे काफ़ी दूर तक के रोगियों को इस हॉस्पिटल से सेवा मिल सकती है।

इसी तरह से एक्सरे प्लान्ट है। उसके पुर्जे तीन महीनों तक खराब पड़े रहे। बताया यह जाता है कि टैक्निकल एक्सपर्ट जयपुर में रहते हैं और जब तक वह धौलपुर नहीं जाय तब तक यह ठीक नहीं हो सकता। सारे राजस्थान के लिये एक टैक्निकल एक्सपर्ट है। एक जरूरी चीज खरीदनी हो तो जब तक टैक्निकल एक्सपर्ट देख न ले तब तक खरीदी नहीं जा सकती। इस तरह से आगरे रोगी जाय। आप अन्दाज कीजिये कि आगरे फ्रेक्चर का रोगी जाय और फिर आगरे से दुबारा आवे तो राजस्थान की स्वास्थ्य सेवायें कहां तक उपयुक्त होगी?

श्री मोतीलाल (डीडवाना): हिन्दुस्तान एक है।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के सामने जो छोटी छोटी मांगें आ रही हैं तो जहां राजस्थान का करोड़ों रुपया व्यय होता है वहां इसमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सब चीजें

Page No.49

(डॉ० बहादुरसिंह)

मौजूद हैं। अगर आप उनकी रिपेअर करायें तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आपकी जो सेवायें हैं उनसे काफी सहूलियत हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जो कटौती के प्रस्ताव हैं, मैं समझता हूं, खास तौर से मेरे जो दो कटौती के प्रस्ताव हैं, जिन पर मैंने विशेष जोर दिया है, एक तो राज्य में जो आयुर्वेदिक परीक्षा बोर्ड वह बन्द कर दिया जाय, दूसरा धौलपुर के सदर हॉस्पिटल व श्री केसर महारानी हॉस्पिटल का एकीकरण कर दिया जाय—ये जो दो मेरी मांगें हैं इनके लिए सरकार की ओर से ना कहने का मुझे औचित्य नजर नहीं आता कि सरकार किस आधार पर ना करेगी। वैसे यह तो जब मंत्री महोदय उत्तर देंगे तब पता चलेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो आयुर्वेदिक परीक्षा बोर्ड है उसकी क्या स्थिति है, किस कानून के द्वारा वह है,वह मैंने बतला दिया है। मैंने जैसा निवेदन किया कि अब तो दोनों ही मंत्रीजी आयुर्वेद के प्रेमी हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा और निवेदन कर दूं आपसे, कि यह जो डिमान्ड है, वैसे आयुर्वेदिक विभाग के अलग मंत्री हैं, लेकिन, डिमान्ड को स्वास्थ्य मंत्रीजी से अटेच किया है। ठीक है, हम उनको बड़ा बनाना चाहते हैं लेकिन एक मुर्गी और दो मुल्ले। बड़ी मुश्किल हो जाती है हलाल करने में। इसलिए अगर दोनों डिमान्ड अलग अलग हों तो बहस करने में आनन्द भी आता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में जिस तरह आयुर्वेद के मंत्री अलग हैं उसी तरह से सदन के सामने आयुर्वेद की अलग डिमान्ड आये तो अच्छा होगा।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : दोनों मुल्ले मुर्गी हलाल कर रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १६ पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। सबसे पहला मेरा कटौती का प्रस्ताव है, राजकीय अस्पतालों में डॉक्टरों के अभाव की ओर ध्यान आकर्षित करने पर बहस करने हेतु। मेरा यह कटौती प्रस्ताव है, इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में इस वक्त, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से आंकड़े दिये हुए हैं, स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़े, उनसे ज़ाहिर होता है कि राजस्थान में ११५६ डॉक्टरों की आवश्यकता है, इतनी सैंक्शन्ड पोस्ट्स हैं, उनके अगेन्स्ट २५० डॉक्टरों की आवश्यकता सेकिंड फाइव इअर प्लान में है। इस वक्त हमारे डॉक्टरों की संख्या है और जो पोपुलेशन है, उसके रेश्यो से एक डॉक्टर के पीछे १५,००० की आबादी है इतनी पोपुलेशन एक आदमी से सर्व की जाती है। इस तरह डॉक्टर और आबादी का रेश्यो है हमारा। तो हमारे राजस्थान में कुल इस समय ५८६ हॉस्पिटल, डिस्पेन्सरी कुल मिला कर हैं और हमारे राजस्थान की इस वक्त एक करोड़, ८६ लाख की पोपुलेशन है। इसको ध्यान में रखते हुए जो मेडीकल फेसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वे बिल्कुल अपर्याप्त हैं। तो सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा लेकिन फिर भी जगह जगह से शिकायत आती हैं कि किसी डिस्पेन्सरी में लेडी डॉक्टर का अभाव है, कहीं किसी

(श्री भीमसेन)

हॉस्पिटल में डॉक्टर का अभाव है। इसके बारे में सरकार ने दूसरे राज्यों से कुछ डॉक्टर यहां भर्ती किये हैं। इसके बावजूद भी हमारे विभाग ने इसके बारे में अन्दाज लगाया है कि तीसरे प्लान तक हमारी जो एक्टीविटीज़ बढ़ेंगी स्वास्थ्य सम्बन्धी उनको ध्यान में रखते हुए हमें कुल १,६५० डॉक्टरों की तीसरे प्लान तक आवश्यकता रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इस बड़ी भारी मांग को पूरा करने के लिए हमारे राजस्थान में फिलहाल पूरे साधन नहीं हैं। इस वक्त हमारे राजस्थान में दो मेडीकल कॉलेज काम कर रहे हैं। एक मेडीकल कॉलेज से १८० मेडीकल ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं। दूसरा मेडीकल कॉलेज, जो पिछली साल बीकानेर में शुरू किया गया है, उसकी स्ट्रेन्थ ५२ है। जो मेडीकल कॉलेज बीकानेर में शुरू किया गया है उसका पहला बैच निकलेगा वह १६६४ में निकलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में जो डॉक्टरों की मांग है, उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार को चाहिए कि हमारे राजस्थान में हम डॉक्टरों को पूरी तरह मुहैया कर सकें। इसके बारे में और मेडीकल कॉलेज खोलने की तरफ सोचा गया है। प्लान फ्रेम, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इश्यू किया है, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उसमें यह प्रावधान रखा गया है कि मेडीकल डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान में कम से कम दो नये मेडीकल कॉलेज और खोले जावें। मैं समझता हूं कि ये दो मेडीकल कॉलेज और खोले जायेंगे तो भी नये मेडीकल कॉलेज हम खोलेंगे उनको थर्ड प्लान के फर्स्ट इअर में खोलेंगे तो थर्ड फाइव इअर के फर्स्ट इअर के बाद में ५ साल बाद पहला बैच निकलेगा। तो इस तरह राजस्थान के अन्दर जो दूसरे देशों के मुकाबले में मेडीकल फेसिलिटीज़, और डॉक्टर्स का रेश्यो होना चाहिए, तो जहां राजस्थान में एक डॉक्टर के पीछे १५,००० की पोपुलेशन है, तो दूसरे देशों के मुकाबले में हिन्दुस्तान और राजस्थान नहीं टहर पाता। इस तरह स्वास्थ्य के बारे में प्रत्येक परिवार को मेडीकल एड मिल सके, इसके लिए राजस्थान में अगर चौथे प्लान तक इस तरह की व्यवस्था कर सकें तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा कदम होगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखिर तक हमें १,६५० मेडीकल डॉक्टरों की आवश्यकता होगी। अध्यक्ष महोदय, अगर हम राजस्थान में दो नये मेडीकल कॉलेज भी खोल दें तो भी हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं कर पायेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां जो मौजूदा कॉलेज हैं, बीकानेर का और सवाई मानसिंह मेडीकल कॉलेज, जयपुर का इनकी स्ट्रेन्थ हमें बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम डॉक्टरों की मांग पूरा करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि बीकानेर में जो मेडीकल कॉलेज है, जिसे राजस्थान सरकार ने खोला है, वहां जो स्टाफ है वह उस मेडीकल कॉलेज के लिए पूरा नहीं है। उस पर सरकार पूरा ध्यान देने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही साथ अभी जो स्ट्रेन्थ ५२ है, मैं समझता हूं कि ५२ के के बजाय तीसरे प्लान में वह १०० होनी चाहिए और स्टाफ के लिए बिल्डिंग्स, मेडीकल कॉलेज की बिल्डिंग, होस्टल की बिल्डिंग के सम्बन्ध में भी सरकार तत्परता दिखाये, जिससे अगले साल से ऐसे होस्टल में १००

Page No.51

(श्री भीमसेन)

लड़के रह सकें, ऐसे छात्रावास की आवश्यकता है। अभी तक उसके निर्माण का काम भी शुरू नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि तीन–चार महीने के बाद, किस तरह १०० विद्यार्थी रह पायेंगे और क्या व्यवस्था होगी, यह समझ में नहीं आता । अध्यक्ष महोदय, अपने पहले प्रस्ताव के द्वारा मैं यह मांग करना चाहता हूं कि राजस्थान में तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में दो मेडीकल कॉलेज शुरू कर दिये जांय। अगर दो मेडीकल कॉलेज पहली साल में खुल जायेंगे तो इससे कुछ रिलीफ मिल सकता है और जो जनता की शिकायत रहती है वह डॉक्टरों का अभाव भी पूरा हो जायगा। अब दोनों मेडीकल कॉलेज़ कहां होने चाहिए, इसके बारे में मैं स्थानों का सुझाव दूं, तो ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा। फिर भी राजस्थान की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए जोधपुर और उदयपुर में दो मेडीकल कॉलेज खोल सकते हैं क्योंकि वहां पूरी तरह की सुविधायें प्राप्त हैं।

मेरा जो दूसरा कटौती प्रस्ताव है, अध्यक्ष महोदय, वह स्थानीय समस्या के बारे में है। बीकानेर स्टेट के वक्त से लूणकरणसर में एक डिस्पेन्सरी डॉक्टर के चार्ज में थी और राजस्थान बनने के बाद से आठ–नौ वर्ष से एक पोस्ट डिपार्टमेंट ने क्रियेट कर रखी है लेकिन डॉक्टर का प्रबन्ध नहीं है। लूणकरणसर और कालू में डिस्पेन्सरीज के लिए डॉक्टर की गजटेड पोस्ट क्रियेट कर रखी हैं लेकिन डॉक्टर को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। यह तहसील हैड क्वार्टर है, चार हज़ार स्क्वायर मील का एरिया है, जहां मेडीकल फेसिलिटीज़ सरकार की ओर से नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चार हज़ार स्क्वायर मील का एरिया लूणकरणसर तहसील का है, वहां की डिस्पेन्सरी में एक डाक्टर की आवश्यकता है, वहां के लिए सेंक्सन्ड पोस्ट है, इसलिए पोस्टिंग अवश्य होना चाहिए।

दूसरा मेरा प्रस्ताव था रुणियाबास–सरेरां में एड–पोस्ट का। रूणियाबास–सरेरां की स्थिति ऐसी है कि ३० मील के एरिया में आने–जाने के साधन नहीं हैं और वहां ५,००० का समूह है, चार–पांच गांव हैं जो एक-एक दो-दो मील के फासले पर हैं। खाली चार, पांच मील के एरिया में पांच हजार की पोपुलेशन है और आसपास के ३० मील के एरिया में न कोई रोड है और न कोई दूसरे आवागमन के साधन हैं। इस तरह की आबादी के लिये यदि सरकार डिस्पेन्सरी नहीं खोले तो कम से कम एक एड–पोस्ट शुरू करे तो वहां के लोगों के लिये कुछ सुविधा हो सकती है। उन गांवों के लोग मकान और दूसरी सब सुविधाएं जो एक एड–पोस्ट के लिये चाहिये वह देने को तैयार हैं। सरकार से वे लोग चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर वहां नियुक्त कर दे। वहां इतनी व्यवस्था करने से वहां की पब्लिक को मेडिकल फेसेलिटीज प्राप्त हो सकेंगी।

इस तरह ३ कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किये हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय पूरा ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात !

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुंदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मांग संख्या १६

(श्री लदराम होरात)

पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं, उनको मैं क्रमशः सदन के सामने पेश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इस मांग संख्या १६ पर हम देखते हैं कि इस पर रकम अधिक से अधिक रखी जाती है इस विभाग की तरफ से और पूर्ति भी हो जाती है। मगर अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष इस विभाग की व्यवस्था के लिये ३ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा! मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां ऐसे इलाके हैं जैसे उदयपुर डिविजन के लिये मेरा प्रस्ताव है कि वहां चलते फिरते औषधालय होने चाहिये। वह ऐसा इलाका है कि न तो वहां सड़कें हैं और न ऐसे साधन हैं कि डॉक्टर आसानी से वहां जा कर इलाज कर सकें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे इलाकों में, तहसील हैड क्वार्टर, एस. डी. ओ. ऑफिस हैं, ऐसी जगह चलते फिरते औषधालय होने चाहिये, दवा वगैरह का एक तहसील में काफी सामान चाहिये ताकि ऐसे ऐसे लोग इलाज करा सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कुरड़ा तहसील से चुन कर आया हूं। वह पहाड़ी इलाका है और गुजरात से लगा है। इसलिये वहां के लोग गुजरात में जाते हैं और वहां के दवाखानों की हालत देखते हैं और फिर राजस्थान के दवाखानों की हालत देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य करते हैं। क्योंकि बम्बई प्रान्त में दवाखानों की अच्छी व्यवस्था है, पर हमारे यहां नहीं है। वे लोग बिजनेस के लिये गुजरात में जाते हैं और खेडब्रमा में, आबूरोड में इतनी अच्छी व्यवस्था दवाखानों की देखते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहां कोई खास औषधालयों की व्यवस्था नहीं है।

तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां गोगुंदा में ५०,००० की आबादी है पर वहां कोई औषधालय नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिये कि पहले कम से कम एक पंचायत में जाकर देखें, वहां पहले से एडवर्टाइज़मेंट करें कि फलां दिन इलाज के लिये चलता-फिरता औषधालय आयेगा ताकि सब लोग आकर इलाज करा लें।

माननीय अध्यक्ष, एक बात मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विभाग का टीका लगाने का तरीका बहुत ही खराब है। कोटड़े में गत वर्ष टी. बी. के टीके लगाने के लिये इस विभाग के लोग आये थे। उन लोगों ने वहां के लोगों को जबर्दस्ती पकड़ पकड़ कर टीके लगाने शुरू किये! इसलिये लोग डर कर वहां से भागे। इस विभाग के कर्मचारी भी भागे। वहां के अनपढ़ लोगों में इससे भ्रम फैल गया कि टीका लगाने वाले लोग आये हैं जबर्दस्ती टीका लगाते हैं, इस तरह का सांड लाये हैं, टीका लगाने से नुकसान होता है और इससे ऐसा वातावरण वहां के लोगों में फैल गया कि अगर इस विभाग के लोग वहां से नहीं भागते तो मोटर पर पत्थर फैंकते। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि टीका लगाने के लिये पहले वहां के लोगों में प्रचार करे, एडवर्टाइज़मेंट करे और वहां के लोगों को इस टीके की अच्छाइयां समझाने के बाद वहां टीका लगाना चाहिये। क्योंकि वे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, न वहां इस तरह के साधन हैं कि इधर उधर सोसायटी में जा सकें, बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है। पिछड़े हुए इलाके के लिये स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे संविधान में भी प्रावधान है कि स्पेशल व्यवस्था पिछड़े हुए इलाकों के लिये होनी

(श्री लक्ष्मण हीरात)

चाहिये । पर जहां स्वास्थ्य का सवाल आता है इस ओर हमारी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है । औषधालयों के बारे में सरकार की व्यवस्था उन इलाकों में ठीक नहीं है। कोटड़ा, गोगुंदा, फलासिया इनमें एक एक लाख पर डिस्पेन्सरी है पर वहां डॉक्टर भी बराबर नहीं रहते हैं । ६ महीने एक डिस्पेन्सरी में डॉक्टर नहीं रहता है....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : इनका कटमोशन इस बारे में नहीं है, आयुर्वेदिक चलते-फिरते औषधालयों के बारे में है।

श्री लक्ष्मण हीरात : मन्त्री महोदय मेरी बात को ज्यादा सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी वहां चलते-फिरते औषधालय खोलेंगे। ऐसे इलाकों में चलते-फिरते औषधालय होने चाहिये। जहां डिस्पेन्सरी नहीं हैं, मकान भी नहीं हैं, ऐसी सूरत में मर्डर केस कहीं होता है और मृत आदमी की लाश आती है तो उसको पेड़ के नीचे उस लाश को ले जाकर चीरा-फाड़ी करते हैं, यह बड़े दुख की बात है । इस तरह के मकानोंकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये ताकि लोगों को सुविधा मिले ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है नाहरू की बीमारी के बारे में । मैंने कल बताया था कि इस सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है कि जिससे इस बीमारी से लोगों को छुटकारा मिल सके । इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिये आयुर्वेदिक विभाग को ज्यादा ध्यान देना चाहिये । हमारे इलाकों में ऐसी जंगली जड़ी बूंटियां मिलती हैं, उन जंगली जड़ी-बूंटियों से नाहरू की बीमारी का इलाज हो सकता है । तो इस नाहरू की बीमारी को रोकने के लिये दो तरीके हो सकते हैं । एक तो यह तरीका हो सकता है कि एक तो उन कुंओं को बन्द कर देना चाहिये जिनका पानी पीने से नाहरू की बीमारी पैदा होती है। उन कुंओं को बन्द करा देने से न उन कुंओं का लोग पानी पियेंगे और न नाहरू की बीमारी ही होगी । और दूसरा तरीका इसको रोकने के लिये यह है कि हमारे इलाके में जंगली जड़ी बूंटियां मिलती हैं उनके लिये आयुर्वेदिक विभाग कोशिश करे तो इस तरह की दो, तीन बातें हैं उन पर हमारा आयुर्वेद विभाग ध्यान दे तो ज्यादा फायदा हमारे इलाके को हो सकता है ।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : क्या आयुर्वेदिक विभाग कुएं बन्द करे ?

श्री लक्ष्मण हीरात : देशी दवाइयां दे। मैं एक अर्ज और करना चाहता हूं वह यह है कि कहीं नया औषधालय खोलते हैं तो दो-दो सौ-तीन-तीन सौ रुपये का फर्नीचर मंगाते हैं और यह फर्नीचर का सामान उन गांवों के लोगों को जुटाना पड़ता है, पर हमारे उधर के इलाके के लोग समझते नहीं हैं और न ही उन लोगों के पास इस तरह के साधन हैं, तो ऐसी जगहों पर तीन सौ रुपयों के फर्नीचर के लिये वहां के लोगों पर जोर नहीं देना चाहिये, सरकार ही वहां फर्नीचर दे दे । मैं यह नहीं कहता कि किसी से ले ही नहीं । जहां के लोग दे सकते हैं उनसे ले पर दूसरे इलाके हैं वहां पर तो इस तरह का आग्रह नहीं करना चाहिये, सरकार को खुद को ही इन्तजाम कर देना चाहिये । नाहरू की बीमारी से तो आयुर्वेद विभाग के मन्त्री

(श्री लक्ष्मण हीरात)

महोदय खुद पीड़ित थे और जानते हैं कि क्या इस बीमारी की रोक-थाम के लिये करना चाहिये।

उस इलाके में जनाना हॉस्पिटल के बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं है। औरतों के इलाज के लिये, औरतों को समझाने के लिये इस विभाग की तरफ से लेडीज की व्यवस्था करनी चाहिये जो लोगों को जाकर समझायें कि ऐसा होना चाहिये।

उस इलाके में कई केसेज ऐसे हो जाते हैं कि वहां के लोग इतने होशियार नहीं, पढ़े-लिखे नहीं, इसलिये आये दिन वहां औरतों की इस तरह के केसेज़ से मृत्यु होती रहती है। इसलिये जनाना हॉस्पिटल होना चाहिये और इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि एक एक जिले में जा कर समझायें, खास तौर से उदयपुर जिले के लिये यह बहुत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव पेश करता हूँ और आशा करता हूँ कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान अवश्य देंगे।

१ म० प०

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा के संबन्ध में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। एक तो विभागीय खरीद में हुई अनियमितताओं पर विचार करने हेतु और दूसरा कटौती का प्रस्ताव आयुर्वेदिक पद्धति के समुचित विकास व संरक्षण देने में सरकार की असफलता पर विचार करने हेतु है।

अध्यक्ष महोदय, इस मांग के अंतर्गत लगभग ३ करोड़ १३ लाख ७७ हजार धन राशि की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष भी बजट एस्टीमेट था और इस साल भी है उसको देखने से इसमें और उस मांग के अन्तर्गत लगभग २० प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह बात तो खुशी की है कि जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकता है और जिनमें से चिकित्सा भी एक है उसके विषय में सरकार ने समुचित ध्यान दिया है और बजट में समुचित धन राशि की व्यवस्था की है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह खड़ा होता है कि आज केवल बजट में धन-राशि बढ़ा देने से राज्य में चिकित्सा का विकास और व्यवस्था ठीक प्रकार से कही जा सकती है, राज्य के नागरिकों को इससे कोई सुविधा मिलना कहा जा सकता हो या राज्य सरकार उनको सुविधा देने में सफल हुई, यह कहा जा सकता है तो मैं समझता हूँ कि केवल धन-राशि को बजट में बढ़ा देने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार लोगों को सुविधा प्रदान कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रीजी को जनता की उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये सर्टिफिकेट तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक सदन को यह विश्वास नहीं हो जावे कि जो धन-राशि खर्च की जावेगी उसका सदुपयोग होगा। और पहले हुआ या नहीं, उसके संबन्ध में जो गत वर्ष में इस विभाग के द्वारा दवाइयों की खरीद के संबन्ध में घोर अनियमितताएं हुईं उसके विषय में सदन को विचार करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पशुपालन विभाग में हुई अनियमितताओं का उल्लेख किया और उल्लेख करते समय उन्होंने कुछ वस्तुएं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सदन में प्रदर्शित की । उन वस्तुओं के संबन्ध में माननीय मुख्य मंत्री ने प्रत्युत्तर देते समय यह आपत्ति की कि इस प्रकार के प्रदर्शन की यहां पर आवश्यकता नहीं थी केवल कीमतों के बारे में संकेत मात्र किया जा सकता था । इस संबन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि यह परामर्श जो उन्होंने उनको दिया वे शायद मंत्री महोदय को देते जिन्होंने खुद ने इस प्रकार की वस्तुओं का प्रदर्शन सदन में किया था तो ज्यादा अच्छा होता । मैं आज दवाइयों की विभागीय खरीद में हुई अनियमितताओं के बारे में इस प्रकार के तथ्य रखने की कोशिश करूंगा जिसके आधार पर, अध्यक्ष महोदय, सदन को गंभीरता से, मैं समझता हूं कि सोचना होगा कि जो ? २० परसेंट की बढ़ोत्तरी हमने की है वह वाजिब है या नहीं और हमारे द्वारा दिये जाने वाले धन का सही माने में उपयोग होगा या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, सन् ५६ में दवाइयां की खरीद के लिये इस विभाग ने टेन्डर आमंत्रित किये और वे अप्रेल, १६५६ में किये गये । अप्रेल, १६५६ में टेन्डर कॉल करने के बाद हमें इस बात का सख्त अफसोस है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक्टूबर, १६५६ तक टेन्डर एप्रुव नहीं किये । आखिर इन ६ महीनों में दवाइयें किस आधार पर खरीदी गईं, कौनसी एप्रूव्ड रेट लागू की गई थी ? समझ में नहीं आता कि ६ महीने तक टेन्डर लेने पर भी उसको एप्रुव नहीं करने में क्या राज था, कौनसा रहस्य उसके पीछे काम कर रहा था, कौनसा रहस्य छिपा हुआ था ? मैं यह निवेदन करूंगा कि इस समय में आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों ने मनमाने ढंग से दवाइयों की खरीद की । मैं आपको बताना चाहता हूं कि दौसा के इन्चार्ज मेडिकल ऑफिसर ने एस्प्रीन ६ रुपये पौंड के हिसाब से खरीदी और आपकी ४॥ रु० पौन्ड के हिसाब से एप्रुव हुई । १॥ रु० प्रति पौंड के पीछे ज्यादा दिया गया । आपके यहां पर बहुत सी डिस्पेन्सरीज़ हैं और सब जगह दवाइयों की खरीद हुई होगी इसलिये इस तरह से लगभग २० हज़ार का नुकसान हुआ होगा ।' यह तो एक डिस्ट्रिक्ट का आता है । इस प्रकार कितने डिस्ट्रिक्ट्स में कितने आइटम्स दवाइयों की खरीद के होंगे । इसका अन्दाज़ा लगावें तो मैं, अध्यक्ष महोदय, कहूंगा कि लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है । इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि टेन्डर इन्वाइट किये और उनको एप्रुव किया गया । एप्रुव करने में जो टेन्डरों की शर्तें थीं वे इस प्रकार से थीं कि इन शर्तों की पूर्ति की जावे ।

"Rates and necessary particulars should be filed in legibly and clearly in the quotations which should be duly signed at the bottom of each page. All rates quoted must be F. O. R. destination anywhere in Rajasthan by goods train and exclusive of Customs Duty and Sale Tax, if any.

Only manufacturers or their sole distributors or importers need tender. The tender must be supported with the necessary documents showing licence number and Registration No. of the firm or any other document in support of their authority to tender in that capacity.

Page No.56

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Supplies are required to be made direct at the destination of the various purchasing Officers of the Deptt. on receipt of the orders. Normally all orders will be executed by the supplying firms within 15 days from the date of the receipt of orders.

All drugs and chemicals should be of B. P. or B P. C. standard. C. Standard may not be considered.

All the stores supplied shall be of the best quality to the specifications, trade mark laid down for them and in strict accordance with and quite to the approved standard samplesand in case of any materials of which there are no standards or approved supplies, supplies shall be of the very best quality and description obtainable in India."

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कन्डीशन्स लगी हैं । इसके साथ साथ आइटम नं० २२ में लिखा है : "A Certificate from the authority that they have cleared all Sales Tax dues for the purpose..." इन सारी शर्तों के साथ मंगाया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेडिकल और स्टोर्स के बारे में खरीद के लिये एक पर्चेजिंग कमेटी बनाई हुई है । उसमें विभाग के डाइरेक्टर और दूसरे लोग भी हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी दूं कि जितने टेन्डर थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उनमें से अधिकांश फर्म ऐसे हैं जिनके बारे में दावे से कह सकता हूं कि वे उन दवाइयों के मेन्युफेक्चरर्स नहीं हैं और न सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और न एजेन्ट्स हैं । वे ऐसा करते हैं कि इधर से माल लिया और उधर पेक किया और भेज दिया । मैं माननीय हैल्थ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की फर्में हैं जिन्होंने टैक्स भी जमा नहीं कराया । मैं समझता हूँ कि मुझे इस सम्बन्ध में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहिये क्योंकि समय थोड़ा है और मुझे काफी कहना है । इसलिये जितना संक्षेप में रख सकूंगा रखने की कोशिश करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जितने टेन्डर्स आये थे उसमें से अधिकांश फर्मों के टेन्डर्स रिजेक्ट कर दिये गये और ६६ फर्मों के टेन्डर्स एप्रुव किये और जिनको बाद में एप्रुव किया उनके बारे में भी टेन्डर्स में जो कन्डीशन्स थीं उनके बारे में कोई ध्यान नहीं रखा गया । मेन्यूफेक्चरर्स नहीं हैं । कई इस प्रकार के हैं जो कि मेन डिस्ट्रिब्युटर्स नहीं हैं । कई आर्टिकल्स अनरजिस्टर्ड और अन लाइसेन्सड फर्म्स के द्वारा सप्लाई किये गये हैं । जिस प्रकार की कन्डीशन्स लगायी गई हैं, जिस प्रकार से टेन्डर्स इन फर्म्स के एक्सेप्ट किये गये हैं मैं स्वास्थ्य मन्त्रीजी को चुनौती देता हूं कि जिन फर्म्स के लिए बताते हैं उनके लिए वे साबित कर दें कि वे स्टेन्डर्ड फर्म हैं । आपने बदावर एण्ड कम्पनी, दिल्ली का एक्सेप्ट किया, पालीवाल ब्रदर्स का एक्सेप्ट किया । इनके टेन्डर्स एक्सेप्ट करने से यह शंका होती है और यह साफ है कि जिन का एप्रोच था, ताकत थी उनका मंजूर किया, ज्यादा पैसा देकर उनका माल खरीदा । मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कानून के अन्तर्गत जिस आदमी पर मुकदमा चले, जिस आदमी को रेड हैन्डेड कैच किया जाय, अदालत में जिन पर मुकदमा चले, जुर्माना हो उनके क्यों टेन्डर एक्सेप्ट करेंगे, इसका वे जवाब दें ? ऐसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फर्म्स हैं जैसे बदावर एण्ड कम्पनी जिसके सारे आइटम्स मंजूर किये हैं। इस फर्म्स से ब्लैक में एक्सेप्ट किया । इसी फर्म के ८३ आइटम्स को एक्सेप्ट किया । इस फर्म के बारे में अध्यक्ष महोदय, इतना निवेदन कर दूं कि बदावर एण्ड कंपनी दिल्ली की है, this was prosecuted in the Court of Sheo Das Tyagi, and fined Rs. 1000/-for selling and manufacturing Sub standard products. This fact can be verified from the Drug Controller, Delhi. अध्यक्ष महोदय इस प्रकार के ये कन्सर्न्स हैं । इतना ही नहीं, राजस्थान फार्मेसी, जिसकी राजस्थान फार्मेस्युटिकल लेबोरेटरी, ३३ आइटम्स इसके स्वीकार किये हैं । उनका भी प्रोसिक्युशन हुआ है । सल्फाडाइजिन टैबलेट के केस में अहमदाबाद में पकड़ा गया, बड़ौदा में केस चला । केसेज़ कोर्ट में चले हैं और कोर्ट में फाइनल हुए हैं । आपने ऐसी फर्म्स के टेन्डर्स मंजूर किये, दूसरे के रद्द कर दिये, जो स्टेन्डर्ड फर्म्स हैं उनके रद्द कर दिये । मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए कि उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि एक ही फर्म के आइटम्स को मंजूर किया और इसके साथ खूबी यह है कि एक ही आइटम टेन्डर में दो जगह पर एपियर होता है । टेन्डर में रख दिया गया है और शर्त में लिखा है कि ऑन मेक की चीज़ है ! इसके लिए सेल लाइसेन्स होना चाहिये, ऑथोराइज़्ड होना चाहिये । कुछ नहीं । दो–चार आइटम्स के बारे में मैं तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं । इसी टेन्डर में आइटम २ और २६६ है । ११ हजार गेलन रेक्टीफाइड स्प्रिट खरीदा । प्रेस्टोफार्म कम्पनी, जयपुर में है उससे खरीदा। मैं यह नहीं बताना चाहता कि इस कम्पनी को किनका संरक्षण प्राप्त है । किसी का सम्बन्धी हो, भाई हो, कोई सम्बन्धी हो, किसी का संरक्षण हो, इस सदन में कई बार चार्ज लगाये गये। एक बार नहीं कई बार चार्ज लगाये गये, चाहे ट्रान्सफर का मामला हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हो, डिप्टी रजिस्ट्रार हो, एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज में हो, कहीं पर किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सिवाय इसके कोई क्राइटेरिया नहीं कि वह किसी मंत्री महोदय का सम्बन्धी हो, रिश्तेदार हो, उनका कृपा पात्र हो, किसी का हाथ उस पर होना चाहिये । ये सब कुछ टेन्डरर्स की भी क्वालिफिकेशन्स हैं कि मंत्री महोदय का कृपा–पात्र होना चाहिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को वेग एलीगेशन्स नहीं करने चाहिये । यह एक वेग बात कह दी कि सब जगह ऐसी बात हो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसी प्रेस्टोफार्म कम्पनी के ऊपर हाथ है, मंत्रियों के सम्बन्धियों की है ।

एक सदस्य माननीय: किनकी है, बता दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां बैठे हुओं में से किसी की है । ११ हजार गेलन रेक्टिफाइड स्प्रिट....

श्री चन्दनमल वैद : (सरदारशहर) यहां बैठे में से किसकी है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने कहा यहां बैठे हुए में से किसी के सम्बन्धी की है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आप जानना चाहेंगे तो मैं बाद में आपको बता दूंगा ।

११ हजार गैलन रेक्टिफाइड स्प्रिट चार रुपया पर-गैलन में खरीदी रेक्टिफाइड। स्प्रिट ऐसे कोई बना नहीं सकता। इसके लिए लाइसेन्स रखना जरूरी है, बेचने के लिए लाइसेन्स चाहिये। इसके लिए एक्साइज़ का लाइसेन्स रखना चाहिये। लेकिन लिख दिया गया ऑन मेक की रेक्टिफाइड स्प्रिट। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कौनसे एक्साइज डिपार्टमेंट से इसको लाइसेन्स प्राप्त है। यह तो देखते नहीं और यों ही आंख मींच कर ले लिया। यह जान-बूझ कर लिया गया या कृपा-पात्र होने से लिया गया या किसी का सम्बन्धी होने से लिया गया। राजस्थान गवर्नमेंट यदि इस रेक्टिफाइड स्प्रिट को चाहे तो यू. पी डिस्ट्रिलरी से यू. पी गवर्नमेंट द्वारा १॥) पर गैलन में मुहैया कर सकती है। लेकिन इसको आपने चार रुपया पर-गैलन में खरीदा। वह आपको १॥) पर-गैलन में मिल सकती थी। इससे राजस्थान को २२ हजार रुपये का नुकसान हुआ। किसी को एम्प्लॉय करना है, किसी पर महरबानी करनी है, किसी पर नज़रेइनायत करनी है तो कैसे किया जावे ? स्प्रिट विलीगीनी । आइटम नं०........ यह एक तरह की ब्रान्डी है इसको आप १४) पर-पौन्ड में खरीद सकते थे। डिस्टिलरी गंगानगर में है वहां से खरीद सकते थे। माननीय मंत्री महोदय कहेंगे कि माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है कि वहां से सप्लाई नहीं हो सकती है। लेकिन गवर्नमेन्ट लेवल पर ड्यूटी फ्री तो मिल सकती थी। ४॥) के हिसाब से २२ औंस की एक बड़ी शीशी खरीदी जा सकती थी जब कि ७५) पौंड के हिसाब से खरीदी। लाइसेन्स उसके पास नहीं है, फिर भी खरीदी, नजरे इनायत जो करना है, चाहे लाइसेन्स हो या न हो, एक्साइज़ का लाइसेन्स उसके पास हो या न हो।

एक सोडियम क्लोराइड है। टेन्डर में लिखा है सोडियम क्लोराइड । उसको रिफाइन सॉल्ट करके खरीदा है। मंत्री महोदय चाहें तो वे देख सकते हैं। जो ऑर्डर प्लेस किया उसमें लिखा है सोडियम क्लोराइड और खरीदते हैं रिफाइन्ड सॉल्ट। कीमत देते हैं ७० पैसे के हिसाब से। १० पैसे में बिकने वाला वह रिफाइन्ड सॉल्ट ७० नये पैसे में खरीदा जाता है। आज भी बाजार में छोटी २ थैलियों में रिफाइन्ड सॉल्ट बेचा जाता है। यदि आप सोडियम क्लोराइड नहीं खरीदते तो टेन्डर में कह देते कि सोडियम क्लोराइड नहीं खरीदेंगे। खरीद करते हैं रिफाइन्ड सॉल्ट जिसकी कीमत देते हैं ७० नये पैसे जब कि उसकी कीमत है दस नये पैसे।

इसी टेन्डर में स्पेसिफिकली लिखा था कि बैस्ट चीजें खरीदेंगे जो हिन्दुस्तान में जिनाइन हैं। आइटम नं० १७०, १६०, १७३ कई चीजें खरीदी हैं। कई तो सिन्थेटिक हैं, कई कॉमर्शियल हैं और कई आर्टिफिशियल हैं, कई नॉन जिनाइन हैं। आपने टेन्डर में शर्त लगायी है कि बैस्ट बैस्ट चीजें खरीदेंगे जो कि जिनाइन हैं, बी. पी. बी. पी. सी. हैं खरीदेंगे। लेकिन आपनेमे डीकल यूज़ के लिये ये चीजें खरीदीं कि जो या तो कॉमर्शियल हैं, सिन्थेटिक हैं, नॉन जिनाइन हैं लेकिन इसलिए खरीदी कि आपको तो टेन्डर मंजूर करना था बदावर एण्ड कम्पनी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का, मेडिकल के काम में आये या न आवे। लेकिन चाहे वे कोमर्शियल हों, चाहे वे सिन्थेटिक हों, चाहें वे आर्टिफिशियल हों, नॉन जिनाइन हों. आपको तो उससे खरीदना था इसलिए खरीद लिया। इस तरह की घटना हुई हैं, अध्यक्ष महोदय।

उदाहरण के लिए और बताऊं, ब्लिचिंग पाउडर है। स्टेन्डर्ड यूज़ का ब्लिचिंग पाउडर रोहतास बनाने वाले हैं। स्टेन्डर्ड चीज़ है। ब्लीचिंग पाउडर ८७)रु. पर हन्डरवेट के नाम से खरीदा है और यदि यही ब्लीचिंग पाउडर, बाजार में जाना चाहें और खरीदना चाहें तो ३०) रु. पर हन्डरवेट के हिसाब से मिल सकता है। जो ३०), ४०) रु. में बाजार में मिल सकता है उसका ८७) रु. पर हन्डरवेट देते हैं। हिन्दुस्तान में ये स्टेन्डर्ड कन्सर्न हैं, रोहतास, मेटल्स एण्ड केमिकल्स टाटाज़। ये तीनों मेन्युफेक्चरर्स हैं और स्टेन्डर्ड कम्पनियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बदावर एण्ड कम्पनी इसकी मेन्युफेक्चर है? इसकी मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी है रोहितास और टाटा फिर आपने उससे क्यों टेन्डर एक्सेप्ट कर लिया? इस तरह से केवल ब्लीचिंग पाउडर की खरीद में ३० हजार रुपये का नुकसान सरकार को रहा है। ऐसे एक आइटम नहीं, अनेक हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इस विभाग में काफी घोटाला है। आगे भी आप दस लाख की पर्चेजेज़ करने वाले हैं। इसी हिसाब से इसका भी केल्कुशन किया जाय तो लाखों रुपये का घाटा इसमें होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, यदि यही पहली बार गल्ती होती तो मैं कुछ नहीं कहता मैं सोचता आगे इसको सुधार लिया जायगा दस लाख में से एक लाख का नुकसान होजाय और आगे के लिये सबक मिल जाता है और जो हमने सुझाव दिया है उसके अनुसार चला जाय तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अगली बार दुरुस्त कर लेंगे तो अगली बार घोटाला नहीं होगा। इतना होने पर भी मैं सन्तोष कर लेता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप हिमाकत तो देखिये, इस साल तो किया सो तो किया आइन्दा सालों के लिये भी इन्हीं को अधिकृत कर दिया गया मेडिसिन्स सप्लाई करने के लिये। एक सर्कुलर निकला है स्टोर्स पर्चेज़ कमेटी से उसमें लिखा गया है कि हमारे ये ही रेट्स अगली साल के लिये भी रहेंगे, अगले साल के लिये टेन्डर इन्वाइट करने की जरूरत नहीं। आप अगले साल के लिये ही क्यों पांच-दस साल के लिये मोनोपोली दे दीजिये। यही तरीका आप दूसरे डिपार्टमेन्टस के लिये भी लागू कर दें आपको कौन कहने वाला है? टेन्डर्स इन्वाइट करने की तकलीफ ही क्यों करते है? आज जिन चीजों की कीमतें एक रोज कुछ रहती हैं वे दूसरे रोज कुछ हो जाती है ऐसी चीजों की खरीद के लिये आप किसी को ऑथेराइज करते हैं और उसी रेट पर जो आपने पहले साल ली है तो उससे नुकसान होने वाला है। इन चीजों की कीमतें इम्पोर्ट पोज़ीशन पर निर्भर करती हैं मेन्युफेक्चरिंग पोजीशन पर निर्भर करती है। राजस्थान सरकार ने २२ जनवरी, १९६० को, यह कह दिया जब कि ऑक्टूबर में जो दवाइयें खरीदी गई थी वे अभी तक पहुंची नहीं पिछले साल का सारा माल आया नहीं ६ महीने इन्तजार करते रहे अगले साल के लिये सोचा कौन टेन्डर्स इनवाइट करेगा तो एक सर्कुलर शाया होता है २२ जनवरी, १९६० को "The Department is considering to extend the

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

present rate contract of the year 1959/60 for supply of drugs medicines, instruments, equipments etc. to the next financial year commencing from 1. 4. 60 to 31. 3. 61 on the same terms and conditions the rates already approved with you for this year ending 31. 3. 1960." आप मोनोपोली ही दे दें। जिस तरह पानरवा कांड में आपने ठेका दे दिया पांच साल के लिये उसी तरह से आप इन कम्पनियों को भी पांच-दस साल की मोनोपोली दे दीजिये। कौन झंझट करेगा, हर साल के लिये, कौन कोटेशन्स मांगे ; आप उन्हीं को सप्लाई करने की मोनोपोली दे दीजिये। कोई हिसाब नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में माननीय मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं। कई बार वे कहते हैं बातें तो आप बहुत कर देते हैं किन्तु कोई कॉन्क्रीट सुझाव नहीं देते। मैं इस बारे में ठोस सुझाव देना चाहता हूं राजस्थान सरकार करीब दस लाख रुपये की औषधियां खरीद करती है मेडिकेटेड ड्रग्ज़, सरजिकल इन्स्ट्रूमेन्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आदि भी आप खरीद करते हैं। मेरा अन्दाज गलत नहीं होगा तो सब, कुल मिलाकर मेडिकल ईन्स्ट्रूमेंन्टस औषधियां आदि मिला कर कुल खरीद १ करोड़ रुपये की होती है जहां सब विभागों का मिला कर १ करोड़ रुपये की खरीद होती है तो इसके लिये सेन्ट्रल स्टोर्स गवर्नमेन्ट लेवल पर स्थापित आप करदें। गवर्नमेन्ट लेवल पर कर दीजिये और वहां से आप सब विभागों को सप्लाई करते रहिये। इससे आपके टेन्डर इन्वाइट करने की नौबत नहीं रहेगी और लोकल मार्केट में जाकर जो चीजें खरीदनी होती हैं वह नहीं हो पायेगी और मनमानी भी नहीं चल सकेगी आपको भी सुविधा हो जायेगी। इसलिये आप मेडिकल स्टोर राजस्थान गवर्नमेन्ट की ओर से स्थापित करिये जहां करोड़ों रुपये की दवाइयों का खर्च है वहां इसको आप कॉमर्शियल लाइन पर चलाइये। जितनी भी विभागों को दवाइयों की आवश्यकता हो वह इन्डेन्ट करके आपसे ले सकते हैं। इससे आपके लिये भी इस प्रकार की बातें सुनने का सवाल खड़ा नहीं होगा और हर विभाग को अनिवार्य रूप से वहीं से मेडीसन लेनी होगी। जहां तक इस विभाग की खरीददारी का सवाल है इस बारे में सरकार को भी गंभीरता से सोचना चाहिये। इस मामले को हंस कर या मामूली समझ कर न टालें। आपको किसी को प्रोटेक्शन देनी है तो आप यह मत कहिये कि जो कुछ कहा गया वह सही नहीं है। हम किसी को हरेस करने के लिये कोई बात नहीं कहते किसी को विक्टीमाइज़ करने या फिजूल हयुमिलियेट करने के लिये यह सवाल खड़ा नहीं किया जाता गड़बड़ हुई है और इसमें राजस्थान सरकार को काफी नुकसान हुआ है वह मैंने सदन के सामने रखा है। इस संबन्ध में माननीय मन्त्री महोदय पूरी जानकारी करके और मेरे पास जो तथ्य हैं, जो कागजात हैं वह भी मैं आपके डिसपोज़ल पर रखने के लिये तैयार हूं आप इस बारे में जांच करके उचित कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय, एक सवाल खड़ा होता है इन्डियन मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेद के सम्बन्ध में। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा जहां तक आयुर्वेद का सम्बन्ध है इसके साथ तो ऐसा व्यवहार चलता है हालांकि माननीय मन्त्री महोदय सहानुभूति

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो बहुत रखते हैं लेकिन इस आयुर्वेद का हाल यह है कि जैसे किसी के घर में दो औरतें हों और उनमें से एक ताकतवर हो तो दूसरे के साथ जो सौतेला व्यवहार होता है वही व्यवहार इस आयुर्वेद के साथ हो रहा है, इतनी ही ज्यादती इस विभाग के साथ हो रही है....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तो इसके अलग मन्त्री हो गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन कभी कभी असर तो पुराना चला करता है। मैं निवेदन यह कर रहा था आयुर्वेद विभाग के लिये या तो यह कहा जा सकता है कि यह विभाग नये मन्त्री महोदय को दिया गया है जो बहुत सरल और सज्जन हैं इनका ज्यादा जोर नहीं चलता आप ज्यादा ले लेते हैं। इस विभाग के वैद्यों की हालत तो ऐसी है जैसी फोर्थ क्लास सरवेन्ट के बारे में कहा जाय उनकी हालत भी इससे अच्छी नहीं है। राजस्थान में आयुर्वेद के सम्बन्ध में उसके संरक्षण की दृष्टि से जो कुछ किया जाना चाहिये वह नहो किया जा रहा है। इस बारे में माननीय मन्त्री महोदय से आशा करूंगा उनको यह विभाग नया मिला है इस सम्बन्ध में समुचित ध्यान देंगे। वैद्यों की हालत कुछ ऐसी है कि वैद्य और डॉक्टरों के बारे में कुछ ऐसा लगता है बहुत बड़ा भ्रम है। एक तो सूट पहिनकर रहता है और दूसरा धोती पहिनना है। इस कारण डॉक्टर को कहा जाता है यह बहुत अच्छा है इसका जरूर इलाज कराना चाहिये। बड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान हम डॉक्टर को देते हैं दूसरी तरफ वैद्य जो धोती पहिनता है, जमीन पर पालथी मार कर बैठता है और अपनी प्रणाली से दवाई आदि देता है उसकी इज्जत कम की जाती है। यह मैं नहीं करता जनता नहीं करती बल्कि सरकारी स्तर पर यह किया जाता है। हमारे यहां कान्फ्रेन्सेज़ होती हैं। डॉक्टर्स की कॉनफरेन्स होती है तो उनको सरकार की तरफ से एटहोम दिया जाता है और जहां वैद्यों की कॉन्फ्रेन्स होती है वहां उनको चाय तक के लिये नहीं पूछा जाता। इस तरह से गवर्नमेंट लेवल पर हम डिफ्रेन्शियेशन करते हैं। इस तरह का भेद–भाव सरकार की ओर से किया जाता है डॉक्टरों और वैद्यों में। इस कारण मैं आशा नहीं कर सकता कि इन दोनों विभागों में किसी प्रकार का समन्वय हो सकेगा। दोनों विभाग अपनी अपनी चिकित्सा पद्धति चलाते हैं और हम चाहते हैं कि दोनों साथ साथ चलें। लेकिन जो इस प्रकार का डिस्क्रिमिशन होता है उससे एक दूसरे की टांग लड़ेगी। कोशिश यह होगी मेडिकल साइड वाले चाहेंगे कि आयुर्वेद वालों को नीचे रखा जाय। आज आयुर्वेद पद्धति स्वावलम्बी नहीं है। इस पद्धति को सर्वमान्य पद्धति हमारी सरकार और भारत सरकार ने माना है। चिकित्सा के विषय में इस पद्धति को स्थायी पद्धति माना है और इसी तरह से हम लोगों ने इसके लिये बजट में व्यवस्था की है। लेकिन जितना समुचित विकास और संरक्षण इस पद्धति को मिलना चाहिये उतने औषधालय और डिस्पेन्सरीज़ खुलते नहीं। वैद्यों की तनख्वाह के बारे में विचार करें तो आपको मालूम होगा उनके लिये यह समझा जाता है कि ये तो धोती पहिनते हैं, इनके घरों में चाय के कप

Page No.62

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं हैं, अपने साधारण तरीके से रहते हैं इसलिये इनके कोई खर्चा नहीं इसलिये इनकी थोड़ी तनख्वाह रखी गई है। ये तो जमीन पर पालथी मार कर बैठने वाले व्यक्ति हैं । इसी प्रकार मेडिकल विभाग के मन्त्री तो धोती पहनते हैं और आयुर्वेद विभाग के मन्त्री पेन्ट पहनते हैं। जहां तक वैद्यों का सम्बन्ध है वे पालथी मारकर बैठते हैं मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का भेदभाव राजस्थान में ठीक नहीं। इस भेद भाव को दूर करना है। वैद्यों की तनख्वाएं, उनके भत्ते, सारे अन्य प्रिविलेजेज़ जो आप डॉक्टरों को आज देते हैं वे ही उनको देने होंगे। जिस स्तर पर आज आपका एक मेडिकल डॉक्टर है उसी स्तर पर वैद्यों को रखना होगा । मेडिकल कॉलेज में आज जो फेसीलिटीज़ आप दे रहे हैं वे सारी की सारी फेसीलिटीज आपको आयुर्वेद कॉलेज में देनी होंगी। जो रिसर्च की फेसीलिटीज़ आपने मेडिकल पद्धति को दे रखी हैं वह सारी आयुर्वेद को देनी होंगीं। आयुर्वेद के विद्यार्थी को स्कॉलरशिप देना होगा। आगे पढ़ने के लिये लोगों को भेजना होगा ।

तो मैं समझता हूं आप यह सब कुछ करेंगे और आज वैद्यों की आर्थिक दृष्टि से जो दयनीय दशा कर रखी है आप उसे दूर करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने दो कटौती के प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत से कट मोशन्स रखे हैं। मैं यह समझता हूँ कि इस विज्ञान के युग में अच्छे डॉक्टरों की कमी नहीं है तो अच्छे वैद्यों और हकीमों की भी जरूरत नहीं है । दवाइयों की दूकानें भी बहुत बढ़ी हैं। लेकिन सवाल है जेब में पैसा चाहिये । हमें सारी सुविधाएं जो आज उपलब्ध हैं खरीद सकते हैं पर सवाल है कि जेब में पैसा है या नहीं और पैसा जिसके पास नहीं उसके लिये हम चाहते हैं कि सरकार व्यवस्था करे। यह सवाल है। अगर यह व्यवस्था सरकार करती है तब तो हम समझते हैं कि वह अपना कर्त्तव्य अदा करती है, अन्यथा नहीं।

सरकार की नीति जो इस बारे में है वह भी अजीब तरह की है। जिन लोगों के पास आर्थिक अभाव है, जो अपने यहां अस्पताल की बिल्डिंग आदि नहीं बना सकते वहां सरकार अस्पताल खोलने को तैयार नहीं। पर जहां पैसा है वहां सरकार भी डॉक्टर भेज सकती है, सब कुछ कर सकती है । मतलब यह हुआ कि जिसके पास धन-दौलत है, अस्पताल की बिल्डिंगें वगैरह बनवा सकते हैं सरकार भी वहीं अस्पताल खोल सकती है और वहीं मेडिकल सेवाएं उपलब्ध करा सकती है । यह सरकार की अच्छी नीति नहीं है ।

जोधपुर से चल कर पाली आने तक ४५ मील रास्ते में सड़क के बाद १०–२० मील किसी तरफ आप चले जाइये, नाम मात्र को भी औषधालाय नहीं है, न दवाखाना है और न प्राइमरी हैल्थ सेन्टर भी है । मेरे खयाल से वहां आसपास में ६० हजार की जन संख्या है । वहां यह हालत है । वहां सारे गरीब लोग रहते हैं। वे पैसा लगा कर बिल्डिंग आदि कुछ नहीं बना सकते और

(श्री मूलचन्द डागा)

इसलिये सरकार भी कोई मेडिकल सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकती। उदयपुर वालों के लिये आज काफी सुविधाएं हैं। वहां काफी अस्पताल और औषधालय और हैल्थ सेन्टर हैं। पर वहां पाली जिले के इस एरिया में एक भी नाम मात्र का औषधालय नहीं है, न कोई हैल्थ सेन्टर है। और जब हैल्थ सर्वे एण्ड डेवलपमेंट कमीशन ने रिकमन्डेशन की। सवाल यह आता है कि जहां लोग सुविधाएं जुटाने में असमर्थ हैं आप वहां क्या इन्तजाम करते हैं ? तो इसके लिये दो बातों की ओर कमीशन ने ध्यान खींचा है : "That the service should be available to all citizens irrespective of their ability to pay and that it should be a complete medical service." वहां कुछ सुविधाएं नहीं हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर दिये। पंचायत समिति कहती हैं, बैठकें होती हैं, बातें होती हैं; पर ये बातें करते करते थक जाते हैं, होता कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं ? एक अंग को तो आप काफी सुविधाएं दे रहे हैं दूसरे को आप कमजोर रखना चाहते हैं क्या ? आप क्या यह चाहते हैं कि उस अंग को मेडिकल सर्विस नहीं मिले ?

दूसरे कट मोशन के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि पाली जिले में आयुर्वेद औषधालय को ए क्लास का किया गया। यह व्यवस्था करने के बाद भी आज तक आप वहां कभी सुबह, शाम, रात को चले जावें आप आवाज देंगे तो वैद्य नहीं मिलेंगे; आपको स्कूल के इन्सपेक्टर साहब मिलेंगे। जो बिल्डिंग वैद्य के लिये है उसमें आज इन्सपेक्टर स्कूल्स रहते हैं। वह डॉक्टर के रहने की जगह रही है और आज औषधालय के लिये अलाट की गई है। पर उसे इसके लिये उपयोग में नहीं लाने दिया जा रहा है। आज जिले का जो शासन है उसका विकेन्द्रीकरण हो चुका है। सारे क्लर्क पंचायत समितियों में चले गये हैं।

१. ३५ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

सारी बिल्डिंग सरकार खाली करा सकती है और काफी बिल्डिंगें सरकार के पास खाली पड़ी हैं, पर यह नहीं कर पा रही है।

श्री भीखाभाई (आयुर्वेद मंत्री): इसको श्रेणी कब बदली, कौनसी तारीख से बदली है ?

श्री मूलचन्द डागा : आप बजट में देखिये। आपको मालूम होगा नहीं होगा तो भी वह बिल्डिंग तो दीजियेगा। यह कमजोरी है हमारी कि हम जो उस विभाग को जगह देनी चाहिये तो फिर क्यों नहीं देते। आपको ऐसी हिचकिचाहट क्या है ? पुरानी अस्पताल की वह बिल्डिंग है। उसे आप दीजिये इसको।

मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं आपके डाक्टरों के मामलों में। आप उनको इन्साफ नहीं दे पाते। सर्विसेज के बारे में बड़ी बेइन्साफी होती है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर लोग भी सेवाभावी बनें। वे अस्पताल को सेवा का मन्दिर समझें। मिशन के रूप में समझ कर मिशनरी की तरह काम करें। जहां मिशनरी अस्पताल बने हुए हैं उनको

Page No.64

(श्री मूलचन्द डागा)

हालत में और हमारी हालत में आज जमीन आसमान का अन्तर है। उनके डॉक्टरों के दिल में कुछ और भावना रहती है और इन सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों के दिलों में कुछ और भावना रहती है और यह बड़ा अन्तर है। यह हर एक जानता है। इसमें दो राय नहीं हो सकती। यह अन्तर मिटना चाहिये। आपको कुछ ऐसी स्पिरिट से काम करने की प्रेरणा उनको देनी चाहिये।

डॉक्टरों के अपॉइन्टमेंट्स में भी गड़बड़ियां आप करते हैं। इनमें भी झगड़े हैं। लोग रिप्रेजेन्टेशन करते हैं। दस-दस, बीस-बीस बार करते हैं पर आप ध्यान नहीं देते। इनका आप निर्णय और जल्दी जल्दी करें। मैं दो उदाहरण आपको इसके देना चाहता हूं।

पब्लिक सर्विस कमीशन के इन्टर्व्यू हुए १६५२ में और सी० ए० एस० फर्स्ट क्लास की लिस्ट पब्लिश हुई २७-४-५४ को। इस पर गवर्नमेंट ने अपनी सीनियोरिटी कायम की। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप इन पर ध्यान दें तो आपके विभाग का असन्तोष इनसे मिट सकता है। वह सीनियोरिटी कैसे कायम की ? बाई चान्स उस समय जो अस्पताल में काम करता था उसको तो चान्स मिल गया। आपने हॉस्पिटल की कैटेगरीज़ कीं कौन जुनियर है, कौन सीनियर है। तो क्लासेज़ में डिवाइड करने के पहले और वह हॉस्पिटल १६-५-५३ को रिकग्नाइज़ किए। तो उसमें क्या था कि जो जूनियर थे वे तो सीनियर हो गए और जो सीनियर थे वह जूनियर हो गए। जहां जूनियर काम करते थे वह सीनियर हो गए और जहां सीनियर काम करते थे वे जूनियर हो गए। केटेगरीज़ करने के पहले आपने नहीं सोचा कि हम किनको जूनियर और सीनियर बनाने जा रहे हैं और उसकी आपने एक लिस्ट आउट की। जो पहले एम० बी० बी० एस० पास कर चुके हैं, जिनकी सेवायें काफी हैं वह सीनियर हो चुके और उनको ग्रेड सीनियर का मिल चुका। उनको तो आपने सीनियर बना दिया और लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन किया और बड़ी खूबी की बात है कि आपके यहां उसका निर्णय नहीं होता। कोर्ट्स में अगर डिले होती है तो जस्टिस डिनाई होता है। अगर आपके यहां डिले होती है तो कोई उत्तर नहीं। आप फैसला दीजिए, आप अपनी ईमानदारी के आधार पर निर्णय दीजिए। लेकिन आपने क्या किया कि जिनकी सर्विसेज़ बहुत सीनियर हैं जिन्होंने एम० बी० बी० एस० पहले पास किया है उनको वह ग्रेड्स नहीं दी और उनके रिप्रेजेन्टेशन की कोई सुनवाई नहीं। मैंने यह बताया कि जो चिल्ड्रन्स स्पेशलिस्ट होते हैं, किसी ने एग्ज़ामिनेशन पास किया और उसको ये ग्रेड्स मिलती हैं और अलाउन्स मिलता है उसमें भी आपका यह डिस्टिंक्शन है। यानी जो रिप्रेजेन्टेशन देते हैं उनकी सुनवाई आप नहीं करते और न ही उन पर जल्दी से फैसला देते है। आपके विभाग का फाइनल निर्णय होना चाहिए, उनको सुनना चाहिए और सुन करके आपको निर्णय देना चाहिए। एक ही जगह पर काम करने वालों को इन्साफ नहीं मिलता तो समझिये कि क्या होता है ? डॉक्टरों की नियुक्ति में, सीनियोरिटी कायम करने में, लिस्ट बनाने में जो घोटाले होते हैं उन्हें आपको दूर करना चाहिए। डॉक्टर लोग अपनी बातें

(श्री मूलचन्द डागा)

रखते हैं और आप सुनवाई नहीं करते। मैंने एक बात रखी थी और वह यह रखी थी कि हम लोग डॉक्टरों को अपॉइन्टमेंट देते हैं। उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस चालू रहनी चाहिए या नहीं, यह भी एक विचार करने का सवाल है। मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट लॉ ग्रेजुएट है तो क्या आप उसको प्राइवेट प्रेक्टिस के लिए इजाजत दे देंगे ? क्या आप उसको इजाजत दे देंगे कि वह घर पर प्राइवेट प्रेक्टिस करे और किसी को सलाह दे ? आप एक डॉक्टर को पूरी तनख्वाह देने के बाद प्राइवेट प्रेक्टिस के लिए अलाउ करते हैं ? तो होता क्या है कि डॉक्टर लोग ड्युटी अवर्स में भी दूसरे मरीजों को अटेंड करने के लिये चले जाते हैं और उससे क्या होता है कि डॉक्टरों का अधिक ध्यान इस तरफ रहता है कि वह कितना ज्यादा कमा सकते हैं और कितनी अधिक प्राइवेट प्रेक्टिस जमा सकते हैं। इसके कारण अस्पताल में मरीजों को वह इलाज़ नहीं मिल सकता जो कि गरीब लोग चाहते हैं। इससे एक बात और होती है कि जब तक आप डॉक्टर को घर पर बुला कर जांच नहीं करवा लेंगे तब तक ठीक इलाज नहीं होता। बड़े आदमियों के लिए हो सकता है कि डॉक्टर लोग उनके यहां मुफ्त में आ जायें; मेरे खयाल से तो डॉक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। नहीं तो क्या होता है कि उससे हमारे हॉस्पिटल्स में कई बार शिकायतें होती हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि डॉक्टर लोग जो सर्टीफ़िकेट्स इश्यु करते हैं वह इतनी आसानी से करते हैं कि अक्सर करके बोर्ड में केसेज़ आते हैं। उनके मामले में ३२६ का केस बनाना बड़ा आसान हो जाता है। किसी को रखवाना हो तो डॉक्टरों से मिल जाइये। किसी को सिम्पल और किसी को ग्रीवियस इन्जरी करके सर्टीफिकेट दे देते हैं। आप किसी आदमी को जेल में बैठाना चाहते हैं तो डॉक्टर के हाथ में न्याय होता है, वह इन्जरी रिपोर्ट दे देता है....

श्री उपाध्यक्ष : And the balance is held by counsels.

श्री मूलचन्द डागा : इसलिए मैंने आपका ध्यान दिलाया कि जो इन्जरी रिपोर्ट्स....

श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर) : It is a very grave injustice, no doubt.

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री मूलचन्द डागा : अगर हमें कोर्ट से एग्जेम्पट होना है तो डॉक्टरों के पास ऐसी बीमारी है कि अगर वकील भी जिरह करें तो साफ फंस जाते हैं। मैं यह कह रहा था कि हमारे डॉक्टरों की बड़ी महत्ता है क्योंकि शासन व्यवस्था में डॉक्टरों की कई बातों से गड़बड़ी फैल सकती है। यह हम सब लोग समझते हैं और इन बातों की ओर हमारा झुकाव होना चाहिए।

वैद्यों के बारे में मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता ने कहा। इसके लिए मुझे दो बातें कहनी हैं। मैंने एक बात देखी है कि आपका अलवर का रहने वाला कोई वैद्य है या कहीं और का है उनकी तनख्वाह तो बहुत कम है और कम्पाउन्डर्स जो

Page No.66

(श्री मूलचन्द डागा)

भरतपुर जिले के हैं वह जैतारण में हैं, जालोर में हैं । आयुर्वेद के कम्पाउन्डर्स को दूर भेजने की कोशिश करते हैं और आप लिस्ट उठा कर देखिये जो आसानी से अपने घर पर रह सकते हैं उनको तो वहां नहीं रखा जाता है और उनको अपने घर से बहुत दूर फेंक दिया जाता है । तो उनको इतनी दूर रखा जाना भी एक दुविधा है ! तो मैं यह समझता हूँ कि मैंने अपनी सब बातें संक्षेप में कह दी हैं ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इन कटौती के प्रस्तावों में यह मांग नहीं की है कि पावटा में जहां दो डॉक्टर्स काम करते थे वहां पर इस विभाग ने एक कर दिया है। कोटपुतली अस्पताल में जहां दवाइयों और बैड्स की कमी है या जनाना अस्पताल में जहां आसानी से दवाइयां नहीं दी जाती और ४०,००० रुपये जनता से लिया गया है और वहां किसी प्रकार का प्रबंध नहीं है बल्कि मेरे इस कटौती के प्रस्ताव में केवल इतनी सी मांग है कि वहां जो ठिकाने टाइम से कर्मचारी काम करते थे उनका फिक्सेशन करीब आज ६ साल हो गए नहीं किया गया है। यही नहीं, बल्कि सरकार ने केवल उनका फिक्सेशन करने में अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई सही भी बात कही हो....

इन तीन सालों के अर्से में जितनी भी विधान सभा की मीटिंगें हुईं उन मीटिंगों में मैंने प्रश्न के उत्तर में जब भी कोई पूरक प्रश्न किया या अन्य प्रकार से जानकारी चाही तो उस समय यह जवाब मिला कि बहुत जल्दी किया जा रहा है। इसके अलावा बजट सेशन में, वित्त मंत्री महोदय ने सप्लीमेंट्री डिमान्ड पर यह कहा कि इसके लिए मैं भी कोशिश करूं। यही नहीं, पिछले अधिवेशन में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्रीजी और उपमंत्रीजी ने एक झूठा आश्वासन दिया । इसके लिए मुझे खेद हुआ । यहां पर ३ दफा पूछा, उस पर यही जवाब दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order!! आपने उनका उल्लेख कर दिया लेकिन सदन के सामने वह स्थिति नहीं है। आपने यह भी कह दिया कि झूठा आश्वासन दिया तो कम से कम उनका रेफरेन्स हमारे सामने हो तो आश्वासन झूठा था या सही उसका परीक्षण किया जा सके ।

श्री रामकरणसिंह : मैं बता रहा हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप आरम्भ रखिये ।

श्री रामकरणसिंह : जैसा माननीय उपाध्यक्ष, आपने आदेश दिया मैं कुछ बयान करूं । जिस प्रकार से मैंने पिछला जो अभी सेशन हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा था कि ठिकाना खेतड़ी के कोटपुतली....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा मतलब यह कतई नहीं था कि आप प्रश्न को रखें । मैंने संकेत मात्र किया था कि समय ज्यादा ले लिया है ।

श्री रामकरणसिंह : इसके साथ जब सदन में इस प्रकार की सूचना दी गई तो मैं उप मंत्रीजी के निवास स्थान पर गया और इसके लिए वहां पर बातचीत की और माननीय मंत्री महोदय के पास सेक्रेटेरियट में गया । मिनिस्टर महोदय ने कहा कि लिखित

Page No.67

(श्री रामकरणसिंह)

में दो। मैंने लिखित में दिया और मेरा विश्वास था कि इस प्रकार से जब हाउस में सूचित किया था और बाद में लिख कर भी सूचित किया है उसका जवाब विभाग संतोष-जनक देगा तो एक पत्र मुझे अपने गांव में मिलता है सेक्रेटेरियेट का लिखा हुआ जिसमें नीचे 'आदित्यनाथ' नाम के कोई सेक्रेटरी है उनके साइन थे। उन्होंने जो लिखा उसकी जानकारी प्राप्त करके शायद सदन आश्चर्य करेगा। उन्होंने मुझ से ही जानकारी चाही कि आप हमें बता सकते हैं कि उनका यह फिक्सेशन क्यों नहीं हुआ और नहीं हुआ तो आपने इस प्रकार का जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न की जानकारी पूरी दें ताकि उसकी मदद से जानकारी-कर सकें? उसके बाद मैंने जो पत्र लिखा उसकी पूरी जानकारी दी। मैंने तारीख दी और यह बताया कि फिक्सेशन के बारे में आपके विभाग से मैंने फलां तारीख को पूछा था तो उसका जवाब गलत मिला है....

श्री उपाध्यक्ष : आप इसी प्रश्न पर आ जाते हैं कहते कहते, जब कि उससे इसका संबंध नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : फिक्सेशन के बारे में मेरा कटौती का प्रस्ताव है। यह मैंने अर्ज किया कि जिस प्रकार राजस्थान के मेडिकल विभाग और आयुर्वेदिक विभाग की तरफ से कहा जाता है कि बड़ी तरक्की कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उसके लिए मैं नहीं कहता कि कहना छोड़ दें। मैं कोटपुतली के लिए दावे से कहना चाहता हूं कि ठिकाने के टाइम में जो डिस्पेन्सरी थी और औषधालय था उसमें कमी की है। पहले भी मैंने अर्ज किया उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह बता रहा हूं कि आज इनमें काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनका ५४ से लेकर आज तक ६ साल तक फिक्सेशन नहीं हुआ। फिक्सेशन ही नहीं हुआ कोई बात नहीं लेकिन सदन में झूठी बातें कही गईं और उसके लिए सदन में वापिस बात कही गई कि फिक्सेशन हो गया है, आपको पूरी जानकारी नहीं है बल्कि पिछली ६ तारीख को माननीय मंत्रीजी पधारे थे कोटपुतली इसलिए वहां के जो कर्म-चारी थे उन्होंने अर्ज किया कि उनका फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है। इस प्रकार की जानकारी सदन को दी जाय। इसके बाद में मैं लिखित में दूँ और देने के बाद में एक सेक्रेटरी महोदय मुझसे ही जानकारी चाहें जो कि जब कि विभाग में नहीं मिल सकती हैं तो क्या एक एक एम. एल. ए. के पास में आर्गेनाइज्ड ढंग से ऑफिस चलता है कि वह हर प्रकार की जानकारी दे दे? इस प्रकार की चीज़ नहीं मिल सकेगी। उनको मैंने रेफरेन्स दे दिया, बाकायदा टाइम दे दिया कि फलां टाइम पर पूछा गया तथा उसका झूठा जबाब दिया गया। अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ। इस प्रकार की जान-कारी मुझे नहीं दी गई। वे करते क्या हैं कि इसके लिए साफ लिख दिया कि जब तक जानकारी नहीं देंगे....

श्री उपाध्यक्ष : वह फर्मा दिया है। तिबारा फर्मा रहे हैं। अभी ही तो फरमाया था।

श्री रामकरणसिंह : आप चाहें तो फिक्सेशन पर कटौती का प्रस्ताव नहीं रखूं।

श्री उपाध्यक्ष : मांग तो इत्मिनान से रखें लेकिन आप से चाहूंगा कि आप रिले-वेन्ट बोलें।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : बार बार इस तरह से इन्टरप्शन होते हैं, यह ठीक नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! I will not allow repetitions.

श्री दयाकृष्ण विजय : जितना टाइम दिया है उतने समय तो बोलने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, but not on irrelevant issues.

श्री रामकरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया है उसका बड़ी नम्रतापूर्वक पालन करता हुआ मैं यह चाहूंगा कि जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह फिक्सेशन के लिए है मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि वहां के कर्मचारियों का फिक्सेशन नहीं हुआ है । और सदन में जो बात कही गई है वह झूठी कही गई है । उसका रिपीटिशन जो सदन में किया गया है वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या चीज़ है । अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की बात नहीं कही जाय....

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो यहां तक व्यवस्था दे सकता हूं आपके संबंध में कि आपका सदन के बाहर किया हुआ पत्र । व्यवहार, उसका जब तक आप पहले रेफरेन्स नहीं दें तब तक नहीं ला सकते हैं । लेकिन मैं इस सम्बन्ध में बड़ा लिबरल रहा हूं । हां,आरम्भ रखिये ।

श्री रामकरणसिंह : मेरी जो सदन में बात हुई है वही रख रहा हूं कि इस प्रकार के जितने प्रश्न पूछे और अन्य प्रकार से जानकारी चाही तो जिस प्रकार का जवाब मिला अभी तक वह आधार रहित मिला और उस पर केवल यही कहा कि जल्दी से जल्दी विचार करेंगे बल्कि यह भी कह दिया कि उनका फिक्सेशन हो गया है । इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से झूठी जानकारी दी गई और उसके बाद में भी ६ साल तक उस पर किसी प्रकार का स्टेप नहीं लिया गया, यह बहुत ही अन्यायपूर्ण कदम है । इसलिए मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से वहां के कर्मचारियों को २६, २० और १६) रु० आज तक भी मिल रहे हैं इस मंहगाई के जमाने में तो उनकी तरफ ध्यान दिया जाय और उनका फिक्सेशन जल्दी से जल्दी किया जाय और यदि किसी प्रकार की इसके करने में कोई दिक्कत हो तो वह स्पष्ट बताई जाय और इस प्रकार के आश्वासन कि उनका फिक्सेशन हो गया है, इस प्रकार का आश्वासन कि जल्दी की जा रही है, इस प्रकार की बात नहीं कही जाय । मैं यही कहूँगा, माननीय उपाध्यक्ष इस प्रकार की बात नहीं कही जाय । तो उनसे आशा करता हूं कि दुबारा फिक्सेशन करके उन लोगों की मदद करेंगे ।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा—सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १६ पर मेरा कटौती प्रस्ताव है. ग्रामीण जनता को चिकित्सा से उपयुक्त लाभ नहीं मिलता है इस बात पर बहस करने के लिए । अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से पहले कितने ही माननीय सदस्यों ने अपने अपने कटौती प्रस्ताव रखे और मैं तो यह समझता था कि आज के युग में पैसे वालों का ही ज्यादा इलाज होता है, तो मैं अपने आप में यह सोचता था कि मेरे ही दिमाग

(श्री भैरवलाल 'काला बादल')

में यह भावना है। मेरे पूर्व कई माननीय सदस्य बोले तो मुझे संतोष हुआ कि सचमुच पैसे वालों का इलाज होता है। एक तरफ तो हम यह कहें कि सारा देश गांवों के आधार पर चलता है। आज जितने भी विकास के काम हैं उनका बोझ खुद ग्रामीण जनता पर है। तो मैं यह समझता हूं कि जब गांव की जनता हम से हर स्थिति में सहयोग करती है, हमें पैसा देती है, टैक्स देती है और पैदावार भी वही गांव के लोग देते हैं, सब कुछ सरकार को सहयोग देते हुए भी उनके इलाज की तरफ हमारी सरकार का ध्यान कम है। आज के गांव के लोगों की हालत खराब है। आज शहर के किसी सेठ को यदि काटने वाली मक्खी डंक लगा जाय तो डॉक्टर उसके घर तक दौड़ा जाता है और गांव की एक बेचारी महिला जो बच्चा होते समय शफाखाने के दरवाजे पर तीन-तीन दिन तक पड़ी रहे तो भी उसको भर्ती होने के लिये स्थान नहीं मिलता है। यह आज गांव के लोगों की हालत है। गांव के लोग इतने सीधे सादे हैं कि डॉक्टर के पास आसानी से नहीं पहुंच सकता। एक डॉक्टर के पास जा जा-कर कहता है कि महाराज मेरे बादी की बीमारी है, बदन अकड़ रहा है, शरीर में दर्द है, कान में चटक चलती है, दांत में पीड़ा है और पसली भी दर्द करती है....

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो बहुत बीमारियाँ रह गई हैं, पैर में दर्द है....

श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर) : पसली में दर्द है।

श्री भैरवलाल काला बादल : बादी की बीमारी से ये कई बीमारियां शुरू हुई हैं। सफाखाने में डॉक्टर कहते हैं क्या बात है, तब वह जवाब देता है कि मुझे बादी की शिकायत है उसकी वजह से इतनी बीमारियां हैं। तब डॉक्टर उससे कहता है कि कान में पीडा हैं तो उस वार्ड में जाओ, वहां पर कान का टिकट अलग बनाना पड़ता है, फिर वह कहता है सिर में दर्द है तो उस डॉक्टर के पास जाओ, फिर कहता है कि हड्डी का डॉक्टर अलग है उसके पास जाओ....

श्री उपाध्यक्ष : आखिर, आखिर में दिमाग पर आता है तो ल्युनेटिक एसाइलम में जाने को कहता है।

श्री आबिद अली : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : वह आप तक पहुंच जायगा।

श्री भैरवलाल काला बादल : आप लोगों का इलाज हो जाता है, घर पर बड़े डॉक्टर पहुंच जाते हैं लेकिन गरीबों के घर पर नहीं पहुचते हैं। इसलिये माननीय सदस्य मेरी मजाक उड़ाते हैं। यह मजाक की बात नहीं है सही हालात हैं। एक बीमार स्वयं समझ जाता है कि उसको क्या बीमारी है लेकिन अस्पताल में उस बीमारी को चार जगह दवा लेने के लिये जाना पड़े तो उसका पूरे दिन में वह चार डॉक्टरों के पास पहुंच पायेगा, टिकट कटायेगा और फिर दवा लेने जायेगा तो घंटों तक उसको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और कोट, पेन्ट, बूंट वाले जायेंगे तो उनको फौरन बुलायेंगे और वह ग्रामीण बेचारा लाइन में खड़ा-खड़ा परेशान होकर आखिर में बिना दवा लिये ही घर पहुंच

(श्री भैरवलाल 'काला बादल')

जायेगा । मैं समझता हूं पेन्ट, कोट, बूंट वालों के लिये यह आॅर्डर होना चाहिये कि शफाखानों में पहले गांव के सीधे-सादे आदमियों को दवा देंगे और सूट बूंटवालों को बाद में देंगे। इस प्रकार के आॅर्डर्स होने चाहिये ।....तभी गरीबों का इलाज हो सकता है

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद में माननीय सदस्य हों तो उनको देंगे ।

श्री भैवरलाला 'काला बादल' : मेरे जैसे को मौका नहीं मिला है। यदि गया भी हूं तो मैं तो सीधा-सादा व्यक्ति हूं ! यदि एम. एल. ए. शब्द कह दूं तो डॉक्टर कहते हैं कि एम. एल. ए. होने की धौंस देते हो क्या आज सीधे सादे आदमियों की कोई गुजर नहीं है ? एक बार मैंने सोचा कि एक पेन्ट मैं भी सिलवा लूं तो दवा जल्दी मिल जावेगी। उपाध्यक्ष महोदय, एक पेन्ट पहले सिलवाई थी लेकिन पहिनने पर अच्छी नहीं लगी इसलिये वह अब तक पड़ी है। इधर वार्ड में क्या होता है कि यदि किसी गरीब को १५ दिन के लिये वार्ड में दाखिल कर दिया तो उसको ५ दिन बाद ही निकाल दिया जाता है और दूसरे को भर्ती कर लिया जाता है। गरीबों को बिना इलाज छुट्टी दे दी जाती है।

आज दवाइयों का यह हाल है कि गरीब को कहते हैं, दवा लिख तो देते हैं दवा लाओ बाजार से। लेकिन बड़े आदमियों को मुफ्त में मिल जाती है बाजार में मेडिकल स्टोर या तो डॉक्टर के मित्रों के होते हैं या उनके भाई भतीजों के होते हैं। शफाखाने में जितनी दवाइयां होती हैं उनको खर्चा दिलाकर मेडिकल स्टोर पर भेजते हैं।

इसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में रहने वाली जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आज दुनिया भर के टैक्स गांव के लोगों से लेते हैं। अब तो तो यह हो गया है कि पंचायत समितियां शफाखाने काम करें, वे ही शफाखाने चलावें, बिल्डिंग दें, गांव के लोग स्कूल खोलना चाहें तो स्कूल की बिल्डिंग भी वे ही लोग दें, पंचायत भवन वगैरह भी गांव के लोग ही दें। सब कुछ गांव के लोग ही करें और टैक्स भी वे लोग ही दें, श्रम-दान भी वे ही लोग करें, दुनिया भर का काम वे ही करें और राज चलाने के लिए धन का इन्तजाम भी वे ही लोग करें। उनके अस्पताल के लिये आयुर्वेद विभाग भवन नहीं बना सकता और शहर में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज के भवन और दूसरे भवन बना दिये जाते है उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कम से कम यह सहायता हो जाय कि आयुर्वेद विभाग छोटे छोटे भवन बना कर वैद्यों का इन्तजाम कर दे। यह गांव के लोगों की मांग है। उनकी आमदनी कम होने से बड़ी मुश्किल है गांव वालों पर। मैं यह कहूंगा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा का लाभ गांववालों को मिलना चाहिये। शहर वालों के पास पैसा है जिससे वे अपना इलाज करा सकते हैं, इसलिये गांव वालों का सारा इलाज मुफ्त में होना चाहिये और सबसे पहले सुविधा उनको मिलनी चाहिये। इसलिये मैंने यह कट मोशन रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चार कट मोशन्स हैं नं. १६, ३६, ७६ और ८०। सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय मेरा जो ८० नंबर पर कट मोशन है उस पर बोलूंगा। वह है : "to discuss the fixation of Inspectors of the Ayurvedic Deptt." मेरा एक कट मोशन था इन्सपेक्टर्स ऑफ आयुर्वेद इन एक्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। राजस्थान में ११ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स थे। उनमें से सिर्फ तीन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में इन्सपेक्टर्स ऑफ आयुर्वेद थे। जयपुर में २ थे, सवाई माधोपुर में १ और मालपुरा में १। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह सिलसिला शुरू हुआ पंचायत समितियों वगैरह का और कानून पास हुआ उस समय मालपुरा में जो इन्सपेक्टर था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से उनका ग्रेड शुरू में ११० से १५० का था। उसके बाद उनका ग्रेड १२५-२२५ बनाया गया और जून ५६ में गवर्नमेन्ट ने ऑर्डर देकर उनका ग्रेड २५० से ३०० का बना दिया था जब कि उनके अंडर में मुश्किल से ३० औषधालय थे और सवाई माधोपुर में जो इन्सपेक्टर था उसके अंडर में ५० या ७० औषधालय थे लेकिन उनका ग्रेड ११० से २०० तक था। उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा में जो इन्सपेक्टर था उसका ग्रेड २० जून, ५६ को बढ़ाकर १५० से ३०० कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को सितम्बर, ५६ में गवर्नमेन्ट ने टेक ओवर किया था उस समय जयपुर में २ इन्सपेक्टर्स थे और सवाई माधोपुर में एक था। उनको जिस ग्रेड में फिक्स किया वह है ११० से २२५ और उनको इन्सपेक्शन करना है सीनियर बी क्लास के वैद्यों का, जिनकी ग्रेड ११० से २२५ है। हालांकि उस इन्सपेक्टर को असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर की पोस्ट पर फिक्स किया है और उनकी ग्रेड सीनियर बी क्लास दवाखाने के वैद्य के मुकाबले में रखी गई है लेकिन जो मालपुरा के वैद्य थे उनके लिए १५० से ३०० का ग्रेड टेक ओवर करने के पहिले जो गवर्नमेंट ने मंजूर कर दिया था उनको इन्सपेक्टर की ग्रेड में रखा था। इसके बाद जब कुछ एजीटेशन हुआ तो दिसम्बर, १६५६ में एक स्टे ऑर्डर इश्यु कर दिया कि मालपुरा के इन्सपेक्टर को जो १५० से ३०० का ग्रेड दिया था वह गलत था। स्टे ऑर्डर इश्यु कर दिया और १६ दिसम्बर, १६५६ को उस ऑर्डर को कैंसिल भी किया है। आज भी इन्सपेक्टर १५० से ३०० की ग्रेड में है और इन्सपेक्टर इस ग्रेड में फिक्स्ड है। बाकी तीन वैद्य थे, वे सवाई माधोपुर के वैद्य थे। इन्सपेक्टर १६४६ से जो काम कर रहा था उसको भी जूनियर माना है और मालपुरा के इन्सपेक्टर को सीनियर माना है। मैं इसमें डिस्क्रिमिनेशन देखता हूं और चाहता हूं कि मिनिस्टर-इन-चार्ज इसकी इन्क्वायरी करके देखें और इस तरह का डिस्क्रिमिनेटी ट्रीटमेंट न दिया जाय, जो इन्सपेक्टर ५०-६० दवाखानों का इन्सपेक्शन करता है। उसका ग्रेड सीनियर वैद्य के बराबर था, by crook the grade of the other fellow was changed. अब उसको लोअर ग्रेड में फिक्स-अप किया है और जो इन्सपेक्टर एक्वुअली लोअर ग्रेड में था जिसका इन्सपेक्शन एरिया २०-३० दवाखानों मालपुरा में था उसको हायर ग्रेड में फिक्स अप किया है। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। यह इस कट मोशन पर मुझे निवेदन करना था।

(श्री पी. के. चौधरी)

दूसरा मेरा जो कट मोशन है वह ७६ है "to discuss the Government approach to Indian Medicines." जो भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है इसकी तरफ गवर्नमेंट का क्या रुख है, इसकी आलोचना करने के लिए। रुख का जहां सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मेडीकल विभाग का जो तीन करोड़ का बजट है इस तीन करोड़ के बजट में से १७ लाख ५६ हजार का खर्चा एस्टेब्लिशमेंट पर है। इस १७ लाख ५६ हजार में से सिर्फ ३ लाख आयुर्वेदिक विभाग के एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होता है। हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा को गवर्नमेंट कितनी इम्पोर्टेन्स देती है, इसका यह माप दंड है, इसको मैं प्रेक्टीकल यार्ड स्टिक मानता हूँ। जहां दूसरे विभागों के अनुसार ही मेडीकल विभाग के लिए एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज़ १७ लाख है वहां आयुर्वेदिक विभाग का तीन लाख का है यानि one sieth in order of priority, Ayurved comes at the sixth position.

तो यह इसका माप दंड है कि किस दृष्टि से गवर्नमेन्ट आयुर्वेद की तरफ देखती है। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक पद्धति के ऊपर खर्चा होता है और जो एलोपेथिक पर खर्चा होता है उससे भी इसका अन्दाज लग सकता है। दूसरी एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो हालत और प्रोब्लम पब्लिक हैल्थ की है, टू सर्व दी नम्बर आफ पीपल, उसमें मैं समझता हूं कि आयुर्वेदिक पद्धति जो है आयुर्वेदिक सिस्टम है, वह एलोपेथिक सिस्टम से ज्यादा चीप है और आयुर्वेद में जो ट्रेन्ड पर्सोनल्स है वे ज्यादा ईज़ीली अवेलेबल हो सकते हैं और जो इमीजियेट नीड है to serve as large a number as possible. अब जो लार्जर एरिया को कवर करने का, लार्जर पीपल को सर्व करने का, उनको मेडीसिन देने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद के जरिये इज़ीली कर सकते हैं। आखिर हमारी गवर्नमेन्ट के पास इतना पैसा नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ट्रेन्ड डॉक्टर नहीं हैं, न ट्रेन्ड नर्सेज़ हैं, न आपके पास ईक्विपमेंट हैं जिससे सारे स्टेट के रिक्वीज़िट अमाउन्ट आफ पीपुल को रिक्वीज़िट अमाउन्ट आफ मेडीसिन दे सकते हैं। इसको आयुर्वेदिक सिस्टम केटर कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आयुर्वेदिक सिस्टम और एलोपेथिक सिस्टम के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर नहीं जाकर from the point of view of planning—उसके अन्दर में करना पड़ेगा। आज नीड आफ टाइम यह है कि आयुर्वेदिक पद्धति को रिलेटिवली ज्यादा करें, उसके एक्सपेन्शन में ज्यादा तवज्जुह दें, ज्यादा इनीशियेटिव दें ताकि लार्जर नम्बर आफ पीपल को सर्व कर सकें।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि यह बात मानी हुई है कि आयुर्वेदिक मेडीसिन का ओरीजिन इस देश में हुआ, इसलिए यह ओरिजिनल सिस्टम आफ मेडीसिन है, it is more amenlible to our nature, our habits and out climate...जो एलोपेथिक मेडीसिन है उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है; उसको जज किया है not in our country but in a foreign climate. और दूसरे क्लाइमेट में, दूसरी क्लाइमेटिक कन्डीशन्स में इसका एप्लीकेशन हुआ है, दूसरे लोगों के ऊपर इसका एप्लीकेशन हुआ है, वह मेडीसिन यहां इक्वीलली एप्लीकेबल हो सकती हैं, अफेक्टिव हो सकती हैं, यह नहीं मान सकते। सिर्फ एक विषय में हम एलोपेथी को सुपीरियर मान सकते हैं,

(श्री पी. के. चौधरी)

और वह है सर्जिकल साइड । सर्जिकल साइड को छोड़ कर जो मेडीसिन का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि आयुर्वेदिक मेडीसिन is more effective लेकिन उसकी ओर जितना ध्यान देना चाहिए, उतना नहीं देती । मेरा यह सुझाव है कि जहां तक एलोपेथिक मेडीसिन के प्रचार और प्रसार का सवाल है उसको गवर्नमेंट कम कर दे लेकिन जहां तक इसकी, एलोपेथिक की सर्जिकल साइड है इसके लिए जहां तक हो सके, ज्यादा तवज्जुह गवर्नमेंट दे सकती है, इसको स्प्रेड कर सकती है, इनीशियेटिव दे सकती है । लेकिन जहां तक मेडीकल सिस्टम का सवाल है वहां आयुर्वेदिक मेडीसिन का ज्यादा प्रसार होना चाहिए और यह प्लानिंग की दृष्टि से, लोगों की सर्विस करने की दृष्टि से अच्छा हो सकता है । जैसा मैंने शुरू में कहा था, उपाध्यक्ष महोदय, एक तो बजट से मालूम होता है, जो बजट एलाटमेंट है उससे मालूम होता है, चाहे मिनिस्टर इन्चार्ज कितना ही कहें, सदन में भाषण देते समय आयुर्वेद की तारीफ करें, नेचुरोपेथी की तारीफ करें, कोई बात कहें but this taste of pudding is in eating; पुडिंग कैसा है, उसका टेस्ट खाने पर ही मालूम होता है, यह कहने से मालूम नहीं होता है । मिनिस्टर इन्चार्ज आयुर्वेद के लिए क्रोकोडाइल टीअर्स डाल दें लेकिन टेस्ट यह है कि कितना परसेन्ट इस पर खर्चा करते हैं । इसके लिए, मिसाल के तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं कि यहां जो सर्जन्स की कॉन्फ्रेन्स हुई और आयुर्वेद के वैद्यों की कॉन्फ्रेन्स हुई, तो सर्जन्स को मिनिस्टर इनचार्ज ने दावत दी है, लेकिन जो आयुर्वेदिक वैद्यों की दावत हुई है nothing of this sort was given; उनको दावत नहीं दी, चाय नहीं दी....

एक माननीय सदस्य : दावत दी है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बाहर गये होंगे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : दावत दी है, चीफ मिनिस्टर ने एट होम दिया था ।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : मैंने सुना था कि दावत नहीं दी है ...

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सर्जन्स से भी अच्छी दावत दी है ।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : मेनू में जरूर फर्क होगा ।

(हंसी)

ठीक है, अगर आपने दावत दी है । मैंने सुना था कि दावत नहीं दी है....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दी है ।

श्री पी० के० चौधरी : मैं चाहता हूं कि प्लानिंग की दृष्टि से भी और इकॉनोमिक पोज़ीशन को देखते हुए आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार से ज्यादा फायदा हो सकता है ।

(श्री पी. के. चौधरी)

दूसरी बात मैं नेचुरोपेथी के लिए कहना चाहता हूं । मिनिस्टर इनचार्ज, मैंने देखा है नेचुरोपेथी में फेथ रखते हैं । उसके लिए विश्वास रखते हैं, उनको नेचुरोपेथी के नाम से न जाने क्या हो जाता है ? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने नेचुरोपेथी की क्लीनिक, देखी हैं, पूना में देखी है, दूसरी जगह देखी है। नेचुरोपेथी के लिए माना जाता है कि उसमें दवाओं की जरूरत नहीं होती है, इसलिए गरीब के लिए अच्छी चीज़ है लेकिन जहां मैंने नेचुरोपेथी के क्लीनिक देखे हैं वहां गरीब आदमी नहीं जा सकता है क्योंकि वहां जो डाइट प्रेस्क्राइब करते हैं वह डाइट इतनी कोस्टली होती है कि आदमी जाकर बाजार से आयुर्वेदिक दवाओं को आसानी से खरीद सकता है लेकिन डाइट को अकॉमोडेट नहीं कर सकता । इसलिए नेचुरोपेथी के लिए जो माना जाता है, इसमें गांधीजी ने जो आविष्कार किया था, पुल्टिस वगैरह लगाने का....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह कौन कहता, कौन मानता है ?

श्री पी० के० चौधरी : मैं कहता हूँ कि नेचुरोपेथी की जो क्लीनिक चलती है वहां गरीब आदमी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता क्योंकि वहां बड़ी रेस्ट्रिक्टेड कॉस्टली डाइट होती है । इसलिए मैं नेचुरोपेथी की क्लीनिक चलाने के फेवर में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जिनको नेचुरोपेथी में फेथ है, वे प्राइवेट डोनेशन से नेचुरोपेथी के क्लीनिक चला सकते हैं । वहां बड़े बड़े लोग जाकर ठहरेंगे, उनके लिए कोर्सेज़ प्रेस्क्राइब होंगे, एक महीना दूध दिया जायगा, एक महीना लस्सी पर रहेंगे, एक महीना संतरे के जूस पर रहेंगे, इस तरह कोर्स रहते हैं....

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) पालक, भाजी का रस...

श्री पी० के० चौधरी : पालक भाजी का रस नहीं देते हैं। पालक भाजी का रस देते भी हैं तो संतरे के जूस के साथ। एक सेर जूस के साथ एक छटांक पालक भाजी का रस दे सकते हैं। इस प्रकार की क्लीनिक है उसको गवर्नमेंट कॉस्ट पर चलाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इसकी युटीलिटी बहुत कम है । नेचुरोपेथी के लिए मैं यह मानता हूं कि इसका जो साहित्य है, इसका प्रचार कीजिये ताकि लोग इसे पढ़ कर अगर पुल्टिस वगैरह लगाना चाहें तो घर बैठ कर ही लगा लें । लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वे जाकर नेचुरोपेथिक क्लीनिक में ट्रीटमेंट लें। It is a costly affair for a poor man. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर नेचुरोपेथी को प्रोत्साहन देना है तो इसके साहित्य का प्रचार करे, नेचुरोपेथी की जो किताबें हैं at the cheapest rates and editions, वे पब्लिश करके गांवों में उसका प्रचार कीजिये जिससे लोग पढ़ लें । नेचुरोपेथी की क्लीनिक को बन्द करके इसके साहित्य का प्रचार कीजिये । मैं समझता हूं कि नेचुरोपेथी के लिए जो बजट में है वह बन्द हो जायगा । आज जो परिस्थिति है उसमें ट्रीटमेंट नेचुरोपेथी का लेना बड़े बड़े आदमियों के लिए सुविधाजनक है, जैसे श्री जयप्रकाश बाबू पूना में ट्रीटमेंट लेते हैं । मेरे जैसे व्यक्ति नेचुरोपेथी ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मैं गवर्नमेंट नेचुरोपेथी के क्लीनिक

(श्री पी. के. चौधरी)

के खिलाफ हूं, चाहे तो उसका जो साहित्य है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, बस। मेरा यह जो मेडीसिन का एप्रोच का सवाल था यह था कि आयुर्वेद के ऊपर ज्यादा खर्चा होना चाहिये, एलोपेथी के सर्जिकल साइड को एनकरेज करना चाहिए और नेचुरोपेथी में क्लीनिक को एन्करेज नहीं करना चाहिये।

मेरा थर्ड कट मोशन जो कि सीरियल नं० ३६ का कटौती प्रस्ताव है बांसा कुशलपुरा में सार्वजनिक औषधालय को ग्रान्ट इनएड देने के सम्बन्ध में। लगभग ३०-४० साल से बांसा कुशलपुरा में सार्वजनिक औषधालय चर्खा संघ की तरफ से चल रहा है जिसको शायद जमनालालजी वगैरह ने भी मेंटेन किया था। वहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का भी औषधालय है। उसकी अटेन्डेन्स और इस सार्वजनिक आयुर्वेदिक औषधालय की अटेन्डेन्स को देखा जाय तो बड़ा फर्क मिलेगा उसमें अगर १० पेशेन्ट्स आते हैं तो इसमें तीस-चालीस आते हैं; फोर टाइम्स डिफरेंस है। इस औषधालय का तीस-चालीस साल का फ्री सर्विस का ट्रेडिशन है, गवर्नमेंट की तरफ से इसको भी एड मिलनी चाहिये। आप वहां जायं और देखें कि गवर्नमेंट के औषधालय की कितनी अटेन्डेन्स है और इसकी कितनी अटेन्डेन्स है और आप इससे कन्विन्स्ड हो जायं कि यह ह्युमेनिटेरियन व्यु से चलाया जाता है, प्रोफिटेरियन व्यु से नहीं चलाया जाता। तो इसको एड देना चाहिये।

चौथा मेरा कटौती प्रस्ताव हरसोली में एक औषधालय खोलने के सम्बन्ध में है। क्योंकि यह मेरी कान्स्टीट्युएन्सी की बात है इसलिये मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मन्त्री महोदय खुद समझ-बूझ कर जो निर्णय उन्हें लेना है ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गगादेवी डाटा!

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) मेरे भी कट मोशन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास कट मोशन्स हैं, उनके समाप्त होने पर ले लूंगा या बीच में रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि महिला सदस्या का ध्यान रखना आवश्यक है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह मुझे भी मन्जूर है।

श्री उपाध्यक्ष : Thank you.

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १६ में मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। एक कटौती प्रस्ताव मैंने कुछ सब-डिस्पेन्सरीज़ के बारे में रखा है। अब स्वास्थ्य मंत्रीजी मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि या तो सब डिस्पेन्सरी जिसका मैं जिक्र कर रही हूं उससे परिचित होंगे या मैं उन्हें उससे परिचित करा दूं।

श्री उपाध्यक्ष : (मंत्री महोदय से) आप दीजिये कि फर्मा परिचित हैं तो समय बच जायगा?

श्रीमती गंगादेवी डाटा : बहादुरपुर, अलवर का काफी अच्छा कस्बा है। उस कस्बे में सब डिस्पेन्सरी कई वर्षों से चली आ रही है जिस समय कि महाराजाओं का शासन था। वह डिस्पेन्सरी उसी सब डिस्पेन्सरी के रूप में बनी हुई है और शायद जो पहले थी

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

उससे उसमें कुछ कमी ही हुई है, बढोतरी किसी प्रकार की नहीं हुई है। बढ़ोतरी होने की आशा लोगों को थी, वह अब तक निराशा में ही परिवर्तित हुई है।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इतने बड़े पैमाने पर चिकित्सा पर खर्च करने का बजट रखा है, नये नये प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स खोले जा रहे हैं दूसरी ओर जो डिस्पेन्सरीज़, सब डिस्पेन्सरीज़ पहले से चली आ रही हैं उनकी सुविधाओं और साधनों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

मुझे मंत्री महोदय को यह बताते हुए थोड़ा अफसोस भी होता है कि वहां मरीजों की औसत मालूम कर सकते हैं। मरीजों का एवरेज वहां एक डिस्पेन्सरी से भी ज्यादा आता है, फिर क्यों उसको अभी तक एक सब-डिस्पेन्सरी का रूप दिया हुआ है? एक तरफ तो उसकी दवाइयों के बजट की बात है दूसरी तरफ उसकी बिल्डिंग का सवाल है। उसकी बिल्डिंग, इन्सान क्या सूअरों का दड़बा होता है उससे भी खराब हालत उसकी है। कभी मन्त्री महोदय वहां पधारें तो उनको दिखला भी दूं। इसके लिये बहुत नजदीक मौका आने वाला है; ३१ मार्च को नासिर साहब उस रोड से पास हो रहे हैं। तो यह चीज़ बहुत सोचने की है कि मरीजों का एवरेज ज्यादा है, कम्पाउन्डर वहां रहे, ऐसी बिल्डिंग दी जाय और फिर उम्मीद की जाय कि जनता की सेवा ढंग से कर सके तो यह असंभव है। तो मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय उस सब डिस्पेन्सरी के बजट को, सारे बजट को नहीं तो कम से कम दवाइयों के बजट को तो एक डिस्पेन्सरी के बराबर कर दें तो ठीक होगा। स्टाफ बढ़ाने में उनको दिक्कत होती होगी पर यह देख लें कि नये नये तो खोलते जायं और जो पुराने हैं जिनसे जनता को सुविधा मिलती है उनकी ओर ध्यान नहीं दें, यह बड़ा अजीब सा लगता है।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव एक औषधालय के बारे में है। औषधालय के लिये इसलिये निवेदन कर रही हूं कि ऐसी जगह खोला जाय जहां लोगों को इस प्रकार की सुविधा को परमावश्यकता है। हल्दीना कस्बा और कलसाड़ा कस्बा बहुत नजदीक पड़ते हैं और इनको कोई चिकित्सा की साधन सुविधा नहीं मिली है, कई मील दूर इलाज कराने के लिये आने-जाने में उन्हें असुविधा होती है। जो नियम है बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह का उसके लिये गांव वाले तैयार हैं कि उनको औषधालय की सुविधा मिले, वे अपनी तरफ से पूरी पूरी सुविधा देने को तैयार हैं।

मेरा तो निवेदन है मन्त्री महोदय से कि रामगढ़ क्षेत्र में कोई औषधालय नहीं खुल पाया है तो मेरे इस निवेदन पर वे ध्यान देंगे, तवज्जोह देंगे।

तीसरी बात एक छोटी सी है और उसको संक्षेप में कहना चाहती हूं वह यह है कि हमारे यहां अलवर में ५३-५४ में एलेग्जेन्डर हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा है उसको ए क्लास हॉस्पिटल में परिवर्तित करने का तय किया गया था और मैं समझती हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके कट मोशन में नहीं है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : कट मोशन में तो नहीं है, लेकिन इससे सम्बन्ध रखता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने कट मोशन पर ही बोलती रहें।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : तो इसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि जो रकम इसके लिये मंजूर हुई वह कम से कम बहुत जल्दी इस पर खर्च कर दी जाय क्योंकि इससे आसपास के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। इसके आसपास पंजाब लगता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूं।

मेरा यह निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह की अभी कुछ दिनों पूर्व अलवर जिले में बातें हुईं और कुछ पेम्फलेट-बाजी चली जो इस डिपार्टमेंट से सम्बन्धित व्यक्ति हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदस्या से निवेदन करूंगा कि वे अपने कट मोशन पर ही बोलें। मैं इस पर बोलने की आज्ञा नहीं दूंगा। आप अपने कट मोशन से बाहर जा रही हैं, आप अपने कट मोशन पर ही रहें।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : मुझे थोड़ा सा निवेदन करना है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं मजबूर हूँ। आप माननीय मंत्री से मिल लें बजाय इसके कि इसको वाद-विवाद में यहां पर लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष: रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस विषय में उनियारा क्षेत्र में चिकित्सा के अभाव पर विचार करने हेतु कटौती का प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय, हर माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र में जो आवश्यकताएं होती हैं उनके बारे में हर साल जब बजट पेश होता है उस समय अपने यहां की असली स्थिति बताते हैं और उनको बताने के लिये, मेडीकल में अव्यवस्था होती है उसको बताने के लिये तैयार होते है और हम यह कहते हैं कि फलां क्षेत्र है उसमें मेडीकल फेसिलिटीज़ का अभाव है तो हम उनको लिखते हैं क्योंकि मिनिस्टर साहब तो हमारे यहां कॉन्स्टीट्युएन्सी में शायद ही पधारें क्योंकि वहां पर सड़कों की सुविधा नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : आपका निमन्त्रण नहीं होने से भी नहीं पधारे।

राव राजा श्री सरदरसिंह : निमन्त्रण तो देते हैं लेकिन वस्तु स्थिति वे जानते नहीं और जब हम कहते हैं तो उस पर कम ध्यान दिया जाता है। हम उनको वस्तु स्थिति की जानकारी कराते हैं। इस वक्त में मेरे क्षेत्र में दो तहसीलें हैं देवली और उनियारा। देवली में १७२ गांव हैं और उसमें एक हॉस्पिटल था और अब गवर्नमेंट के समय में तो डिस्पेन्सरी है। मैंने कई मरतबा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दूनी तहसील थी उस समय में दिलाया कि नगर जो कस्बा है और गांवा और दूनी इनमें आप चाहें तो दूनी या गांवा में डिस्पेन्सरी खोल दें। मगर पहले जहां था वह किस

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

कारण से बन्द कर दिया ? या तो दूनी या दूसरी जगह आप डिस्पेन्सरी बना दें तो उससे तीस–चालीस गांवों के रहनेवाले लोगों की समस्या हल हो जावेगी। उस वक्त में डाइरेक्टर साहब ने जब उनको लिखा तो चिट्ठी लिखी थी और आश्वासन दिया था कि दूनी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी व्यवस्था ले ली गई है। यह पत्र ५७–५८ में लिखा गया। मगर आज तक न तो वहां पर कोई डिस्पेन्सरी खोली गई और न कोई उसके लिये सूचना ही है। बेचारे वहां के आस पास के रहनेवालों की बहुत बुरी स्थिति हो रही है। देवली १५ मील है और नगर २० मील है; नगर से उनियारा १५ मील है। इसके अलावा वहां पर सड़कों का बड़ा अभाव है और न पास में कोई मेडीकल डिस्पेन्सरी है। इस वजह से लोग– बागों को बहुत तक़लीफ उठानी पड़ती है।

तो इसके लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा और कल भी मैंने इसके संबन्ध में निवेदन किया था कि आप कोई न कोई क्राइटेरिया तो मुकर्रर कर लें और बताएं कि आबादी के हिसाब से इतनी आबादी होगी वहां पर हम डिस्पेन्सरी खोलेंगे या सराउन्डिंग तय कर लीजिये कि इतने एरिया पर हम डिस्पेन्सरी खोलेंगे, चार हजार की आबादी में या ६ हजार की आबादी में हम डिस्पेन्सरी खोलेंगे। जिस प्रकार आपने पंचायतों के लिये किया है कि इतनी आबादी होनी चाहिये इसी तरह से आप तय कर लें कि १,५०० की आबादी में आयुर्वेद औषधालय खोलेंगे और उसके बाद इतनी आबादी पर डिस्पेन्सरी खोलेंगे। इस तरह आप कुछ निश्चित रूप से तय कर लें और फिर सर्वे करावें। मैं कहना चाहता हूं कि डाइरेक्टर आयुर्वेदिक विभाग और मेडिकल विभाग को कम से कम पिछड़े हुए क्षेत्रों में दौरा करके देखना चाहिये कि वाकई में उन लोगों को इसकी आवश्यकता है या नहीं।

तो मेरा यही निवेदन है और मेरा यही बार बार कहना है कि आपने यह आश्वासन दिया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में खोल देंगे मगर नहीं खोला वह तो समाप्त होने आई है....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आप तो जो चाहेंगे सो ही करेंगे क्योंकि हम विरोधी पक्ष के हैं। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आप लोग इस चिकित्सा के विषय में कोई विरोधी हैं या विरोधी पक्ष का है, इस भावना को छोड़ दें और सब लोगों को सस्ता इलाज मिले, इसके लिये जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास। आप कम से कम समय लेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं और मुझे कम से कम समय लेना है इस दृष्टिकोण से तीनों कटौती के प्रस्तावों को एक साथ प्रस्तुत करता हूँ। पहला है बीकानेर में मेडीकल कॉलेज में निर्माण व छात्रों की व्यवस्था के संबन्ध में विचार करने हेतु।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री): कल यह तय हुआ था कि कट मोशन पर दुबारा नहीं बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस सदन को यह अधिकार है कि इसको रिलेक्स कर दे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्या यह रिलेक्स कर दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : I have relaxed it.

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री खुद भी इस चीज़ को मंजूर करते हैं कि हमारे यहां डॉक्टरों की कमी होने से डॉक्टरों को बुलाना पड़ता है और इस कमी को पूरा करने के लिये हमने मेडीकल कॉलेज की स्थापना की है।

दूसरी बात बीकानेर में मेडीकल कॉलेज दूसरी पंचवर्षीय योजना में खोलने की बात थी। खोला गया लेकिन इसके लिये सरकार की तरफ से जो निर्माण कार्य में सरकार को तत्परता दिखलानी चाहिये थी वह नजर नहीं आती है और इस दृष्टिकोण से मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है।

मैं जब इसका पता चलाने लगा कि बीकानेर मेडीकल कॉलेज के बिल्डिंग का प्रश्न है, माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इसका काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिये था लेकिन क्या करें दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी पूरा सहयोग नहीं करते। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने यह कहा वह तो ठीक है मगर आपने वहां पर पहला साल प्रारंभ किया और अब वे दूसरे साल में आवेंगे उसके लिये इन्तजाम नहीं है। कॉलेज बिल्डिंग की बात तो अलग रही। यह होस्टल तो दो-तीन महीनों में हो जाता तो ठीक था। परन्तु यह इन्तजाम भी नहीं होगा।

मैं यह चाहूंगा कि किसी भी विभाग की लापरवाही रही हो मगर जहां तक पहले टेन्डर कॉल किये उस पर कुछ नहीं हुआ उसके बाद में १३० percentage के टेन्डर आये जिसमें ४ महीनों में काम करने को था लेकिन वह टेन्डर इधर से उधर जाता रहा और मंजूर नहीं हुआ और वह काम नहीं हुआ। उसके बाद में १३१ percentage में टेन्डर दिया फिर भी काम नहीं हुआ। अब १३७ percentage में भी काम पूरा नहीं हुआ और आज भी होस्टल की बिल्डिंग नहीं बनी। आप कहें कि सरकारी स्तर पर निर्माण का काम हो रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह काम तीन महीनों में हो जावे तो यह उचित बात होगी। मैं इस संबन्ध में ज्यादा कह कर आपका समय नहीं लेना चाहता मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि निर्माण के काम में इतनी छानबीन करें कि यह बिल्डिंग छात्रावास के लिये होनी चाहिये थी किन कारणों से नहीं हुई। इसमें शायद दूसरे विभाग हो, उसमें कौनसे अधिकारी थे जिनकी लापरवाही से यह काम नहीं हुआ और अब सरकारी स्तर पर होस्टल का निर्माण हो रहा है। तो कम से कम तीन महीनों में यह काम हो जावे, इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पेशल तौर से निवेदन करूंगा कि वे इस संबन्ध में आदेश देंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे आनेवालों ५० विद्यार्थियों के लिये रहने की व्यवस्था हो जावे।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव था वह यह था कि बीकानेर में हॉस्पिटल है उसमें पहले कितने डॉक्टर हैं, यह तो मालूम है कि कितने कम हैं, मैं यह चाहता हूँ कि आज डाक्टरों की कमी है परन्तु इसके साथ साथ मैं यह कहूँगा कि कम से कम जो स्ट्रेन्थ आपने रखी है उतने डॉक्टर तो वहां पर होने ही चाहिये। खास करके जनाने हॉस्पिटल के बारे में कहता

(श्री मुरलीधर व्यास)

हूं कि वहां पर ५० पर्सेन्ट भी लेडी डॉक्टर भी स्ट्रेन्थ के अनुसार नहीं हैं । इस प्रकार की स्थिति से जनता को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार मौके आते हैं तो अधिकतर यही उत्तर मिलता है कि डॉक्टरों की कमी है क्या करें ? हमारे पास डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं, गड़बड़ी हो गई तो क्या करें, ये उत्तर मिलते हैं । बीकानेर के सारे जिले भर में एक अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है । आसपास के लोग वहां पर आते हैं, यहां तक कि दूसरे प्रान्तों से भी वहां पर लोग इलाज के लिए आते हैं । यह जो स्थिति है उसका खयाल रखना चाहिये । उस तरीके से इसको नहीं देखना चाहिये कि बीकानेर में एक हॉस्पिटल है । लेकिन उसकी स्थिति यह है कि पंजाब के लोग और दूसरी जगहों के लोग और बीकानेर और राजस्थान के दूसरे जिलों के लोग वहां आते हैं, वे वहां पर इलाज करवायेंगे । वहां पर लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर्स का पूरा इन्तजाम होना चाहिये और दवाई के लिए भी कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिये । दवाई पूरी होनी चाहिये । जब मरीज़ वहां आते हैं, कितना वितरण दवाई का करते हैं उसका यदि मैं हिसाब लगाऊं तो एक पैसा भी नहीं पड़ता है । दवा देना चाहते हैं और लाभ पहुंचाना चाहते हैं और यदि दवा की कमी के कारण लोगों को लाभ न पहुँचे तो आपको इसका खयाल करना चाहिये और दवा का वहां पर वजन बढ़ाना चाहिये । बड़ा अस्पताल है और उसका खयाल रखना चाहिये ।

तीसरा कटौती प्रस्ताव है उसको मैं एक मिनट में ही कह देता हूं । खास कर बच्चों का वार्ड है । आपने उसके विकास की योजना बनाई थी और मेटर्निटी वार्ड में कुछ बेड्स बढ़ाने की व्यवस्था की थी । वे आज तक बढ़े नहीं । नतीजा यह होता है कि वहां पर संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि कई दफ़ा औरतें वहां पर आती हैं, चाहती हैं कि अस्पताल है; चलो प्रसूती गृह में चलो ! वे एन मौके पर पहुँचती हैं पर उनको वहां पर बैड नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती और यह समय ऐसा होता है कि परिस्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है । न तो औरत घर पहुंच सकती है, न उसको बैड मिलता है और यदि ऐसे समय में वह घर पहुँचना चाहती है तो पहुंच नहीं सकती है उसकी रास्ते में या हॉस्पिटल में ही डिलीवरी हो जाती है । मैं खुद अस्पताल में एक दफ़ा गया तो मैंने देखा कि वहां एक हरिजन महिला आयी, वह डिलीवरी के लिए आयी । अन्दर वार्ड में जगह नहीं थी या थी, लेकिन उसको अन्दर लिया नहीं गया । ११ बजे दिन को घड़बड़ाहट हुई, वह वहीं पर बैठ गयी, आसपास लोग जमा हो गये । डिलीवरी वहां होने लगी । नर्सेज़ को जब कहा गया तो किसी प्रकार से उसके लिए व्यवस्था हो पायी । इसलिए यह जो स्थिति है उसको दूर करने के लिये कम से कम यह व्यवस्था की जाय कि बैड्स बढ़ाये जांय, जब कि योजना बढ़ाने की थी और अब तक बढ़ाये नहीं गये । इस सम्बन्ध में जल्दी ही व्यवस्था करनी चाहिये । इन पर ध्यान खींचने के लिए मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं । मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद ।

२.३५ म० प०

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कटौती प्रस्ताव इस बात पर है कि देहाती जनता को हम चिकित्सा के पूरे साधन उपलब्ध नहीं कर सके हैं। माननीय उपाध्यक्षजो, इसमें कोई शक नहीं है कि चिकित्सा शास्त्र ने, चाहे वह आयुर्वेद हो या चाहे वह एलोपेथी हो काफी उन्नति की है। आज सर्जरी और फिजियोलोजी के मामले में हमारे यहां सर्जन और फिज़ीशियन प्राप्त हैं और हमारे यहां चिकित्सा की हालत सुधरी है। यह केवल राजस्थान में ही नहीं किन्तु सारे हिन्दुस्तान में सुधरी है और आज तक जिन रोगों का इलाज नहीं किया जा सकता था अब उनका इलाज हो रहा है, चीराफाड़ी का काम हो रहा है; यहां तक कि हार्ट का ऑपरेशन भी हो रहा है। लेकिन यह हम ज्यादा लोगों को उपलब्ध नहीं कर सके। कई रोगी जयपुर और बीकानेर में जाकर चिकित्सा करा रहे हैं। जो राजस्थान के छोटे २ डिस्ट्रिक्ट्स हैं या इलाके हैं, छोटे २ टाउन्स या कस्बे हैं उनमें ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके हैं कि वहां पर इससे लोगों को विशेष लाभ पहुंचे, यह सोचने की बात है। हमने बहुत सा पैसा इसके लिए रखा और चिकित्सा शास्त्र ने उसका उपयोग किया है, लेकिन छोटे २ देहातों और कस्बों तक नहीं पहुंच पाये। चिकित्सा शास्त्र की क्वालिटी सुधरी है लेकिन इसकी जो क्वान्टिटी है वह कम है। यह जरूरी है कि वह देहातों, कस्बों, गरीबों तक पहुँचे, इन्टीरियर में पहुंचे; नहीं तो यह कुछ लोगों तक ही सीमित रह जावेगी और इसका लाभ कुछ लोगों को ही उपलब्ध करा सकेंगे।

आज एलोपेथी चिकित्सा शास्त्र है वह इस बात के लिए कॉम्पटेन्ट नहीं है कि वह हमारे गांवों और छोटे २ कस्बों, टाउन्स, देहातों में पहुँच सके। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र है, आयुर्वेद प्रणाली है उसको उन्नत करते हुए बलशाली बनायें तो हम देहातों और गांवों तक पहुंच सकते हैं। बजट में भी प्रावधान रखते हैं। बड़े २ शहरों में, एलोपेथि डिस्पेन्सरी जिलों में खोलने की कोशिश करते हैं और देहातों में, छोटे २ कस्बों में आयुर्वेद औषधालय खोलते हैं। हम यह मानते हैं कि कम खर्चे में लोगों को ज्यादा इलाज करने में आयुर्वेद बहुत उपयोगी साबित हुआ है और इस माने में हमारा मन चाहता है, तब भी कम खर्चे में एलोपेथी से इलाज करना चाहें तो नहीं हो सकता है। हमारी यह समस्या है और जरूरी है कि अच्छी क्वालिटी में और ज्यादा क्वान्टिटी में लोगों का उपचार हो। यदि हमको ज्यादा क्वान्टिटी में और कम खर्चे में इलाज करना है तो हमको आयुर्वेद की ओर ध्यान देना होगा। मैं समझता हूं कि सरकार इसको मान चुकी है और जहां २ मांग है आयुर्वेद औषधालय कस्बों में खोल रही है। सरकार आयुर्वेद को उन्नत करना चाहती है या नहीं, मंशा जरूर है। यह दूसरा सवाल है। हमारे आंकड़े यह बताते हैं कि अब तक आयुर्वेद के साथ, जैसे सौतेली मां एक बच्चे के साथ व्यवहार करती है वैसा ही कर रही है। यह खुशी की बात है कि सरकार इसको उन्नत करना चाहती है और मैं बधाई देता हूं मुख्य मंत्री महोदय को कि उन्होंने आयुर्वेद के लिए अलग से मंत्री नियुक्त कर दिये हैं। मेडीकल की ग्रान्ट में दो अलग-अलग मंत्री हो गये। आयुर्वेद के मिनिस्टर हैं वे ज्यादा जवान हैं और उनके चहरे पर भी चमक है। आयुर्वेद के भी मिनिस्टर हैं और एलोपेथी के भी मिनिस्टर यहां हैं। दोनों ही

(श्री चन्दनमल वैद)

सुन रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आयुर्वेद के मिनिस्टर को धन्यवाद दें ।

श्री चन्दनमल वैद : खड़े होकर देखेंगे तो ज्यादा सुनेंगे और समझेंगे ।

मेडीकल मिनिस्टर साहब हैं उनको ज्यादा पैसा मिला है । मेडीकल का सारा बजट है ३, १३, ७३,०००) और उसमें से आयुर्वेद को ५१, ५७,०००) मिला । केवल १५, १६ पर्सेन्ट मिला । हमारे राजस्थान की जो १६० लाख जन संख्या है उसमें से १२० लाख निकाल दीजिये जिनकी चिकित्सा करनी है आयुर्वेद के द्वारा और जो अधिक पैसा दिया गया है एलोपेथी को उससे केवल १५, २० पर्सेन्ट बड़े २ शहरों की जनता की चिकित्सा के लिए । ८५ प्रतिशत पैसा एलोपेथी को दिया गया है । मैं यह नहीं कहता कि एलोपैथी में पैसा खर्च हो रहा है वह बर्बाद हो रहा है मैं मानता हूं कि अच्छा काम हो रहा है और चिकित्सा की क्वालिटी बढ़ रही है । लेकिन इसके साथ साथ यह जरूरी है कि आयुर्वेद को बढ़ायें । जब माननीय मंत्री महोदय को कहते हैं तो कहते हैं कि पैसे की कमी है । सन् ५२ से लेकर आज तक देखें तो शिक्षा में साढ़े तीन, चार गुना अधिक खर्च हो रहा है । लेकिन मेडीकल में नहीं हुआ । मैं तो यह मंत्री महोदय की कमजोरी मानता हूं । शिक्षा के मंत्री सबल हैं इसलिए बढ़ गया और मेडीकल के मंत्री कमजोर हैं इसलिए नहीं बढ़ सका । यह सही है कि पैसे की कमी नहीं है ।

यहां सोशियल सर्विसेज की कोई कमी नहीं, दुःख इस बात का है कि आयुर्वेद में आप पैसा बढ़ा नहीं सकते । मैं आपको आयुर्वेद की मद पढ़ कर सुनाऊं । आयुर्वेद डाइरेक्टोरेट के लिये ३,०३,००० रु०, आयुर्वेद परीक्षा बोर्ड के लिये १२,१२५ रु०, आयुर्वेद डिस्पेन्सरीज़ के लिये, ३२,३६,८०० रु०, रसायनशाला के लिये ८,५६,१०० रु०, अलाउन्सेज़ के लिये १,६५,००० रु० और ग्रान्ट्स के लिये ५,७८,८०० रुपया । इस तरह से ५१,२७,००० की जोड़ आती है । बजट में जब हमने इतना खर्चा प्रोवाइड किया है तो इससे यह सिद्ध होता है कि हम आयुर्वेद के महत्व को मानते हैं और यह भी मानते हैं कि कम खर्चे में देहातों में वहां की जनता को चिकित्सा करानी है तो वह आयुर्वेद ही से हो सकती है । यह मानते हैं कि आयुर्वेद ही ऐसी पद्धति है जिनसे देहातों में जनता को चिकित्सा की सुविधा प्राप्त हो सकती है । इतना महसूस करते हुए भी हम आयुर्वेद में खर्चा नहीं बढ़ा रहे हैं । मैं समझता हूं कि आयुर्वेद विभाग के और मेडीकल विभाग के मिनिस्टर साहब अलग अलग हैं और मेडीकल विभाग के मिनिस्टर से आयुर्वेद विभाग के मंत्री महोदय छोटे हैं और नये भी आये हैं इसलिये मेरा मेडीकल विभाग के मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि वे उदारता दिखलावें और थोड़ा सा ज्यादा खर्चा मैडिकल विभाग से दे दें । जहां आपके पास तीन करोड़ रुपया है तो उस हिसाब से आधा कर लें । आप बड़े भाई होने के नाते आपको यह उदारता बतानी चाहिये । इसके साथ साथ अगर बड़े भाई नहीं मानते हैं तो छोटे भाई को चाहिये कि वह जिद्द करके या रो-धोकर मुख्य मंत्री महोदय के सामने रोकर या मचल कर कहना चाहिये कि मुझे अपने बड़े भाई जितनी रकम दिला दीजिये ।

श्री अनूपसिंह : इस तरह से तो आप लड़ा देंगे।

श्री चन्दनमल वैद : ऐसा नहीं होगा। मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि जैसे तैसे हो वे आयुर्वेद की मद में और रकम बढ़ावें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि केवल आयुर्वेद का खर्चा बढ़ाने से ही इसकी उन्नति होने वाली नहीं! आयुर्वेद में दो-तीन डिफेक्ट्स लगे हुए हैं उनको भी दूर करना होगा। उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं : आज हमारे आयुर्वेद के वैद्यों की जो वेतन-शृंखला है उसको देखें तो मालूम होगा कि आयुर्वेद का वैद्य कोई बनना नहीं चाहेगा। अभी कुछ दिनों पहले मुख्य मंत्री महोदय ने बताया था कि हमने कॉलेज के लेक्चरार्स के वेतन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ के मुकाबले के कर दिये हैं, वे इसलिये किये हैं कि योग्य लेक्चरार्स जो होते थे वे वेतन की कमी होने की वजह से आर० ए० एस०, आर० पी० एस० में चले जाते थे और लेक्चरार्स के लिये योग्य व्यक्ति नहीं आते थे इसलिये हमने लेक्चरार्स का ग्रेड बढ़ा दिया है। अब आप तनख्वाह की विभिन्नता को देखिये; एक डॉक्टर को क्या मिलता है और वैद्य को क्या मिलता है :

प्रथम श्रेणी वैद्य—१५० से ३००,

द्वितीय श्रेणी—११० से २२५,

तृतीय श्रेणी ८० से १७५ जो एल० डी० सी० से भी कम है।

उधर हमारे डॉक्टरों की तनख्वाह देखिये :

क्लास टू २०० से ४००,

क्लास वन २५० से ७००-५० स्पे. पे., १५० रु० नॉन प्रेक्टिस पे

जुनियर स्पेशलिस्ट ४०० से ८००,

सीनियर स्पेशलिस्ट ६०० से १२००।

एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हम देशी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देना चाहते हैं दूसरी तरफ हमारे डॉक्टरों के वेतन में और वैद्यों के वेतन में इतना अन्तर है। आप ८० रुपये का वेतन देकर चाहते हैं कि हमें इतने योग्य वैद्य मिलें जो डॉक्टरों से मुकाबला कर सकें? अब आप दोनों विभागों के डाइरेक्टर्स के वेतन की असमानता को लीजिये। दोनों शायद बैठे हुए हैं या नहीं, मैं नहीं कहता....

श्री उपाध्यक्ष : अगर बैठे हुए हों या न हों, इससे आपको क्या मतलब? आपके सामने ट्रेजरी बेन्चेज़ हैं।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता भी नहीं मुझे उनके बैठे रहने से या न रहने से कोई मतलब नहीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों विभागों के अध्यक्षों के वेतन में कितनी असमानता है। हमारे आयुर्वेद विभाग के डाइरेक्टर को ५०० से ८०० के ग्रेड में रखा है और दूसरी तरफ हमारे मेडीकल एण्ड हैल्थ विभाग के डाइरेक्टर हैं १,६५० से २,००० के ग्रेड में, इतनी डिस्पेरिटी है। इसको आप अलग नहीं करेंगे तो दोनों चिकित्सा पद्धतियों में जो आप एक लेवल पर लाना चाहते हैं नहीं ला सकेंगे। इसके बिना आयुर्वेद की उन्नति भी नहीं हो सकेगी। आयुर्वेद के ज्ञाताओं को आप अच्छी तनख्वाह नहीं देंगे तो कोई इस तरफ आने वाला नहीं और योग्य वैद्यों के बिना यह चिकित्सा पद्धति आगे नहीं बढ़

(श्री चन्दनमल वैद)

सकेगी। चाहे आप एग्ज़िस्टिंग वैद्यों की तनख्वाह न बढ़ावें लेकिन आने वाले वैद्यों के लिये आप डॉक्टरों की जितनी तनख्वाह प्रोवाइड कर देंगे तो अच्छे वैद्य आपको मिल सकते हैं और उसी से आयुर्वेद की उन्नति होने वाली है और जो लोग आज यह शिकायत करते हैं कि आयुर्वेद में योग्य वैद्य नहीं हैं वह कमी भी दूर हो जायेगी।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आयुर्वेदिक औषधियों का अभी तक स्टेन्डर्ड सेट नहीं हो पाया है। आज कोई भी च्यवनप्राश, आसव, अरिष्ट बना सकता है। आज कोई भी चाहे वह फार्मेसी खोल लेता है और ये आयुर्वेदिक दवाइयां बनाना आरम्भ कर देता है और जब उन दवाइयों का सेवन होता है और वह असर नहीं दिखलाती तो उससे न केवल आयुर्वेद पद्धति ही बदनाम होती है बल्कि उसको बहुत नुकसान पहुँचता है। इस वास्ते बहुत जरूरी है इन चीज़ों का स्टेन्डर्ड नियत किया जाय। जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाना चाहते हैं वे पहले लाइसेन्स लें और स्पेसिफिकेशन के अनुसार दवाइयों का निर्माण हो। इस तरह से जो कम्पनियां इस प्रकार की दवाइयां बनाना चाहती हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनकी दवाइयों की जांच हो। यदि ऐसा होता रहे तो आम शिकायत जो है इन दवाइयों के बारे में वह दूर हो सकती है। आज किसी को मधुकादि चूर्ण बनाना है तो वह क्या करेगा; वंश लोचन की जगह अमोनिया डाल कर बना दिया। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसका स्पेसिफिकेशन और स्टेन्डर्ड सेट होना चाहिये। यदि ऐसा होता है तो जो बेईमानियां और बदमाशियां होती हैं वे नहीं होने पायेंगी और जो आयुर्वेद में विश्वास लोगों का उठता जा रहा है वह जम सकता है।

इसके अलावा आयुर्वेद के अन्दर रिसर्च और उसके आगे के लिये शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हमें अच्छे वैद्य उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो उसका एक कारण उनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं होना भी है। जिस प्रकार आप एलोपेथी के लिये जगह जगह मेडीकल कॉलेज खोल रहे हैं हमारे एलोपेथीक डॉक्टरों को कोलम्बो प्लान आदि कई प्लान्स के अन्तर्गत विदेशों में उच्च शिक्षा के लिये भेजते हैं ताकि एलोपेथी में जो देश आगे बढ़ रहे हैं उनकी चिकित्सा पद्धति से हमारे डॉक्टर लोग भी जानकार रहें, अपने आपको हम पिछड़ा हुआ अनुभव न करें, लेकिन दूसरी तरफ हम आयुर्वेद के लिये क्या कर रहे हैं? इसके रिसर्च की कोई व्यवस्था नहीं, हमारे आयुर्वेद के लिये रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था नहीं। पचास साल से जो वैद्य है वह उतना ही अच्छा है जितना आज का निकला हुआ नया वैद्य है।

श्री परसराम मैंदरीना (आसीन): क्या आप वैद्यों को अमेरिका भेजना चाहते हैं?

श्री चन्दनमल वैद : अमेरिका नहीं, हमारे हिन्दुस्तान में ऐसी संस्थायें हैं जहां इनको रिफ्रेशर्स कोर्स आदि की शिक्षा मिल सकती है, जैसे जाम नगर में है।

श्री उपाध्यक्ष : सरदारशहर में भी है।

श्री चन्दनमल वैद : हां, हमारे सरदार-

(श्री चन्दनमल वैद)

शहर में भी है, उसको भी उन्नत किया जा सकता है। आखिर जब हम ये सारी सुविधायें उनके लिये उपलब्ध करेंगे तभी जाकर हमारे वैद्य यह बतला सकते हैं कि हम भी अनुसन्धान के अन्दर किसी से पीछे नहीं हैं और यह भी साबित कर सकें कि अन्य पद्धतियों से हमारी आयुर्वेद पद्धति किसी भी प्रकार से पिछड़ी हुई नहीं है। लेकिन यह वैज्ञानिक प्रणाली तो ऐसी है जहां रोज रोज एक्सपेरीमेन्ट्स हो रहे हैं, नई नई खोजें अभी हो रही हैं। जब कि आयुर्वेद वह वैज्ञानिक पद्धति है जो २०० वर्ष पहले ही सारे अनुसन्धान समाप्त कर चुकी है। फिर यह बहुत सस्ती चिकित्सा पद्धति भी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे छः कट मोशन्स हैं। अगर थोड़ा-थोड़ा समय भी सबके लिये दिया जावे तो बीस मिनट तो दिये ही जावें।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने कटमोशन्स पर ही लें अधिक, तो अच्छा है।

श्री चन्दनमल वैद : मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा।

तो मैं यह आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर हमें आयुर्वेद पद्धति की उन्नति करनी है तो हमें इसका स्टेन्डर्ड सैट करना होगा। इनको काफी सहूलियतें देनी होंगी, वैद्यों की तनख्वाएं बढ़ानी होंगी ताकि आयुर्वेद और भी अधिक आगे बढ़ सके, देहातों में अच्छी सेवा कर सके और अधिक कॉम्पिटेन्ट बन सके।

इसके अलावा मेरा एक मामूली सा कट मोशन इस बारे में भी है कि आज जो सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस करने की छूट है वह अनुचित है। उससे बहुत नुकसान होता है। इससे बहुत सी बुराइयां घर कर रही हैं। मैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

जोधपुर, बीकानेर, जयपुर की बात मैं नहीं करता। मैं तो उन कस्बों की बात करता हूं जहां का मुझे अनुभव है। वे अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस के पीछे अस्पताल की अपनी ड्युटीज़ को इग्नोर करते हैं और साधारण जनता की सहूलियतों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। चुरू जिले का या और भी किसी कस्बे के अस्पताल का जिक्र करूं तो अमूमन तौर से कह सकता हूं कि ड्युटी के वक्त पर कोई भी डॉक्टर अस्पताल में बराबर नहीं मिलेगा। पांच घंटे की उसकी ड्युटी है तो दो तीन घंटे तो उसके प्राइवेट प्रेक्टिस में ही जावेंगे। कैसा से कैसा सीरियस केस आया हो, कहीं अगर उनको इन्जेक्शन देना है, किसी सेठ साहब का बुलावा आया है और अगर पांच रुपया या तीन रुपया फीस मिलनेवाली है तो डॉक्टर अस्पताल की ड्यूटी छोड़ कर उसके साथ चला जावेगा। तो प्राइवेट प्रेक्टिस का यह लालच ऐसा है कि अपनी ड्युटी को छोड़ कर वह पांच रुपये और तीन रुपये के पीछे लपकेगा और दूसरे गरीब जो उन्हें घर पर बुला नहीं सकते वे चाहे वहां घंटों बैठे रहें, उनके साथ चाहे कुछ भी बीते कितने ही सीरियस हों उनकी उसको परवाह नहीं रहती। वह इस बात की भी परवाह नहीं करेगा कि सरकार या जनता उसको चार सौ, पांच सौ दे रही है। वह तो समझता

(श्री चन्दनमल वैद)

है कि यह तो सेठ है । बाकी प्राइवेट प्रेक्टिस ही तो कमाई है ! यह अमूमन सभी जगह का हाल है । सरकार को इस पर गम्भीरता से इस पृष्टभूमि में विचार करना चाहिये ।

दूसरी बात अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें बहुत सी मालप्रेक्टिसें भी शुरू हो गई हैं । यह होता है इन्सपेक्शन के वक्त में जब डी. एम. एच. ओ इन्सपेक्शन करने जाते हैं । बीदासर, सरदारशहर, सुजानगढ़ की डिस्पेन्सरियों का इन्सपेक्शन करते समय इन्सपेक्टर कोशिश इस बात की करेंगे कि उन्हें कितनी फीस वहां से दिलवाई जाती है । दस-पन्द्रह जगह उनको घुमा दिया जाता है । १५० रुपया, २०० रुपया दिलवा दिया और इन्सपेक्शन हो गया । वे कहते हैं दस-पन्द्रह जगह घुमा दो, डेढ़ सौ रुपया मेरी फीस का पूरा कर दो, बस इन्सपेक्शन ठीक है । यही हाल डिस्ट्रिक्ट मेडीकल और हैल्थ के इन्सपेक्शन के वक्त है और यही जयपुर से भी जो जाता है, उसका यह हाल है । सभी यही कोशिश करते हैं कि प्राइवेट प्रेक्टिस अगर दिलवाता है लोकल डॉक्टर तो इन्सपेक्शन अच्छा है । लोकल डॉक्टर भी देखता है कि चलो बला टली । इसमें अगर इन्सपेक्शन ऑफिसर सर्जन गया तो फिजिकल के भी केस देख लेता है, जो भी मिल गये ले लेता है । अगर फिजीशियन कोई गया तो सर्जरी के केस देखता है । उनकी मंशा यह रहती है और लोकल डॉक्टर की मंशा भी यह रहती है कि इन्सपेक्टिंग अफसर आया है तो उसको पांच-दस-पन्द्रह जगह घुमाया जाय और वहां से फीस दिलवा दी जाय और ले ली जाय । यह उनका इन्सपेक्शन होता है । यह मनगढ़न्त मैं नहीं कह रहा हूं । तथ्य है । मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं । हमारे डिस्ट्रिक्ट से या जयपुर से जाने वाले किस तरह इन्सपेक्शन करते हैं, विज़ीट्स करते हैं और किस तरह से एक एक डॉक्टर जाता है तो दो-दो, चार-चार सौ पांच-पांच सौ रुपया एक दिन में लेकर आता है । वहां का लोकल डॉक्टर अपने अफसर को खुश करने के लिये पूरी कोशिश करके फीस दिलवाता है ।

यही नहीं, इसी के कारण बहुत बड़ा नुकसान और हो रहा है । जो पेइंग डिस्पेन्सिरियां हैं उनकी एक मेन्टल लिस्ट बनी हुई है । लिखित तो है नहीं । कौन कौन सी कितनी कितनी पेइंग है इसके अनुसार वे अपने फेवरिट आदमियों को वहां रखते हैं । कहा जाता है कि अमुक डिस्पेन्सरी महीने में हजार पे करती है इसलिये फेवरिट नम्बर वन वाले को वहां भेजो । उससे कम आय जहां होती है फेवरिट नम्बर टू को वहां भेजो ।

श्री उपाध्यक्ष : Can you get all that mental list ?

श्री चन्दनमल वैद : और यही नहीं होता है उपाध्यक्ष महोदय, मैं और भी आपको बताता हूं कि क्या क्या होता है । किस तरह की माल प्रेक्टिसेज़ आज इस विभाग में बुरी तरह से बढ़ रही हैं । मैं आपको उसके नमूने बताऊंगा । मान लीजिये कि सरदारशहर में ३ डॉक्टरों की जगह खाली है और वहां अगर मेरे फेवरिट नम्बर वन की पोस्टिंग है तो वहां किसी को नहीं भेजा जावेगा, पोस्टिंग अफसर भी यही चाहेगा कि दूसरा-तीसरा डॉक्टर नहीं आवे । ताकि वहां की प्राइवेट प्रेक्टिस का सारा पैसा उसे मिले, कोई उसमें शेयर करने वाला न हो । अब

(श्री चन्दनमल वैद)

चाहे उनके अभाव में जनता कितनी भी तकलीफें पावे इसकी चिन्ता उनको नहीं। इस बारे में पिछले साल भी जो आज के आयुर्वेद के उप-मन्त्री महोदय थे उनसे मैंने निवेदन भी किया था, उनके ध्यान में लाया था। अब अगर जोर दिया जावे कि दूसरे-तीसरे को भेजा जावे तो इसके लिये भी बहाने कर लिये जाते हैं। डॉक्टर नहीं है, अवेलेबल नहीं है और इसी तरह काफी अर्से तक टालना तो उनके लिये मामूली बात है। पिछले साल मैंने बताया था। पति पत्नी का पोस्टिंग एक ही जगह से किया गया। तीसरे डॉक्टर को वहां नहीं भेजा गया ताकि वे दोनों खूब कमावें, खावें और तीसरे डाक्टर की जगह होते हुए भी पोस्टिंग नहीं की गई। पति पत्नी जो फेवरिट हैं उनकी प्रेक्टिस में भला हो जावेगा।

इस तरह से अब भी इस प्रकार की जो पेइंग डिस्पेन्सरीज हैं उनके लिये कोशिश यह की जाती है कि दूसरे डॉक्टरों की जगह फिल-अप न की जावे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आपका मतलब यह है कि पोस्टिंग के अन्दर भी पोस्टिंग करनेवालों का इन्टेन्शन मैला-फाइडी है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैला-फाइडी है या बोना-फाइडी है, यह मैं नहीं कहता। मैं तो अपनी तकलीफ जो है वह यहां बताना चाहता हूं। जो तथ्य हैं उनको कहना चाहता हूँ।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की जो माल प्रेक्टिसेज़ होती हैं उनको रोकने का उपाय यह है कि हम चाहे उनकी तनख्वाह बढ़ा दें, पर यह कह दें कि आप प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं कर सकते। मैंने देखा है, यू० पी० में इस तरह की प्राइवेट प्रेक्टिस अलाउड नहीं है। यह काम वहां दूसरे प्राइवेट डॉक्टर्स करते हैं। आप उनकी तनख्वाह तीन सौ से चार सौ, पांच सौ, छः सौ कर दीजिये; पर इस तरह से माल प्रेक्टिस से, अन्डरहैन्ड पॉलिसी से जनता से जो पैसा लिया जाता है इसको बन्द करा दीजिये और जनता के हित में गरीब, जनता के साथ ये अच्छी तरह ध्यान दे सकें, प्राइवेट प्रेक्टिस के पैसे के पीछे, उस कमाई के पीछे वे जनता के स्वास्थ्य के साथ लापरवाह न बनें, तो इसके लिये निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिये और इसका उपाय करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : और हम लोगों को नहीं, हम लोग सुनते रहे सो ?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो अन्तिम नाम है। बहुत पीछे है आपका नाम। आप अपना स्थान ग्रहण करें। अगर हाउस आपको आज्ञा दे तो....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : हमें कोई बाधा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : After Mr. Anoop Singh has finished.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव एक ब्रॉड पॉलिसी पर है । ब्रॉड पॉलिसी तो यह रही है कि बाड़मेर जिले को डी. एम. एच. ओ. का ऑफिस नहीं देना । जालोर को दिया गया । अब इसकी वजह से बाड़मेर को क्या तकलीफ हो रही है, यह जब तक मैं आपको दिग्दर्शन न कराऊं आप शायद इसको नहीं समझ सकेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आम बात है कि जिस अफसर का जो हैड क्वार्टर होगा उसकी वृद्धि करने में और उसको सुन्दर बनाने में और वहां अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में स्वाभाविक तौर से उसकी अधिक दिलचस्पी रहेगी । तो ऐसी हालत में बाड़मेर भी है उसके अण्डर में, पर फिर भी वह यह सोचेगा कि जहां मैं रहता हूं पहले उसको सुन्दर बनाऊं । जितना ध्यान वह उधर देगा उतना इधर नहीं देगा और इसी कारण बाड़मेर आज उपेक्षित सा है ।

पर अगर मैं उसकी स्थिति यहां समझाऊं तो वह बहुत उपयुक्त स्थान था और डिज़िवग था डी. एम. एच. ओ. के हैड क्वार्टर के लिये । जालोर की स्थिति और उसकी परिस्थितियां कभी भी बाड़मेर से बैटर नहीं रही, न है, न उसकी एक्सीजेन्सीज़ और एमर्जेन्सी ऐसी कमी थी या है जैसी बाड़मेर की है । बाड़मेर एक तो सीमा पर आया हुआ है इसलिये वहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत से कर्मचारी रहते हैं । वहां एक–दो ट्रेनें पाकिस्तान से आती हैं और जाती हैं । इन यात्रियों का काफी आवागमन वहां है और इसी कारण सेन्ट्रल एक्साइज़ वाले रहते हैं और बहुत से विभाग वाले वहां रहते हैं । स्टेट के और सेन्टर के काफी कर्मचारी वहां रहते हैं ।

इसके सिवाय बाड़मेर की आबादी ३० हजार है, जब कि जालोर की १५ हजार ही है । जालोर में तो बड़ा हॉस्पिटल है और बाड़मेर में छोटा है और वह भी उसके अण्डर में है एक ब्रान्च टाइप । उसके साथ ही साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि जो फैसिलिटी जालोर को मिल रही है वह बाड़मेर को नहीं मिल रही है । इसके लिए बाड़मेर की जनता ने दो साल पहले रोष प्रकट किया और हड़ताल वगैरह भी की और यहां तक कि मंत्री लोगों के पास भी उसकी चर्चा हुई । उसके लिए कई आश्वासन दिए गए पर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया । मैं जानता हूं कि जालोर की परिस्थितियां ऐसी होंगी कि जहां डी० एम० एच० ओ० का ऑफिस रहे लेकिन यह मैं यह नहीं चाहता कि बाड़मेर जो कि एक पिछड़ा हुआ इलाका है वह पिछड़ा ही रहे । बाड़मेर जालोर से १॥ होते हुए और पोपुलेशन में दुगुना होते हुए यह समझ में नहीं आता कि यह पार्शियेलिटी किसलिए की जा रही है, इसका अन्दाजा नहीं है । साथ ही साथ वहां पर डी० एम० एच० ओ० ऑफिस नहीं होने की वजह से एक्सरे अस्पताल में नहीं है । जनता ने एक्सरे के लिए कई बार कहा, हम एक्सरे के लिए कन्ट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं । उसके लिए

(श्री अनूपसिंह)

सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता है कि एक्सरे प्लान्ट मंगवा रहे हैं, उसका कोई पता नहीं। वहां कम्पाउन्डर्स पूरे नहीं, नर्सेज़ पूरी नहीं और वहां की आबादी को देखते हुए उस जगह के लिए जो कम्पाउन्डर्स और नर्सेज़ का नम्बर मिला हुआ है वह निहायत कम मालूम पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ फिर अर्ज करूंगा कि वहां डी० एम० एच० ओ० का ऑफिस नहीं होने की वजह से सिवाणा बाड़मेर में एक तहसील है वहां पब्लिक हैल्थ सेन्टर के लिए सरकार ने डिक्लेयर किया। वह पब्लिक हैल्थ सेन्टर लगाया भी गया। उसके लिए दवाइयां आ गई, उसका सारा कोटा आ गया, सारा सामान आ गया उसके बाद में क्या होता है कई राजनैतिक कारण हो सकते हैं और यह कहा गया है कि क्योंकि यह तो सिवाणा नहीं यह तो सियाणा था और यह स्पेलिंग मिस्टेक थी और यह पब्लिक हैल्थ सेन्टर तो एक्चुएली सियाणा में जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर सियाणा होगा तो आखिर उसके पीछे डिस्ट्रिक्ट का भी तो नाम होगा। या तो जालोर लिखा होगा या बाड़मेर लिखा होगा। तो यह गल्ती सिर्फ स्पेलिंग की वजह से पब्लिक हैल्थ सेन्टर जमा हुआ, एक जगह रखा हुआ पांच-सात महीने के बाद जालोर के सियाणा गांव में भेज दिया जाता है। मैं समझता हूं कि अगर डी० एम० एच० ओ० का ऑफिस बाड़मेर होता तो ऐसी पार्शिलिटी नहीं होती। जब इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं तो एक मजबूरी हो जाती है कि इस तरह की बातें सदन में रखें और सरकार का ध्यान इस तरफ लायें और स्पेलिंग मिस्टेक बता कर आपके ऑर्डर्स नहीं बदलने चाहिए। अगर आपके ऑर्डर्स सिवाणा के लिए हैं तो सिवाणा के लिए ही रहने चाहिए और अगर सियाणा के लिए हैं तो सियाणा के लिए ही रहने चाहिए। मैं सियाणा की जनता के लिए कोई ईर्ष्या नहीं करता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिवाणा को आज पब्लिक हैल्थ सेन्टर की जरूरत नहीं है। क्या आखिर बाड़मेर में दो-तीन पब्लिक हैल्थ सेन्टर हो गए कि जहां एक पब्लिक हैल्थ सेन्टर भी आपको गवारा नहीं? इस तरह की ओवरसाइट की मिस्टेक और स्पेलिंग की मिस्टेक बता कर बड़ी पॉलिसी की बात को हटा कर दूसरी पॉलिसी रख दें। मैं समझता हूं कि यह पार्शिलिटी के सिवाय दूसरी बात नहीं हो सकती। मैं यह समझता था कि केबिनेट मीटिंग वहां पर हुई है वह कुछ फैसला करेगी। लेकिन केबिनेट मीटिंग हुई और उसका कोई फैसला नहीं हुआ और न इसका डिक्लेरेशन हुआ और न कोई बात ब्रॉड पॉलिसी की बताई कि वहां एक्सरे प्लान्ट लगा रहे हैं या हॉस्पिटल में बैड्स को बढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं आपको अर्ज करूं कि वहां एक तो सिवाणा में डिस्पेन्सरी है, एक छोटा सा अस्पताल बालोतरा में है और छोटा सा अस्पताल बाड़मेर में है और इसके अलावा कहीं एक-दो मामूली डिस्पेन्सरीज़ होंगी तो होंगी वर्ना वह एरिया ऐसा है कि जहां ३०-४० मील के एरिया में डॉक्टरों की शक्ल देखना भी मुमकिन नहीं है। हां, कोई आदमी मर जाये और उसकी लाश मिल सकती है तो उसको जरूर चार-पांच

(श्री अनूपसिंह)

रोज बाद डॉक्टर मिल जाये पर जिन्दा आदमी चाहे तो वहां डॉक्टर का हाथ लगना मुश्किल हो जाता है। मैं वहां मानता हूँ कि कम्युनिकेशन्स की कमी है। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि जो आज पिछड़ा हुआ है व पिछड़ा ही रहेगा और कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जालोर के नुमाइन्दे ज्यादा असर रखते हैं तो मैं कहता हूं कि जनता तो दोनों जगह एक ही है। तो फिर कौन से ऐसे पॉलिटीकल रीज़न्स हो सकते हैं? हमारे डाइरेक्टर महोदय मिस्टर शर्मा शायद बाड़मेर से नाइत्तिफ़ाक रखते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इसकी वजह क्या हो सकती है कि जिसकी वजह से शर्मा साहब बाड़मेर के खिलाफ हो सकते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : I feel that you might refrain from giving reflections about it. We are concerned with the Government.

श्री अनूपसिंह : I am not pointing towards any Officer.

श्री उपाध्यक्ष : But at the same time it does not fit in.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): गवर्नमेंट नाराज हो जायेगी।

श्री अनूपसिंह : पर मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों है?

श्री उपाध्यक्ष : Such references are not usually made.

एक माननीय सदस्य : पर नाम न लीजिए।

श्री अनूपसिंह : एक्सरे प्लान्ट वहां होने का नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल होने का नहीं है फिर नाम लेने से कोई नुकसान भी नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : That is not the practice of the other Houses, as well as our own House.

श्री अनूपसिंह : मैं आपके आदेश को मानूंगा। इसके सिवाय एक एडवाइज़री बॉडी बनी थी और हमारे यहां से भी कोई माननीय सदस्य उसके सदस्य थे और कहा गया था कि आपका एडवाइज़री करेक्टर रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसकी एक-दो मीटिंग ही हुई होंगी। इसी तरह से बहुत सी एडवाइज़री कमेटीज़ बनी हैं एग्रीकल्चर की, मेडीकल की लेकिन मैं समझता हूं कि मेडीकल एडवाइज़री कमेटी की एक-दो मीटिंग ही हुई होंगी वर्ना पिछले दो-ढाई साल से कोई मीटिंग नहीं हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

फिर यह कोई बताने वाला नहीं है कि यह चीज क्यों नहीं हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव आपके सामने रखते हुए बाड़मेर की जनता जो कि बीमार जनता है, पीड़ित है और जिसको कोई संभालने वाला नहीं है उनका एक छोटा सा नुमाइन्दा होकर यह अर्ज करूंगा कि वह बहुत बड़ी जनता है और ऐसे इलाके की जनता है जो किसी दिन भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। खतरनाक इस सिलसिले में कि वहां पाकिस्तान का बोर्डर है और उनको अगर आप रात-दिन की फैसेलिटीज़ देने में

(श्री अनूपसिंह)

महरूम कर देंगे तो पॉलिटीकली वह राष्ट्र के लिए खराब हो सकती है। यह चीज मैं इसलिए अर्ज नहीं कर रहा हूँ कि मुझे अपने एरिया से कुछ लगाव है और दूसरों से कुछ तकरार हो। मैं समझता हूँ कि जालोर में कुछ हुआ है और गलत हुआ है तो उसको कहने का मैं पूरा हकदार हूं। पर इसका मतलब यह नहीं कि दो भाइयों में ऐसी नाइत्तफाकी की बातें हमारी सरकार करे। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव रखते हुए माननीय....हमारे बड़े भाई तो गायब हैं।

श्री उपाध्यक्ष : छोटे भाई से कह दो।

श्री अनूपसिंह : तो आयुर्वेद के मंत्री महोदय से यह अर्ज करूंगा कि बड़े भाई से मेरी सिफारिश करें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर–सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा के सम्बन्ध में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं, जिन्हें प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला प्रस्ताव है धरियावाद डिस्पेन्सरी में डॉक्टरों के अभाव के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : उसको पढ़िये नहीं। हमने मान लिया कि आपने मूव कर दिए। आप तो भाषण आरम्भ करिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : मेरा पहला प्रस्ताव है धरियावाद डिस्पेन्सरी में डॉक्टरों के अभाव के कारण। जब कि धरियावाद में जवाहरनगर नाम की एक बस्ती है और पहाड़ी इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है वहां हमारी सरकार ने लाखों रुपया लगा कर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की बिल्डिंग बनाई, क्वार्टर्स भी स्टाफ के लिए बनाये। तो जब वहां सारे साधन-सुविधा होते हुए मेडीकल डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर साहब इतने चतुर हैं कि जब भी उदयपुर डिविज़न में कई डिस्पेन्सरी ऐसी हैं कि जहां ५ डॉक्टर मौजूद हैं और पहाड़ी इलाके का हमारा उदयपुर एक केन्द्र है। पर उदयपुर से ४० मील दूर का जो पहाड़ी इलाका है वहां जनता के लिए कोई दवा दारु का इन्तजाम नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : दारू तो है।

श्री हरिप्रसाद यादव : प्राचीन काल की सभ्यता में मैंने यही देखा है। मैं धरियावाद के उस अस्पताल की बिल्डिंग को देख कर हैरत में रह गया। जब कि हमारे डाइरेक्टर साहब उदयपुर आये तो हो सकता है, कहीं डाइरेक्टर साहब के दिमाग में कोई फितूर है....

श्री उपाध्यक्ष : आप देखिये यह शब्द वापिस लें। यह अनुचित है। मैं इस शब्द को वापिस लेने की व्यवस्था देता हूं। आप भाषा पर संयम रखें।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं 'फितूर' शब्द वापिस लेता हूं।

(हंसी)

वहां पर डॉक्टर, नर्सेज़, कम्पाउन्डर नहीं भेजे गये। ऐसी सूरत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उदयपुर डिविज़न में कई डिस्पेन्सरीज़ ऐसी हैं कि जहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स भी हैं और पहले का दवाखाना भी था। वहां पर दो-दो डॉक्टर उपलब्ध हैं थोड़े से व्यक्तियों के लिए लेकिन जहां पर

Page No.92

(श्री हरिप्रसाद यादव)

लाखों लोग जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासी लोग हैं उनके लिए जब हमारी सरकार ने इस सदन में फैसला किया कि हरिजनों और आदिवासियों को प्राथमिकता दी जाय। लेकिन उन लोगों को प्राथमिकता देने के बजाय वहां पर उन बिल्डिंगों को देखते हैं, उन मकानों को देखते हैं तो हैल्थ मिनिस्टर साहब की याद आ जाती है।

(हंसी)

हैल्थ मिनिस्टर साहब के डिप्टी मिनिस्टर साहब जब हमारे भीखाभाई साहब थे, उनसे कई बार निवेदन किया कि इन पहाड़ी इलाकों की ओर, इन गरीब आदिवासियों की ओर निहारो और देखो, उन लोगों के लिए दवाइयों का इन्तज़ाम होना चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा कटमोशन ले लें आप।

(हंसी)

श्री हरिप्रसाद यादव : तो ऐसी सूरत में डाइरेक्टर साहब ने कोई तवज्जोह नहीं दी। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अब भी जानकारी करके इन्तजाम करेंगे।

दूसरा प्रस्ताव मेरा भोपाल सागर में लेडी डॉक्टर के सम्बन्ध में था। जब कि हमारे राजस्थान के मेडीकल विभाग की यह हालत रही है कि कोई महिला इनके विभाग में आकर क्या करे? पहले उनसे दुराचार की बात की जाती है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!! मुझे दुःख है कि आपका भाषण बन्द करना पड़ेगा। आप इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आप इस तरह से रिफ्लेक्शन डाल रहे हैं वह बहुत बुरी बात है।

एक माननीय सदस्य : अगर सही बात है तो इसके सम्बन्ध में उदाहरण दें।

श्री हरिप्रसाद यादव : इसके सम्बन्ध में उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने शब्द वापिस लें। उठिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उदाहरण देने दीजिये।

(हंसी)

आपका फैसला हो जायेगा, उसके बाद में तो इसको वापिस लेने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!! आप अपने शब्द वापिस लेंगे या नहीं!

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं इन लफ्ज़ों को वापिस लेता हूं, किन्तु इसके साथ में यह निवेदन करूंगा कि जब इस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने परिवार नियोजन का एक बिल रखा और हमारे साथियों ने यहां पर बहस की और जो मेडिकल डिपार्टमेंट के, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और डिप्टी मिनिस्टर....

श्री उपाध्यक्ष : आपका कटमोशन क्या है? ऑर्डर! ऑर्डर!! भोपाल सागर के

(श्री उपाध्यक्ष)

सम्बन्ध में है या फेमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे। मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं तो आप पक्षपात की बात क्यों करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मैं आपका भाषण समाप्त करता हूं। आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८, चिकित्सा, के संबन्ध में मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। पहला मेरा कटौती प्रस्ताव है ग्रामों के आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियों के अभाव पर बहस करने हेतु।

मैं अपने इस कटौती प्रस्ताव पर विचार प्रगट करूं उससे पहले मैं उस सरकारी नीति की आलोचना करना चाहता हूँ जिसके तहत हम इस बात का बिल्कुल निर्धारण नहीं कर सके हैं कि आया हम एलोपेथिक के लिए ज्यादा खर्च करना चाहते हैं या राजस्थान के अन्दर, जहां कि गांवों के अन्दर देहातों में जो लोग रहते हैं उनको राहत देने की व्यवस्था के लिए अधिक गांवों पर पैसा खर्च करें। आयुर्वेदिक विभाग के लिए जो पैसा दिया गया है इस बजट के अन्दर अगर उसको देखते हैं तो बड़ा अफसोस यह होता है कि आज एलोपेथिक चिकित्सा के लिए करोड़ों की संख्या रखी गई है वहां लाखों रुपयों से केवल आयुर्वेदिक का काम निकाला गया है, और उस सारे काम में से इतना पैसा एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होता है, नौकरों और सर्विसेज़ पर खर्च हो जाता है कि उसमें नजर नहीं आता है कि कितना पैसा आयुर्वेदिक औषधियों के लिए खर्च कर रहे हैं।

जब मैं गांवों के अन्दर जाता हूँ और वहां के औषधालयों को देखता हूं तो जगह जगह सुनने को मिलता है कि वहां के औषधालयों में किसी प्रकार की औषधियां नहीं हैं। साल भर में, कीमती औषधियों की तो बात ही क्या मामूली औषधियां भी ६००) या ५००) रु० की पहुँचाई जाती हैं जिससे बहुत थोड़े लोगों को वे दे सकते हैं। कीमती दवायें तो वहां पहुंचती ही नहीं हैं ! इस प्रकार के औषधालयों को स्थापित करके हम क्या करना चाहते हैं ? केवल वैद्यों को तनख्वाह देना चाहते हैं। औषधियों का पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किया गया तो यहां पर औषधालय खोलना बेकार है। उसका कोई मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि गांवों के लोग चिकित्सा प्राप्त कर सकें तो आयुर्वेद जो सब से कम कीमत की चिकित्सा है वह बहुत ही कम कीमत से बहुत से लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। उन आयुर्वेदिक औषधालयों में पर्याप्त मात्रा में औषधियां नहीं दे सकते हैं कि वे गांवों के अन्दर अच्छी तरह से उनको सप्लाई कर सकें, लोगों को दे सकें तो फिर इस प्रकार के औषधालय खोलने से कोई लाभ नहीं है। मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ इतना ही कहना चाहूंगा कि कम से कम रकम बजट में औषधियों के लिए पर्याप्त रखनी चाहिए थी जिससे गांवों

(श्री दयाकृष्ण विजय)

के अन्दर जितने औषधालय खोले जायं उनको पर्याप्त मात्रा में दी जाय और कीमती औषधियां जो हैं वे भी वहां पर पहुँचाई जायं क्योंकि उनकी भी वहां पर आवश्यकता होती है। यह कोई निश्चित बात नहीं है कि गांवों में बीमार कम होते हैं और शहरों में ज्यादा होते हैं। गांवों में ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं क्योंकि वहां पर गंदगी रहती है। वहां पर सफाई का प्रबन्ध नहीं होता है, वहां पर लोग गन्दी नालियों में रहते हैं। हालांकि मलेरिया को रोकने के लिए कदम उठाये हैं, मगर जितनी बीमारी गांवों में देखने को मिली हैं उतनी शहरों में नहीं होती है। इसलिए गांव के लिए अधिक रकम रखी जाय और औषधियां पर्याप्त मात्रा में पहुँचाई जाय।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा १६५६–६० में प्रचलित भावों से अधिक भावों पर खरीदी गई औषधियों पर वाद-विवाद करने के लिए। यह एक बड़ा मसला है। मैं चाहूँगा कि चिकित्सा मंत्रीजी यहां होते जो कि इसको डील करते हैं तो ज्यादा लाभदायक और अच्छा होता। मैं चाहता हूं कि जो भी मैं फैक्ट्स रख रहा हूँ वह इतने जोरदार हैं कि उसकी जांच की जाय तो मालूम पड़ेगा कि इस डिपार्टमेंट में इतना जोरदार भ्रष्टाचार चल रहा है। एक एक चीज़ को स्पेसिफिकली आपके सामने रखूंगा। मेरे से पहले इस बात का आरोप लगाया गया है कि आप लोग जन संघ वालों ने सरकार में फैले हुए भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने का ठेका ले लिया है, लेकिन आज जनता गले तक भर गई है। भ्रष्टाचार से पब्लिक के प्राण निकलने लगे हैं। हम लोगों के पास में फैक्ट्स आ रहे हैं। मैं निष्पक्ष रूप से इनको रखना चाहता हूँ कि जो खरीद हुई है उस खरीद के भावों को मैं बताना चाहता हूं कि उनकी जांच की जाय। एक तो आपके यहां खरीद करने के लिए एक कमेटी है। उस कमेटी के अन्दर स्टोर्स पर्चेजिंग के लिए मेडीकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर खुद ही चेयरमैन हैं और उस कमेटी के जो अधिकारी हैं वे इस प्रकार से हैं कि जो भी मेन्युफेक्चरिंग कम्पनीज़ हैं उनसे पत्र-व्यवहार करके और हिन्दुस्तान के अन्दर कहां कहां और कौन कौन सी औषधियां उपलब्ध हैं उनसे पत्र–व्यवहार करके उनसे कॉटेशन मंगाने चाहिए और वहां से सारे टेन्डर्स वगैरह इन्वाइट करने चाहिए। वह चीज़ इसमें नहीं की गई। इसके अतिरिक्त जो मेन्युफेक्चरर्स हैं उनके बजाय जो ब्रोकर्स हैं उनसे सारी औषधियां ली हैं। इसमें मुझे काफी समय लग सकता है लेकिन मैं डिटेल देना चाहता हूँ कि उन औषधियों के लिए दूसरी कम्पनियों और पेकर्स हैं उन्होंने क्या भाव लिखे हैं, जब कि आप बाजार में, जयपुर के बाजार में मेडिकल हाल से सस्ते भाव से ले सकते हैं। यदि मैं आरोप लगाता हूँ तो यह खुला भ्रष्टाचार है, इसकी जांच होनी चाहिये। उस अधिकारी के साथ जिसने खरीदी है, जिसने अलग अलग कंपनियों से खरीदी है, एक्शन लेना चाहिये। जिस जिस कंपनी से जो जो दवाई ऊंचे भाव से खरीदी हैं उसकी मैं लिस्ट पेश कर सकता हूँ। भदवार एण्ड कंपनी, दिल्ली से एसिड हाईड्रो ब्रोमिक ३.५० प्रति पौंड के दाम से खरीदी है जब कि उसका बाजार भाव २.२५ पैसा है। इसी तरह से क्लोरल हाई ड्रास १२ रु० प्रति पौंड से खरीदी है और उसका बाजार भाव

(श्री दयाकृष्ण विजय)

७ रु० पॉउन्ड है । पोटास ब्रोमाइड ३।।।) पाउन्ड से खरीदा है जब कि बाजार में इसका खुला भाव ३ रु०, ३ आ० पाउन्ड है । इसी तरह से स्प्रिट वाइनम गैलीसाई १४।।।) से खरीदा है जब कि डाइरेक्ट फैक्ट्री से मंगाया जाय तो ६ रु० पाउन्ड से मिल सकता है । इसी तरह से हनी, जिसे शहद कहते हैं ३।।) से खरीदा है जब कि बाजार में २ रु०, ६ आ० प्रति पाउन्ड से मिलती है । एसिड कारबोलिक क्रिस्टल ३।)रु० से खरीदा है और बाजार में खुले भाव से २ रु०, २ आ० में मिलता है । क्रिस्टल वायलेट २५ ग्राम ३।।।) पर खरीदा है जब कि बम्बई में यह १ रु०, ३ आ० से मिलता है । डेक्सट्रोज़ ३ रु०, १२ से खरीदा है और बाजार में २ रु०, ५ आ० से मिलता है । कार्बन टिकाक्लोराइड ३ रु०, पौने चार आने से खरीदा है जब कि १ रु० ६ आना से मिलता है । हाइड्रोजन पैरोक्साइड ८.५ पर खरीदा है जब कि २।।) पर मिलता है । एलकोहल एब्सोल्यूट ५ रु० में खरीदा है और १), १।) से मिलता है । और तारीफ की बात यह है कि जिस चीज को नेशनल केमिकल एण्ड फर्मा, वर्क्स, पटना से एल्कोहल एब्सोल्युट ७ रु० पाउन्ड पर खरीदा है वही बाजार में ४।।), ४।।।) पर पाउन्ड से मिलता है । आपने दो कंपनियों से अलग अलग खरीदा है । इसी तरह से हिन्दुस्तान ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से फोरीकट अमोनियम साइट्रास ६.७५ पै० से खरीदा है उसका बाजार भाव ४।।), ४।।।) रु० है । इसी तरह से नेशनल केमिकल एण्ड फर्मा वर्क्स, पटना से जो दूसरी चीजें खरीदी हैं वे भी बढ़े हुए भाव पर खरीदी हैं । इसी तरह से राजस्थान फर्मा वर्क्स से ग्लुकाज़ पल्व २ रु० पाउन्ड से खरीदा है वह बाजार में १।। रु० पाउन्ड से मिलता है । इसी तरह से एसिड कार्बोलिव, हाईड्रोज ऑक्साइड, एसिड सल्फूरिक, एसिड हाईड्रोक्लोरिक आदि ऐसी दवाइयां खरीदी हैं जिनकी सारी की सारी लिस्ट मैं दे सकता हूं । आप इसकी जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब की सब ऊंचे भाव से खरीदी गई हैं ।

मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूँ कि ये दवाइयां हाई प्राइसेज़ पर खरीदी गई हैं । यदि इस प्रकार से हाई प्राइस पर दवाइयें खरीदते हैं या जनता का पैसा इस तरह से खर्च करते हैं तो यह खुला भ्रष्टाचार है । इसकी जांच होनी चाहिये । फिर आप बजट बनाते हैं गांवों की भलाई के लिये लेकिन उसको भ्रष्टाचारियों के हाथ में सौंप देते हैं । जैसे जयपुर से आनेवाले पूर्व वक्ता ने सुझाव दिया कि आप एक कमेटी बनाइये मेम्बर्स की जो मिल कर इन चीजों को खरीदें । इन सरकारी अधिकारियों के हाथ में खरीदने की ताकत मत दीजिये क्योंकि ये लोग खुले तौर से भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं । डाइरेक्ट एजेन्ट्स से मिले हुए रहते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं । यदि आप भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं तो मेम्बर्स की, विभिन्न पार्टियों के मेम्बर्स की एक कमेटी बनाइये । वही कमेटी दवाइयें खरीदें । डाइरेक्ट मेन्युफेक्चरर्स से कमेटी बात करे । आपके यहां जो स्टोर्स पर्चेज़ कमेटी का प्रभाव है उसको खत्म करना चाहिये । मैं मांग करता हूं कि इस कमेटी को खत्म करें और जिन लोगों ने ऊंचे भाव से खरीदा है उनकी जांच कराई जाय और दोषी हों उनको दंड देना चाहिये । निष्पक्ष लोग सभी पार्टीज़ के हों उनकी एक कमेटी बनाइये जिसमें सभी पार्टीज़ के रिप्रजेन्टेटिव हों । राजस्थान का एक प्राविन्शियल स्टोर बना दीजिये और वहीं से

(श्री दयाकृष्ण विजय)

डिस्ट्रिब्युशन होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो आरोप डाइरेक्टर, मेडीकल एंड हैल्थ सर्विसेज के खिलाफ लगाये गये हैं उनकी खुली जांच होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दलीपसिंह।

श्री दलीपसिंह (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा इस मांग पर एक छोटासा कटौती प्रस्ताव है। मोडक स्टेशन पर आयुर्वेदिक औषधालय है उसकी क्लास बढ़ाने के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। वहां पर ११–१२ साल से, फोर्मर राजस्थान के जमाने से आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी खुली हुई है। सन् ४६ में वहां पर डाइरेक्टर आयुर्वेद विभाग दौरा करते हुए तशरीफ लाये थे। उन्होंने मुआयना किया कि वहां पर बीमारों की तादाद और बढ़ेगी इसलिये वे अपने मुआयने में यह लिख गये थे कि यहां डिस्पेन्सरी बी क्लास लगने लायक है। वहां की ग्राम पंचायत हर साल गवर्नमेन्ट से निवेदन करती रही है कि इस औषधालय का ग्रेड बढ़ाया जाय लेकिन अब तक सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कुछ उनके नियम हैं उनके अनुसार जहां तक मैंने सुना है ३ हजार की आबादी लाजिमी रखी है, तीन हजार की आबादी पर बी क्लास डिस्पेन्सरी खोली जायेगी। इस गांव की आबादी पुरानी मर्दमशुमारी के हिसाब से जरूर २ हजार की है लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इसके आसपास आधा मील से लेकर ५–६ मील तक पत्थर की खानों का कारोबार फैला हुआ है और हजारों की तादाद में मजदूर और कारीगर खानों पर रिहास रखते हैं जो जंगल में हैं और आबादी में शुमार नहीं हैं। वहां पर बीमार काफी आते हैं। चोट लग जाने से मरहम पट्टी कराने के लिये भी काफी लोग आते हैं। पत्थर की खानों में काम करने के कारण मजदूरों के अक्सर चोट आ जाती है इसलिये बीमारों की तादाद और मरहम पट्टीवालों की तादाद काफी रहती है। वहां पर एक दफा इन्सपेक्टर, आयुर्वेद विभाग जिनका हैड क्वार्टर बूंदी में है आये थे। मेरा भी उनसे मिलान हुआ था। उन्होंने तसल्ली करली थी। मैंने उनसे कहा कि आप लिख कर इसको बी क्लास करवाइये। फिर डेढ़–दो साल की बात है डाइरेक्टर साहब से मिलान हुआ था, मैं मिनिस्टर साहब के पास रिप्रजेन्टेशन लेकर गया था जो ग्राम पंचायत की तरफ से आया था। मैंने पर्सनली उन्हें पेश कर दिया था। मेरे ख्याल से यही रुकावट पड़ती है कि आबादी की लिस्ट है उसमें देखते होंगे कि आबादी ३ हजार की नहीं है। आबादी वहां की इसलिये नहीं बनती कि उसके इर्द-गिर्द हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। उस डिस्पेन्सरी को अपग्रेड करने की जरूरत है। पहले तो यह था कि एलोपेथिक और आयुर्वेद दोनों एक ही मंत्रीजी के पास थे इसलिये वे मजबूर हो जाते होंगे इसलिये दूसरे भाग की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता होगा लेकिन अब जब इसकी पोर्टफोलियो अलग कर दी गई है तो मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा और डाइरेक्टर महोदय से भी निवेदन करूंगा कि मैंने जो कुछ अर्ज किया है इसकी जांच कर लीजिये और इस पर ध्यान देकर इस डिस्पेन्सरी को जरूर अप-टू-डेट किया जाय।

Page No.97

श्री उपाध्यक्ष : श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग के सम्बन्ध में मेरे चार कटौती के प्रस्ताव हैं। मेरा पहला कटौती का प्रस्ताव प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने हेतु में विचार करने के सम्बन्ध में है। अभी थोड़ी देर पहले फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जो भ्रमपूर्ण विचार प्रगट किये वे हमारी सरकार की प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति उपेक्षा और उदासीनतापूर्ण नीति के परिचायक हैं। मैं सरकार को यह बताना चाहती हूं कि यह सरकार की जिम्मेदारी और कर्त्तव्य है कि वह लोगों में से प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति इस तरह के भ्रम को दूर करके उसका सही अर्थ, उचित अर्थ बताये। वस्तुतः प्राकृतिक चिकित्सा एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा एक जीवन पद्धति है, जो हमें स्वस्थ रहना सिखाती है। और चिकित्सा रोग के बाद की चीजें हैं लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा रोग के पहले की चीज है और वह प्राकृतिक चिकित्सा, जीवन पद्धति, शरीर को, मन को, आत्मा को स्वस्थ रखना सिखाती है। प्राकृतिक चिकित्सा को यदि हम इस अर्थ में ग्रहण करेंगे तो ठीक होगा।

माननीय सदस्य ने प्राकृतिक चिकित्सा क्लीनिक का कितना विरोध किया और कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा एक महंगी चिकित्सा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक चिकित्सा, चिकित्सा पद्धति नहीं है, इसलिए महंगी, सस्ती होने का सवाल नहीं है। यह जीवन पद्धति है, स्वस्थ जीवन कैसे हो, स्वस्थ होकर जीना सीखें, यह हमें सिखाती है। इसके साथ साथ माननीय सदस्य प्राकृतिक चिकित्सा की क्रिया को खर्चीली बता रहे थे। मैं समझती हूँ वे प्राकृतिक चिकित्सा को नहीं समझते बल्कि अपनी अज्ञानता का मजाक उड़ाते हैं और उसके खिलाफ यहां बातें करते हैं। मैं स्वयं ऐसे प्राकृतिक निसर्गोपचार आश्रम को जानती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक निसर्गोपचार आश्रम डाइबिटीज़ के ऊपर रिसर्च कर चुकी हूं निसर्गोपचार के द्वारा डाइबिटीज़ को ठीक कर चुका है। एक डाइबिटीज़ के रोगी को छः महीने आश्रम में रख कर चिकित्सा की, उसके बाद उसको शक्कर और चावल दिला कर देखा, तो शक्कर नहीं आई। पश्चिम के लोगों के पास सिर्फ इनसेलाइन है, उससे वे इसे समाप्त नहीं कर सकते, केवल अस्थाई रक्षा कर सकते हैं। इस तरह की खोज हमारे निसर्गोपचार आश्रम में होती है तो अगर सही रूप में इसको बढ़ाना चाहेंगे तो और भी प्रयोग कर सकते हैं। यह जिम्मेदारी सरकार की है कि लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा का सही अर्थ ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। हमारी सरकार पर पश्चिमी चिकित्सा पद्धति का रंग चढ़ा हुआ है, पश्चिम की चिकित्सा पद्धित को बड़ी मात्रा में अपनाती है। उसके लिए बहुत कहा गया है, उस सब को दोहरा कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहती। अब सरकार का ध्यान पुरानी चिकित्सा पद्धति की ओर थोड़ा सा गया है लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का नाम लेकर ही सरकार छुट्टी पा जाना चाहती है, यह ठीक नहीं है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति थोड़ा जागरूक होकर सरकार को प्रयत्न करना पड़ेगा।

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव अस्पतालों

(डॉ० चन्द्रकला)

की अव्यवस्था के बारे में है । इसके बारे में सदन में कई माननीय सदस्यों ने जनता की आवाज को रखा है ! बड़े बड़े अस्पताल हमारे पास हैं लेकिन उनसे जनता को फायदा नहीं मिलता है। मैं मानती हूं कि डॉक्टरों की ड्युटी बहुत बड़ी होती है बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है उनसे इतने कठिन परिश्रम की आशा करते हुए थोड़ी बहुत भूल-चूक भी हो सकती है लेकिन रोग समय देख कर नहीं आया करते हैं, रोग निश्चित् नहीं होते हैं। लेकिन बड़े बड़े अस्पतालों में, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जयपुर और जनाना अस्पताल जयपुर में, इन दोनों अस्पतालों में इतनी अव्यवस्था है जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। रोगियों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार नहीं होता है. प्रवेश मिलने में मुश्किल होती है, प्रवेश मिलने के बाद चिकित्सा होने में मुश्किल होती है। जिस तरह का व्यवहार होता है, डॉक्टरों और नर्सों के द्वारा वह बहुत अमानवीय होता है और इस तरह से वहां के लोगों के द्वारा रोगियों के जीवन से खिलवाड़ किया जाता है। जिस तरह का व्यवहार इन दोनों अस्पतालों में होता है उससे जनता बहुत दुखी रहती है और इस तरह की उम्मीद नहीं करती है। प्रवेश के सम्बन्ध में, डॉक्टरों और नर्सों के व्यवहार के सम्बन्ध में, और जो दूसरी दवायें वहां दी जाती हैं उनके लिए कहां जाता है कि जो डिब्बों में आने वाली दवायें होती हैं वे दूसरे जरिये से केमिस्ट की दूकान पर पहुँच जाती हैं और वहां बिकती हैं। उसके बदले रोगियों को शुद्ध जल भी मिलता है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। इसी तरह खाने पीने की चीजों में होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि मरीजों के नाम से आया हुआ दूध, डॉक्टर और नर्सों के काम में आता है और रोगियों को उसमें से बहुत थोड़ा हिस्सा मिलता है। इस बारे में हमारी सरकार को....

श्री भीखाभाई (आयुर्वेद मंत्री) : Vague allegation.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I too treat it as vague and I would request the Hon'ble Member to cite some examples.

डॉ० चन्द्रकला : सवाई मानसिंह अस्पताल की बात कर रही हूं, जनाना अस्पताल की बात कह रही हूं और इससे ज्यादा क्या....

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहता हूं कि आप उदाहरण दे दें ताकि मंत्री महोदय उत्तर दे सकें।

डॉ० चन्द्रकला : बता तो रही हूं जो दूध दिया जाता है, उसके बारे में। अब क्या इसका उदाहरण किसी का नाम लेकर बताऊं ?

श्री उपाध्यक्ष : वही तो।

डॉ० चन्द्रकला : वह भी बता दिया करूंगी। मैं तो खूब बताऊं....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): अभी बता दीजिये।

डॉ० चन्द्रकला : समय बहुत कम है।

इसके बाद मेरा कटौती प्रस्ताव आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में है। इसके

(डॉ० चन्द्रकला)

विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती लेकिन एक बात जरूर निवेदन करनी है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विषय में जो हमारी सरकार का रुख है वह धीरे धीरे सुधार की ओर जा रहा है,क्योंकि एक विभाग पूरा का पूरा हो गया, सम्पूर्ण रूप से एक मंत्री इसके लिए नियुक्त हो गये हैं, एक पूरा विभाग चल रहा है लेकिन जो वैद्य लोग हैं और जो विभाग है वह खुद भी इसमें गड़बड़ी करते हैं। मैंने वैद्यों को इन्जेक्शन लगाने की ओर प्रेरित होते देखा है। बहुत से वैद्य पेटेन्ट दवायें देते देखे जाते हैं। ये जो दवा करते हैं, इनमें खुद मे पुरानी चीजों के लिए कद्र नहीं है, उनको उन चीजों की कद्र करनी चाहिये और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की ओर प्रवृत्त होना चाहिये। इस ओर आयुर्वेद विभाग के डाइरेक्टर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। नहीं तो आज-कल जैसे होता है कि एलोपेथिक दवाओं को आयुर्वेदिक दवाओं की तरह बना कर वैद्य लोग शीशियों में भर दिया करते हैं, आयुर्वेदिक दवायें मूल रूप में नहीं रखते हैं। इसलिए अच्छा तो यह हो जो एक्सटरनल ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन वगैरह होते हैं, उनको तो पश्चिम के एलोपेथी सिस्टम से लें और जो इन्टरनल दी जाने वाली दवायें वगैरह हैं वे आयुर्वेद से लें जो एक जीवन पद्धति, वही प्राकृतिक चिकित्सा है, उसे अपनाएं। इस तरह तीनों चिकित्साओं का समन्वय करके हम जन-स्वास्थ्य को अच्छी तरह सुधार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।

*इसके बाद मेरा अन्तिम कटौती का प्रस्ताव है, वह है चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में जो कुछ कहा गया वह काफी है; इस बात को सोचने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि सरकार इस विभाग की बातों को देखे और सुधारे। मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरे विभागों के लिए कानून कायदे हैं वे इस विभाग के लिए नहीं हैं। मैं इस सम्बन्ध में अवश्य ही कुछ उदाहरण देना चाहूँगी। उपाध्यक्ष महोदय, कहीं भी री-एन्प्लाँयमेंट का,किसी की सर्विस एक्सटेन्ड करने का काम बिना सरकारी आज्ञा के नहीं होती। लेकिन इस विभाग के डा, बेजल, डिप्टी डाइरेक्टर हैं। इस विभाग में इनको एक साल के लिए और एम्प्लॉयमेंट किया है। यह क्यों किया, किस आधार पर किया, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इन डॉक्टर साहब के विषय में पहले से थोड़ी शिकायतें हैं दवाओं की खरीद आदि के सम्बन्ध में, समय पर टेन्डर नहीं लिये और उसकी वजह से सरकार को काफी खर्चीली दवायें खरीदनी पड़ी। यह सब होते हुए भी एक साल की अवधि के लिए रख कर इनको पुपष्कृत किया गया। इसका कारण में नहीं जानती। जब माननीय मंत्रीजी उत्तर देंगे, उस समय सदन के समक्ष बतायेंगे। इनके हाथ में नर्सेज़ के ट्रान्सफर वगैरह का भी काम है। वे ट्रान्सफर चाहें जिस तरह हो जाया करते हैं। एक सुन्दरलाल कम्पाउन्डर है, जिसका सवाल भी मैंने इस सदन में उठाया था। उसका ट्रान्सफर उसकी मांग पर सीकर हुआ था। उसके बारे में शिकायतें भी हैं। उन शिकायतों की जांच करना तो दूर रहा, अब उसको दुबारा सवाई मानसिंह अस्पताल में रख....

(डॉ० चन्द्रकला)

(३. ४५. म. प.)

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

दिया गया है । एक व्यक्ति के विरुद्ध शिकायतें हैं उसको अच्छी जगह लाकर रखना इस विभाग की अलग नीति बताता है। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में एक डिस्पेन्सरी है, सरदार पटेल डिस्पेन्सरी । उसमें भी भैरोंसिंह नाम का आदमी था । उसको पहले डॉक्टर ने निकाल दिया था लेकिन जो नये डॉक्टर आये उनको फिर से रख लिया । क्यों रख लिया ? जिस तरह से डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस होती है, जिस तरह से दूसरी कमाई दूसरे जरियों से होती है उसमें सहयोग देने वाले जो आदमी हैं, उनको रखना चाहते हैं । जो आदमी सहयोग करते हैं उनको नहीं निकालना चाहते हैं। यह मेरे समझ में नहीं आता हैं । जिह तरह से डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस के केसेज़ चलते हैं, यह इन डिस्पेन्सरीज़ में देखने को मिलता है। आज कल डॉक्टर न केवल ऑफ ड्युटी के वक्त में बल्कि जिस समय उनको डिस्पेन्सरी मे मौजूद रहना चाहिए उस वक्त भी वे डिस्पेन्सरी में मौजूद नहीं रहते हैं और प्राइवेट मरीजों को देखने के लिए चले जाते हैं। एक मजे की बात यह है कि राजस्थान की राजधानी में और विशेष करके मंत्री महोदय के घर के सबसे नजदीक जो डिस्पेन्सरी है वहां के डॉक्टर की यह हिमाकत कि वह ड्युटी के अवर्स में प्राइवेट प्रेक्टिस में लगा रहता है। उस प्राइवेट प्रेक्टिस में अगर वह जाकर मरीजों को देखे तो मनुष्यता के नाते ठीक हो सकता है। लेकिन डिस्पेन्सरी की दवाओं का भी प्राइवेट प्रेक्टिस में उपयोग हुआ करता है । इस प्रकार की डिस्पेन्सरी केवल मेरे क्षेत्र में सरदार पटेल डिस्पेन्सरी नहीं है बल्कि इस तरह के केसेज़ हर डिस्पेन्सरी में मिलेंगे । तो जब इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं तो जहां हम यह आशा करते हैं कि हमारा जो डाइरेक्टोरेट है वह इस ओर कुछ कदम उठाये, इस चीज को रोके उसके बजाय उनकी रक्षा करता है, उनको बराबर इस तरह की बातों के लिए प्रोत्साहित करता है । तो यह जो प्राइवेट प्रेक्टिस वाली बात है इस पर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए । यदि आप इन बातों का सचमुच पता लगाना चाहते हैं तो गुप्त रूप से वहां जाइये और देखिये कि वहां पर डॉक्टर साहब हैं या नहीं

इस तरह की बातें दवाओं की खरीद वगैरह के बारे में भी होती हैं। कुछ बातें इस सदन में कही गई हैं । यद्यपि वे विरोधी पक्ष के लोगों ने कही हैं फिर भी मैं उनका समर्थन करना चाहती हूं और यह मानती हूं कि इस मामले में सरकार को सावधानी बरतनी होगी । क्योंकि यह दूसरा मामला नहीं है, सड़कों का मामला हो उसमें बिल्डिंग्ज़ के मामले में अनियमितता होती है तो किसी तरह बर्दाश्त भी कर सकते हैं, पर जन–जीवन के, जन हित के कामों में आने वाली चीजों में इस तरह के घोटाले, इस तरह की बेपरवाही, अनियमितताएं हों तो वे ठीक नहीं । इसलिये बहुत सावधानी के साथ सरकार को इस विभाग को देखना पड़ेगा ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, इस मांग संख्या १६ पर मेरे ४ कटौती प्रस्ताव हैं। सबसे पहला प्रस्ताव है डीग नगर में डॉक्टरों व नर्स की

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उचित व्यवस्था न किये जाने पर बहस करने के लिये ।

सभापति महोदय, इससे पहले भी यह बात कई बार यहां दोहराई जा चुकी है कि किसी भी समय सरकार के लिये जनता को अन्न, वस्त्र और शिक्षा के प्रबन्ध में जो सुविधा देना आवश्यक होता है वहां उसको वह स्वास्थ्य सम्बन्धी, चिकित्सा सम्बन्धी साधनों को देवे ।

यह तो एक सिद्धान्त की चीज़ है । आज जनतन्त्र के युग में यह सबसे अधिक आवश्यक होता है कि जहां जहां जनता को जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उनकी पूर्त्ति जितनी जल्दी हो सके उसको करे ।

जिन दो कस्बों के बारे में मैं यह कटौती प्रस्ताव लाया हूं उनके सम्बन्ध में भी मैं पहले कह चुका हूं कि डीग जो कि केवल भरतपुर जिले का ही नहीं राजस्थान का भी एक प्रमुख ऐतिहासिक कस्बा है, उसका किला और भवन, आज भी संसार में, मैं समझता हूँ, अपना एक विशेष स्थान रखते हैं, एक बड़ा कस्बा है । १६,००० की आबादी, सब डिवीजनल हैड क्वार्टर है, मोटर बसेज़ का बड़ा जंक्शन है और शायद मैं समझता हूँ राजस्थान में जो सबसे घनी आबादी है तो वह इस कस्बे के चारों तरफ है, पर वहां अस्पताल में केवल एक डॉक्टर रखा गया है । कुल शहर की आबादी १६,००० और एक-एक, आध आध तथा डेढ़-डेढ़ मील पर सैकड़ों गांव हैं पर वहां डॉक्टर है केवल एक । ऐसा भी होता है कि डॉक्टर साहब कभी जो बाहर के लोग आते हैं तो मरीज़ को देखने चले जाते हैं तो उस हालत में कई घंटों तक कोई कैसा भी मरीज़, सीरियस केस लेकर आये तो डाक्टर साहब के वहां पर नहीं होने के कारण कभी कभी बड़ा फैटल, घातक परिणाम हो जाता है । तो इतने बड़े कस्बे में, मैंने पहले भी प्रश्नों के जरिये चाहा था कि एक के अलावा और एक डॉक्टर रखा जाय पर उस समय के उप-मंत्री और इस समय के आयुर्वेद मंत्री ने जवाब दिया था कि रेशनलाइजेशन स्कीम है उसके अनुसार वहां एक ही डॉक्टर रह सकता है । मैंने तो यह मांग की थी कि जहां इस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार की आवश्यकता है, इतनी घनी जन-संख्या है वहां दो डॉक्टर्स होने चाहिये । इसके अलावा लेडी डॉक्टर के लिये भी मांग की है पर आम तौर पर कह दिया जाता है कि लेडी डॉक्टरों की कमी है, कहा तो यह भी जाता है कि डॉक्टरों की भी कमी है, हम बाहर से इम्पोर्ट करने की कोशिश करते हैं । दो मेडीकल कॉलेजेज़ हैं, हर साल इतने डॉक्टर तैयार होकर निकलते हैं, फिर भी डॉक्टरों की कमी है । जनता इस चीज़ को नहीं समझ सकती, मैं इस चीज को समझ सकता हूं पर वहां की जनता यह कहती है कि यहां पर डॉक्टर नहीं । तो वहां डॉक्टर की कमी है, लेडी डॉक्टर नहीं, नर्स वहां नहीं ।

दूसरा तहसीली कस्बा है नगर का । वह ब्लॉक एरिया में आ जाता है । प्राइमरी हैल्थ सेंटर का एक डाक्टर और डिस्पेन्सरी के नाम से एक डॉक्टर, इस तरह वहां दो डॉक्टर्स हैं पर पिछले ६ महीनों से, इन गये पांच-छ: दिनों की तो मैं नहीं कह सकता पर मेरे ख्याल से अभी तक प्राइमरी हैल्थ सेंटर के नाम से जो डॉक्टर था वह गायब है । अब तक वहां दूसरा डॉक्टर नहीं पहुँचा है । जहां नर्सें, दाइयां वगैरह ब्लॉक्स में

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

बांटने का सरकार का कर्तव्य रहा है, वहां नगर में ब्लॉक एरिया होते हुए भी सरकार की ओर यह सब कुछ नहीं किया गया। इसलिये मेरा सबसे पहला कटौती प्रस्ताव इस निमित्त है कि डीग में एक डॉक्टर है अभी, इसलिये दूसरा डॉक्टर रखा जाय और अगर लेडी डॉक्टर नहीं उपलब्ध है तो कम से कम एक नर्स को तो अवश्य रखा जाय जो डिलिवरी के केसेज़ को देख सके। नगर के अन्दर भी दूसरा डॉक्टर होना जरूरी है, इस पर सरकार अपना पूरा ध्यान देगी।

इसके अलावा मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है भरतपुर की रसायन शाला की समाप्ति करने के औचित्य पर विचार करने के लिये। सभापति महोदय, थोड़े शब्दों में आपको यह बतलाऊं कि जयपुर के बाद में भरतपुर ही ऐसा पुराना राज्य था जिसने अपने यहां आयुर्वेद को विकसित करने, इसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने और इसको अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये अपने राज्य में प्रयास किये थे। आज से ४० वर्ष पूर्व आयुर्वेद मार्त्तण्ड स्वामी लक्ष्मीराम जयपुर में थे उनको वहां भरतपुर में बुला कर महाराज ने घोषणा की कि मेरे जितने बड़े बड़े शहर और कस्बे हैं उनमें आयुर्वेदिक औषधालय खोलूंगा। तो इतने औषधालयों के लिये रसायन शाला की भी आवश्यकता थी इसलिये उन्होंने भरतपुर में एक रसायन शाला की स्थापना की। वहां अच्छी अच्छी औषधियां बनती थीं। पर हमारी राजस्थान सरकार की नीति न मालूम क्या है कि एक तरफ तो विकेन्द्रीकरण की नीति है जिस के अनुसार गांव गांव में सत्ता पहुँचाने की व्यवस्था है, पर जो जनता के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली, जनता के हित की चीजें हैं उनको केन्द्रीभूत करने की ओर कदम उठा रही है? सारे राजस्थान की रसायनशालाओं को बन्द करके अजमेर में एक बड़ी रसायनशाला खोल रही है, ऐसा सुना जा रहा है। समझ में नहीं आता वहां कौनसा पहले आयुर्वेद का ज्यादा प्रचार रहा है? जयपुर के लिये तो कहा जा सकता है, पर अजमेर में किस नाते से रसायनशाला खोली जा रही है? वैसे अजमेर में आप एक नहीं १० रसायनशाला खोलिये पर भरतपुर की रसायनशाला को क्यों हटाया गया है, यह समझ में नहीं आता। लेकिन वहां की जनता ने अपने अधिकारों के आधार पर आन्दोलन किया कि हम यहां से रसायनशाला को नहीं हटाने देंगे और मैं समझता हूँ कि इसीलिये दो-तीन चार यह रसायनशाला वहां पर रह गई। लेकिन इस बार कोई घोषणा नहीं की और लोगों को पता नहीं होने दिया और वहां से यह रसायनशाला हटाई गई। मुझे यह बताया गया है कि इस रसायनशाला का गला घोटा गया है। वहां पर रसायनशाला में जो रस, आसव और अरिष्ट आदि अच्छी अच्छी बहुमूल्यवान औषधियें बनती थीं वे सब वहां से हटा दी गई हैं और अब केवल वहां पर चूरण, चटनी ही तैयार होता रहे, इस प्रकार की व्यवस्था की है ताकि वहां की पब्लिक भूल-भूलैया में रह सके कि वहां पर रसायनशाला है। जितनी बहुमूल्य औषधियें, जो वहां पर मिलती थीं उन सबको वहां से हटा कर अजमेर में ले जाया गया है! मुझे जहां तक जानकारी है, राजस्थान में करीब १,१०० के लगभग छोटे

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

बड़े औषधालय जालोड़र, बामेर और कुशलगढ़ और अलवर से लेकर गंगानगर तक हैं। इतने लंबे चौड़े राजस्थान में जहां पर इतने औषधालय हैं उनको अजमेर से दवाइयें सप्लाई की जावेंगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इतने बड़े राजस्थान में जहां अगर हाई कोर्ट जोधपुर में हो सकता है तो क्या यह रसायनशाला वही नहीं रह सकती है? इस रसायनशाला को अजमेर ले जाने की क्या आवश्यकता है? दवाइयें तो कहीं से सप्लाई की जा सकती हैं। आज हमारे यहां एलोपेथिक दवाइयें बाहर विदेशों से आती हैं और राजस्थान के बाहर से बम्बई और कलकत्ते से आती हैं। कोई केन्द्र में रखने का तरीका नहीं है, लेकिन अजमेर में उसको केन्द्रित कर दी जाती हैं। अजमेर में आप रेवेन्यू बोर्ड को ले गये, आप वहां पर डी. आई. जी. के कार्यालय को ले गये तथा और भी विभाग आप ले जाना चाहें रखें मगर एक आयुर्वेद की रसायनशाला जो ४० वर्षों से भरतपुर में चली आ रही हैं और जिसने सब प्रकार के वहां पर साधन जुटा लिये हैं और जो हर तरह से जनता की सेवा कर रही है उसको आप क्यों हटा रहे हैं? वह भरतपुर से भी उसी प्रकार सेवा कर सकती है। लेकिन यह जो नीति अपनाई जा रही है वह जनता को और लोगों के दिलों को दुखने वाली है। इसलिये मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है और मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस वक्त मंत्रि-मंडल की बैठक भरतपुर में अभी हुई उस समय जन प्रतिनिधियों ने इस मांग को रखा था। मैं समझता हूं कि उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था कि वहां से रसायनशाला क्यों हटाई जा रही है या हटा दी गई है? इस प्रश्न को कुछ इसी तरह हंसी और उपहास से टाल दिया गया था। मैं इस प्रश्न को यहां बड़ी गंभीरता से रखता हूं कि रसायनशाला की औषधियों को अलग किया गया है तो उनको पुनः वहां रखा जावे।

इसके अतिरिक्त तीसरा कटौती का प्रस्ताव मेरा है आयुर्वेद चिकित्सा के विकास पर बहस करने हेतु। सभापति महोदय, मुझसे पहले भी कितने ही वक्ताओं ने आयुर्वेद पद्धति की प्रशंसा की है और इसके विकास के लिये अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं भी इसी दृष्टि से उसका पक्ष ले रहा हूँ कि हमारे देश की दवाइयें बहुत प्रभावशाली हैं और यह कोई मैं ही एक साधारण व्यक्ति कह रहा हूं यह बात नहीं है। यह हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है और मैं समझता हूं कि जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं और स्वास्थ्य संबन्धी बातों को और नियमों को जानते हैं वे भी इस बात को मानते हैं कि जो व्यक्ति जहां पैदा होता है वहीं की औषधियें उसके लिये लाभप्रद साबित होती हैं, और वे दवाइयें उसके लिये विशेष गुणकारी होती हैं। बाहर की दवाइयें उतनी गुणकारी उसके लिये नहीं होतीं। बाहर जितनी दवाइयें पैदा होती हैं, हो सकता है अच्छी हों, एलोपेथिक या कोई दूसरी प्रणाली की दवा अच्छी हो सकती है और वे ठंडे मुल्क विशेष के लिये हितकारी हों, लेकिन हमारे देश के लिये आयुर्वेद पद्धति बहुत सफल और वैज्ञानिक पद्धति रही है। हमारे यहां एलोपेथी का प्रचार भी अंग्रेजों के आने के बाद से प्रारंभ हुआ और हम इस बात को भूल नहीं सकते कि यह प्रचार अंग्रेजों के आगमन से हुआ। उन्होंने अंग्रेजी शासन के साथ साथ, अंग्रेजी शिक्षा, संस्कृति के साथ

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

साथ अपने दवा दारू और चिकित्सा का भी प्रचार किया और एलोपेथीक का प्रचार हुआ। इतना ही नहीं बल्कि....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यहां अंग्रेजी दवाइयें की काफी खपत यानी करोड़ों रुपयों की खपत होती इसलिये उसका विकास ज्यादा से ज्यादा करते रहे। लेकिन आज देश के स्वतन्त्र होने के बाद परम आवश्यक है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का विकास किया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एलोपेथिक चिकित्सा की आलोचना करता हूँ। यह भी वैज्ञानिक ढंग से काफी-फली फूली है लेकिन इसके रहते हुए भी हमारे राष्ट्र की स्वतन्त्रता और प्रतिष्ठा के लिये जो पद्धति पुरानी रही है उसको देखते हुए यह परम आवश्यक है कि हमारे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का विकास हो और इसका वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने का प्रयत्न किया जावे। यह इसको बढ़ाने का सही तरीका है।

इसके साथ साथ वैद्यो का मान और सम्मान भी उसी तरह से हो जिस तरह से डॉक्टरों का हो। हम देखते हैं कि वैद्यों को उतनी तनख्वाह नहीं दी जाती जितनी डॉक्टरो को दी जाती है और इसके अलावा डॉक्टर को ज्यादा मान और सम्मान दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि आज का हमारा वैद्य है उसको भी वही सम्मान देना चाहिये और उसके तनख्वाह के स्तर को ऊंचा उठाना चाहिये। आज हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हमें अपने देश की प्रतिष्ठा को ऊपर उठाना है।

दूसरा इस प्रकार का है, वैद्यों के वेतन स्तर को ऊंचा करने के लिये। जैसा मैंने बताया कि किसी भी विभाग के व्यक्ति को अच्छा या बुरा या अधिक महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण इससे आंका जाता है कि उसका मूल्य कितना है। उसका मूल्य, रुपया, आना पाई में आंका जाता है। आज हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है कि बड़े से बड़ा वैद्य होते हुए भी उसको इतना वेतन नहीं मिलता होगा जितना कि डॉक्टरों को मिलता है। यह भी हमें देखना होगा अगर आयुर्वेद चिकित्सा का उद्धार करना है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ानी है तो यह निश्चित है कि जो हमारे यहां वैद्य हैं उनके वेतन स्तर को ऊंचा किया जावे। इस सम्बन्ध में दूसरे व्यक्तियों ने भी अपने सुझाव दिये हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि जिस प्रकार इंग्लैण्ड रिटर्न्ड और लोकल डिग्री होल्डर के लिये कहा कि उनको समकक्ष वेतन नहीं दिया जाता इसी प्रकार वैद्यों को और डॉक्टर को समकक्ष वेतन नहीं दिया जाता है, वह दिया जाना चाहिये। मैं यह चाहूंगा कि वैद्य भी अपनी यह जो प्रणाली है उसमें पूर्ण परिश्रम करके इतनी योग्यता प्राप्त करें कि वे अपने अनुभवी हों और अपने प्रभाव से लोगों पर असर डालें कि इस पद्धति में सारे गुण मौजूद हैं जो दूसरी पद्धति में नहीं हैं। और एक ओर वैद्यों का कर्त्तव्य हो जाता है कि वे इस चिकित्सा पद्धति की मान मर्यादा को बढ़ावें। अगर हमें इसकी उन्नति करना है तो वैद्यों का मान-सम्मान करना होगा और उनके वेतन-स्तर को ऊंचा करना होगा। मैंने इन वस्तु स्थितियों को देखते हुए चार कटौती के प्रस्ताव रखे हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार इस पर अवश्य ध्यान

Page No.105

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

देगी क्योंकि ये चारों ही इतने उचित हैं कि सरकार इनको मानने में कोई भी हुज्जत नहीं करेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : सभापति महोदय, प्रस्तुत मांग के सम्बन्ध में मैंने तीन कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : यह डिमान्ड आज पास होगी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आज यह डिमान्ड समाप्त नहीं हो सकती।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट ने यह रखा है कि एक डिमान्ड पास होनी चाहिये।

श्री मनोहर कोठारी : सभापति महोदय, अपने कटौती के प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार ने यह मांग प्रस्तुत की है कि आमेंट डिस्पेन्सरी को प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के रूप में परिणत किया जावे और इस बारे में हम कई महीनों से प्रयत्नशील रहे हैं। मैं हमारे माननीय हैल्थ मिनिस्टर की सूचना के लिये इतनी जानकारी और देना चाहता हूं कि कुछ समय पूर्व हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जब वे आमेंट के दौरे पर पधारे थे उस समय वहां की जनता ने अपने यहां चंदे के द्वारा धन इकट्ठा करके माइक्को उनकी सेवा में प्रस्तुत किया था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आमेंट इतना अच्छा कस्बा है और व्यापारी केन्द्र है जहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की अत्यन्त आवश्यकता है। वहां के लोगों ने इस बात को व्यक्त किया कि हमसे सार्वजनिक सहयोग चाहें तो हम देते रहेंगे। उस समय हमारे चीफ मिनिस्टर ने आम जनता में यह घोषणा की कि इस डिस्पेन्सरी को प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के रूप में परिणत कर दिया जावेगा। मुझे यह भी बताया गया कि इस तरह के ऑर्डर हमारे चिकित्सा विभाग की ओर से निकाले गये हैं कि जो ऑर्डर निकले हैं उसके साथ ही वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिये और डिस्पेन्सरी को एक्सपेन्ड करने के लिये जो हमारा निर्माण विभाग है, मैं समझता हूं कि ज्यादा सचेत नहीं है और प्रयत्नशील नहीं है। मुझे यह भी बताया गया है कि इसी तरह से दूसरे प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों के विकास के लिये २५ हजार रुपये डिस्पेन्सरी बिल्डिंग को बढ़ाने और १५ हजार रुपया क्वार्टरों के निर्माण के लिये राज्य सरकार ने मंजूर किया उसमें आमेट डिस्पेन्सरी का नाम था। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव व टैक्नीकल सैंक्शन मिल जाने के बावजूद भी मुझे बताया कि नागरिक निर्माण की तरफ से दर्याफ्त करने पर यह बताया गया आमेट के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को काट दिया गया है और उस पर विचार नहीं किया गया है। तो मैं हमारे इस विभाग के जो मंत्री महोदय हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करके निर्माण विभाग को लिखें और उनको आग्रहपूर्वक इस बिल्डिंग के विकास के लिये जल्दी से जल्दी धन व्यय करने के लिए आह्वान किया जावे।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे इन छोटे-मोटे कस्बों में हमारे चिकित्सा विभाग के संचालक महोदय ने काफी प्रयत्न करके अच्छा डॉक्टर भेजने की व्यवस्था की है। दूसरी जगहों की बात मैं नहीं करता। कम से कम यह संतोष के साथ

(श्री मनोहर कोठारी)

कह सकता हूं कि आमेट में जो हमें डाक्टर उपलब्ध हुए हैं वे काफी अच्छे डॉक्टर हैं। काफी दिनों के बाद भी यदि हमको डॉक्टर मिला है तो हम उनसे संतुष्ट हैं।

दूसरा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा और वह है नाथद्वारा में लेडी डॉक्टर की कमी के सम्बन्ध में। माननीय सभापति महोदय, एक लम्बे अर्से से जब कि राजस्थान का निर्माण ही नहीं हुआ था नाथद्वारा जैसे छोटे से ठिकाने के अन्तर्गत भी एक फुल फ्लेज्ड जनाना हॉस्पिटल और एक मर्दाना दवाखाना चलता था और उसके अतिरिक्त एक आयुर्वेद दवाखाना भी ठिकाने की ओर से चलाया जाता था। राजस्थान के निर्माण के बाद जहां कि ठिकाना एक लैडी डॉक्टर की बराबर व्यवस्था करता रहा, वह व्यवस्था भंग हो गई और यह निवेदन करते हुए दुख होता है कि राजस्थान निर्माण के दो साल बाद मेडीकल विभाग द्वारा कोई लेडी डॉक्टर नहीं भेजी गई। बाद में लैडी डॉक्टर थोड़े दिनों के लिए भेजी गयी, कभी हटा दी गई, कभी भेज दी गई और अभी थोड़े दिनों पूर्व हमारे यहां एक लेडी डॉक्टर भेजी गई है। मुझे यह बाद में मालूम हुआ कि वह तो लेडी डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टरी की परीक्षा ही पास नहीं थी और जबर्दस्ती हम से कहा गया कि वह लेडी डॉक्टर है। यदि यह बात सत्य है कि....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आपको तो काम से मतलब है।

श्री मनोहर कोठारी: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी गलत बातें हमारे विभाग में चल पड़ती हैं और यदि गलत बातें चल पड़ी हैं तो इनकी दुरुस्ती करनी चाहिये और जानकारी करके इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाना चाहिये।

तो मैं इन कटौती प्रस्तावों द्वारा यह मांग करता हूँ कि नाथद्वारा एक बड़ा कस्बा है, १६ हज़ार की स्थानीय आबादी है और लाखों यात्री बाहर से प्रतिवर्ष वहां आते रहते हैं। यद्यपि वह स्थिति कुछ कम हो गई है तथापि मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस स्थान का मूल्य कम नहीं हुआ है और न ही हो सकता है। जहां इतनी बड़ी आबादी में जनाना हॉस्पिटल, मर्दाना हॉस्पिटल हो और दवाखाना ठिकाना संचालन करता रहा हो राज्य सरकार को लेडी डॉक्टर भेजने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये, और यदि यह कहा जाय कि लेडी डॉक्टर्स की कमी है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी नागरिकों की नहीं है किन्तु इसकी जिम्मेदारी तो विभाग की है और उनको इसकी पूर्ति करनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त एक कटौती प्रस्ताव इसी सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है जिसके जरिये से मैं यह चाहता हूं कि जो धन आमेट की डिस्पेन्सरी को विकसित करने के लिए एवं उसको प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में परिवर्तित करने के लिए स्वीकृत किया गया है, राज्य सरकार की ओर से उसके लिए टैक्निकल स्वीकृति मिल चुकी है इसी वर्ष, मैं तो यहां तक चाहता हूं कि उसको इसी महीने, उस काम को शुरू करना चाहिये, नहीं तो फिर यह शायद कह दिया जायेगा कि रकम लैप्स हो गयी है, इसकी मुझे गुन्जाइश भी लगती

(श्री मनोहर कोठारी)

है। मंत्री महोदय मुझे इस बात के लिए इस सदन में आश्वासन दें कि आमेट डिस्पेन्सरी को प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में परिवर्तित कर दिया जायेगा, हालांकि आपके कागजों में तो यह हो चुका है, फिर ऐसा क्यों नहीं करते हैं ? इसके साथ ही नाथद्वारा में जो कोई अच्छी योग्य लेडी डॉक्टर हो उसको भेजा जावे। इस तरह से अयोग्य लेडी डॉक्टर को भेज दिया जाय और कहा जाय कि लेडी डॉक्टर भेज दी गई है इससे कोई लेडी डॉक्टर की पूर्ति नहीं हो जाती। लेडी डॉक्टर के भेजने का मतलब यह नहीं है कि किसी अयोग्य लेडी डॉक्टर को भेज दिया जाय। जो धन सेन्क्शन किया है राज्य सरकार ने, उसको युटिलाइज़ किया जावे।

इन बातों के साथ मैं अपने तीनों कटौती प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूलालक रोल।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं, दोनों को ही मैं प्रस्तावित करता हूं। सभापति महोदय, यदि सदन में सारे माननीय सदस्य किसी एक बात के लिए सहमत दिखाई देते हैं तो वह है हमारी सरकार द्वारा जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की उपेक्षा की है उसके सम्बन्ध में। क्षेत्रीय दृष्टिकोण से अलग अलग मांग हो सकती है लेकिन सब ही माननीय सदस्य इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी सरकार ने आयुर्वेद पद्धत्ति की उपेक्षा की है। लेकिन इसका निराकरण किस प्रकार से हो ? सरकार कहेगी वैद्य, नहीं मिलते व वैद्य मिलते हैं तो औषधियां नहीं मिलतीं। सरकार जिस ढंग से एलोपेथी को बढ़ा रही है, वह उस ढंग से अयुर्वेद को नहीं। सरकार ने एलोपेथी के लिए कॉलेज खोल रखे हैं, अयुर्वेद पद्धत्ति के लिए भी विद्यालय खोल रखे हैं। सरकार कहती है कि दोनों को बराबर दृष्टिकोण से देखते हैं। एलोपेथी के दो कॉलेज खोल रखे हैं, एक बीकानेर में और दूसरा जयपुर में। आयुर्वेद के लिए भी दो कॉलेज खोल रखे हैं, एक जयपुर में और दूसरा उदयपुर में। सरकार कहेगी कि हम तो दोनों को समान ढंग से रख रहे हैं। जिस दृष्टि से एलोपेथी और आयुर्वेद में खर्च होता है, प्रारम्भ में ही शिक्षा की व्यवस्था इस ढंग से कर दें तो आगे जाकर हमारा काम सरल हो सकता है। जिस मात्रा में एलोपेथी की शिक्षा मैं खर्च करते हैं उतना ही आयुर्वेद में खर्चा कर देते हैं तो इतने वैद्य मिल जावेंगे कि जिनसे राजस्थान की चिकित्सा की समस्या को हल कर सकते हैं! दोनों कॉलेजों के प्रोफेसरों की ग्रेड को देखिये ! एक को एक हजार मिलता है तो एक को २५०) ही मिलते हैं। जहां ऐलोपेथी में एक प्रोफेसर की नियुक्ति करते हैं वहां आयुर्वेद में चार प्रोफेसर्स की नियुक्ति कर सकते हैं। सरकार शायद ऐसा विचार कर रही है, संकेत भी आ रहे हैं, एलोपेथी का मेडीकल कॉलेज और खोलें। इसको, मैं कहूंगा, एक दफा बंद रखें। दो कॉलेज हैं ही। और डिमान्ड भी ज्यादा नहीं है। सदन में अधिकांश सदस्यों की मांग

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

यही है कि आयुर्वेद ढंग के औषधालय खोले जावें। उनकी मांग को देखते हुए जितने वैद्यों का निर्माण कर सकते हैं आज उनकी ज्यादा आवश्यकता है, करें। आज जितने वैद्यों का निर्माण होता है, उसके कारण आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की आलोचना होती है। वैद्यों को धोखा इस कारण होता है कि जो भिषगाचार्य की डिग्री है वह राजस्थान सरकार की ओर से मान्य है लेकिन दिल्ली से परीक्षा और होती है आयुर्वेदाचार्य। वही डिग्री है उसको लेकर वैद्य आते हैं। उसको सरकार मान्यता देती है। आयुर्वेदाचार्य की डिग्री लेकर आते हैं उसको हमारी सरकार मान्यता देती है। अक्सर देखा यह जाता है कि जितने विद्यार्थी हमारे राजस्थान के आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ते हैं उतने ही विद्यार्थी प्राइवेट रूप में इस परीक्षा में बैठते हैं और उतने ही विद्यालय यहां आयुर्वेदाचार्य की शिक्षा देते हैं। चूंकि जिस प्रकार हमारे यहां भिषगाचार्य को जिस तरह से मान्यता देते हैं उसी प्रकार आयुर्वेदाचार्य की डिग्री को भी मान्यता दे देते हैं और आयुर्वेदाचार्य की पढ़ाई में कम दिक्कतें आती हैं कारण इसका यह है कि वह तो प्राइवेट तौर पर पढ़ाई करके भी बैठ सकता है मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान में भिषगाचार्य पास वैद्य उतनी मात्रा में नहीं होंगे जितने आयुर्वेदाचार्य हैं। इस आयुर्वेदाचार्य की जो परीक्षा होती है वह एक प्रकार का प्राइवेट बोर्ड है उस पर सरकार का किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। इसके बाद में जो वैद्य आयुर्वेदाचार्य में पास हो जाते हैं उनको प्रथम श्रेणी के वैद्य के रूप में रजिस्टर कर लिया जाता है यह परीक्षा सस्ते ढंग से पास कर लेते हैं और भिषगाचार्य में ६ वर्ष तक कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। जिस प्रकार एम० बी० बी० एस० का कोर्स होता है उतने ही अर्से का इसका भी कोर्स है उतने ही साल भिषगाचार्य होने के लिये पढ़ना पड़ता है। इस तरह से आयुर्वेदाचार्य की डिग्री भी वे वैद्य प्राप्त कर लेते हैं, उद्देश्य न होते हुए भी इस परीक्षा को पास कर लेते हैं। वैद्यों की समस्या के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी कह दिया है, मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करना चाहता। इसके लिये मेरा इतना ही कहना है कि हमारे राजस्थान की जो डिग्री है उसका हम आदर करें और जिस प्रकार डॉक्टरी शिक्षा पद्धति के लिये प्रबन्ध है हम कॉलेज खोलते जा रहे हैं हमें आयुर्वेद कॉलेजों की संख्या भी बढ़ानी चाहिये। आज हम राजस्थान में वैद्यों की संख्या को देखेंगे तो पता चलेगा कि भिषगवर और भिषगाचार्य वैद्य नहीं मिलते वहां हम आयुर्वेदाचार्य वैद्य की संख्या बहुत अधिक पाते हैं। प्राइवेट तौर पर जो परीक्षा होती है उसको इतना मान न देकर हमारी जो सरकारी भिषगाचार्य की उपाधि है उसको मान्यता देनी चाहिये। आज ज्यादातार वैद्य आलोचना के पात्र इसलिये बनते हैं कि वे प्राइवेट तौर पर इस प्रकार की डिग्री हासिल कर लेते हैं, जिनको सर्जरी का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता और इजेक्शन आदि लगा देते हैं। भिषगाचार्य की शिक्षा में तो सर्जरी की शिक्षा दी जाती है। डॉक्टर लोगों को अलाउन्स दिया जाता है वे जाकर आयुर्वेदिक कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सर्जरी का ज्ञान कराते हैं इस प्रकार से भिषगाचार्य जो वैद्य निकलते हैं उनको सर्जरी का ज्ञान होता है। लेकिन जो अपने आप पढ़ते हैं और इस तरह से आयुर्वेदाचार्य की डिग्री हासिल कर लेते हैं और वैद्य बन

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जाते हैं तो जनता की आलोचना के पात्र होते हैं। उससे हमारी जो आयुर्वेद पद्धति है वह भी बदनाम होती है। आयुर्वेद पद्धति कोई बुरी नहीं लेकिन इसमें काम करने वाले अयोग्य वैद्य आ जाते हैं तो इसकी बदनामी हो जाती है। राजस्थान सरकार को चाहिये कि अपने राज्य की जो डिगरी है उसी को मान्यता प्रदान करे! उसकी परीक्षा ले और उसी से पास हुये लोगों को अधिक स्थान दे। हमारे यहां इसकी शिक्षा के लिये दो कॉलेज हैं जो हमारी आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकते। सरकार को चाहिये कि जहां संस्कृत के कॉलेज हैं उसके साथ आयुर्वेद परीक्षा को भी जोड़ दें। क्योंकि संस्कृत के जो विद्यार्थी होते हैं वे ही ज्यादातर आयुर्वेद की शिक्षा लेते हैं। संस्कृत के साथ जो आचार्य बनते हैं उनको, या तो साहित्य लेते हैं वे उधर चले जाय और आयुर्वेद लेना चाहे उनकी शिक्षा उसी के साथ साथ हो इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की ओर भी ध्यान दें। आज हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन उन वैद्यों का भी हो गया जो फोड़े फुन्सियों के इलाज किया करते थे किसी को बी श्रेणी मिल गई किसी को सी श्रेणी मिल गई किसी ने अनुभव के आधार पर हासिल कर लिया किसी ने किसी प्रकार हासिल कर लिया इस तरह से जो वैद्य की श्रेणी में आ जाते हैं उनसे ज्यादा इस पद्धति का ह्रास होता है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी जो हॉस्पीटल्स में अपना इलाज करवाते हैं उनको वहां से सर्टिफिकेट मिलने पर उनकी दवाइयों की कीमत मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है। लेकिन किसी आयुर्वेदिक पद्धति से किसी ने इलाज करवाया हो और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया हो तो उसके पैसे उस कर्मचारी को नहीं मिलते। कारण इसका यह है कि सभी जगह सरकारी औषधालय तो हैं नहीं, अधिकांश स्थानों पर अधिकांश कर्मचारी आयुर्वेद का इलाज करवाते हैं, उनको भी उसी प्रकार कीमत मिलनी चाहिये जिस प्रकार एलोपेथी वाले इलाज पर मिलता है।

दूसरा मेरा कट मोशन है अजमेर के अस्पताल के संबन्ध में। यह अस्पताल ऐसा है जो अमेरिकन मिशनरीज़ द्वारा चलाया जाता है, जो मदार टी० बी० सेनीटोरियम के नाम से है। यह अस्पताल कई वर्षों से चल रहा है, इसको हमारी सरकार अनुदान भी देती है। वहां पर स्थान सुरक्षित हैं। स्थानों के अतिरिक्त दवाइयों के लिये और सारे कामों के लिये सरकार करीब ८० प्रतिशत अनुदान देती है। इस तरह से यह एक प्रकार से सरकार की ओर से चलता है। लेकिन इस हॉस्पीटल पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। सरकार का पैसा जाता है, इस पैसे का किस ढंग से उपयोग होता है यह कोई नहीं देखता। वहां पर मिशनरीज़ हैं एक तो जो लोग वहां पर इलाज कराते हैं उन पर बहुत खर्चा होता है करीब एक मरीज पर ३०० रुपया मासिक का खर्चा आता है। इस तरह से वहां पर दो तरह के मरीज आते है एक तो वे जो ३०० रुपया मासिक का खर्चा उठा सकते हों दूसरे वे जो बहुत गरीब हैं और किसी प्रकार का खर्चा नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो गरीब लोग इलाज के लिए जाते हैं उन लोगों पर वहां के डॉक्टर वहां का अधिकारी वर्ग मिनशरीज़ जो व्यवस्था करते हैं उन पर धर्म परिवर्तन करने का जोर डालते हैं। राजस्थान में ईसाई मिशनरीज़ का अगर कहीं कार्यक्षेत्र है तो वह है मदार का

Page No.110

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

टी० बी० सेनीटोरियम । वहां केवल बीमारों का ही धर्म परिवर्तन होता हो यह बात नहीं, वहां पर काम करने वालों का भी धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है । मैं इस संबन्ध में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । एक बंगाली सज्जन श्री के० एल० शर्मा करके थे वे एक ऑपरेशन कर रहे थे तो उनके हाथ से बीमार की ऑपरेशन थियेटर में ही मृत्यु हो गई । उस बीमार की मृत्यु होने के बाद उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाना जरूरी था । डॉक्टर घबराया तो वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट मिस्टर हाल थे उन्होंने उस डॉक्टर से कहा कि आप धर्म परिवर्तन करने को तैयार हैं तो आप पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जायगा । जब वे इस बात के लिये तैयार हो गये तो उन्हें वहीं नौकर रख लिया गया । इसके अलावा एक मिस गान्धी एक लेडी डाक्टरनी थी उसको भी वहां से नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि वह धर्मरुपरिवर्तन करने के लिये तैयार नहीं हुई थी । इसी प्रकार वहां पर मिस्टर भट्ट नाम के एक बहुत ही होशियार सर्जन थे उन भट्ट महाशय को बीमार लोग बहुत चाहते थे और उनकी धाक इतनी थी कि जिस दिन उनका टर्न होता था ऑपरेशन का, बीमार लोग यह अनुभव करते थे कि अब हमारा ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल्ली हो जायगा । उन पर भी यह दबाव डाला गया कि आप धर्म परिवर्तन कर लें तो आपको सीनियर सर्जन के पद पर रखा जा सकता है....

श्री भीखाभाई : क्या माननीय सदस्य बता सकते हैं कि जिस अस्पताल का आप जिक्र कर रहे हैं क्या उस पर सरकार का कन्ट्रोल है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सरकारी अस्पताल तो नहीं है लेकिन सरकार द्वारा धनराशि दी जाती है, वहां पर हमारे पैसे का उपयोग किस प्रकार से होता है यह मैं निवेदन कर रहा हूं....

श्री भीखाभाई : No, Sir, certain beds are reserved.

श्री सभापति : It is not under the supervision of the Government ?

श्री भीखाभाई : But there are various other factors and it is sponsered, by the Central Government.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : Whether any Govt. aid is given ?

श्री सभापति : Is it not under the supervision of the Government ?

श्री भीखाभाई : No supervision no control, but beds are allotted.

श्री सभापति : आप जल्दी अपना भाषण समाप्त कर दें, और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सभापति महोदय, मैं डाक्टर भट्ट की कहानी कह रहा था, उनका सीनियर सर्जन की तौर पर नम्बर आने वाला था लेकिन यह पद उनको इस कारण नहीं दिया गया कि वे धर्म परिवर्तन करने को तैयार न थे । आखिर उनको नौकरी छोड़नी पड़ी, उनकी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई,

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

ईशाई धर्म उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वार्ड बॉय आदि जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनके भी अगर चाहें तो नाम बता सकता हूं, जिनको धर्म के कारण जब तक धर्म परवर्तन नहीं कर लिया तब तक नहीं रखा, करने के बाद ही रक्खा गया। ऐसी स्थिति में जब हमारी सरकार धर्म निरपेक्ष होने का दावा करे, पर जहां धर्म के मामले में इतनी बुरी हालत हो वहां सहायता के रूप में काफी पैसा दे यह उचित नहीं है। वहां जो पैसा सरकार देती है उसका हिसाब उसे नहीं दिया जाता, वहां का हिसाब ऑडिट नहीं कर सकती, गवर्नमेन्ट का उस पर कोई कन्ट्रोल नहीं। तो इस तरह की जो धर्म पर आपत्ति करने वाली संस्था हो और जहां सरकार का कन्ट्रोल न हो वहां सरकार को एड देना बन्द कर देना चाहिये। नहीं बन्द करती है तो उसका कन्ट्रोल रहे, इसकी मांग करनी चाहिये और वहां के कर्मचारियों के साथ इस धर्म को लेकर जो व्यवहार किया जाता है उसकी जांच होनी चाहिये, अन्यथा यह एक गलत संस्था यहां पनप रही है जो हमारे लोगों के धर्म पर एक बड़ा आघात करती है। इससे असन्तोष फैलेगा।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : सभापति महोदय, मेरा कटमोशन भीलवाडा जिले के अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्थाओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने के सम्बन्ध में है।

सभापति महोदय, बजट की धनराशि देखकर तो विश्वास होता है और हर्ष भी होता है कि नागरिकों की जो पहली आवश्यकता है निरोग बनाये रखने की उस पर इतना पैसा सरकार आज खर्च कर रही है।

लेकिन इसके साथ ही इसके खर्च करने के तरीकों को देखते हैं तो चिन्ता होती है। जिस अव्यवस्थित ढंग से इसे खर्च किया जाता है, जिस अच्छे ढंग से इसे व्यय किया जाना चाहिये उस तरह से खर्च नहीं किया जाता है तो दुःख होता है और इसीलिये इसकी तरफ सरकार का ध्यान खींचने और उस अव्यवस्था को दूर करने के लिये मेरा यह कट मोशन है।

सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिले में तीन अस्पताल मांडल, रायपुर, और सहाड़ा में हैं। पर ये कहने मात्र को हैं। आज उनकी हालत यह है कि वहां न तो पूरे डाक्टर हैं और न पूरा स्टाफ और जो है वह भी समय पर कभी मिलते हैं और कभी नहीं मिलते। जब डाक्टर छुट्टी में जाता है तो दूसरा उसकी जगह नहीं आता या समय पर नहीं भेजा जाता और काफी समय तक डाक्टर का अभाव बना रहता है।

खास कर करेडा का अस्पताल है, उसके बारे में मैं निवेदन करूं। वहां की जनता ने बहुत पैसा खर्च करके भवन बनाया बहुत मांग करने पर भी सरकार ने आज तक कोई डाक्टर वहां नहीं भेजा। उस आधी तहसील में वही एक मात्र अस्पताल है। केवल कम्पाउन्डर के आधार पर वहां का सारा उपचार कराया जाता है। कम्पाउन्डर भी केवल एक है जो समय पर और रोगियों का ठीक ढंग से उपचार नहीं कर पाता।

इसके साथ ही जच्चाओं के लिये देखभाल और सलाह की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया।

(श्री शिवचरणदास)

तो इस तरह जो ८० प्रतिशत जनता आपको टैक्स देती है उसकी यह बहुत जरूरी व्यवस्था भी आप नहीं कर सकते तो फिर कैसे कल्याणकारी राज्य को चलाने का आप दावा कर सकते हैं ? सुधारवाद की आड़ में आज जो परम्परा से दाइयां चली आ रही थीं वे भी नहीं रहीं और इधर आपने कहीं कोई नर्स और शिक्षित दाइयों की व्यवस्था नहीं की। उन लोगों ने दूसरा पेशा अपना लिया। अब न तो वे उस काम को करती हैं और न सरकार नर्स और दाई का प्रबन्ध कर सकती है, जहां जहां अस्पताल खोल रक्खे हैं वहां भी समय पर नहीं आप भेज सकते तो इस कारण आज जनता के सामने बहुत बड़ी समस्या यह भी पैदा हो गई है।

इसी तरह मैं भवनों के बारे में निवेदन कर दूँ। कहीं हमने भले ही थोड़ी बहुत एड दे दी होगी, थोड़े से मकान बना दिये होंगे....

श्री सभापति : आप अपने कट मोशन पर ही बोलिये।

श्री शिवचरणदास : मैं इसी विषय पर तो बोल रहा हूं, भीलवड़े जिले के लिये ही कह रहा हूं। तो रायपुर और सराड़ा दोनों तहसीलें भीलवाड़े जिले में ही हैं वहां जगह नहीं है फिर भी पूरी और कोई भी रोगी जाता है तो वहां से निराश होकर लौटता है। कम्पाउन्डर उन्हें देखता है, कुछ शीशियों में से किसी ढंग से कुछ दवा दे दी जाती है। किसी सही ढंग के उपचार की व्यवस्था वहां पर नहीं है और कुछ इसमें भवन की कमी की वजह से नहीं कुछ किया जा सकता तो इसलिये इसमें जो राशि हम रक्खें उसे जिस उपयोग में हम लाना चाहते हैं उसे सही ढंग से उसमें खर्च करें।

आसीन्द की मैं एक नजीर आपके सामने पेश करूंगा। सभापति महोदय, आसीन्द में करीब चार महीना हुये हैं चार महीने से कोई डाक्टर नहीं है वहां।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और केवल एक कम्पाउन्डर के आधार पर ही काम चलाया जा रहा है। एक नर्स के लिये कहा जाता है कि हमने रक्खी है। पर यह नर्स कैसी है, मैं बताऊं। एक झाडू लगाने वाली औरत है, उसी को नर्स का खिताब देकर कह दिया कि यह नर्स रख दी गई। सारा काम उससे लिया जाता है उसको पूरी दवा देने का भी अनुभव, सभापति महोदय, नहीं है और कह दिया जाता है कि हमने नर्स का प्रबन्ध कर दिया है। मैं आपको बदनौर की हालत बताऊं कि वहां के डाक्टरों में इतनी लापरवाही है कि अभी दो महीने पहले एक आदमी बादी के रोगी को लेकर वहां आया और उसने जब दवाई मांगी तो एक शीशी में उसको दवाई दी गई और उस दवाई के लिए उसको सही ढंग से नहीं समझाया गया। आखिर वह दवा लेकर घर गया और बजाय उसको मलने के उसको वह पी गया और आज दिन तक वह सोता ही रह गया। मेरा यह अव्यवस्था के ऊपर कटमोशन है। इन सारी बातों को लेकर सदन से सामने मैंने यह कटमोशन रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसके ऊपर ध्यान देंगे और जो भी धन-राशि रखी है देहात के रहने वालों के लिए जो कि ८० प्रतिशत है जिनसे आप टैक्स लेते हैं और टैक्स भी इस प्रकार से लेते हैं कि मैं समझता

(श्री शिवचरणदास)

हूं, आज शहर की जनता के बनिस्बत जितना टैक्स का बर्डन देहाती गरीब जनता के ऊपर पड़ता है उतना शहर की जनता के ऊपर नहीं पड़ता है। इसके साथ ही चिकित्सा गांव की जनता का एक सबसे आवश्यक अंग है उसके लिए इतनी बड़ी धनराशि बजट में रखने के बाद प्रबंध नहीं कर सकें तो यह शोचनीय बात है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे इस कटशमोन के ऊपर ध्यान देकर उसका सुधार करेंगे।

श्री सभापति : श्री मोतीलाल चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : सभापति महोदय, मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८— चिकित्सा पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं लेकिन वास्तव में उनको एक ही कटौती प्रस्ताव समझिये क्योंकि दोनों की मन्शा एक ही है। मेरा निवेदन करना यह है कि झालावाड़ जनरल हॉस्पिटल के लिए जो अभाव है उसकी पूर्ति को प्राप्त करने के लिए मेरा कटौती प्रस्ताव है और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराने के लिए दिया है। यह अभाव इसलिए नहीं है कि वस्तु पर्याप्त नहीं है बल्कि वस्तु के पर्याप्त होते हुए भी उसके अभाव के लिए एक कटमोशन रखना पड़ा है। इस प्रस्ताव के साथ एक विचित्र कहानी है और बहुत ही दुःखद कहानी है, जिसको मैं सदन के सम्मुख रखना पसन्द करता हूं। आशा करता हूँ कि राजस्थान सरकार हमारे झालावाड़ जनरल हॉस्पीटल के एम्बुलेन्स के बारे में जो अभाव है उस पर ध्यान देकर इस अभाव की पूर्ति जल्दी से जल्दी करेगी। सभापति महोदय, यह मांग कोई नवीन मांग नहीं है और यह भी नहीं है कि झालावाड़ जनरल हॉस्पीटल में सभी तरह का पूरा इन्तजाम नहीं है और कोई कमी नहीं है और केवल एम्बुलेन्स की ही कमी रह गई है। मैं कहूंगा कि यह मांग आज नहीं, आज से करीब १॥-२ साल पहले से चल रही है और यहां इसके लिए, माननीय चेयरमैन महोदय, मैं डाइरेक्टर महोदय की सेवा में भी उपस्थित हुआ और झालावाड़ जिले के हॉस्पिटल के विषय में जो मांगे थीं वे उनके सामने रखीं।

श्री दलीपसिंह (बारां) : मंत्री महोदय ने नोट कर लिया है।

श्री रामचन्द्र : अगर नोट करते तो कट मोशन रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय बात तो कई प्रकार की हुई थी, लेकिन अन्त में डाइरेक्टर साहब ने मुझे यह विश्वास दिलाया था कि 'फॉर झालावाड़ आई हैव ए सोफ्ट कॉरनर इन माई हार्ट।' यानी झालावाड़ के लिए सब सेवा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज १॥ वर्ष हो गया, हमारी और मांगों को तो जाने दीजिए, जो वाजिब मांगें हैं और जिसकी वजह से झालावाड़ जिले की जनता का जीवन संकट में पड़ा हुआ है उनमें से एक एम्बुलेन्स की सुविधा भी देने के लिए राजी नहीं हैं। वह सुविधा हमारे पास मौजूद है लेकिन मौजूद होते हुए भी हमें जानबूझ कर कष्ट दिया जा रहा है कि किसी पाप की यातनायें भोगाई जाती हैं तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि झालावाड़ जिला राजस्थान राज्य का एक सीमावर्ती जिला है और इस तरह से बसा हुआ

(श्री रामचन्द्र)

है कि इसकी दूरगामी तहसीलें सत्तर-सत्तर और अस्सी-अस्सी मील दूर हैं और वहां अगर किसी को भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ता हैं तो सिवाय इसके कि वह अपने प्राण खो बैठे उसको चिकित्सा संबंधी कोई सहायता नहीं पहुँचाई जा सकती क्योंकि राज्य सरकार की ओर से एम्बुलेन्स सरीखी ऐसी सहायता प्रदान नहीं की गई है। मैं इसको इसलिए भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में एक मैटरनिटी वार्ड भी है जिसके लिए मैंने कल ही जिक्र किया था और वहां मैटरनिटी वार्ड होते हुए भी झालावाड़ जिले की जनता मैटरनिटी की तरफ अधिक रूचि न रखते हुए भी ज्यादातर लोग यह चाहते हैं कि जहां तक हो मैटरनिटी हॉस्पिटल के द्वारा ही डिलीवरी कराई जाये, लेकिन जच्चा को ले जाने के लिए सुविधा नहीं होने के कारण भी कई लेडीज़ को गंवार दाइयों से डिलीवरी करानी पड़ती है। यह बड़े दुख की बात है कि बहुत से केसेज़ झालावाड़ जिले में ऐसे हुए आते हैं कि डिलीवरी के समय बच्चे प्रायः अटक जाते हैं और जब जच्चा का जीवन संकट में होता है उस समय उसको ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती है। अभी १० महीने पहले नोहर थाना तहसील में एक स्त्री को अपने प्राण खोने पड़े। अभी ६ दिन पहले ही बगना तहसील में एक २० वर्षीय जच्चा के बच्चा होने में बाधा हो गई। कोई एम्बुलेन्स नहीं होने की वजह से अस्पताल तक नहीं ला सके अंत, में मामला यहां तक बिगड़ा कि आखिरकार एक बस को किराये पर लेकर उस स्त्री को लाने का प्रयत्न किया गया लेकिन वह स्त्री रास्ते में ही मर गई। मैं अब यह कहना चाहता हूं कि एम्बुलेन्स का साधन न मिलने के कारण यह घटना हुई।

श्री सभापति : एम्बुलेन्स लाने के लिए जाते तो और देर हो जाती।

श्री रामचन्द्र : वहां तो हमारे यहां टेलीफोन की व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है कि खबर नहीं पहुँचाई जा सकती। मेरे निवेदन करने का मतलब यह था कि हमारे यहां वस्तु का अभाव नहीं होते हुए भी अभाव बना रखा है और जब झालावाड़ की जनता के इस दुःख को वहां के एक क्षेत्रीय दानी ने महसूस किया तो झालावाड़ की जनता के ऊपर कृपा करके एक एम्बुलेन्स दान के रूप में दे दी।

(घंटी)

यह दान इसलिए दिया गया कि

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

झालावाड़ की जनता इसका फायदा उठा सके। आज ६ महीने से अस्पताल में एम्बुलेन्स मौजूद है, किन्तु जनता बिना डाइरेक्टर साहब की आज्ञा के उसका उपयोग नहीं कर सकती है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सदस्य को दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए और अगर मांगते हैं तो 'एज़ ए राइट'; अर्थात् अधिकार के रूप में....

श्री रामचन्द्र : मैं दया की सहायता के रूप में उनसे नहीं कहता।

श्री सभापति : Order ! Order !! you should Continue your debate.

तो मेरा निवेदन करना यह है कि झालावाड़ हॉस्पिटल में दान से प्राप्त हुई ऑलरेडी एक एम्बुलेन्स कार मौजूद है। प्रश्न केवल इतना है कि डाइरेक्टर साहब उसको एक्सेप्ट कर लें और उसको रजिस्टर्ड कराने के लिए आज्ञा दें। लेकिन इसी मामले को चलते-चलते आज ६ महीने हो गये हैं लेकिन अभी तक एम्बुलेन्स कार होते हुए काम में लाने की इजाजत नहीं दी है। यह बड़े दुःख की बात है।

(विरोधी पक्ष की ओर से 'शेम, शेम' की आवाज़)

सरकार को खर्च करना पड़ता तो मैं समझता कि सरकार के पास धन नहीं है, लेकिन एक दानी ने जनता को दान के रूप में दे दी तो आपको उसको रखने की इजाजत नहीं देने में क्या था ? मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय अभी कुछ जवाब देंगे और शायद यह जवाब देंगे कि इसलिए ऑर्डर नहीं दिया गया कि उसके लिए ड्राइवर और पैट्रोल वगैरह का कोई प्रोविज़न बजट में नहीं था। तो,सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय और डाइरेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री बी० एन० जोशी (बांदीकुई) : No appeal to the gallaries please.

श्री रामचन्द्र : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस एम्बुलेन्स जैसी चीज़ को चलाने के लिए वहां की जनता ने और वहां के लोगों ने इस बात का आपको विश्वास दिलाया कि एम्बुलेन्स के चलाने का जो कुछ खर्चा होगा....

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

जनता चन्दे के रूप में अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के फण्ड से देकर चला सकेगी। इस पर भी हमें आज्ञा प्राप्त नहीं हुई। मैं यह चाहता हूं कि झालावाड़ में एम्बुलेन्स होते हुए भी उसकी आज्ञा प्रदान नहीं करना सरासर जनता के साथ में अन्याय है और इसीलिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा पर मेरे २ कटौती प्रस्ताव हैं। पहला कटौती प्रस्ताव है : "To discuss the failure of the Government in encouraging the public contributions by non-co-operating with the donors." सभापति महोदय, यह बड़े ही खेद की बात है कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार यह कहती है कि जनता को चिकित्सा की सुविधा देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और दूसरी तरफ जो है कि अगर जनता में से कोई दानी अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहता है तो सरकार की ओर से समय पर पूरा सहयोग नहीं दिया जाता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि सोजत के अन्दर एक सज्जन ने सोजत डिस्पेन्सरी में करीब,१०-१२ हज़ार की लागत का एक मेटरनिटी वार्ड बनाने की इच्छा जाहिर की और जिस समय उपमंत्री, शिक्षा विभाग, जो कि ब्लॉक का उद्घाटन करने आये थे उनके हाथ से अस्पताल के अन्दर फाउन्डेशन स्टोन डाला गया था। लेकिन उस दानी के बार-बार कोशिश करने पर भी दो साल तक आज इस महकमे से उसको इस बात की स्वीकृति नहीं दी गई कि वह अस्पताल की जमीन पर अपनी ओर से मेटर्निटी वार्ड

Page No.116

(श्री तेजाराम गहलोत)

बना सकता है। आखिर बहुत कोशिश के बाद स्वीकृति दी गई तो उसका प्लान नहीं दिया गया कि किस तरह का मेटर्निटी वार्ड बनाओ। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ जनता अपने पैसे से गांवों में चिकित्सा की सुविधा के लिए अपना धन देती है, दूसरी तरफ सरकारी मशीनरी जो है उनको उस पैसे का सदुपयोग करने के लिए सहयोग नहीं देती है।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चंडावल में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिए जो है एक सज्जन ने ५० हज़ार की बिल्डिंग जो है दान में देने की इच्छा ज़ाहिर की लेकिन साल-डेढ़ साल होने आया है लेकिन सरकार की ओर से उसमें क्या तरमीम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए चाहिए उसकी स्वीकृति नहीं दी गई। पूरी कोशिश करने के बाद में सेन्क्शन मिल गई तो प्लान बिल्डिंग का कि क्या एडीशन्स और ऑलटरेशंन्स करने हैं, वह नहीं दिया गया है।

हमारे यहां एक दूसरे ब्लॉक में मैं समझता हूं कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिए २०,०००) रु० रोकड़ सरकारी खज़ाने में जमा कराये और २०,०००) रु० जब सरकार अपना प्लान प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिए सेन्क्शन कर देगी तो देने का वायदा किया। इस तरह से ४०,०००) रु० की लागत का इसमें उसने बनाने की इच्छा जाहिर की और २०,०००) रु० रोकड़ जमा करा दिये। उसको एक साल होने को आया लेकिन अब तक सरकार की ओर से स्वीकृति और प्लान नहीं दिया गया। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ जनता अपने यहां पर चिकित्सा की सुविधा के लिए अपना पैसा देना चाहती है और दूसरी तरफ सरकारी मशीनरी उसकी जो है पूरी तरह से सहयोग नहीं देती है।

इसलिए मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी इन चीज़ों की जरूरत हो और जो जो सरकार अपने बजट के प्रोविजन के मुताबिक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर वह दूसरी तरह की चिकित्सा की सुविधा देना चाहती है वहां जल्दी से जल्दी इस काम को किया जाना चाहिए। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर चंडावल की मन्जूरी हुए एक साल हो गया है लेकिन वहां आज तक डॉक्टर नहीं है और न पूरी दवाइयां हैं। उस प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के मातहत सरकारी स्कीम के मुताबिक ६ सब-सेन्टर्स और होते हैं। अभी सोजत तहसील में पब्लिक की ओर से ३ सब-सेन्टर्स बन कर तैयार हो गये हैं, लेकिन जब कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के अन्दर ही डॉक्टर नहीं है तो जो सब-सेन्टर्स पब्लिक ने बनाये हैं उनका क्या उपयोग होगा और किस तरह से जनता और चन्दा देने के लिए प्रोत्साहित होगी ?

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, श्री बरकतुल्लाखां (डिप्टी मिनिस्टर) माननीय सदस्यों से जोर जोर से बात कर रहे हैं इससे हाउस में डिस्टरबेन्स हो रहा है।

श्री बरकतुल्लाखां (उप मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं बात नहीं कर रहा था बल्कि एक कटमोशन को डिसकस कर रहा था।

श्री तेजाराम गहलोत : तो इस तरह से, सभापति महोदय, मैं आपके जरिये यह

(श्री तेजाराम गहलोत)

चाहूंगा कि ऐसे जो सज्जन आते हैं अगर सरकार उनसे कोऑपरेशन करे और उनके पैसे का सदुपयोग करे तो सरकारी पैसों की भी बचत होगी और दूसरी तरफ बगैर सरकारी पैसा खर्च किये जनता को चिकित्सा की अच्छी सुविधा मिल सकती है।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा कटमोशन है 'to discuss the poor supply of medicines and the instruments to dispensaries and hospitals.' सभापति महोदय, आज शफाखानों की हर जगह आवश्यकता होती है। लेकिन जब आदमी जाता है शफाखानों के अन्दर और वहां पर न पूरी दवाइयां मिलें और न ऑपरेशन के पूरे इन्स्ट्रूमेंट मिलें तो उसको कितनी निराशा होती है। सोजत की डिस्पेन्सरी का मैं यहां पर वर्णन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सोजत में रहता हूं। वह सैकिण्ड क्लास की डिस्पेन्सरी है। उसमें स्टेट के टाइम के जो इन्स्ट्रूमेंट थे वे टूट गये हैं, भाग गये हैं लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से उनको तब्दील करने की व्यवस्था नहीं की गई है। न तो दवाइयां पूरी मिलती हैं और न इन्स्ट्रूमेंट ही पूरे हैं। कोई आदमी डाढ़ या दांत निकलवाने के लिए जाता है डिस्पेन्सरी के अन्दर तो वहां पर इस तरह के इन्स्ट्रूमेंट उपलब्ध नहीं हैं। फिर इस तरह की डिस्पेन्सरी से क्या फायदा? जनता में कहने के लिए तो है कि सैकिण्ड क्लास डिस्पेन्सरी की व्यवस्था है लेकिन उसके कहने से मकसद हल नहीं होता है। वह सैकिण्ड क्लास डिस्पेन्सरी है और वहां पर ५००) रु० इनडोर पेशेन्ट्स के लिए प्रोविजन रखा गया है। ५००)रु० की डाइट को युटिलाइज़ करने के लिए सरकार एक फोर्थ क्लास सरवेन्ट रखती है जिसकी तनख्वाह और महंगाई वगैरह मिला कर ६०)रु० महीने के हिसाब से कितना होता है? तो इस तरह के इन्सफिशियन्ट प्रोविज़न बजट में रखने से न पैसे का सदुपयोग हो सकता है और न जनता को पूरी राहत मिल सकती है। जहां पर इन्डोर पेशेन्ट्स का प्रोविजन वहां पर मैं चाहूंगा कि दवाइयां पूरी रखी जायं, अच्छे इन्स्ट्रूमेंट रखे जायं और इनडोर पेशेन्ट्स के खाने की अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाय ताकि जिन किन्हीं बीमारों को वहां पर रहने का मौका मिले उनको पूरा लाभ हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता पर अध्यक्ष-पीठ से निर्णय

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक ऑब्जर्वेशन चाहा उसको रोक लिया गया था। आज उसको था। इस सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं : I have further examined the point raised by Shri Satish Chandra Agrawal with regard to the admissibility of the cut motions moved by Shri Bhim Sen.

The Hon'ble Members are aware, the power to decide the admissibility of cut motions vests entirely with the Hon'ble Speaker. The relevant rule is 147 of the Rules of Procedure, which reads :

"The Speaker shall decide whether a cut motion is or is not admissible under these rules, and may disa-

(श्री सभापति)

llow any cut motion when in his opinion it is an abuse of the right of moving cut-motion or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rulse."

It is, therefore, clear that the discretion in admitting or rejecting a cut motion is solely within the competence of the Hon'ble Speaker and in this matter he cannot share his responsibility with any other person. In short, he is the ultimate authority in deciding upon the admissibility or otherwise of a cutmotion.

I would also state here for the information of the Hon'ble members that in order that a notice of a motion for reduction of the amount may be admissible, a careful scrutiny is made of each and every cut motion strictly in accordance with the principles and conditions laid down in rules 145 and 146 of the Rules of Procedure and thereafter the list is circulated to the Hon'ble members for their use.

Shri Satish Chandra Agrawal has based his objection on rule 145. This rule gives certain specimen forms in which a cut motion may be moved. This fact, it appears, has probably been lost sight of that the admissbility of a cut motion is always decided under Rule 146. Shri Agrawal has made no reference to Rule 146. His objection under Rule 145 has, therefore, no direct bearing on the present case.

So far as the present cut motions are concerned, these were rightly examined under rule 146 and admitted by the Hon'ble Speaker. Under these circumstances, I am afraid, I cannot agree with the view taken by Shri Agrawal proposing the rejection of the cut motions tabled by Shri Bhim Sen. I would also add that the cut motions, which have once been examined from all possible aspects and their admissibility already decided upon are made subject to objections by any Hon'ble member in the House, I feel this practice would neither be advantageous nor would establish healthy convention. In other words, it would restrict the powers of the Hon'ble Speaker which the Rules of procedure have vested in him.

It is, however, to be borne in mind that Hon'ble the Speaker has got inherent powers to disallow any cut-motion, at any time, if he on reconsideration, is of the opinion that the cut motion was not in order.

With these observations, I rule out the point of order raised by Shri Satish Chandra Agrawal.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): One thing is not clear Mr. Chairman. Whether a ruling reserevd yesterday should be disposed of by the Speaker or by the Chairman ?

श्री सभापति श्री आबिदअली : I reserved the ruling and so I gave it.

श्री भैरोंसिंह : Then it should be taken that any ruling reserved should be given by the Chair...

श्री सभापति : This is not the point here. Since this particular point was in my consideration, so I gave the Ruling...

श्री भैरोंसिंह : आपके कंसीड्रेशन में पॉइन्ट ऑफ आॅर्डर था। आपने जो रूलिंग दिया है वह स्पीकर महोदय के हवाले से दिया है। आपने रूलिंग रिज़र्व रखा था, मान लीजिये आप चेयर पर नहीं आते तो क्या वह उस वक्त तक रिज़र्व रहता जब तक आप नहीं आते?

श्री सभापति : ऐसा कोई पॉइन्ट हाउस के सामने नहीं है, कन्वीनियेन्स की बात थी इसलिये मैंने इसे रिज़र्व रखा।

श्री भैरोंसिंह : पार्लियामेन्ट में भी इस प्रकार का कन्वेन्शन है कि नेक्स्ट डे के लिये जो रूलिंग रिजर्व रखा जाता है उसको नेक्स्ट डे स्पीकर महोदय डिस्पोज़ ऑफ करते हैं। चेयरमैन चार होते हैं। पेनल में से कोई भी चेयरमैन आवें और वे रिज़र्व रख दें तो उसका मतलब यह नहीं है कि वे ही आकर उसको डिस्पोज़ ऑफ करें।

श्री सभापति : मैं ऐसी व्यवस्था नहीं दे रहा हूँ कि मैंने रिज़र्व रखा था इसलिये मैं ही दूंगा; at present no such point is there...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : It is already five, Sir. When there is a ruling he should not challenge.

श्री सभापति : There is no question of challenging. He wanted a clarification.

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे प्रातः-काल तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर ५ बज कर ३ मिनट पर सदन की कार्यवाही दिनांक २३ मार्च, १९६० के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, २२ मार्च, १९६०)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	४१५१	अजमेर डिविजन में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भवन निर्माण हेतु सहायता ।	
लालसोट तहसील में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भेजने की व्यवस्था ।		मजदूरों के लिए सर्विस कोड ।	
ग्राम सुन्दलक, तहसील बारां को विकास कार्य हेतु दी गई धन-राशि ।		किसान सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावों पर कार्यवाही ।	
सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिविजन व सब डिविजन ।		जिनिंग फैक्ट्री, शाहपुरा एवं गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा को बेचा जाना ।	
नायब तहसीलदार, सदर कानूनगो, ऑफिस कानूनगो, ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट एवं तहसीलदारों आदि की हुई नियुक्तियां एवं रिवर्जन ।		खनिज उद्योग का राष्ट्रीयकरण ।	
उदयपुर डिवीजन में समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई सहायता ।		सीकर जिले में मिडिल ट्रेन्ड अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड ।	
हिन्दी टाइपिंग एवं शॉर्टहैन्ड की ट्रेनिंग ।		भूतपूर्व धौलपुर, टोंक व जयपुर रियासतों का बन्दोबस्त ।	
सड़कों पर डामर डालना ।		अजमेर जिले में कार्य करने वाले अजमेर के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में एडहॉक इन्क्रीमेंट की रकम न मिलना ।	
कोटा जिले में रिवर्ट किए गये कानूनगो ।		चुरू जिले में किसानों को खातेदारी के पर्चे देना ।	
		बीकानेर में एन० सी० सी० की एयर विंग की शुरूआत ।	

रकम्भ

बाड़मेर जिले में अकाल सहायतार्थ खर्च की गई धन-राशि ।

प्रान्त में शक्कर की मिलों की स्थापना ।

राजस्थान सचिवालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति ।

मंडरायल-दरगंवा सड़क निर्माण ।

बाईस गोदाम जयपुर की बस्ती में बने मकानों का नीलाम ।

श्री केशरियाजी मन्दिर के भन्डार के अनाज के ठेके की नीलामी ।

चूरू जिले में एम० ए० तथा एल० एल० बी० की शिक्षा का प्रबन्ध ।

तहसील सराड़ा के ग्राम मापर के काश्तकारों को डूब में आई भूमि के एवज भूमि दिलवाना ।

झालावाड़ के मन्दिरों के कर्मचारियों का फिक्सेशन ।

संस्कृत कॉलेज, जयपुर के प्रोफेसर्स के तबादले ।

जिला सिरोही में चारागाह की व्यवस्था ।

मौजा बगराना, तहसील सवाई

रकम्भ

जयपुर के हरिजन रैगर काश्तकारों को गश्त गिरदावरी स्लिप ।

हार्ड ड्युटी अलाउन्स ।

गांधी शिक्षा सदन, अजमेर ।

विकास कार्यों में रूरल बायस के व्यक्तियों की नियुक्ति ।

तहसील लालसोट में मौजा बिनोरी में सरकारी पेड़ों और जमीन पर के नाजायज़ काबिज श्री शम्भूलाल चौबे से बंधी रकम की वसूली ।

नीजरण, तहसील लालसोट में सहकारी समिति को प्रदत्त जमीन का दूसरे लोगों को दिया जाना ।

पाली तहसील के जागीरदारों को दिया गया मुआवजा ।

आयव्ययक, १९६०-६१
(द्वितीय अवस्था)

अनुदानों की मांगों पर मतदान मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा ४२२८

उपरोक्त मांग श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, मन्त्री, चिकित्सा विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई। इस मांग पर आज ६२ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

बुधवार, २३ मार्च, १६६० की कार्य सूची

१. सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति।

२. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

३. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार।

४. आयव्ययक, १६६०–६१ अनुदानों की मांगों पर मतदान।

(क) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा।

(ख) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५० ब, ५० क-नागरिक निर्माण कार्य आदि।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६० का उत्तर देखिये)

उदयपुर डिविजन में सन् १९५७–५८ व ५८–५९ में समाज कल्याण विभाग की ओर से जिन जिन संस्थाओं को आर्थिक सहायता के रूप में जो धनराशि दी गई उसकी सूची

क्रमांक	संस्था का नाम	५७–५८	५८–५९	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
अनुसूचित जन जाति				
१.	राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर	६३,४९९.३२	१,३३,४९९.७२	मासिक खर्च पर ८५ प्रतिशत के हिसाब से स्वीकृत सीलिंग की सीमा तक।
२.	बांसवाड़ा जिला सेवक संघ, प्रतापुर	३१,४४६.६२	३२,०४४.२४	,, ,, ,,
३.	गांधी आश्रम, कुशलगढ़	४,६८७.६३	५,६५०	,, ,, ,,
४.	आदिवासी छात्रावास, घाटोल	३,४३२.३७	३,६०८.०५	मासिक हिसाब प्रति छात्र २० रु० के हिसाब से।

१	२	३	४	५
५.	आदिवासी छात्रावास, बागीडोरा	२,२३५.६२	३,४२७.३३	मासिक हिसाब प्रति छात्र २० रु० के हिसाब से ।
६.	,, ,, गलियाकोट	२,६०६.०३	३,६५४.०८	,,
७.	नूतन बापा छात्रावास, डूंगरपुर	६,६८७.०६	६,२७६.१०	,,
८.	आदिवासी कन्या छात्रावास, सीमलवाड़ा	३,५२७.०६	४,६८८.४१	,,
९.	आदिवासी छात्रावास, कनबा	२,१७३.१६	४,१६४.३८	,,
१०.	,, ,, पलके झोलाना	४,६३६.१८	३,१७७.४०	,,
११.	,, ,, खान्दू	२,१३६.१५	३,१६०.७६	,,
१२.	बागड़ विद्यापीठ छात्रावास, डूंगरपुर	३,०६७.७८	५,५४८.८४	,,
१३.	आदिवासी छात्रावास, बीछीवाड़ा	५,१३६.५६	७,३२६.७०	,,
१४.	,, ,, सीमलवाड़ा	७,६६२.२१	६,३५८.३३	,,
१५.	,, ,, गढ़ी	२,३२२.३६	४६१.७२	,,
१६.	,, ,, चांदरवावाड़ा	१,५३७.६६	८००	,,
१७.	आदिवासी छात्रावास, मूंगड़ा	२१,६०.१८	३०,१८.४३	,,

१	२	३	४	५
१८.	शान्त सेवा कुटी छात्रावास, बांसवाड़ा	२,२१८.१५	८००	मासिक हिसाब प्रति छात्र २०) रु० के हिसाब से।
१९.	बाप आदिवासी छात्रावास, डूंगरपुर	—	३,८१०.२०	,,
२०.	गाडिया लुहार छात्रावास, चित्तौडगढ़	—	७,८६५.१२	,,
२१.	आदिवासी छात्रावास, पीठ	—	३,१७४.७६	,,
२२.	,, ,, चांवन्ड	—	२,६२०	,,
२३.	,, ,, मैसरोडगढ़	—	१,६६०	,,
२४.	,, ,, भीलवाड़ा	—	३,०००	,,
२५.	बापा भील आश्रम, रिखबदेव	—	८००	अतिरिक्त सहायता छात्रावास की साधन–सुविधा के लिए।
२६.	आदिवासी छात्रावास, टिड्डी	—	८००	,,
२७.	पिछड़ी जाति छात्रावास, भोम	—	८००	,,
२८.	आदिवासी छात्रावास, सलूम्बर	—	८००	,,
२९.	जवाहर छात्रावास, खेरवाड़ा	—	८००	,,
३०.	आदिवासी छात्रावास, कांनोड़	—	८००	,,

१	२	३	४	५
३१.	विद्या भवन, उदयपुर	११,११५.७६	१०,०३०.०५	छात्रवृत्ति नये छात्र को ८० रु०, पुराने छात्र को ७५ रु० प्रति माह ।
३२.	महिला आश्रम, उदयपुर	१४,६८७.४४	२०,६८०.६०	छात्रवृत्ति प्रति छात्रा ४० रु० के हिसाब से तथा ५७–५८ में ३० रु० मासिक से ।
३३.	महिला मंडल, उदयपुर	१४,०२५.१६	२१,१५३.५४	,,
३४.	मीरां कला मंडल, उदयपुर	—	६००	एक मुश्त सहायता ।
३५.	आदिवासी जाति सेवक संघ, उयदपुर	—	१०,०००	,,
३६.	आदिम जाति ग्रामोद्योग संघ, उदयपुर	—	२२,४००	,,
३७.	भारतीय लोक कला मन्दिर, उदयपुर	—	१०,०००	,,
३८.	हरिहर आश्रम, बदराना	—	२,१००	हिसाब का ७५ प्रतिशत ।
	पिछड़ी जाति योजना			
१.	सेवा संघ, विगोद	१३४०.३६	—	खर्च स्वीकृत सीलिंग की सीमा तक, पर ७५ प्रतिशत के हिसाब से ।
२.	आदिवासी छात्रावास. टीडी	३१२६.८६	५०७०.८६	छात्रवृत्ति प्रति छात्र २० रु० के हिसाब से ।

१	२	३	४	५
३.	बापा भील आश्रम, रिखबदेव	३,६१६.१७	४,१३१.०६	छात्रवृत्ति प्रति छात्र २० रु० के हिसाब से।
४.	आदिवासी छात्रावास, कानोड़	२,४६५.७६	३,८०१.१५	"
५.	आदिवासी छात्रावास, सलूम्बर	२,६६०.६३	२,७१३.४३	"
६.	जवाहर छात्रावास, खेरवाड़ा	५,७१६.६३	५,६६१.०७	"
७.	श्री भील छात्रावास, बिजोलिया	२,७६८.६५	—	"
८.	पिछड़ी जाति छात्रावास, भीम	२,०७६.१३	२,७६८.०५	"
	अनुसूचित जाति योजना			
१.	हरिजन सेवक संघ, उदयपुर	८,६६६.६६	८,८३१.७८	स्वीकृत सीलिंग की सीमा तक खर्च का ७५ प्रतिशत के हिसाब से।
२.	हरिजन सेवक समिति, प्रतापगढ़	२,५५२.०६	२,४६४.६८	"
३.	हान्त सेवा कुटी, बांसवाड़ा	२,६१२.५८	२,६२४.४६	"
४.	हरिहर आश्रम, बदराना	२,१००.	—	"
५.	बापा छात्रावास, फतेहनगर	४,५२२.६५	४,६६०.७८	"

१	२	३	४	५
६.	भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर	५,०००	—	,,
७.	सेवा संघ, बिगोद	—	१,२७०.३२	खर्च का ७५ प्रतिशत के हिसाब से
८.	विद्या भवन, उदयपुर	१,४५७.६५	८६२.५०	छात्रवृत्ति
	गाड़िया लुहार योजना			
१.	गाड़िया छात्रावास, चित्तौड़गढ़	६,६४३.५५	१,११४०.१४	२५ रु० प्रति छात्र के हिसाब से
२.	महिला आश्रम, उदयपुर	४,४५०.१६	—	,,
	विमुक्त जाति योजना			
१.	गाड़िया लोहार छात्रावास, चित्तौड़गढ़	—	३,४६६.८०	,,

कार्यालय, संचालक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा चलाये जानेवाले पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावासों को मान्यता व सहायता प्रदान करने सम्बन्धी नियम :

१. पिछड़े वर्ग छात्रावास को मान्यता तथा सहायता के लिये आर्थिक वर्ष, जिसमें छात्रावास को सहायता मिलनी है, के आरम्भ होने अर्थात् एक अप्रेल के कम से कम सात महीने पहिले समाज कल्याण विभाग के संचालक को प्रार्थनापत्र देना चाहिये। यदि संचालक सन्तुष्ट हो जाय कि प्रार्थनापत्र देने में विलम्ब किन्हीं विशेष कारणों से, जो प्रार्थी के वश के बाहर है, हुई है तो संचालक द्वारा इस शर्त में रियायत की जा सकती है।

२. मान्यता के लिये प्रार्थना पत्र संलग्न फॉर्म परिशिष्ट 'क' में प्रस्तुत करने चाहिये इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों पर संचालक, समाज कल्याण विभाग निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे :--

क. क्या उस जिले या समीपवर्ती जिले में कोई पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावास है या नहीं और यदि है तो क्या उसमें स्थान की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उस स्थान पर नवीन छात्रावास खोलने की आवश्यकता है।

ख. क्या प्रबन्धकों ने नियम संख्या ३ में उल्लिखित सुविधाओं के स्वीकृत स्तर की व्यवस्था करली है।

ग. क्या छात्रावास के साधन इसके आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं।

घ. क्या विभाग में वर्ग छात्रावास के लिये उस वर्ग की सहायता की निधि में इतनी रकम है कि वह अतिरिक्त व्यय-भार को पूरा कर सकती है।

३. सरकार का छात्रावास की मान्यता व सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र देने के पूर्व प्रबन्धकों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का स्वीकृत स्तर निम्न है :--

क. जहां छात्रावास स्थित है वह स्थान स्वच्छ अवस्था में होना चाहिये और निरीक्षक अधिकारी (सम्बन्धित पिछड़ी जाति कल्याण अधिकारी) ने इसे एतदर्थ पास कर लिया है।

ख. छात्रावास में रहनेवाले छात्रों के लिये उसमें खाने, पीने व सोने का स्थान पर्याप्त होना आवश्यक है।

ग. सहायता आकांक्षी छात्रावास के छात्रों को निःशुल्क स्वास्थ्यकर तथा पर्याप्त भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए।

घ. साहित्यिक व सामाजिक प्रवृत्तियों तथा अन्दर व बाहर खेले जाने वाले खेलों का पर्याप्त प्रावधान होना चाहिये।

ङ. सामान्यतः घरेलू आवश्यकता की साधारण औषधियों का संग्रह होना चाहिये और बीमारी की हालत में छात्रों की चिकित्सा का उचित प्रबन्ध रहना आवश्यक है।

च. वे छात्र सरकारी शिक्षा विभाग द्वारा मान्य संस्थाओं अथवा स्कूलों में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक संगठित शिक्षा पाठ्यक्रम के अध्ययन की व्यवस्था है।

४. किसी पिछड़े वर्ग छात्रावास, जिसको नियमानुसार मान्यता दी जाने वाली है, में कम से कम २० छात्रों का होना आवश्यक है।

५. मान्यता होने के पश्चात् छात्रावासों को सहायता की रकम निम्न प्रकार से प्रदान की जावेगी :—

क. यदि निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि स्वीकृत स्तर की सुविधाओं में कोई कमी है तो संचालक, समाज कल्याण विभाग उसके स्तर के अनुसार उस वर्ष की सहायता में एक मुश्त कटौती की जा सकेगी। समय समय पर जारी की गई हिदायतों का पालन नहीं करने की अवस्था में संचालक को अधिकार होगा कि वे सहायता की रकम का चुकारा रोक दें अथवा एक मुश्त कटौती की आज्ञा दे दें।

ख. छात्रावास के प्रबन्धकों को प्रदान की जाने वाली सहायता छात्रावास के छात्रों की औसत उपस्थिति के अनुसार दी जावेगी न कि छात्रावास की पंजिका की औसत संख्या के अनुसार। परन्तु छात्रावास को सहायता दी जाने के लिये छात्रों की निर्धारित अधिकतम संख्या का ध्यान रखा जावेगा।

ग. मान्य छात्रावासों की औसत उपस्थिति पर १५ रु० प्रति मास की सहायता प्रदान की जावेगी। आगे वाली धाराओं में वर्णित शर्तों के साथ और कोष में रकम होने की अवस्था में छात्राओं के छात्रावासों में १ रुपया प्रति माह प्रति छात्रा औसत उपस्थिति पर अतिरिक्त दिया जा सकेगा।

घ. सहायता की रकम निश्चित करने में ३१ जुलाई के बाद प्रवेश पाने वाले छात्रों की हाजरी नहीं गिनी जावेगी, जब तक कि वे संचालक, समाज कल्याण विभाग की पूर्वानुमति से प्रविष्ट न किये गये हों। औसत हाजरी निकालते समय

प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की उपस्थिति नहीं गिनी जावेगी।

नोट :—यह उप नियम उन छात्राओं के लिये जो राज्य से सहायित पिछड़े वर्ग छात्रावासों में रहती हैं, नहीं लागू होता है।

ङ. ऐसे छात्रों को जिनकी प्रगति असन्तोषजनक पाई जावेगी, सहायता नहीं दी जावेगी अर्थात् जो उच्च कक्षा में पहुँचने में उत्तीर्ण होने में असफल रहे हैं, सिवाय ऐसे छात्रों को, जिनकी कक्षा के लिये सफलता प्राप्त करने के प्रथम प्रयास में असफलता मिली हो और बशर्ते कि संस्था के अध्यक्ष तथा संचालक, समाज कल्याण विभाग इस बात से सन्तुष्ट हों कि असफलता ऐसी परिस्थिति के कारण हुई जो छात्र के वश के बाहर थी। प्रत्येक अवस्था में संस्था के अध्यक्ष को यह प्रमाणित करना होगा कि छात्र द्वारा अध्ययन के लिये किये गये परिश्रम में न्यूनता के कारण परीक्षोत्तीर्ण होने में असफलता नहीं हुई।

च. ऐसे छात्र को सहायता नहीं दी जावेगी जिसको एक या अधिक छात्रवृत्तियां मिलती हैं जिसकी मासिक रकम पाठशाला शुल्क, यदि कोई हो, वह देने के बाद प्रति माह निर्धारित प्रति व्यक्ति दी जाने वाली सहायता के बराबर या अधिक हो। यदि छात्रावास के छात्र की कुल मासिक रकम उक्त प्रकार की कटौती के पश्चात् निर्धारित प्रति माह प्रति व्यक्ति सहायता से कम है तो ऐसे छात्रों को अनुपातिक सहायता दी जावेगी ताकि छात्रवृत्ति की कम रकम तथा निर्धारित प्रति व्यक्ति दी जाने वाली सहायता का अन्तर पूरा हो जाता हो।

छ. अध्ययनवर्ष आरम्भ होने के दो महीने पश्चात् छात्रावास में प्रविष्ट होने वाले छात्रों को कोई सहायता नहीं दी जावेगी। इसी प्रकार अध्ययन-वर्ष की समाप्ति के दो माह पूर्व छात्रावास छोड़ देने वाले छात्रों को भी नहीं दी जावेगी। बशर्ते कि इस उप नियम में विशेष परिस्थिति में शिथिलता बर्ती जा सकेगी, जब संचालक, समाज कल्याण विभाग संतुष्ट हो जावे कि इसमें कोई विशिष्ट कारण है। एक या अधिक छात्रों के बारे में लागू नहीं हो सकते हैं।

ज. जिन छात्रों के माता पिता की वार्षिक आय १,२०० रु० या इससे अधिक होगी उनको सहायता नहीं दी जावेगी।

झ. **उन छात्रों को सहायता नहीं दी जावेगी :—**

(१) जिनके माता पिता या संरक्षक उसी कस्बे या गांव में रहते हों जिसमें छात्रावास स्थित है।

(२) जो बाहर के कस्बे या गांवों से आकर छात्रावास में प्रविष्ट हुए हों किन्तु

प्राथमिक व माध्यमिक पाठशालाओं में चतुर्थ कक्षा तक में पढ़ते हों बशर्ते कि विशेष अवस्था में इस नियम में शिथिलता वर्ती जा सकेगी, जहां संचालक समाज, कल्याण विभाग सन्तुष्ट हो जावे कि ऐसा करने के लिये विशिष्ट कारण हैं।

(३) प्रत्येक छात्रावास जिनको इन नियमों के अन्तर्गत ५०० रु० या अधिक की पहले वर्ष सहायता मिली है उसे रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से अपना हिसाब जांच कराना होगा और नियम १२ के अन्तर्गत की अन्तिम किश्त उस समय तक नहीं दी जावेगी जब तक आय व्यय निरीक्षक के हस्ताक्षरों सहित जांच वक्तव्य के साथ पहले वर्ष का हिसाब का व क्तव्य संचालक, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त नहीं कर लिया जाता।

६. पिछड़े वर्ग छात्रावास समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण के लिये खुले होंगे व विवरण तथा सूचना जैसी समय समय पर आवश्यक हो, भेजनी होगी।

७. छात्रावासों को शर्त के साथ मान्य किया जावेगा कि बिना किसी जाति, धर्म के भेदभाव के वे पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के सब छात्रों को जो प्रवेश पाने के इच्छुक हों, के लिये कोई रोट-टोक न हो।

८. साधारणत: वर्ष की सहायता उस वर्ष की सहायता होगी और उस वर्ष की छात्रावास की औसत उपस्थिति पर गिनी जावेगी। जहां तक सम्भव होगा सहायता औसत उपस्थिति के आधार पर प्रति माह दी जावेगी।

९ पहली बार और बाद में समय समय पर सहायता की रकम देने के पहले सहायता के लिये रकम का अंकन करते समय संचालक, समाज कल्याण विभाग यह विचार करेंगे कि :—

क. नियम ३ या ४ में उल्लिखित शर्तें पूरी हुई या नहीं।

ख. आय-व्यय के हिसाब रखने की व्यवस्था सन्तोषजनक है।

ग. रजिस्टर जैसे छात्रों का जनरल रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर और अन्य रेकॉर्ड सन्तोषपूर्ण ढंग से रखे जाते हैं।

घ. निरीक्षक, कर्मचारी पर्याप्त और सुयोग्य हैं।

ङ. छात्रों का व्यवहार व अनुशासन विशेषत: ढंग, स्कूल में नियमित उपस्थिति, उनकी प्रगति तथा परीक्षा का परिणाम सन्तोषपूर्ण है।

१०. छात्रावास की मान्यता इन नियमों के अन्तर्गत वापिस ले ली या रोक दी जावेगी यदि छात्रावासों के कर्मचारी या छात्र राजनैतिक या साम्प्रदायिक आन्दोलन जो

सीधे या परोक्ष में सरकार के विरुद्ध अप्रियता उत्पन्न करता हो या नाराजगी पैदा करता हो या विभिन्न वर्गों में घृणा या शत्रुता की भावना फैलाता हो और सार्वजनिक शान्ति को भंग करता हो। बशर्ते कि इस प्रकार मान्यता की वापिसी या सहायता के रोक देने के पहले प्रबन्धकों को अवसर दिया जावेगा कि क्यों न उनके प्रति ऐसे कार्य के लिये कार्यवाही की जावेगी।

११. जिस वर्ष छात्रों की संख्या में वृद्धि के अनुसार सहायता में वृद्धि चाही जाय उसके लिये छात्रों की संख्या में वृद्धि की निर्धारित संख्या उस वर्ष १ सितम्बर तक भेजनी होगी।

साधारणतः छात्रावास में छात्रों की संख्या २५ से अधिक नहीं होगी जब तक कि उक्त प्रकार से संचालक की पूर्व अनुमति नहीं प्राप्त कर ली गई हो।

१२. अध्ययन वर्ष के अन्तिम चार माह में छात्रावास को दी जाने वाली सहायता की रकम साधारणतः मई माह में जब कि छात्रावास का निरीक्षण हो चुका हो, दी जावेगी किन्तु आवश्यक परिस्थिति में और सम्बन्धित छात्रावास की अधिष्ठात्री स्वयं सेवी संस्था के क्षेत्रीय समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा संचालक, समाज कल्याण विभाग को प्रार्थना-पत्र देने पर पिछड़े वर्ग छात्रावास को अग्रिम सहायता तीन किश्तों में प्रति माह के अन्त में निम्न शर्तों के अनुसार स्वीकृत की जा सकेगी :—

क. कि प्रत्येक किश्त मासिक सहायता की आधी हो और उस वर्ष (सैशन) अन्तिम भुगतान के समय संवार ली जावे।

ख. कि अभिरक्षा के लिये प्रबन्धकों को एक संविदा पर अग्रिम रकम को चुकाने के लिए हस्ताक्षर करने होंगे क्योंकि छात्रावास अध्ययन वर्ष के पूर्व बन्द हो जाय या किन्हीं कारणों से सहायता प्राप्ति के लिये योग्य नहीं रहने की सम्भावना हो सकती है।

१३. यदि किसी सरकारी कॉलेज के प्रिन्सिपल, स्कूल के प्रधानाध्यापक या सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज या स्कूल ऐसे छात्रावास खोलने चाहते हों तो प्रति माह ३० रु० का विशेष भत्ता उस व्यक्ति को दिया जावेगा जो उस छात्रावास की देखभाल करेगा और जिसकी प्रिन्सिपल या प्रधानाध्यापक सिफारिश करेंगे।

१४. ऐसे पिछड़े वर्ग छात्रावासों को मान्यता, जिनके बारे में सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं होने की रिपोर्ट मिले और जिन्होंने पूर्व कथित नियमों की उपेक्षा की हो, संचालक, समाज कल्याण विभाग छात्रावास के प्रबन्धकों को चेतावनी देकर वापिस ले लेंगे। मान्यता को वापिस लेने के पश्चात् छात्रावास सरकार से सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५८०३ का उत्तर देखिये)

(१) श्री जुगलकिशोर ।

(२) श्री रामनारायण ।

(३) श्री सूरजमल ।

(४) श्री केशरीलाल ।

(५) श्री कन्हैयालाल ।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ का उत्तर देखिये)

राजस्थान के माइन्स व कुवारिज जिलेवार की सूची

१.	बीकानेर	पलाना कॉलेरी, पत्थर की कुवारी डुलमेरा, फुलरस अर्थ (मुलतानी मिट्टी) मूंध और कोलायत, जिप्सम जामसर, लुणकरणसर, धीरेरा। ग्लास सेन्ड, वाइट क्ले (मंध)।
२.	चुरू	कंकर कुवारिज। जिप्सम (तारानगर) तांबा, दरीबा (सुजानगढ़) सेन्डस्टोन।
३.	गंगानगर	जीपसम डीपोजिट्स, सुरतगढ़, साल्ट पीटर।
४.	कोटा	सेन्ड स्टोन, लाइम स्टोन, सीलीका सेन्ड, श्रोकर क्ले, क्यूक्साइट।
५.	बूंदी	सेंड स्टोन, सीलीका सेंड, आइरन ओर, क्ले, लाइमस्टोन।
६.	जालावार	सेंड स्टोन, लाइम स्टोन, कोपर ओर, एगेट, ओकर।
७.	उदयपुर	बेरल, कोपर ओर, आइरन ओर, लेड जीन्क सीलवर ओर, सोप स्टोन, मेंगनीज ओर, एमरल्ड, एसबेसट्स, अभ्रक फाइलाइट, लाइम स्टोन, काइनाइट, फाल्सफर।
८.	चित्तौड़गढ़	लाइम स्टोन, (सीमेन्ट इन्डस्ट्रीज़ की उन्नत्ति की जा सकती है, निम्बाहेरा और चित्तौड़गढ़ के पत्थर उनके लिये विख्यात हैं।) ओकर, क्ले।
९.	बांसवाड़ा	मेन्गनीज माइन्स, सोप स्टोन, लेड ओर, ग्रेफाइट।
१०.	भीलवाड़ा	माइका, सोप स्टोन, बेरल, टेन्टालाइट, कोलुम्बाइट, सेंड स्टोन, फल्सपर, क्ले, कुर्वाट्ज, गारनेन्ट, फइलाइट, काइनाइट, कोपर ओर।
११.	डूंगरपुर	एसबेसटोस, सोप स्टोन, बेरल, माइका, काइनाइट, फ्लोराइट।
१२.	जयपुर	स्लेब स्टोन, माइक, बेरल, सोपस्टोन, क्ले, गारनेट, साल्ट, आइरन ओर, यूरेनियम ओर।
१३.	सवाई-माधोपुर	ग्लास सेंड, लाइम स्टोन, ओकर, सोपस्टोन, माइका, क्ले, लेड जीन्क ओर, सीलीका सेन्ड, बेन्टोनाइट।

१४.	टोंक	माइका, बेरल, गारनेट।
१५.	सीकर	ओकर, केलसाइट, मारबल, लाइमस्टोन, आइरन ऑर, फ्लोराइट, ईलमीनाइट, लेड ऑर।
१६.	झुंझुनू	कोपर ऑर, लाइम स्टोन, यूरेनियम ऑर, ओकर।
१७.	अलवर	स्टोन कुवारिज, कोपर ऑर, बाइराइट्स, आइरन ऑर, ग्लास सैंड, सोप स्टोन, सलेट, मारबल, लाइम स्टोन, ओकर, फेल्सपर।
१८.	भरतपुर	सैंड स्टोन, कुवारिज, बाइराइट्स, माइका, सॉल्टपीटर।
१९.	जोधपुर	सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, फुलरस अर्थ, माइका, बेरल, ग्रेनाइट, क्ले, ओकर।
२०.	बाडमेर	फुलरस अर्थ, जिटसम, साल्ट, बेन्टोनाइट।
२१.	जालोर	ग्रेनाइट, मारबल।
२२.	सिरोही	स्टोन कुवारिज, लाइम स्टोन, केलसाइट, सोप स्टोन, एसबेसटस, मारबल।
२३.	नागोर	जिटसम, मारबल, साल्ट, सोडियम सल्फेट, वुलफ्रेम, सैंड स्टोन।
२४.	पाली	मारबल, लाइमस्टोन, ग्लास सैंड, स्लेट, कुवाट्ज, फाल्सपर।
२५.	जैसलमेर	लाइम स्टोन, फुलरस अर्थ, जिटसम, साल्ट, मारबल।
२६.	अजमेर	माइका, बेरल, एसबेसट्स, ग्रेफाइट, वरमीकुलाइट, केलासाइट, फेल्सपर, क्ले, मारबल, नेफलाइन, सायेनाइट, सोडा लाइनेट, एमरल्ड।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७१ का उत्तर देखिये)

नाम रियासत	नाम तहसील	किस साल मौजूदा बन्दोबस्त हुआ	क्या मियाद है	कैफियत
१	२	३	४	५
१. धौलपुर	१. राजाखेड़ा	सन् १९११	२० साल	
	२. बाड़ी	,,	,,	
	३. बसेड़ी	,,	,,	
	४. गींद (धौलपुर)	,,	,,	
२. जयपुर	१. आमेर	सन् १९५३	१८ साल	
	२. जमवा रामगढ़	सन् १९५१	२० साल	
	३. बांदीकुई	सन् १९४९	१७ साल	
	४. दौसा	सन् १९५६	१३ साल	
	५. लालसोट	सन् १९५२	१४ साल	
	६. सिकराय	सन् १९५१	१५ साल	
	७. जयपुर	सन् १९५८	२० साल	जहां एक तहसील
	८. बस्सी	,,	,,	में कही सेटलमेंट
	९. सांगानेर	,,	,,	हुये हैं वहां अधि-
	१०. चाकसू	सन् १९५१	१६ साल	कांश की नोइयत
	११. फुलेरा	सन् १९५४	१९ साल	
	१२. दूदू	,,	,,	
	१३. फागी	,,	२० साल	
	१४. बैराठ	सन् १९५१	,,	
	१५. झुंझुनूं	सन् १९४२	९ साल	
	१६. चिड़ावा	,,	,,	
	१७. खेतड़ी	,,	,,	

१	२	३	४	
	१८. उदयपुरवाटी	सन् १६५५	२० साल	
	१६. बामनवास	सन् १६५१	१३ साल	
	२०. गंगापुर	सन् १६५२	१२ साल	
	२१. नादोती	सन् १६५२	,,	
	२२. हिन्डौन	सन् १६५१	,,	
	२३. महुवा	,,	१३ साल	दिखा दी
	२४. टोड़ाभीम	,,	१२ साल	गई है।
	२५. खन्डार	सन् १६५२	,,	
	२६. मलारना चोड	,,	१५ साल	
	२७. सवाई माधोपुर	,,	,,	
	२८. फतहगढ़	सन् १६४१	६ साल	
	२६. लक्ष्मणगढ़	,,	,,	
	३०. नीम का थाना	सन् १६५५	१६ साल	
	३१. श्रीमाधोपुर	सन् १६५४	१८ साल	
	३२. सीकर	सन् १६४१	६ साल	
	३३. दांतारामगढ़	सन् १६५४	१७ साल	
	३४. मालपुरा	सन् १६५३	२० साल	
	३५. टोडारायसिंह	,,	,,	
	३६. निवाई	सन् १६५४	,,	
	३७. दूनी	सन् १६५७	१६ साल	
३. टोंक	१. टोंक	सन् १६४१	मियाद दर्ज नहीं है।	
	२. अलीगढ़	सन् १६४१	,,	
	३. लेटेरी	यहां का रेकॉर्ड उपलब्ध न होने की वजह से कुछ नहीं बतलाया जा सकता।		
	४. सिरोज	,, ,, ,, ,, ,,		

———

नाम रियासत	नाम तहसील जहां पुनः बन्दोबस्त हो गया है	ग्राम	नाम तहसीलात जहां पुनः बन्दोबस्त नहीं हुआ है	ग्राम	कैफियत
१	२	३	४	५	६
१. जयपुर	१ आमेर	५०	१ आमेर	१५५	
	२ जमवारामगढ़	१४०	२ जमवारामगढ़	११६	
	३ बांदीकुई	१०८	३ बांदीकुई	६८	
	४ दौसा	१४७	४ दौसा	१२३	
	५ लालसोट	१६४	५ लालसोट	१८०	
	६ सिकराय	८६	६ सिकराय	५८	
	७ जयपुर	५७	७ जयपुर	८५	
	८ बस्सी	३६	८ बस्सी	१०४	
	९ सांगानेर	६२	९ सांगानेर	९२	
	१० चाकसू	१७५	१० चाकसू	१४७	
	११ फुलेरा	९९	११ फुलेरा	१७०	
	१२ फागी	९७	१२ फागी	१३६	
	१३ बैराठ	१००	१३ बैराठ	५४	
	१४ झुंझुनू	४६	१४ झुंझुनू	१८९	
			१५ चिड़ावा	१५५	
			१६ खेतड़ी	१८३	
	१५ फतेहगढ़	२२	१७ फतेहगढ़	९२	
	१६ लक्ष्मणगढ़	४२	१८ लक्ष्मणगढ़	१०२	
	१७ सीकर	४६	१९ सीकर	१११	
	१८ उदयपुरवाटी	७१	२० उदयपुरवाटी	५९	
	१९ वामनवास	११०	२१ बामनवास	४२	
	२० गंगापुर	६२	२२ गंगापुर	२६	
	२१ नादोती	४३	२३ नादोती	३९	
	२२ हिन्डोन	८६	२४ हिन्डोन	४६	
	२३ टोडाभीम	९१	२५ टोडाभीम	५३	

१	२	ग्राम	३	ग्राम	४
	२४ खन्डार	१०१	२६ खन्डार	२६	
	२५ मलारनाचोड	८६	२७ मलारना चोड	८७	
	२६ सवाई माधोपुर	८५	२८ सवाई माधोपुर	११६	
	२७ महुआ	६२	२६ महुआ	५८	
	२८ दांतारामगढ़	१५	३० दातारामगढ़	८८	
			३१ नीम का थाना	१०१	
			३२ श्रीमाधोपुर		
	२६ मालपुरा	७४	३३ मालपुरा	७१	
	३० नीवाई	१०८	३४ नीवाई	६३	
	३१ टोडारायसिंह	७७	३५ टोडारायसिंह	३८	
			३६ दूनी	२५	
२. टोंक	१ टोंक				
	२ अलीगढ़				
	३ लेटरी	यहां का रेकॉर्ड उपलब्ध न होने की वजह से कुछ			
	४ सिरोज	नहीं बतलाया जा सकता।			

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७३ का उत्तर देखिये)

सूची खातेदारान फरवरी, १६६० तक

क्रम सं०	नाम तहसील	धारा १५ के तहत		धारा १६ के तहत	
		तस्दीक किये गये	बाकी रहे	तस्दीक किये गये	बाकी रहे
१	२	३	४	५	६
१.	चुरू	४,५५०	—	२४२	६५०
२.	रतनगढ़	२,२६४	—	३०	—
३.	सुजानगढ़	८,१२०	—	१,०५०	६,६६०
४.	सरदारशहर	१०,३६२	—	२	—
५.	श्री डूंगरगढ़	६,२६८	—	४३५	३,४१५
६.	राजगढ़	६,४६२	—	५८८	३४६
७.	तारानगर	४,५२०	—	८६६	२८६
		४५,६०६	—	३,२४३	११,६६०

———

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या ५७५ का उत्तर देखिये)

सन् १९५८-५९ एवं १९५९-६० (अप्रैल से लगाकर माह फरवरी) तक, जो धनराशि जिला बाडमेर की सम्पूर्ण तहसीलों में ५४ दुर्भिक्ष के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय हुई उसका तल पट :—

क्रम संख्या	नाम तहसील	वित्तीय मदों का ब्योरा जिसमे धन राशि व्यय हुई वर्ष	(बी) राहत कार्य	(डी) निर्मूल सहायता	(ई) विविध पानी की व्यवस्था	स्थान जहां पर व्यवस्था की गई	धनराशि जो अकाल तकावी वितरण करने में व्यय हुई
१	२	३	४	५	६	७	८
		१९५८-५९					
१.	बाडमेर		३७,१८,८९०	—	६६,७१,८२	रामसर गागरीया	३०,०००,००
२.	शिव		२१,७१८,६२	—	—	—	१५००० ,००
३.	चौहरान		१४,६००,००	—	—	—	२२,०००,००
४.	पचपदरा		२२,६५६,५६	—	३४,२७६,००	पचपदरा भीमरताई	२,७५०,००
५.	सिवाना		६८०,६२	—	—	धोल	—
कुल योग			६७,४४८,६३	—	४१,२४८,६४		६६,७५०,००

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
१.	बाडमेर	१६५६–६०	४६,११६,५२	—	१३,२६२,६०	—	२६,८८५,००
२.	शिव		१६,३५१.७६	८००,००	—	—	१०,००,०००
३.	चौहरान		१०,७०६,५६	—	—	—	११,०००,००
४.	पचपदरा		१७,६६५,१५	—	१२४०३,८५	—	१८,०००,००
कुल योग			६४,१३४,६६	८००,००	२५,६६६,४५	—	६८,६५५,००

सहायता संचालक

परिशिष्ट

जोधपुर डिविजन में जिला स्तर पर जो अलग अलग धनराशि ५४ दुर्भिक्ष के अन्तर्गत अकाल सहायतार्थ व्यय की गई :—

सं०	नाम जिला	मद का व्यौरा (बी) राहत कार्य १६५८–५६	५६–६०	(डी) निर्मूल सहायता १६५८–५६	५६–६०	(सी) उन व्यक्तियों को सहायता जो अतिरिक्त सहायता कार्य के दी गई १६५८–५६	५६–६०	(ई) विविध (ए) पानी की व्यवस्था १६५८–५६	५६–६०	(बी) पशुओं एवं चारे की व्यवस्था १६५८–५६	५६–६०	धनराशि जो अकाल तकावी विवरण करने में व्यय हुई १६५८–५६	५६–६०
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१.	बाडमेर	६७,४४८,६३	६४,१३४,६६	—	८००,००	– –	४१,२४८,६४	२५,६६६,४५	–	–	६६,७५०,००	६८,४५५,००
२.	जोधपुर	३०,५९१,००	४२,६५८,६६	२५०,००	३६०,३३	– –	—	२,६००,००	–	–	३६,७५०,००	५०,६००,००
३.	जालोर	१७,६४६,८४	१०,०००,००	६५०,००	४००,००	– –	—	—	–	–	३७,४७०,००	४,४००,००
४.	नागोर	७६,३००,५०	—	४६६,२५	—	– –	४६३,७५	—	–	–	१४,६६५,००	—
५.	पाली	१,१३,२०५,००	—	—	—	– –	—	—	–	–	२३,८५०,००	—

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
६.	जैसलमेर	३३,८००,००	६७,३१,०५	२,७८७,४५	२,६०६,३७ –	१,६००,००	—	—	१८५,४,१३	–	१४,६३०,००	३७,७४५,००
७.	सिरोही	—	—	—	— –	–	—	—	—	–	—	—
कुल योग		३,३६,२६१.६७	१,५६,८२४.६५	४,१८६.७०	४,१७७.७० –	१,६००.००	४२,७४२.४६	२८,५६६.४५	१,८५४.१३	–	१,६७,६६५.००	१,६७,५००.००

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ का उत्तर देखिये)

महाराजा संस्कृत कॉलेज, जयपुर के प्राध्यापक एवं व्याख्याताओं का विवरण

प्राध्यापक

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति दिनांक	इस कॉलेज में कार्य करने का दिनांक
१.	श्री वृद्धिचन्द्र शर्मा	२२.३.३३	२२.३.३३
२.	श्री विध्याचल प्रसाद शर्मा	१८.७.३६	१८.७.३६
३.	श्री पुरुषोत्तम भट्ट	१६.७.४३	१६.७.४३
४.	श्री जगदीश शर्मा	२३.८.३७	२३.८.३७
५.	श्री गोविन्दनारायण शर्मा	२२.३.५२	२२.३.५२
६.	श्री दुर्गादत्त शर्मा	२४.२.३६	२४.२.३६
७.	श्री मदनलाल शर्मा	२१.७.४८	२१.७.४८
८.	श्री रामनारायण चतुर्वेदी	७.६.५६	७.६.५६
	व्याख्याता		
१.	श्री युगलकिशोर शर्मा	२.१.४१	२.१.४१
२.	श्री बदरीनारायण शर्मा	२६.१०.४२	२६.१०.४२
३.	श्री नन्दकुमार शर्मा	१२.१०.२७	१६.७.४३
४.	श्री गंगाधर द्विवेदी	१.३.४६	१.३.४६
५.	श्री श्रीकान्त ठाकुर	२.८.३७	८.४.५८
६.	श्री सुखदेव पाठक	१७.११.५८	२६.१.६०

———

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६० का उत्तर देखिए)

उन विभागीय कर्मचारियों की सूची जिनको हार्ड ड्युटी अलाउन्स मिलता है

क्रम संख्या १	विभाग का नाम २	पद ३	स्थान का नाम ४
१.	कॉलोनाइजेशन विभाग, राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, बीकानेर	१. तहसीलदार २. नायब तहसीलदार ३. वरिष्ठ पद लिपिक व इन्सपेक्टर ४. पटवारी	सूरतगढ़ हनुमानगढ़ व अनुपगढ़
२.	चम्बल सिंचाई योजना, कोटा	१. सहायक उपनिवेशन अधिकारी २. नायब तहसीलदार ३. उच्च लिपिक तथा निम्न लिपिक (जो तहसील हैड क्वार्टर्स पर कार्य कर रहे हैं) ४. इन्सपेक्टरस ५. पटवारी	चम्बल सिंचाई योजना, कोटा

परिशिष्ट

१	२	३	४
३.	राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड, जयपुर	१. ट्रक ड्राइवर २. कम्प्रेसर ,,	जिन जिन स्थानों पर ये कार्य करते हैं।
४.	एक्साइज एण्ड टैक्सेशन विभाग	१. पेट्रोलिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिवेन्टिव फोर्स	पांचों खण्डों में (डिविजनल हैडक्वार्ट्स)
५.	राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट	फील्ड में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों को	जहां २ फील्ड पर ऐसे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।
६.	कृषि विभाग, जयपुर	१. ट्रेक्टर ड्राइवर २. ट्रक ,,	जिन जिन स्थानों पर ये कार्य करते हैं।
७.	माइनिंग विभाग उदयपुर	१. मुख्याधिकारी, माइनिंग विभाग उदयपुर, पोलोटेक्निक संस्था,	उदयपुर
८.	ट्रांसपोर्ट विभाग, जयपुर	१. ड्राइवर २ २. ड्राइवर १४	बीकानेर हाउस, नई देहली मोटर गेरेज, जयपुर

परिशिष्ट

१	२	३	४
९.	भवन व पथ निर्माण विभाग, जयपुर	१. सहायक अभियन्ता) २. ओवरसियर) ३. कलर्कस्) ४. चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारी)	पश्छिमी पाकिस्तान की सरहद पर।
१०.	पशुपालन विभाग, जयपुर	१. स्थाई भेड़ व ऊन गणक) २. अस्थाई (घुमक्कड़) भेड़ व ऊन गणक)	भज्जू, सारोड़ा व नाण (ज़िला बीकानेर)
११.	राजस्व मण्डल (भू–अभिलेख), अजमेर	१. तहसीलदार) २. नायब तहसीलदार) ३. इन्सपेक्टर) ४. पटवारी)	पाकिस्तान सीमा पर

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३ का उत्तर देखिये)

श्री मूलशंकर झा के सेवा काल का ब्योरा

श्री मूलशंकर झा एक राज्य कर्मचारी हैं। वह पहले अजमेर के चीफ कमिश्नर के ऑफिस में कनिष्ठ लेखक के पद पर १७.५.४३ को नियुक्त हुये थे और उनका सेवाकाल १०.६.४३ तक रहा। फिर २३.६.४३ को उसी पद पर नियुक्त हुए और ३१.१२.४७ तक कनिष्ठ लेखक रहे। वह फिर १.१.१९४८ को उच्च लिपिक के पद पर नियुक्त हुए और १६.१.१९५५ तक उसी पद पर आसीन रहे। १७.१.५५ से ३१:१०.५६ तक अजमेर के सचिवालय में असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर रहे फिर राजस्थान सचिवालय में १.११.५६ से आज तक असिस्टेंन्ट के पद पर कार्य कर रहे हैं।

श्री मूलशंकर झा अपने इस सेवा–काल में १३.६.५२ से १७.६.५४ तक मोवत्तिल रहे।

गांधी शिक्षा सदन के कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सूची

१.	श्री मूलशंकर झा	संचालक
२.	श्री एल. पी. त्रिपाठी	समाज सेवक
३.	श्री पी. सी. शर्मा	समाज सेवक
४.	श्री बी. एम. शर्मा	समाज सेवक

———

परिशिष्ट १०

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५५६ का उत्तर देखिये)

No.	Name	Date of first appointment with post	Subsequent promotion with date	Reversion, if any	Remarks
1.	2.	3.	4	5	6
1.	Shri Sardar Singh	20-7-45 Patwari	15-1-46 as I. L. R. & 26-10-59 as N. T.	...	
2.	„ Sugan Singh	14-7-32 Patwari	31-5-47 as I. L. R. & 26-10-59 as N. T.	...	
3.	„ Harishchandra	12-2-39 Patwari	4-4-49 as I. L. R. & 26-10-59 as N. T.	...	
4.	„ Roop Singh	1-2-32 as Patwari	1-8-49 as I. L. R. & 26-10-59 as N. T.	—	
5.	„ Harsaran Lal	16-1-32 as Patwari	23-9-43 as I. L. R. & 26-10-59 as N. T.	...	

1.	2.	3	4	5	6
6. Shri	Karam Singh	2-9-36 as Patwari	1-1-48 as I. L. R. & 1-6-56 as N. T.	...	
7. „	Vishweshwar nath	Jan., 1932 as Patwari	5-5-47 as I. L. R. & 26-10-59 as N. T	...	
8. „	Tarachand, B. A.LL- B.	...	...	...	Temporarily posted as Offg. Naib Tehsildar in Colonisation Deptt. tooking to his educational qualification, and due to shortage of Naib-Tehsildars.
9. „	Veer Singh	2-5-38 as Patwari	8-1-38 as I. L. R. & 1-3-55 as N. T.	...	He was reverted as I. L. R. as Selection Committee has not selected him as N. T. but due to temporarily vacancy recently occured in Ajmer Div., he has again been allowed to continue as Offg. N. T. for a period of six months.
10. „	Amir Chand	L. D. C.	2-1-56 as I. L. R. & 2-9-59 as Sadar Kanungo	Reverted from the post of Sadar Kanungo on 8-10-59, relieved on 4-11-1959.	

1	2	3	4	5	6
11. Shri	Ramchandra Verma	9-10-42 as Patwari.	30-6-53 as I. L. R.	...	
12. ,,	Ramchandra Gupta	24-1-51 as Office Supdt., Commissioner's office, Jaipur (now Ajmer).	...		He is an Ex-Army Officer absorbed in Commissioner's office as Supdt. with effect 24-1-51 on the reorganisation of former Rajasthan State Forces and is working as such.
13. ,,	Madanlal Joshi	16-3-42 as I. L. R.	20-7-54 as N. T. and now promoted as Offg. Tehsildar	...	
14. ,,	Jagan Prasad		26-3-51 as N. T. and now promoted as Offg. Tehsildar.		

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २२ मार्च, १६६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
४१५६	१६	जगाब नहीं	जबाब नहीं
४१५६	११	मुद्रलेख में	मुद्रलेखन में
४१६५	शीर्ष	श्र दयाकृष्ण	श्री दयाकृष्ण
,,	१५	(वीकानेर)	(बीकानेर)
४१६८	१६	ससझौता केवल	समझौता, केवल
४१७३	७	पहले का ।	पहले का ?
,,	१८	है । । ह	है, यह
४१७७	६	लोग्रर लि	लोग्रर-सिले
४१८२	१५	मुख्य मत्री	मुख्य मंत्री
४१८३	२५	श्री दानोदरलाल	श्री दामोदरलाल
४१६७	२	पूर्तिकर	पूर्ति कर
,,	८	(श्री मधपुर) ऐसे व्यक्यिों	(श्री माधोपुर) ऐसे व्यक्तियों
,,	११	यह इित्तल	यह इत्तिला
४१६६	२७	ग्रौर निर्णय	ग्रभी निर्णय
४२०१	७	किया वह	किया गया वह
४२०२	१०	नीलानी नहीं	नीलामी नहीं
,,	११	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
,,	२१	भोगराग की जीजों	भोमराग की चीजों
४२०६	ग्रन्तिम से ६	तबालेद नही	तबादले नहीं
४२११	१३	पिंडवाड़ाा के	पिंडवाड़ा के
४२१८	११	जो हां,	जी हां
४२२०	ग्रन्तिम से २	नियुक्त के	नियुक्ति के
४२२४	,, ,, ६	श्री पभुलाल	श्री प्रभुलाल
४२३१	ग्रन्तिम	मुख्य शीर्पक	मुख्य शीर्षक
४२३२	१३व१४	To give anygrant-in aid to sa the vajanik	To give any grant in aid to the Sarvajanik
४२३४	२७	श्री ग्रपसिंह	श्री ग्रनूपसिंह
,,	ग्रन्तिम से ४	Offics at	Office at

१	२	३	४
४२४०	अन्तिम से २	बोड की	बोर्ड की
४२४६	२४	का रागी	का रोगी
,,	अन्तिम से २	नेडीकल....खालेंगे	मेडीकल....खोलेंगे
४२५१–५२	शीर्ष	–२१ मार्च	—२२ मार्च
४२५३	शीर्ष	(श्री लक्षण	(श्री लक्ष्मण
४२५६	७	नउन	न उन
४२५८	६	लगनग २०	लगभग २०
,,	१०	ममुचित	समुचित
४२६३	१५	प्रोसिक्युशम	प्रोसिक्युशन
४२६४	२४	एक सदस्य माननीय	एक माननीय सदस्य
४२७०	६	कॉमर्शियल लाइन	कॉमर्शियल लाइन
,,	१२	मेडीसन लेना	मेडिसिन लेती
४२७२	२०	टाग लडेगी	टांग लड़ेगी
४२७५	१०	असनर्स है	असमर्थ है
४२७६	१७	नहां होगा	नहीं होगा
४२७७	११	गड़बड़या	गडबड़ियां
४२८१	२२	ठिकाने टाइम	ठिकाने के टाइम
२४८३	शीर्ष	मांगों संख्या	मांग संख्या
,,	८	है उनके	हैं उनके
४२८५	२४	पत्र । व्यवहार	पत्र–व्यवहार
४२९२	प्रथम	२२ है	२२५ है
४२९४	२४	अरिजिनल	ओरिजिनल
,,	२५	मेडिसन'है	मेडिसिन है
,,	२५–२६	amenlible	amenable
४२९९	१९	१० पेप्लेन्ट्स	१० पेशेन्ट्स
४३००	४	श्रीमती गगादेवी	श्रीमती गंगादेवी
४३०२	अन्तिम से ६	जा सबसे	जो सबसे
४३०७	शीर्ष	मांगों सख्या	मांग संख्या
४३२४	प्रथम	कितनी भी	कितनी ही
४३४३	१६	कत्तय	कर्त्तव्य
४३४८	२४	पुपष्कृत किया	पुरष्कृत किया
४३४९	२२	वक्त भों	वक्त भी
४३५४	शीर्ष	चिकित्स	चिकित्सा
,,	१८	रधायनशाला	रसायनशाला
४३५५	शीर्ष	मांगों संख्या	मांग संख्या
,,	प्रथम	जालोडर, बामेर	जालोर, बाडमेर

(३)

१	२	३	४
४३५८	२३	पूण परिश्रम	पूर्ण परिश्रम
,,	२४	कि वे अपने	कि वें
४३५६	अन्तिम से४	हेय्य सेन्टर	हैल्थ सेन्टर
४३६७	शीर्ष	मांग संख्या १७	मांग संख्या १६
४३६६	,,	मांग संख्यां	मांग संख्या
४३७१	४	धर्म पर–	धर्म परि—
४३७१-७२	शीर्ष	–२२ मार्च, ६२–	–२२ मार्च, ६०–
४३८७	प्रथम	श्री सभापति श्री आबिद अली	श्री सभापति (श्री आबिदअली)
४३८६	प्रथम	प्रश्नोत्तर	प्रश्नों के शीर्षक
४३६४	४	चिकित्सा	चिकित्सा (अग्रेतर विचार)
४४०२	अन्तिम से५	कम होने	रकम होने
४४०३	१६	अध्ययनव–र्ष	अध्ययन वर्ष
४४०५	२	फेलता हो	फैलाता हो
,,	२०	पूा बन्द	पूर्व बन्द
४४०८	११,१५व१८	जिटसम	जिम्सम